अष्टम माला, खंड 22, अंक 13

गुरुवार, 20 नवम्बर, 1986
29 कार्तिक, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

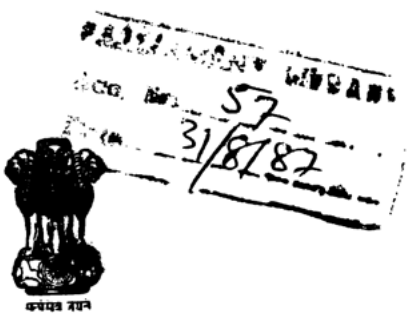

(खंड 22 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 22, सातवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 13, गुरुवार, 20 नवम्बर, 1986/29 कार्तिक, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 245 से 249 और 254	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 250 से 253, 255 से 260 और 262 से 264	25-36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2477 से 2515, 2517 से 2621, 2623 से 2678 और 2680 से 2708	36-197
सभा पटल पर रखे गए पत्र	200-201
राज्य सभा से संदेश	201-202
शिशु दुग्ध खाद्य और पोषण बोतल (उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1986	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	202
लोक लेखा समिति	
सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	202

*किसी नाम पर अन्कित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण 203

देश के विभिन्न भागों में मस्तिष्क ज्वर महामारी के बड़े पैमाने पर फैलने के समाचार

श्री जैनुल बशर 203, और 205-207

कुमारी सरोज खापर्डे 203-205

श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर राव 207-208

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर 208-209

श्री हरीश रावत 209-211

श्री पी. वी. नरसिंह राव 211-213

कार्य मंत्रणा समिति

तीसवां प्रतिवेदन 213-214

नियम 377 के अधीन मामले 214-218

(एक) आधुनिक संचार उपकरणों से सुसज्जित "वन संरक्षण बल" गठित करने की आवश्यकता

श्री एम. एल. भिकराम 214

(दो) चम्बल घाटी के पिछड़े क्षेत्रों और यमुना नदी के एक भाग के विकास संबंधी कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री गंगाराम 214-215

(तीन) बुन्देलखण्ड क्षेत्र का विकास करने और डाकुओं को समाप्त करने के लिये बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण को विशेष धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता

श्री डाल चन्द्र जैन 215

(चार) राजस्थान के बूंदी और कोटा नगरों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिये पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता 215-216

श्री शांति धारीवाल

(पांच) उड़ीसा में बरहामपुर (गंजम) से बासपल्ला तक रेल लाइन बिछाने और उसे उड़ीसा के खुर्दा और बोलनगीर से जोड़ने की संभाव्यता की जांच करने के लिये सर्वेक्षण की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ 216-217

(छह) नेपाल में भुतही बालन नदी के क्षेत्र में एक तटबंध और एक जलाशय के निर्माण के बारे में नेपाल सरकार के साथ बातचीत करने की आवश्यकता

डा. गौरी शंकर राजहंस 217

(सात) 'नेशनल हेराल्ड' और 'कौमी आवाज' को फिर से प्रकाशित करने की मांग

श्री सोमनाथ चटर्जी 218

(आठ) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सामान्य स्थिति की पुन: स्थापना और सिक्किम की वस्तुओं की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता

श्रीमती डी. के. भण्डारी 218

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक
राज्य सभा द्वारा किये गए संशोधनों पर विचार
और उन्हें स्वीकृत किया जाना 218-219

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

डा. गौरी शंकर राजहंस 220 और 275-278

श्री पी. अप्पालनरसिंहम 278-280

श्री गिरधारी लाल व्यास 280-283

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पाकिस्तानी मण्डल द्वारा आपत्तिजनक नक्शे वितरित किये जाने के बारे में वक्तव्य

श्री के. नटवर सिंह 220-221

दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के दूसरे सम्मेलन के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गये वक्तव्य पर चर्चा

श्री दिनेश गोस्वामी 221-229

श्री जी. जी. स्वेल	229-234
श्री बी. बी. रमैया	234-237
श्री आर. एस. स्पैरो	237-240
श्री सैफुद्दीन चौधरी	240-243
श्री शरद दिघे	243-245
श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर	245-249
श्री श्रीपति मिश्र	249-252
श्री पी. कुलनदईवेलु	252-254
प्रो. पी. के. कुरियन	254-256
श्री नारायण चौबे	257-259
श्री राजकुमार राय	259-261
श्री एन. वी. एन. सोमू	261-262
श्री विजय एन. पाटिल	262-264
डा. गौरी शंकर राजहंस	264-266
श्री नारायण दत्त तिवारी	266-275
सभा पटल पर रखे गये पत्र	283-284

लोक सभा

गुरुवार, 20 नवम्बर, 1986/29 कार्तिक, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष का सारा मुहल्ला उजड़ा-उजड़ा सा लग रहा है । क्या हो गया है इस मुहल्ले को ?

[अनुवाद]

श्री एम. रघुमा रेड्डी : सत्तारूढ़ दल सभा में अनुपस्थित है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा तो नहीं लगता । कुछ-कुछ आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पोत एम. वी. जगत माहेश्वरी का स्वामित्व

*245. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में निर्मित पोत एम. वी. जगत माहेश्वरी, जिसके लिए मैसर्स डेम्पोस्टीमशिप्स लिमिटेड ने मूलतः ऋादेश दिया था और वह उसकी डिलीवरी लेने में असफल रहा, के स्वामित्व के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जाना अभी भी बाकी है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एम. रघुमा रेड्डी : उत्तर बहुत अच्छा है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मैसर्स डेम्पो स्टीमशिपस लिमिटेड ने दो जहाज बनाने का आदेश हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम को दिया था। दोनों जहाज का निर्माण किया गया था। जिन्हें उन्हें लेना था। अन्ततोगत्वा सरकार ने किसी दूसरी कम्पनी को सुपुर्दगी कर दी। क्या यह सच नहीं है कि मैसर्स डेम्पो स्टीमशिप लिमिटेड ने उन जहाजों को जिनके लिए उन्होंने आदेश दिए थे, सुपुर्दगी नहीं ली ऐसा करने के क्या कारण थे ? इसके कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेट को कितनी हानि हुई ?

श्री राजेश पायलट : यह सच है कि मैसर्स डेम्पो ने एम. वी. जगत माहेश्वरी और जगत राजेश्वरी नाम के दो जहाजों के आदेश 1980 में दिए। समझौते पर 1981 में हस्ताक्षर किए गए। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिडेड में चल रही पद्धति के अनुसार लागत का पांच प्रतिशत राशि कम्पनी द्वारा अदा किया जाता है। 95 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में एस.डी. एफ. सी. के माध्यम से अदा की जाती है। समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, अदायगी कई चरणों में होती है। आरम्भ में उन्होंने कुछ रुपया अदा कर दिया था। 1983 के आरम्भ से उन्होंने मन्त्रालय को, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को यह लिखना शुरू कर दिया कि वे अपने आदेश का माल बाद में लेना चाहेंगे। उनकी मंशा यह थी कि वे इन जहाजों के लिए इतने उत्सुक नहीं हैं। किन्तु चूंकि समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके थे, अतः हमने उस चरण तक की राशि जिसे वह अदा कर चुके थे। जब्त कर ली। इन दोनों जहाजों के लिए वे लगभग 71 लाख रुपया अदा कर चुके थे। इस्पात से 50 प्रतिशत निर्माण हो जाने के चरण में उन्होंने राशि अदा नहीं की। एस. डी. एफ. सी. के माध्यम से सरकार भी कुछ रुपया खर्च चुकी है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बताया कि जहाज लगभग पूरा होने वाला है। जहाज की सुपुर्दगी लेने में उन्होंने अनपेक्षित देरी कर दी क्योंकि वे समझौते को और आगे नहीं चलाना चाते थे। इसलिए हमने वित्त मन्त्रालय और विधि मन्त्रालय से बात आरम्भ की और प्रक्रियाओं की जांच कराई। अन्ततोगत्वा हमने इन जहाजों को सरकारी क्षेत्र की कम्पनी के माध्यम से चलवाने के लिए एस.डी.एफ.एल. को देने की सोची—उस समय उस कम्पनी का नाम मुगल लाइन्स था और अब एस. सी. एल. है—क्योंकि इन जहाजों पर सरकारी धन और सार्वजनिक धन व्यय हो चुका था। इन बातों को ध्यान रखते हुए एक जहाज की सुपुर्दगी मार्च 1986 में मुगल लाइन्स को जिसका वर्तमान नाम एस. सी. आई. है, की गई। दूसरा जहाज सम्भवतः मार्च, 1987 में सुपुर्द किया जाएगा। उन्होंने लगभग 71 लाख रुपया जमा कर दिया है। चूंकि उन्होंने सभी शर्तों को निभाने में चूक की है, अतः वह धन जब्त कर लिया गया है। समझौते में चूक करने के कारण आगे कार्यवाही की जा रही है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : महोदय, एम. वी. जगत माहेश्वरी और जगत राजेश्वरी नामक

इन दो जहाजों के लिए मंत्री महोदय, ने अन्ततोगत्वा शिपिंग डवलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया को दूल्हा के रूप में ढूंढ ही लिया और उन्हें उनके सुपुर्द कर दिया है। क्या यह सच नहीं है कि इन्हें पुनः शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को सुपुर्द कर दिया गया था ? इस सौदे की सम्पूर्ण प्रक्रिया में सरकार को कुल कितना घाटा हुआ है ? काम पूरा होने में कितने समय का व्यवधान पड़ा ? शिपिंग कारपोरेशन को कितनी हानि हुई ?

श्री राजेश पायलट : मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य किन शब्दों में यह जानना चाहते हैं, क्योंकि बजाय इसके कि डेम्पो इस खरीदती, हमने इस एस. डी. एम. सी. के माध्यम से शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के लिए खरीद लिया है। जहां तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हुए घाटे का सम्बन्ध है, वह देरी होने से निर्माण लागत बढ़ जाने के कारण हुआ। और यदि उन्होंने समझौते के अनुसार कार्य किया होता और समझौते में निर्धारित समय के अनुसार उसकी सुपुर्दगी कर दी गई होती तो जहाज की लागत थोड़ी कम बैठती। विवाद प्रक्रिया जानने का जो प्रयास किया गया उसके कारण देरी हुई और यह सच है कि फर्म के साथ तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ पत्राचार करने के कारण कुछ समय लग गया था। जहाज के निर्माण में देरी हुई थी। जब आर्डर दिया गया था, उस समय उसकी लागत 12.25 करोड़ रुपये थी किन्तु बाद में अन्तिम रूप से उसकी कीमत 18 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, यह नुकसान उठाने को तैयार नहीं था किन्तु हमने यह कहा है कि उसकी कीमत और निर्माण लागत में जो अन्तर है, उसे हिन्दुस्तान शिपयार्ड वहन करेगा जिसे सरकार कुछ रियायत देने की चेष्टा करेगी।

आदिवासी क्षेत्रों में निरक्षरता

*246. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के आदिवासी क्षेत्र, विशेष रूप से गुजरात के आदिवासी क्षेत्र, देश के सर्वाधिक निरक्षरता वाले क्षेत्रों में से हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अब तक कौन से कदम उठाए गये हैं;

(ग) अब तक कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर बनाया जा चुका है;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इन क्षेत्रों की जनता को दूसरे क्षेत्रों की जनता के समान स्तर पर लाने हेतु अधिकतम शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) लड़कियों के लिए शिक्षा सुविधाओं हेतु कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दरों को दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध 1 के रूप में संलग्न है।

(ख) अनुसूचित जनजातियों विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) मुख्य रूप से उन ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

(ii) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कम से कम 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के शिक्षार्थियों को दाखिल करने का अनुरोध किया गया है।

(iii) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि जहां तक संभव हो अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जाएं।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नव-साक्षर पुनः निरक्षर न बन जाएं, उत्तर साक्षरता और अनुवर्ती कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया जाता है।

(v) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष निधियां निर्धारित की गई है।

(vi) कुछ क्षेत्रों में परीक्षा शुल्क की छूट के मामलों में अनु. जा./अनु. ज. जा. की लड़कियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(vii) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां उपचारात्मक और विशेष प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं और अन्य स्तरों पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और निःशुल्क वर्दियां प्रदान की जाती हैं।

(viii) कुछ क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों को छात्रवृत्तियां, मध्याह्न भोजन और आश्रम स्कूल और छात्रावास सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर साक्षरता दरों और दाखिला अनुपात में वृद्धि अनुबन्ध-2 में दी गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्यवाही योजना जो संसद के दोनों सदनों में क्रमशः 2 मई, 1986 और 8 अगस्त, 1986 को रखी गई थी, में विशेष नीतियों की परिकल्पना की गई है।

अनुबन्ध-1

1981 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों में साक्षरता दर

क्रम सं.	भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
	भारत *			
	राज्य :	16.35	24.52	8.04
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.82	12.02	3.46

1	2	3	4	5
2.	बिहार	16.99	26.17	7.75
3.	गुजरात	21.14	30.41	11.64
4.	हिमाचल प्रदेश	25.93	38.75	12.82
5.	कर्नाटक	20.14	29·96	10.03
6.	केरल	31.79	37.52	26.02
7.	मध्य प्रदेश	10.68	17.74	3.60
8.	महाराष्ट्र	22.29	32.30	11.94
9.	मणिपुर	39.74	48.88	30.35
10.	मेघालय	31.55	34.19	28.91
11.	नागालैण्ड	40.32	47.32	32.99
12.	उड़ीसा	13.96	23.27	4.76
13.	राजस्थान	10.27	18.85	1.20
14.	सिक्किम	33.13	43.10	22.37
15.	तमिलनाडु	20.46	26.71	14.00
16.	त्रिपुरा	23.07	33.46	12.27
17.	उत्तर प्रदेश	20.45	31.22	8.69
18.	पश्चिम बंगाल	13.21	21.16	5.01
	संघ शासित क्षेत्र :			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	33.11	38.43	23.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.04	20.79	7.31
3.	दादरा और नागर हवेली	16.86	25.46	8.42
4.	गोवा दमन और दीव	26.48	33.65	18.89
5.	लक्ष्यद्वीप	53.13	63.34	42.92
6.	मिजोरम	59.63	64.12	55.12

टिप्पणी :

1. इसमें असम शामिल नहीं है क्योंकि 1981 की जनगणना के समय वहां बिगड़ी परिस्थितियों के कारण जनगणना नहीं हो सकी।
2. भारत के राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी के लिए कोई जन जातियां निर्धारित नहीं की गई थी।
3. 0-4 आयु वर्ग में जनसंख्या सहित अनुसूचित जन जातियों की कुल जनसंख्या के आधार पर साक्षरों की प्रतिशतता की गणना की गई है।

स्रोत : भारत की जनगणना 1981, शृंखला—1 (भारत), भाग-II ख (111) प्राइमरी जनगणना सारांश अनुसूचित जन-जातियां।

अनुबन्ध-2

अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर और दाखिला अनुपात

1971 और 1981

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरें				अनुसूचित जनजातियों के दाखिला अनुपात			
	1971		1981		1971		1981	
	कुल	महिला	कुल	महिला	कक्षा I-V	VI-VIII	कक्षा I-V	VI-VIII
आन्ध्र प्रदेश	5.34	2.13	7.82	3.46	33.9	4.2	82.1	9.7
असम	26.03	17.16	कुछ नहीं	कुछ नहीं	100.9	41.4	64.4	38.4
बिहार	11.64	4.85	16.99	7.75	58.7	16,87	75.0	17.2
गुजरात	14.12	6.15	21.14	11.64	54 6	12.8	94.9	22.6
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	15.89	5.53	25.93	12.82	42.4	21.0	81.0	39.5
जम्मू और काश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	14.85	7.67	28.14	18.83	59.2	23.2	159.7	71.1
केरल	25.72	19.40	31.79	26.02	77.7	30.4	95.2	47.8
मध्य प्रदेश	7.62	2.18	18.68	3.60	29.9	7.5	39.8	11.7
महाराष्ट्र	11.74	4.21	22.29	11.94	47.9	12.1	82.6	17.0
मणिपुर	28.71	18.87	39.74	30.35	158.2	37.1	128.0	53.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	26.45	22.79	31.55	28.91	120.6	30.0	119.9	46.4
नागालैण्ड	24.01	17.68	40.32	32.99	154.0	56.6	160.5	118.3
उड़ीसा	9.40	2.58	13.96	4.76	41.6	6.8	67.7	13.4
पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	6.47	0.49	10.27	1.20	27.8	8.0	47.4	15.8
सिक्किम	—	—	33.13	22.37	—	—	—	—
तमिलनाडु	9.02	4.48	20.46	14.00	36.1	8.7	41.0	13.5
त्रिपुरा	15.03	6.04	23.37	12.27	47.0	12.0	68.5	18.5
उत्तर प्रदेश	14.59	5.58	20.45	8.69	36.9	16.1	81.6	33.4
पश्चिम बंगाल	8.92	3.09	13.21	5.01	40.0	11.0	49.6	8.3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.85	11.17	31.11	23.24	57.4	20.1	81.4	40.1
अरुणाचल प्रदेश	5.20	1.70	14.04	7.31	40.4	13.4	80.9	23.2
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—
दादरा और नगर हवेली	8.90	2.59	16.80	8.42	71.7	11.1	118.4	16.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—
गोवा, दमन और दीव	12.73	5.08	26.48	18.89	60.2	11.5	119.4	24.8
लक्षद्वीप	41.37	28.94	53.13	40.92	121.4	46.3	166.1	102.8
मिजोरम	*	*	59.63	55.12	*	*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली								
भारत	11.30	4.85	16.35	8.04	48.6	12.9	70.0	19.5

* असम में शामिल ।

उपलब्ध नहीं = आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, जो मैं चाहता था, सारा का सारा जवाब उन्होंने दिया है। हमारी सरकार शिक्षा के बारे में जो करने जा रही है उस सारे विषय की जानकारी मैंने मांगी थी और उसका पूरा जवाब भी मुझे मिल गया है फिर भी हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की ओर से जो कुछ मदद मिलती है उसका समय से वास्तविक रूप में उपयोग हो सके इसके लिए शिक्षा का विस्तार करना बहुत जरूरी है और उसमें सुधार लाना भी बहुत जरूरी है। जो प्रौढ़ शिक्षा आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है उसमें और अधिक सुविधा बढ़ाने की जरूरत है तथा साधन सामग्री भी बढ़ाने की जरूरत है। सरकार ने यह जो प्रौढ़ शिक्षा चला रखी है उसमें जो कर्मचारीगण कार्य करते हैं उनका वेतन बहुत कम है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो प्रौढ़ शिक्षा के वर्क चल रहे हैं उनकी जांच की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की गई है या नहीं ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मान्यवर, मैंने इस वक्तव्य में पूरी तरह से बताया है कि क्या-क्या किया जा रहा है और क्या-क्या किया जाने वाला है नई नीति के उपलक्ष्य में। अब उनके अलावा और माननीय सदस्य को कुछ सुझाना हो तो मैं तैयार हूं उनका सुझाव लेने के लिए, उसकी पूरी तरह से छान-बीन करने के लिए लेकिन मैं समझता हूं जहां तक हमारी नयी नीति का सम्बन्ध है, उस नीति पर आधारित नये कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, वह हर तरह से अपने आप में परिपूर्ण है, कोई चीज छूट नहीं गई है और किसी चीज को हम चांस पर नहीं छोड़ रहे हैं तथा मैं समझता हूं जिस पर चर्चा हो चुकी है हमारे सदनों में, अब उसी का कार्यान्वयन करना ठीक रहेगा, उसी पर हम लगे हुए है।

श्री अमर सिंह राठवा : मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आदिवासी ग्रामीण विस्तार क्षेत्र योजना में शिक्षा के लिए आश्रम स्कूल और छात्रावास गरीब बच्चों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बन गए हैं क्योंकि गरीब आदिवासी बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं उसका मूल कारण यह है कि उनको खाना नहीं मिलता है। परन्तु छात्रवास और आश्रम स्कूलों में उनको खाना मिल जाता है और रेजीडेंशियल स्कूल होने का वजह से रहने की व्यवस्था हो जाती है इसीलिए वे पूरा समय स्कूल में बिताते हैं और इसी लिये वे अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आश्रम स्कूल और छात्रवासों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो आज कल ग्रामीण स्कूल चल रहे हैं उसमें पांचवीं कक्षा के बाद टेक्निकल विषय अगर शामिल किये जायें तो जो आज बहुत संख्या में शिक्षित बेकार बनते जा रहे हैं उनकी संख्या में कमी आयेगी क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ;

श्री पी. वी नरसिंह राव : आश्रम स्कूलों की संख्या बढ़ाई जायेगी, यह कहा गया है। हास्टल्स भी खोले जायेंगे, यह भी कहा गया है। उसके लिए एक कार्यक्रम बन रहा है कि किस साल कितने हम खोल सकते हैं, कहां कहां खोल सकते हैं इसका तफसीली प्रोग्राम बनेगा और उसके अनुसार काम होगा।

वोकेशनलाईजेशन के लिए भी जो हमने प्रोग्राम बनाया है वह आपके सामने है

जो हमारे सारे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसमें हमने फलेक्सिबिलिटी छोड़ रखी है कि वोकेशनलाईजेशन किस कक्षा से हम शुरू करें। कभी 8 से हो सकता है, कभी 11 से हो सकता है और कहीं-कहीं आवश्यक हो तो 5 और 6 से भी हम शुरु कर सकते हैं। तो उसमें यह फलेक्सिबिलिटी है। अब देखना यह है कि आदिवासियों के लिए कौन सी चीज ठीक होगी, उसी प्रकार का कार्यक्रम हमको वहां के लिए बनाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : जातियों, जनजातियों और धर्म के नाम पर अभी भी बड़ी संख्या में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है जिससे वे स्वतत्र न हो पाएं। मंत्री महोदय द्वारा दिये गये विस्तृत उत्तर में उस मुद्दे को नजरन्दाज कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि इस कठिनाई पर विजय पाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा विचार किया जा रहा है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मेरे विचार से कोई भी बात नजरन्दाज नहीं की गई है। उत्तर प्रश्न के अनुरुप दिया गया है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि सामान्य रूप से महिलाओं की शिक्षा पर जो बहुत अधिक जोर दिया गया है उसके बारे में, हमारी नई शिक्षा नीति पूर्णत: स्पष्ट है और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के मामले में विशेष कदम उठाने का विचार किया गया है और विशेष निधि प्रदान करने का विचार किया जा रहा है हम लोग विशेष छात्रवृति दे रहे हैं और कोई शुल्क न लेने तथा अन्य कई प्रकार के कार्यों के लिए हम विशेष सुविधायें भी दे रहे हैं। इस योजना के अनुपालन में लड़कियों से लिए जाने वाले पढाई शुल्क की प्रति पूर्ति का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड : जब परिवार अपनी लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजते हैं तो आप उस कठिनाई पर किस प्रकार सफलता प्राप्त करेंगे।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह काम तो माता-पिता को शिक्षित करके ही किया जा सकता है। दूसरा कोई और रास्ता है ही नहीं। उन पर दबाव डालने का कोई और रास्ता नहीं है। इसके लिए एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाना है। गुजरात के मामले में मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि गुजरात शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है और इससे किसी को भी संतुष्टि हो सकती है। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका परिणाम सामने आ रहा है।

श्री आनन्द गजपति राजू : आदिवासी क्षेत्रों में निरक्षरता समाप्त करने के लिए निधियां आवंटित करने का जहां तक सम्बन्ध है, पर्याप्त धनराशि आबंटित की गई है। किन्तु हम देखते है कि इन स्कूलों में जिन शिक्षकों को आबंटित किये जाने की आशा है वे इन स्कूलों में नहीं ठहर रहे हैं वे अन्य स्थानों के लिए स्थानान्तरण चाहते हैं। क्या सरकार का विचार शिक्षकों का एक पृथक संवर्ग बनाने का है जो पहले आदिवासी क्षेत्र में तैनात किए जायेंगे, वहां लगभग पांच वर्ष तक काम करेंगे और इसके बाद अन्यत्र जायेंगे जिससे ये कार्यक्रम ढंग से कार्यान्वित किये जा सकें

श्री पी. वी. नरसिंह राव : नई शिक्षा नीति बनाते समय इस विशेष कठिनाई के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। आदिवासी शिक्षकों की बहुत अधिक संख्या में भर्ती की जा रही है जिससे कि उस समाज और क्षेत्र से आए ये व्यक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा उन क्षेत्रों में जाने और काम करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे एक कार्यक्रम यह है।

दूसरा कार्यक्रम यह है कि यदि कोई आदिवासी स्वयं गैर-आदिवासी क्षेत्र में जाना चाहता है और अपने क्षेत्र में नहीं जाना चाहता है जो ऐसी स्थिति में हम आदिवासी क्षेत्र के ही कुछ कम शिक्षित व्यक्तियों को गांव से लेकर उन्हें प्रशिक्षण देंगे और उन्हें उनके ही क्षेत्र में रखकर उन्हें अपने क्षेत्र का भार उठाने को प्रेरित करेंगे। क्योंकि वे स्वयं गांवों के निवासी हैं, वे नगरों में नहीं गये, और उन्हें शिक्षक का नियमित पद नहीं मिल पाया है। ऐसे युवकों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से पहले इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा गया है और शिक्षा नीति तैयार करते समय भी इन बातों का ध्यान रखा गया है। [हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आप की कृपा दृष्टि हुई। कई दिनों तक हाथ उठाने के बाद आज मौका मिला है।

अध्यक्ष महोदय : अब एक साथ तो सारों को नहीं हो सकता।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : इन्होंने कहा कि इतनी देर हाथ उठाया, तो मौका मिला।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैंने कहा कि इतने दिनों के बाद।

अध्यक्ष महोदय : आपकी शान्तिमय प्रकृति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बालकवि बैरागी : यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि विद्या पर स्वयं विद्या जी प्रश्न कर रही हैं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि गुजरात में आदिवासी क्षेत्रों में बहुत कम शिक्षा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश और गुजरात या अन्य प्रदेशों की विनिस्वत हर प्रदेश का प्रतिशत आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का क्या है ?

दूसरे ये जो छात्रावास खोलने जा रहे हैं क्या उन छात्रावासों में या वहां जो शिक्षक भेजने वाले हैं, उन शिक्षकों को कोई विशेष सुविधा रहने की या आर्थिक दृष्टि से कोई दूसरी सुविधा देने वाले हैं और प्रोत्साहन वाली कोई स्कीम चालू करने वाले हैं ताकि कुछ लोभ और प्रलोभन से वे वहां जाकर रुक सकें और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा दे सकें। इसका दूसरा खंड है कि सार्वजनिक महिलाएं भी आदिवासी और हरिजन श्रेणी में आती हैं शिक्षा की दृष्टि से और दूसरी सभी दृष्टियों से आदिवासी क्षेत्रों की जो लड़कियां हैं, उनके लिए.....

श्री रघबीर सिंह : ये सार्वजनिक महिला क्या होती हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं आभारी हूं कि आपने यह कहा। मैं इसमें सुधार कर रही हूं। स्वर्ण महिलाएं, हरिजन और आदिवासी महिलाएं और दूसरे सभी वर्गों की महिलाएं, आदिवासी और हरिजनों की श्रेणी में आती हैं हर दृष्टि से, शिक्षा में भी और सामाजिक जागरूकता में भी। मैं उनकी बड़ी आभारी हूं कि उन्होंने सुधार करने का मौका दिया। मैं जानना चाहती हूं कि आदिवासी क्षेत्रों की लड़कियों के अन्दर शिक्षा के लिए प्रेरणा देने के लिए कौन सी नई स्कीम आप चालू कर रहे हैं, ताकि उन आदिवासी लड़कियों में शिक्षा की तरफ प्रेम और शिक्षा की तरफ आकर्षण हो, यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सारे भारत में सारे राज्यों का आंकड़ा लेने से पता चलता है कि गुजरात बहुत नीचे नहीं है बल्कि जो हमारा औसत है देश का उससे काफी ऊंचा है। बहुत ही नीचे कौन राज्य हैं, इसको बताना हो, तो इस का क्रेडिट मध्य प्रदेश को ही मिलेगा या तो राजस्थान को मिलेगा या मध्य प्रदेश को मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि विद्यावती जी की स्टेट को ही यह मिलने वाला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यक्रमों में कितने ही ऐसे मुद्दे हैं, जिनका लक्ष्य यह है कि लड़कियों को और खास तौर से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लड़कियों को किसी न किसी तरह से साक्षर बनाया जाए, उनको स्कूलों में लाया जाए और अगर स्कूल में नहीं लाया जा सकता हो, तो नान-फार्मल पढ़ाई उनको दी जाए। हमारा जितना भी जोर इस कार्यक्रम मे है, वह पिछड़े हुए दलित वर्गों पर और खास तौर से हमारा आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भाई और बहनों पर और शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के भाई और बहनों पर है। आपने देखा होगा चर्चा में यह बात आयी है और कई बार आयी है और इसको सराहा गया है कि हमारा जो ट्रस्ट है, सबसे ज्यादा जोर इन्हीं वर्गों पर दे रहे हैं जो आज तक शिक्षा से महरूम रहे हैं वंचित रहे हैं। इसमें कई कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और स्थानीय परिस्थिति के अनुसार इसमें तब्दली करनी होगी। एक जगह जो होता है, दूसरी जगह के लिए शायद वह न चले। मैं सारी तफसील में इस समय नहीं जा सकता लेकिन यह पालिसी आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारा पूरा जोर इन वर्गों पर है और इन क्षेत्रों पर है।

श्री वी. तुलसीराम : लड़कों के लिए आप क्यों नहीं कह रहे हैं, क्या सब लड़के बेकार हैं। लड़कियों के लिए ही मंत्री जी आप बता रहे हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : लड़कों के लिए भी है, एडल्ट के लिए भी है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, तुलसी राम जी के लिए भी कुछ है कि नहीं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। पहले से जानते हैं साहब।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी: मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : पहले जो सप्लीमेंटरी आया था, उसमें जवाब दिया जा चुका है। मैं कह चुका हूं कि एक तो हम आदिवासी क्षेत्रों से आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में उनकी नियुक्ति करने का कार्यक्रम है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां से जो अध्यापक मिलने से रहे। क्या आप गैर-आदिवासी क्षेत्रों से अध्यापक लायेंगे, उनको ज्यादा तनख्वाह या रहने की सुविधाएं वगैरह दे कर ?

अध्यक्ष महोदय : वे कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको प्रश्न देते हुए डरता हूं। आप तो बोलते ही जाते हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्यावती चतुर्वेदी जी से उनके सुझाव ले लूंगा। क्योंकि यह मध्य प्रदेश का मामला है, एकदम बाटम के आस पास पर है। जो भी सुझाव उनसे आयेगा स्थिति को एक इंच हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मात्रा भी आपको बता दी है।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा : इन लोगों को ऊंचे वेतन मान देने तथा आवास सुविधायें प्रदान करनी की आवश्यकता है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जी हां महोदय।

ऋण वसूली के लिए नौवहन कम्पनियों को कानूनी नोटिस

*247. **श्री एम. एम. पटेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास निधि समिति ने नौवहन कंपनियों को ऋण वसूली कानून नोटिस जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन नौवहन कम्पनियों को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं और उन पर कितनी धनराशि देय है ; और

(ग) क्या इन नौवहन कम्पनियों ने अब तक ऋणों की राशि का भुगतान कर दिया है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) जिन नौवहन कंपनियों को कानूनी नोटिस दिए गए हैं और जिनकी ओर धनराशि बकाया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं :

1.	इन्डोसीनिक शिपिंग कं. लि.	—	4.85	करोड़ रु.
2.	सेवन सीज ट्रांसपोर्टेशन लि.	—	10.90	करोड़ रु.
3.	दामोदर बल्क कैरियर्स लि.	—	25.86	करोड़ रु.
4.	रत्नाकर शिपिंग कं. लि.	—	40.97	करोड़ रु.

(ग) जी नहीं।

श्री एच. एम. पटेल : यह बात सर्वविदित है कि नौवहन उद्योग पिछले कई वर्षों से अत्यन्त कठिन समय से गुजर रहा है तथा इनमें से अधिकांश कम्पनियों की कार्यकारी पूंजी तथा नकद पूंजी पूरी तरह से समाप्त होती जा रही है और वे गम्भीर कठिनाइयों की स्थिति में हैं। इसलिए वित्त मंत्री महोदय ने सभा में वक्तव्य दिया था; किन्तु वह वक्तव्य नये जहाजों के अर्जन के सम्बन्ध में है, इसलिए मुख्य रूप से जोर उसी पर है तथा उसके लिए एक नई वित्तीय ऐजेंसी का गठन किया जा रहा है। किन्तु क्या सरकार ने उन कम्पनियों की सहायता के लिए कोई नीति तैयार की है, जिन्हें नोटिस दिये गये थे ? मुझे मालूम नहीं कि आप उनके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही करना चाहते हैं या आपका विचार उनकी सहायता करके उन्हें पुनरुज्जीवित करने का है ताकि उनके लिए तथा पूरे उद्योग के लिए पुनः कार्य करना सम्भव हो सके ? क्या आपका विचार उन्हें नये जहाज खरीदने के लिए अपेक्षित राशि के अतिरिक्त कार्य पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीति निर्धारित करने का है ?

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्य का कहना ठीक है; नौवहन उद्योग में आजकल मंदी है। सरकार स्थिति से भली प्रकार अवगत है। इसलिए हमने स्वयं को सरकारी संसाधनों तक सीमित रखने की बजाये अन्य रास्ते भी खोलने का निर्णय लिया, ताकि हमें नौवहन उद्योग के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ वित्तीय संसाधन प्राप्त हो सकें। पूरे विश्व में नौवहन उद्योग मंदी पर है। हम कड़ी मेहनत तथा राजकोष से इसमें पूंजी निवेश की सहायता से इस उद्योग को यथा संभव सीमा तक बनाए रखना चाहते हैं। और इसीलिए वित्त मंत्रालय के अधीन इन नई संस्था के बारे में सोचा गया है ताकि नौवहन उद्योग की सहायता के लिए अन्य उपाय भी किये जा सकें।

उत्तर में उल्लिखित चार नौवहन कम्पनियों को अनेक बातों पर विचार करने के पश्चात् नोटिस दिया गया था कुछ कम्पनियां ऐसी हैं जो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं तथा कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो वित्तीय रूप से सक्षम नहीं रही। ये चार ऐसी कम्पनियां हैं जो खराब दशा में हैं और उन्होंने सुधार के लिए कोई उपाय नहीं किये। इसलिए विभाग ने उन्हें नोटिस देने का निर्णय किया माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कुछ दिन पूर्व एक खुली बैठक में सभी नौवहन कम्पनियों को आश्वस्त किया कि अब नई संस्था बन चुकी है और हम उनके मामले पर पुनर्विचार करेंगे तथा अन्तिम निर्णय लेंगे। जहां तक नौवहन उद्योग के लिए वित्त का सम्बन्ध है सरकार इन बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है कि वे इस उद्योग तथा नौवहन कम्पनियों की किस प्रकार सहायता कर सकती है। किन्तु ये सहायता केवल उन्हीं कम्पनियों को दी जाएगी जो वित्तीय रूप से समक्ष हैं और जिनके इरादे उद्योग के प्रति नेक हैं और जो इस उद्योग को जीवित रखना चाहते हैं, उन्हें नहीं जिन्होंने इस सहायता का दुरुपयोग किया है। माननीय सदस्य मुझे से सहमत होंगे कि ऐसे भी अवसर आये हैं जब इनमें से कुछ लोगों ने अपने उद्योग का वाणिज्योकरण करने तथा राजकोष का धन लौटने का कोई प्रयास ही नहीं किया। हम अभी भी इस मामले पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री एच. एम. पटेल : मुझे प्रसन्नता है कि पर्यटन मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस

उद्योग की सहायता करना चाहते हैं। मेरे विचार में सरकार ने स्वीकार कर लिया है यह उद्योग देश की अर्थ व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं भी इससे सहमत हूं कि आप केवल उन्हीं एककों की सहायता कर सकते हैं जो सक्षम हों तथा जो अपना अस्तित्व बनाये रख सकती हों। मुझे आशा है कि वे भी इस बात तो समझते होंगे कि यह मामला तत्कालिक महत्व का है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कार्यवाही कुछ सप्ताहों अथवा महीनों की अपेक्षा कुछ दिनों में कर ली जायेगी।

श्री राजेश पायलट : सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि नौवहन उद्योग एक प्रकार की सुरक्षा ही है तथा विकासशील देशों के लिए स्पष्ट तथा इसका महत्व और भी अधिक है। हमारी सरकार की योजना तथा दूरदर्शिता के कारण आज हमारा नौवहन उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों का मुकाबला कर सकता है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश के नौवहन उद्योग को विख्यात उद्योगों में से एक माना जाता है। इस आधार पर सरकार द्वारा इस उद्योग की सहायता करने का नेक इरादा है। हम यथा सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि वित्त मंत्रालय ने वचन दिया है और हम आठ या नौ सप्ताहों में इस मामले को समाधान कर लेंगे। यदि माननीय सदस्य को मेरे 'दो माह' कहने पर एतराज हो तो मैं इसे नौ सप्ताह कहूंगा।

श्री एच. एम. पटेल : मंत्री महोदय, यह मामला अत्यधिक तात्कालिक महत्व का है।

श्री राजेश पायलट : जी हां, हम और अधिक प्रयत्न करेंगे।

डा. सुधीर राय : महोदय, बिड़ला के स्वामित्व वाली रत्नाकर शिपिंग कम्पनी अक्सर सी-मैन को भुगतान नहीं करती। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कदम उठायेंगे ?

श्री राजेश पायलट : उन्होंने ऐसा नहीं किया इसीलिए हमने उन्हें कानूनी नोटिस दिया है। यह सरकारी राजकोष की राशि है तथा हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कम्पनी का मालिक कौन है। जहां तक सी-मैन को भुगतान न करने का सम्बन्ध है इसके लिए मुझे एक अलग नोटिस देना होगा ताकि मैं ब्यौरा दे सकूं। कि इस कम्पनी द्वारा कौन-सा भुगतान नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हां व्यास जी, आप रेगिस्तानी जहाज की बात करेंगे या पानी के जहाज की बात करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : पानी के जहाज के बारे में ही बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शिपिंग कंपनियां जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी दूसरी इण्डस्ट्रीज की तरह अपने सारे असेट्स इधर-उधर ट्रांस्फर करके उसको सिक बना दिया है। शिपिंग देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आइटम है, इसको मैनेज करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के फ्राडुलैंट एक्ट से जो अपने आपको सिक करते हैं, असेट्स दूसरी

तरफ ट्रांस्फर कर देते हैं और मजदूरों का पैसा भी नहीं चुकाते, इन सब बातों को देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार इसके बारे में सोचे। क्या सरकार इस व्यवस्था को नेशनलाइज करने और शिपिंग कारपोरेशन को भारत सरकार का आर्गनाइजेशन बनाने के बारे में सोचती है, ताकि हिन्दुस्तान के व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का सुझाव सही है।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री नहीं, माननीय सदस्य। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

बहराल, मैं कामना करता हूं कि वे मंत्री बनें, वे मुझ से बड़े हैं इसलिए मैंने सदैव उनका आदर किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह भविष्यवाणी भी तो हो सकती है।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, कुछ कंपनीज ने जरूर थोड़ा इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया है और हमने एक कंपनी एक्ट बनाया था।

श्री बी. तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य जा रहे हैं, इनको पहचानना ही मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से माननीय मंत्री जी कभी साफा पहन कर आते हैं, कभी छोड़ देते हैं, इनको भी पहचानना मुश्किल हो जाता है।

श्री राजेश पायलट : आपको पहचानने की जरूरत क्या है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी आपको एतराज नहीं होना चाहिए, एतराज तो बैरागी जी को होना चाहिए।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, कुछ कंपनीज ने इसमें थोड़ा गलत तरीके से इस सुविधा का प्रयोग किया। एक्ट के मुताबिक जब हम एक शिपिंग कम्पनी को पैसा देते थे तो शिप को ही मार्टगेज करते थे। इस तरह से एक्ट में भी थोड़ी कमी थी। और कुछ मार्टगेज नहीं करते थे। अब सरकार कोशिश कर रही है कि एक्ट अमेंड करके जो कम्पनी शिप खरीदेगी उसकी शिप को मार्टगेज करेंगे साथ-साथ उसकी प्रापर्टी को भी मार्टगेज करेंगे जिससे उसे पता चले कि शिप छोड़कर मैं जाऊंगा तो यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उसकी प्रापर्टी भी मार्टगेज करेंगे। जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिए हैं, वह हमारी नजर में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि शिप इण्डस्ट्री को उसी इम्पार्टेन्स पर रखकर किस तरह से डवलप किया जा सकता है। आज सारी दुनिया में इस इन्डस्ट्री में रिसेशन सबसे ज्यादा है।

[अनुवाद]

श्री अतीश चन्द्र सिंहा : हम जानते हैं कि पिछले चार वर्षों से नौवहन कम्पनियां मंदे में चल रही हैं मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस मंदी को समाप्त करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ताकि यह समस्या अर्थात जो धन रुका हुआ पड़ा है उसे काम में लाया जा सके ?

श्री राजेश पायलट : महोदय, मंदी आना निश्चित रूप से सरकार के हाथ में नहीं है किन्तु हम नौवहन कम्पनियों की सहायता करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वे इस मंदी से उबर सकें अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों तथा नौवहन बाजार में मंदी किन्तु हम सरकार की ओर प्रत्यन्न कर रहे हैं कि उन्हें जो भी वित्तीय सहायता अथवा माल-वहन की सहायता की आवश्यकता हो, देकर उन्हें बचाया जाये।

कारोनरी रोगों के कारण मृत्यु

*248. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उच्च रक्त चाप सहित कारोनरी रोगों से प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में औषध विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं अथवा इस सम्बन्ध में अध्ययन करने तथा सरकार को रिपोर्ट देने के लिए कोई समिति स्थापित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) कारोनरी तथा उच्च रक्त दाब रोगों के कारण होने वाली मौतों के बारे में कोई विश्वशनीय राष्ट्रीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कारोनरी हृदय रोगों के खतरे के सुनिर्धारित कारण हैं—उच्च रक्तचाप, धूम्रपान तथा कार्बोहाईड्रेट की अपसामान्यताएं लाईपिड तथा यूरिक एसिड मैटाबोलिज्म। परिवार में कारोनरी हृदय रोगों का चला आना भी खतरे का कारण होता है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट समिति गठित नहीं की गई है। तथापि योजना आयोग द्वारा 7वीं पचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने से पहले असंचारी रोगों के सम्बन्ध में जो कार्यकारी दल गठित किया गया था, उसने रोग की रोकथाम करने के लिए एक कार्य नीति सुझाई थी जो रोग का शुरू में पता लगाने के लिए तथा औषधियों को आसानी से उपलब्ध करने के लिए परिसरीय स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने पर आधारित थी।

श्री लक्ष्मण मलिक : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न कारोनरी रोगों से प्रति वर्ष होने वाली मृत्यु घटनाओं के सम्बन्ध में है। मेरे प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में बताया गया है "कि कोई विश्वासनीय राष्ट्रीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।" मैं जानता हूं कि प्रति वर्ष लगभग 17000 भारतीय हृदय रोग से मृत्यु को प्राप्त होते हैं तथा प्रति वर्ष लगभग 17000 बच्चे इस तरह के रोगों से ग्रस्त पैदा होते हैं। इस बीमारी का इतना विस्तार है। इस रोग के केवल उपचार की सुविधाएं

मुख्य अस्पतालों, नगरीय अस्पतालों और राजधानी स्थित अस्पतालों में उपलब्ध हैं ग्रामीण अस्पतालों में ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसे रोग की रोक थाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन से उपाय करने का विचार है तथा क्या सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव है कि सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में ऐसे रोगों को रोका जा सकता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : महोदय, हृदय रोग अधिसूचित रोगों के वर्ग में नहीं आता। मेरे पास माननीय सदस्य द्वारा बताये गये 17000 के आंकड़ो का खण्डन या पुष्टि करने का कोई साधन नहीं है।

अतः हृदय रोग के बारे में यह स्थिति है। हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा होता है, सहसा वह गिर जाता है, यह हृदय रोग के कारण ही होता है। इसके बारे में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। इसलिए इस बारे में हमें अस्पतालों से प्राप्त आकड़े पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर भी बहुत से ऐसे मामले हैं जो अस्पतालों में नहीं पहुँचते। अतः यह कहना असंभव है कि पूरे देश में हृदय रोग से कितने लोगों की मौत हुई। आंकड़े के बारे में यह स्थिति है।

उत्तर में यह बताने की चेष्टा की गई है कि इसके जोखिम क्या-क्या हैं तथा कारण क्या है। भाव यह है कि यदि आप कारणों को दूर करें तो स्वतः ही हृदय रोग की सम्भावनाएं कम हो जायेंगी। यह पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, कोई भी रोग पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता ! परन्तु निश्चय ही हम रोगियों की संख्या कम कर सकते हैं। योजना आयोग की जिस समिति ने इसका अध्ययन किया था वह इस निष्कर्ष पर पहुँची कि इसका कोई पक्का उपचारात्मक उपाय नहीं है। अधिकाधिक क्षेत्रों में निरोधात्मक उपायों को व्यापक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है और यही तरीका उनकी संख्या घटाने का है। अतः उन्होंने कहा है कि प्रतिरोधात्मक क्रियाकलापों तथा सुविधाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में जिनको ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है परस्पर मिलाया जाना चाहिए।

इसे सभी जानते हैं कि यदि दिल का दौरा पड़ने पर तुरन्त कुछ राहत दी जाती है तो कुछ राहत मिलती है परन्तु यदि इसमें विलम्ब होता है तो मौत की जोखिम बढ़ जाती है। अतः हमें गांव के स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उनके शीघ्र पता लगाने की चेष्टा करनी चाहिए तथा कार्मिकों को कुछ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। योजना आयोग की समिति द्वारा यह सुझाव दिये गये हैं और मैं समझता हूं कि इस समय यही किया जा सकता है।

डा. टी. कल्पना देवी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने जोखमों का जो पता लगा लिया है उस संबध में धूम्रपान जैसी जोखिम के बारे में लोगों को सचेत करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ताकि हृदय रोग की संख्या घट सके।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जहां तक धूम्रपान का सम्बन्ध है लोगों को उससे बचाने के लिए कुछ उपाय बरते जाते हैं परन्तु दुर्भाग्य से इसका सेवन बढ़ रहा है। अधिक धूम्रपान से लोग हृदय रोग की अधिक जोखिम स्वयं उठा रहे हैं, परन्तु हम यह नहीं कह सकते धूम्रपान के

बारे में उसके हानिकर प्रभाव के बारे मे शिक्षा प्रभावी नही है। कुछ सीमा तक यह प्रभावी है। परन्तु मनुष्यों की आदतें कठिनता से छूटती हैं। फिर भी इस दिशा में उपाय किये जा रहे हैं।

जहां तक सम्भव है तुरन्त रोग का पता लगाये जाने तथा शीघ्र सहायता देने का काम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले हमें यह समझना है कि उसके क्या लक्षण हैं, जिनके प्रकट होने से दिल का दौरा पड़ सकता है। ये सभी बातें आम जनता को बतायी जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर कई अन्य देशों में अति रक्त दाब के मामले में आजकल चिकित्सा सुविधाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि स्वयं परीक्षा प्रणाली अधिक प्रचलित हो रही है। इसके लिए उपकरण खरीद कर आप तुरन्त रक्त दाब तथा मधुमेह का पता लगा सकते हैं। अतः इस प्रकार की स्व-परीक्षा तथा स्व-चिकित्सा प्रणाली जो कि विकसित देशों में प्रचलित है, अतः कोई कारण नहीं है कि इसे हमारे देश में विकसित क्यों न किया जाये। धीरे-धीरे यह हमारे देश में विकसित हो रही है। इन उपायों के द्वारा हम करोनरी रोगों के उपचार की चुनौती का सामना कर सकते हैं।

डा. दत्ता सामंत : अमरीका तथा अन्य सभी देशों में यह सिद्ध हो गया है कि कम आयु में अधिक धूम्रपान करना हृदय रोगों का मुख्य कारण है क्योंकि इससे हृदय धमनियां सिकुड़ती हैं मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। क्योंकि यह गरीब व्यक्ति के उपभोग की वस्तु है इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन कम से कम दूर-दर्शन रेडियो तथा इन्डियन एयर लाइनस में धूम्रपान करते हुए व्यक्तियों के विज्ञापन बंद किए जा सकते हैं। एक अन्य प्रश्न है कि गांवों में व्यापक कारोनरी रोग हैं। परन्तु वहां पर कोई सुविधाएं नहीं हैं। रोग के निदान की सुविधा का ही प्रश्न नहीं है परन्तु अन्य बातें भी हैं। परन्तु बम्बई में अथवा दिल्ली में ये सुविधाएं हैं। परन्तु सभी गांवों में अनेक रोगी है जिन्हें छह सप्ताह तक रक्त दाब आदि की परीक्षा की सुविधाएं सरकारी केन्द्रों में उपलब्ध नहीं हैं। कृपया इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : विज्ञापनों के बारे में मुझे पता नहीं है कि सरकारी माध्यमों द्वारा कभी धूम्रपान को अधिक स्थान दिया गया हो। अन्यों के बारे में हमें देखना है कि क्या कानून द्वारा ऐसा किया जा सकता है। शायद मेरे पास उसकी सही जानकारी नहीं है। गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अथवा अस्पतालों में विशेषज्ञों की सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए, इसके बाद 30 बिस्तरों वाले अस्पताल बनाये जायेंगे हम ऐसी परिस्थिति की प्रतीक्षा कर रहें हैं जिसमें इ. सी. जी की सुविधाएं करायी जा सके। इसे चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में किया जाना चाहिए। बम्बई तथा दिल्ली में ये सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिएं इसे चाहे प्रत्येक गांव जनता प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध न कराया जा सके, परन्तु इसे इतनी दूरी पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जहां पर ऐसे व्यक्ति द्वारा पहुंचा जा सके, जिसे हृदय का दौरा पड़ता है। इस समय हम इसकी ही उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपके पास संसाधन है तो इसकी कोई सीमा नहीं है। चूंकि संसाधन उपलब्ध नहीं हैं हमें उनकी उपलब्धता तक संतोष करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी ने इस सत्र में कोई प्रश्न नहीं किया।

श्री नवल किशोर शर्मा : इनके तो दिल ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अटैक नहीं पड़ने देंगे, फिक्र मत करिए, हमारी गारंटी है।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा आपने उत्तर में बताया अभी तक इस संबन्ध में विशेषज्ञों की समिति नहीं बनी है परन्तु आप इस बीमारी की भयानकता से अवगत हैं और सदन को भी अवगत करा रहे हैं, उसको देखते हुए क्या आप निकट भविष्य में विशेषज्ञों की समिति बनाने का विचार रखते हैं। दूसरे कस्बाई स्तर तक, देहात स्तर तक, जहां अभी ई. सी. जी, मशीनों की सुविधा नहीं है, क्या भारत सरकार वहां पर भी ई. सी. जी. मशीनों की सुविधा तत्काल उपलब्ध करवायेगी ताकि सभी स्तरों पर इस भयंकर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रतिरोधात्मक उपाए किए जा सकें।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जब भी हमारे सामने किसी विशेष बीमारी की बात आती है तो हमारा सारा ध्यान उसी पर केन्द्रित होकर रह जाता है। इस देश में जबकि दूसरी कई भयंकर बीमारियां भी हैं और उनसे लाखों क्या मिलीयन्स की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, मरते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया है, उससे बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हर साल मरते हैं। अब हम किसे प्राथमिकता दें, वह प्राथमिकता का प्रश्न आ जाता है। यदि हमें कोई मशीन खरीदनी है तो यह देखना पड़ता है कि उसकी कीमत कितनी है और उससे कितने बच्चों को लाभ हो सकता है। कोस्ट इफैक्टिवनेस की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में भी हमें उसकी कोस्ट की तरफ देखना पड़ेगा कि इन मशीनों की कीमत कितनी है। मैं इस बात से भी इंकार नहीं करता कि आज जो सुविधायें शहरों में उपलब्ध हैं, धीरे-धीरे हमें उनको देहातों तक ले जाने की कोशिश करनी है परन्तु उसमें समय लगेगा। उसके लिए हमें एक कार्यक्रम बनाना होगा। मैं समझता हूं कि आज डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स लेवल तक जितनी मशीने उपलब्ध हैं, 10 साल पहले उतनी सुविधायें नहीं थीं। शायद जल्दी ही हमें वे सुविधायें तालुका स्तर तक भी उपलब्ध करवा सकें और कई जगह हैं भी, कहीं डोनर्स ने उन सुविधाओं को उपलब्ध करवाया है कहीं वहां के लोगों ने। इसलिए धीरे-धीरे हमें गांव के स्तर तक पहुंचना है परन्तु उसके लिए एक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। दूसरे हमें प्रियौरिटी भी निर्धारित करनी होगी कि कौन सी बीमारियों से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, शिकार हो रहे हैं, उनमें से किसे हम प्रियौरिटी दें और किसके लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध करवायें। उसी के अनुसार हमें सारा कार्यक्रम करना पड़ेगा।

]अनुवाद]

डा. कृपासिन्धु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के वर्तमान विद्वान मंत्री मानव संसाधन विकास के भी मंत्री हैं और वह एक पंडित हैं और सभी कार्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : वह हरफन मौला नहीं हैं !

डा. कृपासिन्धु भोई : हृदय रोग न केवल बड़े-बड़े शहरों में ही, बल्कि सारे देश में विद्यमान है। पहले यह बीमारी केवल अमीर लोगों को ही होती थी, लेकिन अब गरीब लोग भी इसके शिकार हैं। इसके क्या कारण हैं ? उनके विभाग ने क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है कि यह रोग सारे देश में क्यों फैलता जा रहा है ? इस कारण, केवल ई.सी.जी. से ही रोग निदान में सहायता नहीं मिल सकती। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री महोदय इस मामले पर योजना आयोग से बातचीत करेंगे ताकि 2000 ई. तक इसे समाप्त किया जा सकें। डमोग्राफिक अध्ययन से पता चला कि 1.5 प्रतिशत लोगों को दिल के रोग हैं। उनमें तीनों धमनियां बन्द नहीं होती। केवल इसी प्रकार के मामलों में ही बाईपास आप्रेशन की आवश्यकता होती है। क्या मन्त्री महोदय इस मामले पर बातचीत करेंगे ताकि कम से कम जिला मुख्यालय अस्पतालों में बाईपास आप्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : देश में कई ऐसे जाने-माने अस्पताल हैं जहां बाईपास आप्रेशन सफलतापूर्वक किये जा रहे हैं। इन सुविधाओं और विशेषज्ञों को जिला मुख्यालय में भी उपलब्ध करवाने में अभी कुछ समय लगेगा।

यही रह गया है कि डा. कृपा सिन्धु मेरे से और ज्यादा स्पष्ट क्या करवाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछ कर उसकी जांच करूंगा।

बेपोर पत्तन पर तरंग रोधकों (ब्रेक-वाटर) के निर्माण के लिए सहायता

+

*249. **श्री टी. बशीर**

डा. के. जी. अदियोडी

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बेपोर पत्तन पर दो तरंग रोधकों के निर्माण के लिए सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन तरंग रोधकों के निर्माण से बेपोर पत्तन को सभी वस्तुओं में उपयोग में लाया जा सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार कौन से कदम उठा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) बेपोर एक लघु पत्तन है जिसके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आती है। राज्य सरकार, पत्तन के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकती है।

श्री टी. बशीर : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि जिम्मेदारी राज्य सरकारों

की है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार बड़े पत्तनों के अलावा, लघु और मध्यम पत्तन भी संविधान मे समवर्ती सूची में रखे गये हैं। अतः, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी है।

केरल में बेपोर, वाजहम, नीनडकारा, अलेफी और अजहीक्कल आदि महत्वपूर्ण पत्तनों के विकास की काफी संभावनाएं हैं। ये लघु और मध्यम पत्तन राज्य के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि राज्य के विकास के लिए ये आधारभूत ढांचा मुहैया करते हैं। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में क्या वे राज्य सरकार की वित्तीय सहायता देने के अनुरोध पर विचार करेंगी। और क्या सरकार ने सातवीं पचवर्षीय योजना में इन पत्तनों के विकास के लिए कोई राशि आबंटित की है और अगर हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री राजेश पायलट : 1968 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सुझाव दिया था कि लघु पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता अवश्य दी जानी चाहिए केन्द्रीय आयोजना जो भी सहायता दे सके देनी चाहिए। हमने इस योजना को आरम्भ किया था। 1978 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको समाप्त करने का फैसला किया था और इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था। पिछली लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने 32वें प्रतिवेदन में सुझाव दिया था कि सरकार इस स्थिति की समीक्षा करे और इन लघु पत्तनों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए यह सत्य है कि इससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रोजगार अवसर भी पैदा होंगे। इसी को आधार बनाते हुए सरकार ने लघु पत्तनों की सहायता के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 20 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। कार्यकारी दल ने योजना का अध्ययन किया है और कुछ सुझाव भी दिये हैं। जहां तक केरल राज्य का सम्बन्ध है, 1984 में केरल ने राज्य में 13 लघु पत्तनों के विकास के लिए प्रस्ताव भेजा था। बेपोर पत्तन के विकास के लिए उन्होंने करीब 11.50 करोड़ रु. की मांग की थी। 1986-87 में सरकार ने एक करोड़ रु. की सहायता दी। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा जैसे पत्तनों के लिए, जहां ट्रैफिक अधिक है बेपार इस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि यहां ट्रेफिक कम है। कार्यकारी दल एक योजना को अन्तिम रूप दे रहा है और हम ठोस प्रस्ताव रखेंगे कि 20 करोड़ रु. कहां-कहां इस्तेमाल किये जा सकते हैं। लघु पत्तनों की सहायतार्थ अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। वे भी सर्वेक्षण कर रहे हैं और शीघ्र ही कुछ योजनाएं बनायी जाएंगी।

श्री टी. बशीर : क्या यह सत्य है कि सरकार पत्तन विकास योजना के तहत लम्बी अवधि के ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देती है ? अब मंत्री महोदय ने बताया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन योजनाओं को समाप्त करने का फैसला किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगी। क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड ने इस मामले को योजना आयोग और सरकार से उठाया है ? अगर हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

श्री राजेश पायलट : मैंने अपने उत्तर में पहले ही कह दिया है कि प्राक्कलन समिति ने अपने 32वें प्रतिवेदन में जो सिफारिश की उसके पश्चात सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया

है। इसीलिए हमने सातवीं योजना में 20 करोड़ रुपए और 1987-88 की वार्षिक योजना के लिए एक करोड़ रु. का प्रावधान किया है। सभी लघु पत्तनों के विकास और इन सभी रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय को बदल दिया है। हम भी महसूस करते हैं कि इन राज्यों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लघु पत्तनों का विकास किया जाना चाहिए।

डा के. जी. अदियोडी : पुर्तगाली नाविक, वासकोडिगामा के भारत आगमन के बाद से ही बेपोर कालीकट का नाम विश्व मानचित्र में है। यह अधिक व्यस्त पत्तन या जहां से लकड़ी टाईल और मसाले आदि अरब देशों में भेजे जाते थे। अनदेखी की वजह से हजारों कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। क्या सरकार केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देकर, चिंता और देरी किये वित्तीय सहायता देगी ?

श्री राजेश पायलट : जैसा कि मैंने कहा, सिद्धान्त रूप से सरकार ने कुछ चुने हुए पत्तनों की सहायता करने का फैसला किया है। संसाधनों की कमी के कारण हम एक साथ ही सभी 139 लघु पत्तनों की सहायता नहीं कर सकते। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 20 करोड़ रु. उपलब्ध हैं। अतः हम कुछ ही लघु पत्तनों की सहायता कर पायेंगे। जहां तक बेपोर पत्तन का संबन्ध है यह कोचिन जोकि एक बड़ा पत्तन है से मात्र 140 कि. मी. दूर है। आर्थिक और व्यापारिक रूप से भी बेपोर के नजदीक एक बडा पत्तन है.

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कांडला एक मेजर पोर्ट है स्वर्गीय श्री नेहरू जी और सरदार जी ने इसे बनवाया था, जब आप वहां आए थे तो आपने 7 जेटो के लिए वचन दिया था। उसमे कुछ प्रगति हुई है। उसके पास टूना एक छोटा बन्दरगाह है, उसमें ड्रेजिंग करने के लिए आप कुछ प्रावधान करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : मुझे प्रसन्नता है कि सदस्य महोदय छोटे बन्दरगाह की बात से सीधे बड़े बन्दरगाह पर आ रहे हैं। कांडला बन्दरगाह पर जाते हुए मैंने इस जगह का भी दौरा किया था। मैं भी अनुभव करता हूँ कि सातवीं जेटी (घाट) का निर्माण किया जाना आवश्यक है हमने इसके बारे में योजना आयोग को लिखा है और विभाग कांडला बन्दरगाह की उपलब्ध संसाधनों से सभी प्रकार की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है।

[हिन्दी]

शारदा सहायक नहर से रिसाव के कारण पानी का जमा होना

*254. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए शारदा सहायक नहर से गिरने वाले पानी की निकासी की व्यवस्था करने हेतु कोई योजना बनाई गई है ताकि भविष्य में पानी के जमा होने से कोई नुकसान न हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) शारदा सहायक के लिए, जी हां।

(ख) परियोजना के कमान क्षेत्र के 20 लाख हैक्टेयर की जल निकासी के लिए 12600 किलोमीटर जल निकास प्रणाली के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : अध्यक्ष महोदय, शारदा सहायक नहर से गिरने वाले पानी के कारण किसानों की जमीन बेकार हो रही है। इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है कि परियोजना के कमान क्षेत्र के 20 लाख हैक्टेयर की जल निकासी के लिए 12,600 किलो मीटर जल निकास प्रणाली के निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि कितने दिनों में यह योजना पूरी होगी ? क्योंकि जब तक जल निकासी की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं होगी तब तक किसानों की जमीन बेकार रहेगी, उसमें खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होगा और देश में यह समस्या बनी रहेगी।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस योजना को जल्दी प्रारम्भ कराकर सुचारु रूप से कार्य पूरा कराने की व्यवस्था करें क्योंकि शासन यहां से जो भी निर्देश देता है जमीन तक जाते-जाते वह बहुत ही नगण्य हो जाते हैं और काम पूरा नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी शारदा सहायक नहर के सम्बन्ध में ज्यादा गौर करें और बतायें कि कब से यह कार्य प्रारम्भ करेंगे और कब तक योजना पूरी होगी ?

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य ने इसी विषय के बारे में मुझे पहले एक पत्र लिखा था और सितम्बर महीने में मैंने जहां तक मुमकिन हो सका है, उनको इस परियोजना के बारे में पूरा ब्यौरा दिया है। वह यह जानना चाहते हैं कि यह परियोजना कब पूरी होगी। इस समय मैं कह सकता हूँ कि इस परियोजना का 1990-91 में पूरी हो जाने की सम्भावना है। घाघरा और शारदा बराज, संम्पर्क नहर, शारदा सहायक पोषक नहर पूरे कर दिये गये हैं सिर्फ शारदा सहायता पोषक नहर का पलस्तर बाकी रहता है। इसकी सहायता नहरों एवं वितरण प्रणाली का कार्य जोरों से चल रहा है। अत: माननीय सदस्यों को हम पर कोई शंका नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस परियोजना का काफी ज्यादा कार्य पूरा किया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय को जो पत्र लिखा था, उसमें फूलपुर क्षेत्र के सम्बन्ध में विशेष रूप से लिखा था कि हमारे क्षेत्र की हजारों एकड़ भूमि बेकार के पानी का इतना रिसाव है कि आज भी बहुत से गांव उसमें डूब जाते हैं और इतना पानी भर जाता है कि कुओं का पानी भी खराब हो जाता है और लोगों को पीने के पानी की भी समस्या

हो जाती है। क्या मंत्री महोदय इसका सर्वेक्षण करायेंगे और जहां-जहां ज्यादा जल भराव आज भी है तो क्या वहां से पानी की निकासी की व्यवस्था करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने मृदा सर्वेक्षण के कार्य को हाथ में लिया है। यदि मैं आपको इस बारे में सही आंकड़े बताऊं तो पता चलेगा कि सिर्फ 111 हेक्टेयर भूमि में ही जैल का भराव होता है, वहां की मिट्टी को देखते हुए इसमें पानी के ठहराव की क्षमता ही शारदा सहायक कमाण के 21·41 लाख हेक्टेयर भूमि में मृदा का सर्वेक्षण किया गया है और पाया गया कि लगभग 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की मिट्टी इस तरह की है कि वहां पर जल का भराव मुमकिन है। हमने रिसाव को रोकने के लिये नहर को पक्का करके पलस्तर करने का भी कार्य किया है।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय जी को इस बात की जानकारी है कि नहरों के जल रिसाव के अतिरिक्त बरसाती पानी से भी बहुत जगह जल-प्लावन हो जाता है और उसकी वजह से खेती को बहुत नुक्सान होता है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से राम गंगा कमांड नहरों के किनारे जो बरसाती पानी भर जाता है, उसकी रोकथाम के लिये क्या मंत्री जी कोई सर्वेक्षण करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जखापुर-बांसपानी रेल लाइन

*250. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जखापुर-बांसपानी रेल लाइन बिछाने के दूसरे चरण का कार्य शुरू न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ख) यह कार्य कब तक शुरू किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जखापुर-दैतारी खण्ड पर जिसका निर्माण पहले हो चुका है और जिसे यातायात के लिए खोल दिया गया है, प्रत्याशित यातायात प्राप्त न होने के कारण।

(ख) फिलहाल रेलों का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

*251. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या प्रस्तावित संस्थान असम में धुबरी अथवा गोलपाड़ा में स्थापित किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसे किस स्थान पर स्थापित करने का विचार है; और

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है। स्थान चयन समिति ने असम में अनेक स्थानों का दौरा किया है। अपेक्षित आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। अन्तिम निर्णय निकट भविष्य में लिये जाने की सम्भावना है।

बिहार में रेल लाइनों/सेवाओं का सुधार

*252. **श्री कुंवर राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रेल लाइनों/सेवाओं के विस्तार और सुधार के सम्बन्ध में बिहार द्वारा भेजे गए विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है,

(ख) उनके मंत्रालय ने उन पर क्या कार्यवाही की है, और

(ग) बिहार राज्य में रेलवे के विकास के सम्बन्ध में बिहार सरकार द्वारा किस प्रकार के और किस सीमा तक सहयोग देने की पेशकश की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेल अभिसमय समिति, 1980 को प्रस्तुत किये गये अपने ज्ञापना में बिहार सरकार ने निम्नलिखित रेल परियोजनाओं का उल्लेख किया था। इन मदों पर की गई कार्यवाही प्रत्येक मद के सामने दिखाई गई है।

क. नई लाइनें

क्र. सं.	परियोजना का नाम	की गई कार्यवाही/टिप्पणी
1	2	3
1.	दुम्का के रास्ते मंदार हिल से सेंथिया	लाइन का सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना अलाभप्रद पाई गयी है।

1	2	3
2.	पिपराडीह से भवनाथपुर और गढ़वा रोड-चोपन से जोड़ने के लिए इसका विस्तार	इस लाइन का अभी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
3.	निरमली से सरायगढ़	लाइन का सर्वेक्षण किया गया है लेकिन इसे अलाभप्रद पाया गया है।
4.	राजगीर से गया	-वही-
5.	रांची से कोरबा बरास्ता लोहारदगा	-वही-
6.	हाजीपुर और बछवाड़ा के बीच समानान्तर बड़ी लाइन	लाइन का सर्वेक्षण किया गया है। वैकल्पिक मार्ग का विकास किया जा रहा है।
7.	फारबिसगंज-ठाकुरगंज बरास्ता बहादुरगंज	सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
8.	रांची से गिरिडीह बरास्ता हजारीबाग	लाइन का सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना अलाभप्रद पायी गयी है।
9.	देवघर से दुमका	-वही-
10.	दरभंगा-मुज्जफ्फरपुर	-वही-
11.	गया से टोरी बरास्ता दोबी-छतरा मालुमठ	अभी लाइन का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
12.	मेहशी से सहरसा	लाइन का सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना अलाभप्रद पाई गई है।
13.	दोराम-मधेपुरा से सिधेश्वरस्थान	लाइन का सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना अलाभप्रद पाई गई है।
14.	मुज्जफ्फरपुर से सीतामढ़ी	लाइन का सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना अलाभप्रद पाई गई है।
15.	बनमानखी से नरपतगंज	लाइन का अभी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
16.	सुल्तानगंज से देवघर	-वही-
17.	पीरपैंती से दुमका बरास्ता गोदा	-वही-
18.	बिहारी गंज से कुरसेला	अभी लाइन का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
19.	जयनगर के रास्ते लौकहा से सीतामढ़ी	-वही-
20.	लाइटग्राम से बीरपुर	लाइन का सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना अलाभप्रद पायी गयी है।
21.	खिमरी-बख्तियारपुर से बिहारीगंज	-वही-

1	2	3
ख. आमान परिवर्तन		
1.	दरभंगा-निर्मली	दरभंगा-जयनगर लाइन का सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना आलभप्रद पाई गई है।
2.	दरभंगा-जयनगर	-वही-
3.	कटिहार-जोगबनी	लाइन का सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना अलाभप्रद पाई गई है।
4.	सहरसा-जोगबनी	लाइन का अभी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।
5.	मोतीहारी के रास्ते बेतिया-मुजफ्फरपुर	लाइन का सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना अलाभप्रद पाई गई।
6,	बथनाहा-बीरपुर	-वही-
7.	आरा-सासाराम	-वही-
8.	रांची-लोहारदगा	सर्वेक्षण का अनुमोदन कर दिया गया है।

उपर्युक्त नई लाइनों के निर्माण तथा आमान-परिवर्तन परियोजनाओं का अनुमोदन करना सम्भव नहीं हुआ है क्योंकि अधिकांश परियोजनाएं वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाई गई हैं। इसके अलावा, रेलें चालू परियोजनाओं के लिए भी संसाधनों की बेहद तंगी का सामना कर रही हैं और भावी वचनबद्धताएं पहले ही हाथ में हैं। अतः उन पर विचार करने के लिए उस उपयुक्त समय तक इन्तजार करना होगा जब संसाधनों की स्थिति सुधरेगी।

ग. दोहरी लाइन बिछाना

क्र. सं.	परियोजना का नाम	की गई कार्यवाही/टिप्पणियां
1	2	3
1.	पटना-गया	पटना गया खण्ड सहित पटना क्षेत्र में थ्रू-पुट क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद, आगे कार्यवाही की जायेगी।
2.	किऊल-साहिबगंज-बड़हरवा	किऊल-भागलपुर खण्ड पर कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाने से सम्बन्धित निर्माण कार्य को अनुमोदित कर दिया गया है। 15 कि. मी लम्बी लाइन माल यातायात के लिए चालू कर दी गई है।

1	2	3
घ. पुरानी लाइनों का बदलाव		
1.	साहिबगंज लूप लाइन और हवड़ा-मुगलसराय	संरचना अच्छी हालत में है और रेलपथ का अनुरक्षण संतोषजनत ढंग से किया जा रहा है।
2.	मनसी-सहरसा	

(ग) बिहार सरकार ने सकरी-हसनपुर मीटर लाइन के निर्माण के अनुमोदन के समय इसके लिए भूमि देने की पेशकश की थी।

एयर टैक्सी सेवा के लिए छोटे विमानों का आयात

*253. **श्री मुरलीधर माने :**

श्री जी. एस. बसवराजू :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर टैक्सियों के रूप में उपयोग करने के लिए छोटे विमानों के आयात का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को वित्त मन्त्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों को इन छोटे विमानों का आयात करने की अनुमति दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो कितने अनिवासी भारतीयों ने इन विमानों का आयात करने के बारे में इच्छा व्यक्त की है ?

नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) हवाई टैक्सी के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए छोटे विमानों के आयात के लिए सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन, विमान आयात की अनुमति नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

*255. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :**

श्री नित्यानन्द मिश्र :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए सहायता की कोई पुनरीक्षित व्यवस्था लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका सूखा प्रवण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष से संशोधित पैटर्न आरम्भ कर दिया गया है। इस पैटर्न के अन्तर्गत निकास द्वार से 5-8 हेक्टेयर ब्लाक तक जल मार्गों तथा खेत-नालियों के निर्माण की लागत केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर-बराबर वहन की जायेगी। खेतों में जल निकास, कमान क्षेत्रों में संचार प्रणालियों की स्थापना तथा किसानों की भागीदारी संगठित करने आदि के लिए भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन परियोजनाओं के कमानों में आने वाले सूखा प्रवण तथा पिछड़े क्षेत्रों को भी उस सीमा तक लाभ पहुंचेगा।

कल्लडा बांध में रिसाव

*256. **श्री थप्पन थामस** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कल्लडा बांध में भारी रिसाव होने के कारण केरल के निकटवर्ती दो जिलों में भय उत्पन्न हो गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी.शंकरानन्द) : (क) से (ग) कल्लडा बांध में रिसाव की बात केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाई गई थी। केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञों तथा बांध पुनरीक्षा पैनल के सदस्यों ने जुलाई-अगस्त, 1985 के दौरान बांध का दौरा करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला था कि रिसाव ऐसा नहीं है। जिसके कारण कोई दुश्चिन्ता हो। यह सूचित किया गया है कि जिन उपचारी उपायों का सुझाव दिया गया था उनको क्रियान्वित करने के पश्चात् अब रिसाव बहुत ही कम रह गया है।

कुड्डलोर पोर्ट-सेलम टाउन रेल लाइन को बदलना

*257. **श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुड्डलोर पोर्ट और सेलम टाउन के बीच बरास्ता नेवेली मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कार्य कब शुरू होगा ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) रेलें, संसाधनों की अत्यधिक तंगी का सामना कर रही हैं और उनके पास आमान परिवर्तन के लिए भारी बचत बढ़तायें हैं।

येलेरु जलाशय परियोजना

*258. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग को राज्य सरकार से येलेरु जलाशय परियोजना के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस पर स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) परियोजना रिपोर्ट, जो शुरू में मई, 1980 में प्राप्त हुई थी, को जल विज्ञान तथा सिंचाई आयोजना जैसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। संशोधित सोपान—एक परियोजना अगस्त, 1986 में प्राप्त हुई है तथा इसकी अब जांच की जा रही है।

दिल्ली में राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव

*259. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री उत्तम राठौड़ :

क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितना धन व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या यह उत्सव दिल्ली में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जायेगा; और

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में भी इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन किए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) 8 नवम्बर से 26 नवम्बर, 1986 तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(i) इस उत्सव में मुख्य बल इस बात पर दिया गया है कि लोगों को उत्सव समारोह में शामिल करके उन्हें देश की समृद्ध और विविध रूपी सांस्कृतिक परम्परा को देखने का अवसर प्रदान किया जाए। इससे सारे भारत के कलाकारों को एक साथ एकत्र करके आपसी सांस्कृतिक सम्बन्धों और परस्पर मिलकर कार्य करने की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) दिल्ली के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित सात मुख्य मैदान उत्सव समारोह के स्थल हैं। देश भर में हाल ही में स्थापित किए गए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र की सास्कृतिक मण्डलियां सात मैदानों में से प्रत्येक मैदान पर दो दिन के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। इन केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र के लगभग 500 कलाकारों ने भाग लिया है और वे दस्तकारियों की प्रदर्शनियों, संगीत, नृत्य, थियेटर का आयोजन कर रहे हैं तथा कार्यशालाओं, सामूहिक विचार-विनिमय आदि भी आयोजित कर रहे हैं। भाग ले रहे अन्य घटकों में स्कूल और कालेज भी हैं

(iii) सभी क्षेत्रीय शिविरों तथा समारोहों के लिए विशेष रूप से चुने गए स्थलों के कार्यक्रमों में विशेष प्रदर्शन को प्रतिबिम्बित करने के लिए विशिष्ट दिन आवंटित किए गए हैं। 14 नवम्बर को जवाहरलाल नेहरू की जयन्ती के अवसर पर बच्चों के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है। 19 नवम्बर को श्रीमती इन्दिरा गांधी की जयन्ती के अवसर पर पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है।

(iv) "गूंजते पत्थर" नामक विशेष कार्यक्रम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से दिल्ली के विभिन्न भागों में आयोजित किए जा रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक परम्परा की चार प्रमुख धाराओं को चित्रित करने के उद्देश्य से उत्सव में काव्य बाग, नृत्य बाग, नाट्य बाग और संगीत बाग नामक "चार खास बागों" की परिकल्पना की गई है। यहां इन बागों में सुप्रसिद्ध कलाकार अभ्यास कर रहे हैं, विचार-विमर्श कर रहे हैं और आपस में तथा अपने दर्शकों के बीच अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।

उत्सव के खर्च के लिए 4.90 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) इस उत्सव को दिल्ली में वार्षिक कार्यक्रम बनाने का विचार है।

(घ) देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के उत्सव आयोजित किए जाने का विचार है किन्तु निश्चित प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं।

संघ राज्य/केन्द्रीय विद्यालयों आदि के सेलेक्शन ग्रेड अध्यापकों के लिए संशोधित वेतनमान

*260. श्री राजकुमार राय :

श्री एस. एम. गुरडडी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछले महीने संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय विद्यालयों के सेलेक्शन ग्रेड अध्यापकों के लिए संशोधित वेतनमान घोषित किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने चट्टोपाध्याय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अध्ययन और उन पर रिपोर्ट देने के लिए कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने संशोधित वेतनमान घोषित करते समय उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले पर अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों से भी बात-चीत की है;

(च) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ ने इस मामले को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (छ) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सितम्बर, 1986 में प्रवरण ग्रेडों सहित स्कूलों में अध्यापन स्टाफ के लिए संशोधित वेतनमान अधिसूचित किए हैं। यह वेतनमान चढ़ीगढ़ को छोड़कर संघ शासित प्रदेशों के अध्यापकों के लिए लागू है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन भी इन वेतनमानों को अपना सकता है।

2. भारत सरकार ने एक अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है जो चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में स्कूली अध्यापकों के लिए वेतनमानों से सम्बन्धित सिफारिशों सहित प्रोफेसर डी. पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय शिक्षक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कर रही है। इस अधिकार प्राप्त समिति ने अपने विचारों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

3. अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ही एकमात्र ऐसी वास्तविक रूप से मान्यता प्राप्त संघ है जिसे कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि यह अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं करता है। सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी कर्मचारी संघ के साथ अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन से सम्बन्धित प्रश्न पर चर्चा नहीं की है।

4. अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने मानव संसाधन विकास मन्त्री को सम्बोधित दिनांक 3 अक्तूबर, 1986 के अपने पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का उल्लेख किया है कि यदि अध्यापकों के वेतनमानों के सम्बन्ध में चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में और अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ सहित अध्यापकों के निकायों के परामर्श से कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो यह शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने का सहारा लेने के लिए मजबूर होगा।"

5. अध्यापकों के विभिन्न ग्रेडों के लिए संशोधित वेतनमान चौथे वेतन आयोग की

सिफारिशों पर ही आधारित हैं। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की रिपोर्ट अब सरकार के विचाराधीन है और उस पर अभी निर्णय लिए जाने हैं। निर्णय यथा सम्भव शीघ्र लिए जायेंगे।

पश्चिम बंगाल की रेल परियोजनायें

*262. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री अजित कुमार साहा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को कार्यान्वयन हेतु भेजी गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना कब भेजी गई थी,

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(घ) जिन परियोजनाओं को आवश्यक मंजूरी दे दी गई है, उनके लिए किए गए बजट प्रावधान का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के दिनांक 15.10.82 और 10.1.85 के पत्रों में उल्लिखित निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित हैं और केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति	1986-87 में परिव्यय (लाख रु. में)
1	2	3	4
	नई लाइनें		
1.	माल्दा-बालूरघाट-हिल्ली	माल्दा-इकलाखी बालूरघाट लाइन अनुमोदित है और प्रगति पर है।	50
2.	तामलुक-दिघा	कार्य अनुमोदित है।	100
3,	बज-बज-नामखाना	लक्ष्मी कांतपुर-नामखाना अनुमोदित है। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।	0.01
4.	हवड़ा-आमता/चम्पाडांगा	कार्य अनुमोदित है। 1984 में 24 कि.मी. यातायात के लिए खोल दिया गया है।	0.01
5.	हवड़ा (दानकुनी) शियाखला	कार्य अनुमोदित है, परन्तु आरम्भ नहीं किया गया है।	0.01

1	2	3	4
6.	रानीगंज-मेजिया-बांकुरा	कार्य अनुमोदित नहीं है।	कुछ नहीं
अन्य कार्य			
1.	परिक्रमा रेलवे कलकत्ता	चरण-1 अनुमोदित। 10 कि. मी. लम्बी लाइन चालू हो गयी है। कार्य प्रगति पर है।	500
2.	दम दम-बोंगांव दोहरीकरण	दम दम-बारासात चालू कर दिया गया है। बारासात-नोगांव अनुमोदित नहीं है।	60
3.	यातायात संकुलन से बचने के लिए रांगापानी से होकर न्यूजलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी ब. ला./मी.ला.	कार्य अनुमोदित नहीं है।	कुछ नहीं
4.	बंडेल-कटवा लाइन का आधुनिकीकरण (विद्युतीकरण)	विद्युतीकरण अनुमोदित नहीं है।	कुछ नहीं

माता का स्वास्थ्य और बाल-मृत्यु दर

*263. **डा. फूलरेणू गुहा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल मृत्यु का माता के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है, और

(ख) यदि हां, तो माताओं के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ताकि बाल मृत्यु-दर को घटाया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। जन्म के समय बच्चे के कम वजन का जो शिशु मृत्यु के मुख्य कारणों में से एक है, माता के स्वास्थ्य और पोषणिक स्तर से सीधा संबन्ध है।

(ख) माता के स्वास्थ्य में सुधार करने और इस प्रकार शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा समन्वित बाल विकास सेवा के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करने, गर्भवती महिलाओं को रोगप्रतिरक्षण प्रदान करने, पोषण की कमी के कारण होने वाली अरक्तता से बचाव करने और पूरक आहार देने संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

इण्डियान एयरलाइन्स और वायुदूत में प्रतिस्पर्द्धा

*264. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत सेवाओं में नए वायु-मार्गों की शुरूआत के संबंध में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिस्पर्द्धा का लाभ इन दोनों सेवाओं को मिलेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स की मरम्मत वर्कशापों में वायुदूत के विमानों की मरम्मत में विलम्ब किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत के बीच आपस में प्रतिस्पर्द्धा नहीं है बल्कि यात्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक-दूसरे के परिचालनों की कमी को पूरा करते हैं। दोनों एयरलाइनों के अड्डों के स्थापन और परिचालन संबन्धी कारणों की वजह से यह एयरलाइन्स कुछ सामान्य सैक्टरों में उड़ानें परिचालित करती हैं।

(ग) इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे दावा सैल खोलना

2477. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सभी रेलवे जोनों में 5000 रुपये तक के जनता के दावों के शीघ्र निपटान के लिए ए.सी.एस. (दावा) की देखरेख में रेलवे दावा सेल स्थापित कर दिए गए है,

(ख) क्या उत्तर रेलवे का कानपुर दावा कार्यालय 5000 रुपये से अधिक के दावों पर पुन: विचार कर रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे में ही यह सुविधा उपलब्ध की जा रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां। इनमें से कुछ दावे एक सहायक अधिकारी के नियंत्रण में है जिसकी शक्ति 5,000 रु. तक के दावे निपटाने की है और कुछ दावे एक वरिस्ट वेतनमान अधिकारी के नियंत्रण में है, जिसकी शक्ति 10,000 रु. तक के दावे निपटाने की है।

(ख) जी हां। सहायक अधिकारी द्वारा अपनी शक्ति तक के दावे निपटाये जाते हैं और उससे अधिक मूल्य के दावों को वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटाये जाने के लिए मुख्य कार्यालय को भेज देता है। इससे उसी स्थान पर जहां दावा किया गया है, सभी दावों का पंजीकरण करने में सहायता मिलती है।

(ग) जी नहीं। यह सुविधा कुछ अन्य क्षेत्रीय रेलों पर भी मौजूद है।

लेपाक्षी मन्दिर, अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश) में पांडुलिपि का पाया जाना

2478. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आन्ध्र प्रदेश में अनंतपुर में प्रसिद्ध लेपाक्षी मन्दिर में कुछ पांडुलिपियां पाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) ये पाण्डुलिपियां सात ताड़ के पत्तों पर कन्नड़ लिपि और भाषा में लिखी हुई हैं। लिपि की विषय वस्तु से यह पता चलता है कि वे स्वरूप से मुख्यतः दान दी हुई है और उनमें से कुछ पर हस्ताक्षर किए हुए हैं जो लिखने वाले अथवा दान करने वाले के हो सकते हैं। ये इसवी सन की 17वीं शताब्दी के अन्त की और 18वीं शताब्दी के आरम्भ की हो सकती हैं।

ये ताड़ के पत्ते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कब्जे में हैं और उनको संरक्षित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

शिक्षा संस्थानों द्वारा पुस्तकों का निर्यात और आयात

2479 **श्री एन. डेनिस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा संस्थानों में छात्रों के उपयोग के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकों का निर्यात और आयात करने की अनुमति है,

(ख) क्या शिक्षा संस्थानों को शैक्षिक महत्व की पुस्तकों का निर्यात और आयात करने की अनुमति है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या पुस्तकों के इस प्रकार से निर्यात और आयात के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) शैक्षणिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की पुस्तकों का ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किया जा सकता है। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक पुस्तक की 1000 प्रतियों तक का मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्वलिखित अनुमति के बिना आयात किया जा सकता है। यह पाबन्दी अंग्रेजी भाषा पुस्तक सोसायटी (अ.भा.पु.सो.) और संयुक्त भारत-रूस पाठ्यपुस्तक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों पर लागू नहीं होती।

मान्यता प्राप्त स्कूल, कालेज और पुस्तकालय भी ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत शामिल न की गई पुस्तकों के आयात के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं। उनके मामले में, 25,000/—रुपये प्रति वर्ष प्रति संस्था की कीमत तक के लाइसेंसों की स्वीकृति दी जाएगी। पुस्तकों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

दिल्ली के विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों को वित्तीय सहायता

2480 **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों को उनके द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन अध्यापकों को काफी समय से विचार की जा रही आवासीय सुविधायें देने की दृष्टि से योजना के शेष वर्षों में धनराशि के आवंटन में उपयुक्त वृद्धि की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों और अन्यों के लिए गृह निर्माण के वास्ते गृह भवन सम्बन्धी अग्रिम धनराशियां प्रदान करने के प्रावधान को छठी योजना के दौरान 67.33 लाख रुपये से बढ़ाकर वर्ष 1985-86 से आगे वार्षिक 1.00 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।

बाल कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

2481. **श्रीमती एन. पी. झांसी लक्ष्मी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बाल कल्याण के लिए राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना शुरू की है,

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं,

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं, और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कल्याण कार्यों के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेलकूद तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बाल कल्याण के लिए कई योजनाएं देश में शुरू की गई हैं जिनका संचालन अब आन्ध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जा रहा है।

बाल विकास और कल्याण के लिए भारत सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित बाल कल्याण योजनाएं आन्ध्र-प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(i) नवजात शिशुओं में टैटनस रोग की रोकथाम के लिए गर्भवती महिलाओं को टी. टी. टीके लगाना।

(ii) बच्चों को डी. पी. टी., पोलियो, टाइफायड, डी. टी. टी. टी. और बी. सी. जी. के टीके लगाना।

(iii) माताओं और बच्चों में पोषाहार रक्त-क्षीणता रोग की रोकथाम के लिए टीके लगाना।

(iv) बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण अन्धेपन को रोकना।

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(i) शिक्षा विभाग

9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा योजना 1979-80 में शुरू की गई थी। प्रारम्भ में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच आधा-आधा खर्च वहन किया जाता था। 1983-84 में स्कूली लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए इस योजना को

उदार बनाया गया जिसके अन्तर्गत केवल लड़कियों के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए इन राज्यों को भी 90:10 के अनुपात में सहायता दी जा रही है।

(ii) महिला एवं बाल विकास विभाग

(i) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई सी. डी. एस.) देश के सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है। आन्ध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां केन्द्रीय प्रायोजित योजना पहले हो से शुरू है।

(ii) स्कूल-पूर्व बच्चों और दूध पिलाने वाली और गर्भवती महिलाओं के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित गेहूं आधारित पूरक पोषाहार कार्यक्रम एक जनवरी 1986 से शुरू किया गया। यह योजना आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में चालाई गई है।

(ग) कल्याण मंत्रालय:—

सुरक्षा और देखभाल के जरूरत मंद बच्चों के कल्याण की योजना

इस योजना का कार्यान्वयन कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह योजना आन्ध्र प्रदेश सहित 22 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों में चल रही है। बाल कल्याण कार्यक्रम के लिए आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य को रोग निरोधक योजना के अन्तर्गत आयरन और फोलिक एसिड गोलियां/घोल और विटामिन ए का घोल रोग निरोधक कार्यक्रम के अन्तर्गत टीके की सप्लाई इस प्रकार है :—

मार्च 1983 से फरवरी 1984	72,20,861/-रुपये
मार्च 1984 से फरवरी 1985	95,92,105/-रुपये
मार्च 1985 से फरवरी 1986	95,02,121/-रुपये

(ख) (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश को 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा योजना वर्ग के अन्तर्गत दी गई सहायता इस प्रकार है :—

वर्ष	50:50 का अनुपात (रुपये में)	90:10 का अनुपात (रुपये में) अन्नय रूप में
1983-84	1,15,87,996	6,52,360/-लड़कियों के लिए
1984-85	68,33,825	10,46,282/-अनौपचारिक शिक्षा
1985-86	2, 36,88,067	16,49,686/-केन्द्रों के लिए

(क) केन्द्रीय प्रायोजित समेकिल बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश को दी गई सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	नकद	जिन्स में (आंगनवाड़ियों के लिए इस्तेमाल के लिए दवाई किटों की सप्लाई
1983-84	2,07,40,980/-रुपये	——
1984-85	1,69,92,331/-रुपये	——
1985-86	4,29,30,000/-रुपये	22,23,626/-

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश को दी गई अनुदान सहायता इस प्रकार है जिसमें स्कूल पूर्व बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता गेहूं की कीमत शामिल है :

यह योजना एक जनवरी 1986 से शुरू की गई है :

1983-84	शून्य
1984-85	शून्य
1985-86	—10,92,000/- रुपये
(1986-87	—4.64,76,000/-रुपये)

(ग) सुरक्षा और देखभाल के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण की योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश को दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

1983-84	17,65,713 रुपये
1984-85	11,71,550 रुपये
1985-86	25,63,348 रुपये

बिहार और पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय विद्यालय

2482. **सैयद सहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्य-वार कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) चालू वर्ष और वर्ष 1987-88 में किन-किन अतिरिक्त स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु विचार किया जा रहा है; और

(ग) नये विद्यालय स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने हेतु क्या परिणात्मक मानदण्ड अपनाये जाते हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) बिहार और पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय विद्यालयों की जिलावार सूचियां क्रमश: विवरण I और II में संलग्न हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान बिहार में निम्नलिखित चार केन्द्रीय विद्यालय और पश्चिम बंगाल में छः केन्द्रीय विद्यालय मंजूर किये गये हैं :—

बिहार

1. बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो।
2. मुजफ्फरपुर
3. कटिहार
4. पटना

पश्चिम बंगाल

1. ए. एफ. स्टेशन, साल्वा।
2. लिबोंग, दार्जिलिंग
3. आर्डनेंस फैक्टरी, डम-डम
4. भारतीय तेल निगम लि., हल्दिया।
5. खड़गपुर
6. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन

चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्ष 1987-88 के दौरान इन स्कूलों की संख्या तथा स्थानों के बारे में जहां इन्हें खोला जाता है, इस समय बताना सम्भव नहीं है।

(ग) सामान्यत: केन्द्रीय विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां प्रतिरक्षा सेवाओं अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा भारत सरकार के उपक्रमों के पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से कम-से-कम 1000 कर्मचारी सकेन्द्रित हों और शुरू में विभिन्न कक्षाओं में दाखिले के लिए कम-से-कम 200 बच्चे (बड़े शहरों के मामले में 500 बच्चे) इच्छुक हों। नई छावनीयों और प्रतिरक्षा संस्थानों में स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चों की न्यूनतम संख्या 200 उपलब्ध होनी चाहिए।

नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तब विचार किया जाता है जब भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ सासित प्रदेशों के प्रशासनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों अथवा भारत सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों आदि जैसी प्रायोजित एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त हो जाते हैं।

विवरण-I

बिहार में केन्द्रीय विद्यालयों के जिलेवार, ब्यौरे और स्थान

बिहार (41)

1. जिला—धनबाद (7)
   (i) बी. सी. सी. एल. कोयला नगर,
   (ii) ओल्ड, डी. वी. एस. बिल्डिंग, धनबाद
   (iii) बोकारो नं. 1, बोकारो स्टील सिटी
   (iv) बोकारो नं. 2, बोकारो स्टील सिटी,
   (v) गोविन्दपुर एरिया
   (vi) भुली टाउन शिप
   (vii) मैथेन डैम, दामोदर, बेली, कार्पोरेशन

2. जिला—बेगुसराय (2)
   (i) बरौनी नं. 1, फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया, बरौनी
   (ii) बरौनी नं. 2, इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड बरौनी रिफाइनरी टाऊन शिप

3. जिला—गिरिडीह (4)
   (i) भण्डारीदाह,
   (ii) सेन्ट्रल कोयल फील्ड लिमिटेड, कारो स्पेशल प्रोजेक्ट, डा. सण्डे बजार, जिला गिरिडीह
   (iii) चन्द्र-पुरा थरमल पावर स्टेशन, चन्द्रपुरा
   (iv) बोकारो थरमल स्टेशन, गिरिडीह जिला

4. जिला —हजारीबाग (6)
   (i) भुरकुंडा,
   (ii) पतरातू
   (iii) बी. एस. एफ. ट्रेनिंग सेन्टर आफ स्कूल मारू कैन्ट हजारीबाग
   (iv) रामगढ़ कैन्ट
   (v) किडला नगर, साऊथ कोलियरी, डा. किडला, अण्डर ग्राउण्ड
   (vi) अर्गदा एरिया, सिदी "ए" कोलियरी सेन्ट्रल कोलफील्ड लि.

5. जिला—गया (2)
   (i) बागेश्वरी रोड, गया नं. 1
   (ii) गया न. 2, ए. एस. सी. सेन्टर (नार्थ) पहाड़पुर, गया

6. जिला—रोहतास (1)

(i) प्यारिटिस फासफेट और कैमिकल लि. अमजोर

7. जिला—समस्तीपुर (1)

(i) समस्तीपुर

8. जिला—सिंहभूम (3)

(i) चक्रधरपुर

(ii) हिन्दुस्तान कापर लि. डा. घाटसीला, सिंहभूम

(iii) मेघाहतुबुरू

9. जिला—मुंगेर (1)

(i) जमालपुर

10. जिला—सीतामढ़ी (1)

(i) जवाहर नगर, डा. सुतिहारा

11. जिला—पटना (4)

(i) कंकरबाग पटना

(ii) जिप-सेन्ट्रर, सी. आर. पी. एफ. कैम्पस, मकमीघाट

(iii) दानापुर कैन्ट

(iv) पटना

12. जिला—रांची (6)

(i) डीपाटोली, डा. रांची

(ii) हेवी इन्जीनियरी कार्पोरेशन नं. I जगन्नाथ नगर, रांची

(iii) हैवी इन्जीनियरी कार्पोरेशन नं. II धुवा, रांची

(iv) डाक हीनू, रांची

(v) सेन्ट्रल कोयलफील्ड लि., दर्का मुवुका नार्थ करनपुर एरिया, डा. खेलारी

(vi) सेन्ट्रल कोयल फील्ड लि., रांची

13. जिला—मुजफ्फरनगर (1)

(i) मुजफ्फरनगर

14. जिला—खेतीहर (1)

(i) खेतीहर

15. जिला—दुमका (1)

(i) ए. एफ. एस. सिंघारबी

विवरण II

पश्चिम बंगाल में जिलावार केन्द्रीय विद्यालय के ब्यौरे और स्थान

पश्चिम बंगाल (35)

1. जिला—24 परगना (5)

(i) पलटा, ए. एफ. एफ. बैरकपुर

(ii) बैरकपुर (आर्मी)

(iii) नवाबगंज, इशापुर

(iv) कंचनपारा, पो काम्पा

(v) कानकी नारा, पो. मशीनरी

2. जिला—बुर्दवान (5)

(i) सी. आर. पी. एफ. दुर्गापुर

(ii) सी. एम. ई. आर. आई., दुर्गापुर

(iii) पनागढ़

(iv) कृष्णा नगर कोलरी, कुसुसटोरिया एरिया, पो. टोपोसी

(v) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

3. जिला—दार्जिलिंग (6)

(i) बागडोगरा

(ii) बेगडुलाई

(iii) खापरेल, पो· न्यू घूमटा (सुखा)

(iv) सेवोक रोड

(v) कालीमपोंग (दुर्रापन)

(vi) लेबोंग

4. जिला—जलपायगुरी (3)

(i) बीनागुरी कैंट नं. 1

(ii) बीनागुरी कैंट नं. 2

(iii) हालसीमारा

5. जिला—कलकत्ता (7)

(i) फोर्टविलियम

(ii) बालेगुंगे मैदान कैंप

(iii) 'एल. बी. ब्लॉक, साल्ट लेक एरिया

(iv) आई. आई. टी., जोक डायमंड, अलीपुर, कलकत्ता।

(v) दम दम रोड़ कलकत्ता।

(vi) कमांड हास्पिटल काम्पलेक्स, अलीपुर, कलकत्ता

(vii) दम दम कलकत्ता

6. जिला—मिदनापुर (5)

(i) आई. आई. टी. खड़गपुर

(ii) ए. एफ. एस. कलायकुंडा नं. 1

(iii) ए. एफ. एस. कलायकुंडा नं. 2

(iv) ए. एफ. एस. सालुआ

(v) खड़गपुर।

7. जिला—पुरुलिया (1)

(i) अद्रा

8. जिला—कूच बिहार (1)

(i) खरीमाला खगराबारी, कूच बिहार

9. जिला—मुर्शीदाबाद (1)

(i) एन, टी. पी. सी., फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, फरक्का

10. जिला—मालदा (1)

(i) एन. एच. पी. सी. मालदा।

आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइन

2483. **श्री टी. बाल गोड** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में रेल लाइनें बिछाने के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है, और

(ख) अगले दो वर्षों में व्यय किये जाने के लिए इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) सातवीं

योजना के पहले और दूसरे वर्ष में आंध्र प्रदेश में नयी रेल लाइनों के लिए आवंटित आंशिक या पूरी राशि तथा पूरा करने के लिए शेष राशि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	नयी लाइन	परिव्यय 85-86	परिव्यय 86-87	पूरा करने के लिए शेष	टिप्पणी
1.	भद्राचलम रोड़ मानुगुरू	0.80	0.25	2.21	शुरू हो गयी है।
2.	बीबीनगर-नाडिकुडे	4.00	2 00	10.63	110 कि. मी. शुरू हो गयी है। शेष 39 कि. मी. लाइन सातवीं योजना में पूरी की जायेगी।
3.	माटुभारी-जगयापेट	2.00	5.00	1.02	1987 में शुरू किये जाने की योजना है
4.	तेलापुर-पाटनचेरू	0,30	1.40	2.99	—
5.	अदिलाबाद-पिम्पल कुट्टी	0.95	1.00	11.67	—
6.	रायदुर्ग-चित्रबुर्ग	0.10	0.70	16.71	—

इन योजनाओं के लिए शेष धन अगले दो वर्षों में योजना के शेष वर्षों में नयी लाइनों के लिए वास्तविक आवंटन पर आधारित होगा।

]हिन्दी]

शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना

2484. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली के प्लाट संख्या 37 के मालिक ने अपना प्लाट नई दिल्ली नगर पालिका को आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी/अस्पताल के निर्माण हेतु दान कर दिया था,

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर इस प्रयोजन के लिए भवन का निर्माण कर लिया गया है,

(ग) यदि हां, तो वहां पर अब तक इस अस्पताल के न खोले जाने के क्या कारण हैं और यह वहां पर कब तक खोला जाएगा, और

(घ) इस सम्बन्ध में देरी के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वर्ष 1984-87 के दौरान शिक्षा के लिए प्रति व्यक्ति आवंटन

*2485. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा (अपने बजट के माध्यम से) शिक्षा के संबन्ध में प्रति व्यक्ति कितना परिव्यय रखा गया, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा (बजट में प्रावधान के माध्यम से) शिक्षा पर प्रति व्यक्ति कितना परिव्यय रखा गया ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के वर्षों के दौरान शिक्षा पर प्रति व्यक्ति परिव्यय क्रमश: 6 रुपये, 7 रुपये और 9 रुपये निकाला गया है।

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा पिछले तीन वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान शिक्षा पर प्रति व्यक्ति परिव्यय, जिसके आंकड़े उपलब्ध है. को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शिक्षा पर प्रति व्यक्ति परिव्यय		
		1983-84	1984-85	1985-86
1.	आंध्र प्रदेश	78	79	96
2.	असम	74	81	143
3.	बिहार	63	60	60
4.	गुजरात	67	82	134
5.	हरियाणा	75	84	184
6.	हिमाचल प्रदेश	126	143	160
7.	जम्मू और कश्मीर	97	109	126
8.	कर्नाटक	68	79	94

1	2	3	4	5
9.	केरल	116	117	138
10.	मध्य प्रदेश	92	52	63
11.	महाराष्ट्र	77	88	100
12.	मणिपुर	147	177	233
13.	मेघालय	91	115	164
14.	नागालैंड	248	245	346
15.	उड़ीसा	56	57	71
16.	पंजाब	100	106	129
17.	राजस्थान	71	75	92
18.	सिक्किम	165	271	353
19.	तमिलनाडु	71	79	89
20.	त्रिपुरा	129	147	183
21.	उत्तर प्रदेश	43	46	57
22.	पश्चिम बंगाल	74	85	88
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	304	354	570
24.	अरूणाचल प्रदेश	184	224	308
25.	चण्डीगढ़	310	258	416
26.	दादर एवं नागर हवेली	108	135	188
27.	दिल्ली	163	189	224
28.	गोवा, दमन एवं दीव	156	176	242
29.	लक्षद्वीप	399	527	617
30.	मिजोरम	171	205	301
31.	पांडिचेरी	151	185	230

पंसकुरा-हवड़ा और खड़गपुर-हवड़ा के बीच ई. एम. यू. गाड़ियां चलाना

2486. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंसकुरा-हवड़ा और खड़गपुर-हवड़ा के बीच कितनी ई. एम. यू. गाड़ियां चल रही है,

(ख) क्या उक्त दो सेक्शनों के लिए ई. एम. यू. गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पांसकुडा-हवड़ा के बीच अप दिशा में 24 और डाउन दिशा में 22 बिजली गाड़ियां और खडगपुर-हवड़ा के बीच दोनों दिशाओं में 13 गाड़ियां हैं।

(ख) और (ग) पांसकुडा और खड़गपुर के बीच स्वचालित सिगनलिंग की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के पूरा हो जाने पर उप-नगरीय बिजली गाड़ियों की सेवाओं में वृद्धि करने पर विचार किया जा सकता है।

विश्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए टीकों को बचाने के उपाय

2487. **श्री अमिताभ बच्चन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के कारगर प्रतिरक्षण के लिए अत्यावश्यक "कोल्ड चेनो के टूट जाने के कारण विश्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम और विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम को गहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इस बात के लिए समुचित संरक्षणात्मक उपाय किये जाते हैं कि इन टीकों को दूरस्थ क्षेत्रों में निर्धारित तापमान पर पहुंचाया जाये ताकि इनकी प्रभावकारी शक्ति खत्म न हो; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस ओर ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि बच्चों के प्रतिरक्षण के लिए अत्यावश्यक इन टीकों की प्रभावकारी शक्ति खत्म न हो जाये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) "कोल्ड चेनों" का रखरखाव रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए एक गम्भीर चुनौती है और इसीलिए दूरस्थ क्षेत्रों को निर्धारित तापमानों पर वैक्सीनें ले जाने के लिए वैक्सीन कैरियरों और कोल्ड बाक्सों की सप्लाई करके पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, वैक्सीनों के लिए कोल्ड चेन का पर्याप्त प्रबन्ध करने हेतु अनेक कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन उपकरणोंकी भी व्यवस्था की गई है। कोल्ड चेन का बेहतर प्रबन्ध और मानीटरिंग करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यह सारा कार्य राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कोंकण क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

2488. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्र कोंकण के ग्रामीण क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा भाग स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मामले में उपेक्षित रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोंकण क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी नहीं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार कोंकण क्षेत्र के लिये ग्रामीण जनसंख्या के मानदण्ड के आधार पर अपेक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं। कोंकण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 1981 की जनगणना के अनुसार मंजूर किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जिलावार संख्या इस प्रकार है :

थाणे	—	71
रायगढ़	—	49
रत्नागिरि	—	64
सिंधु दुर्ग	—	36

1987 के मध्य की जनसंख्या के आधार पर और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंजूर करने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का काम राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है जिसके लिए धन का आबंटन राज्य योजनाओं में किया जाता है।

डाबिरपुरा और हालापेट में रेल पुलों का निर्माण

2489. **श्री एस. पलाकोंड्रायुडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में डाबिरपुरा हालापेट में रेल पुलों का निर्माण करने के लिए स्वीकृति दे दी है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) मौजूदा समपारों के बदले डाबिरपुरा और हालापेट में दो ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण का प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन है।

प्रौढ़ निरक्षरता को समाप्त करने के लिए राज्यों को सहायता

2490. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान प्रौढ़ निरक्षरता समाप्त करने के राज्यों के अभियान में सहायता करने के लिए राज्यों को राज्य-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1984-85	1985-86	1986-87 (अक्तूबर, 1986 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	256.73	283.23	26.81
2.	असम	164.75	120.29	14.12
3.	बिहार	280.09	420.90	50.30
4.	गुजरात	216.58	236.11	28.07
5.	हरियाणा	120.33	91.43	17.64
6.	हिमाचल प्रदेश	19.78	33.23	8.00
7.	जम्मू और कश्मीर	47.61	32.81	10.00
8.	कर्नाटक	198.49	266.67	32.19
9.	केरल	59.78	90.48	15.00
10.	मध्य प्रदेश	383.99	167.79	61.91
11.	महाराष्ट्र	298.96	373.38	55.61
12.	मणिपुर	48.74	42.39	6.99
13.	मेघालय	30.77	38.79	5.00
14.	नागालैण्ड	25.70	22.62	5.00
15.	उड़ीसा	150.13	165.13	26.05
16.	पंजाब	75.31	45.95	12.83
17.	राजस्थान	296.00	333.88	30.54
18.	सिक्किम	25.63	4.48	4.00
19.	तमिलनाडु	232.55	339.17	45.78
20.	त्रिपुरा	29.00	30.86	9.00
21.	उत्तर प्रदेश	572.67	563.23	70.19
22.	पश्चिम बंगाल	149.83	151.90	42.99
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6.25	5.66	1.00

1	2	3	4	5
24.	अरुणाचल प्रदेश	20.18	12.08	1.50
25.	चण्डीगढ़	5.41	2.89	0.50
26.	दादर और नागर हवेली	2.84	1.06	0.50
27.	दिल्ली	24.96	20.10	1.78
28.	गोआ, दमन और दीव	9.81	0.91	—
29.	लक्षद्वीप	2.12	1.38	0.50
30.	मिजोरम	10.63	12.15	1.50
31.	पाण्डिचेरी	14.32	7.81	1.35
	जोड़	3789.89	3928.76	586.65

नई दिल्ली एशियाड पर फिल्म

2491. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सियोल एशियाई खेलों पर फिल्म बनकर लगभग तैयार हो गई है जबकि नई दिल्ली में हुएं एशियाई खेलों के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी नई दिल्ली में हुए एशियाई खेलों पर फिल्म अभी भी तैयार नहीं हो पाई है और इस फिल्म को बनाने पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) नई दिल्ली खेलों पर फिल्म समाचार पत्रिका के रूप में पांच भागों में पहले ही जारी की गई है। पहली समाचार पत्रिका 24-11-82 को जारी की गई थी और अन्तिम 10-12-82 को जारी की गई थी। एशियाड 82 पर पूरी फिल्म (15 रील) सैंसर्ज उरमी वितरण, बम्बई के जरिए 20-12-85 को जारी की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

देश में राज्यवार अस्पातालों और उनमें उपलब्ध बिस्तरों की संख्या

2492. **श्री आर. एम. भोये** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने अस्पताल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों और अन्य धमार्थ संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं; और

(ख) इन अस्पतालों में कितने बिस्तर हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी		स्वयंसेवी संगठन	
		अस्पताल	पलग	अस्पताल	पलंग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश (1-1-85)	342	24762	266	11103
2.	असम	96	9576	29	2958
3.	बिहार (1-1-81)	100	14078	125	8447
4.	गुजरात	141	15009	1030	19941
5.	हरियाणा	69	4961	18	2566
6.	हिमाचल प्रदेश	55	3793	8	447
7.	जम्मू व कश्मीर	45	5914	2	—
8.	कर्नाटक	165	23902	44	6702
9.	केरल	155	29224	173	14309
10.	मध्य प्रदेश	289	19891	+	+
11.	महाराष्ट्र	205	41361	1120	35296
12.	मणीपुर	17	1237	3	65
13.	मेघालय (1-1-85)	9	1449	4	616
14.	नागालैंड	35	1137	2	32
15.	उड़ीसा	276	10843	31	1227
16.	पंजाब (1-4-85)	219	11601	35	2913
17.	राजस्थान	204	17456	38	2034
18.	सिक्किम	5	477	—	—
19.	तमिलनाडु	330	34347	64	9437
20.	त्रिपुरा	17	1277	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	534	34267	159	12026
22.	पश्चिम बंगाल	262	45868	125	6430

1	2	3	4	5	6
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	10	718	—	—
24.	अरुणाचल-प्रदेश	19	902	4	352
25.	चण्डीगढ़	3	1309	—	—
26.	दादर व नागर हवेली	1	50	—	—
27.	दिल्ली	29	8741	19	2898
28.	गोआ दमन द्वीव	16	1781	79	1223
29.	लक्षद्वीप	2	70	—	—
30.	मिजोराम	9	643	1	10
31.	पांडिचेरी	8	2237	2	150
	योग	3667	368881	3381	141182

मंचेश्वर रेल वर्कशाप

2493. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंचेश्वर रेल वर्कशाप में स्थानीय कुशल और अकुशल उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए गए हैं, और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) कुशल शिल्पों कर्मचारियों (वर्ग ग) की भर्ती, रिक्तियों की 50 प्रतिशत सीमा तक, स्थानीय सचार माध्यमों से विज्ञापन देकर स्थानीय व्यक्तियों में से की जाती हैं। शेष रिक्तियों के लिए भर्ती, अन्य मंडलों/कारखानों में काम कर रहे उन कर्मचारियों में से की जाती है जो मंचेश्वर कारखाने के लिए स्थानान्तरण का विकल्प देते हैं।

वर्ग घ की रिक्तियां मंचेश्वर कारखाने और खोरधा मण्डल, जिनके क्षेत्राधिकार में मंचेश्वर कारखाना पड़ता है, की निर्माण इकाइयों के नैमेतिक श्रमिकों/एवजियों की स्क्रीनिंग करके भरी जाती हैं। ये भर्तियां साधारणतया स्थानीय व्यक्तियों तक ही सीमित होती हैं। इस प्रकार अभी तक 162 व्यक्तियों को भर्ती किया गया है।

वर्ग घ के पदों की भर्ती, रेलों पर परियोजना की स्थापना करने के लिए अधिग्रहीत भूमि से विस्थापित लोगों के बच्चों में से भी की जाती है, बशर्ते वे कतिपय शर्तें पूरी करते हों। इस प्रकार की भर्ती भी साधारणतया स्थानीय व्यक्तियों तक ही समिति होती है। इस आधार पर 87 उम्मीदवारों की नियुक्ति के बारे में विचार किया गया है जिनमें से 52 को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और शेष के लिए पूर्ववत सत्यापन का कार्य चल रहा है।

मंगलौर शोरुवण्णूर तथा त्रिवेन्द्रम पालघाट रेल लाइनों का विद्युतीकरण

2494. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालघाट और त्रिवेन्द्रम रेलवे डिवीजन के अन्तर्गत किसी रेल लाइन के विद्युतीकरण के सम्बन्ध से कोई व्यवहार्य सर्वेक्षण किया है,

(ख) क्या सरकार का मंगलौर-शोरुवण्णूर रेल लाइन और पालघाट-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन अथवा उसके किसी भाग का विद्युतीकरण करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां, पालघाट-तिरुवनन्तपुरम लाइन के विद्युतीकरण के लिए व्यावहारिक सर्वेक्षण किया जा चुका है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रशिक्षित चिकित्सा प्रशासकों की आवश्यकता

2495. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतीय स्वास्थ्य प्रशासन संस्था द्वारा अस्पताल-प्रबन्ध तथा अस्पताल-प्रशासन और सम्बन्धित विषयों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अस्पताल चलाने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा प्रशासकों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) अस्पताल-प्रबन्ध और अस्पताल प्रशासन के बारे में 8 से 13 सितम्बर 1986 तक आयोजित कार्यशाला में की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं अस्पताल-प्रबन्ध में विशेषज्ञों को लगाया जाये जिससे संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके, विभिन्न श्रेणियों के अस्पताल प्रशासकों को प्रशिक्षण दिया जाये । क्षेत्रीय स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं और आधार भूत-ढांचे का विकास किया जाए और चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों के लिए संतत् शिक्षा प्रणाली रखी जाए । सरकार इन सब सिफारिशों को उपयोगी समझती है ।

निडदवोल और कावली में उपरि रेल पुलों का निर्माण

2496. **श्री सी. सम्बु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में निडदवोल और कावली में उपरि रेल पुलों का निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा समपारों के बदले निद्द बोलु और कावली में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण कार्यों को राज्य सरकार के साथ मिलकर लागत में भागीदारी के आधार पर 1986-87 के रेल बजट में मंजूरी दे दी गई है। निर्माण कार्यों की स्वीकृत लागतें नीचे दी गई है :—

निद्दबोलु	—139.70 लाख रुपये
	(रेलवे का हिस्सा—62.61 लाख रुपये)
कावली	—113.26 लाख रुपये
	(रेलवे का हिस्सा—54.95 लाख रुपये)

राष्ट्रीय जल मार्ग के इलाहाबाद हल्दिया भाग का विकास

2497. **डा. बी. एल. शैलेश :**

श्री सनत कुमार मन्डल : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के इलाहाबाद हल्दिया भाग के विकास में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) सातवीं योजना के दौरान इस परियोजना के लिए केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में अलग अलग कितनी पूंजी परिव्यय उपलब्ध कराया गया है;

(ग) उक्त जलमार्ग के साथ-साथ अब तक क्या आधारभूत निर्माण किया गया है और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में माल को चढ़ाने और उतारने के लिए निर्दिष्ट किये गये स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(घ) उक्त परियोजना को आरम्भ करने और उनको पूरा करने के कितना समय लगने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) गंगा भागीरथी-हुगली नदी राष्ट्रीय जल मार्ग के इलाहाबाद हल्दिया प्रखण्ड के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 20.00 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस जलमार्ग के विकास के लिए 15.58 करोड़ रुपये की लागत की तीन स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं। ये स्कीमें सुरक्षित एवं कुशल नौवहन और नौचालन के लिए नदी संरक्षण, नौचालन संबंधी साधनों (एड्स) और अपेक्षित टर्मिनल सुविधाओं से सम्बन्धित हैं। इस जलमार्ग पर अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए टर्मिनल सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो स्टेशन अभिनिर्धारित किए गये हैं वे ये हैं:—हल्दिया, कलकत्ता

बेरहामपुर, नवद्वीप, फरक्का, राजमहल, कहलगांव, कारागोला, भागलपुर, मुंगेर, मोकामा, पटना, छपरा, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चुनार, मिरजापुर और इलाहाबाद।

बेरहामपुर, फरक्का, कहलगांव और कारगोला में अवतारण सुविधाएं पूरी हो गई हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है। हल्दिया और कलकत्ता में टर्मिनल सुविधाएं निर्माणाधीन हैं। रेलवे के आठ अतिरिक्त वैसल्ज उपरोक्त में से कुछ स्टेशनों पर फ्लोविंग टर्मिनलों के रूप में उपयोग हेतु प्राप्त किये जा चुके हैं।

(घ) ये स्कीमें सम्भवत: दो वर्षों की अवधि में पूरी हो जायेंगी।

मथुरा रिफाईनरी से निकलने वाले प्रदूषणकारी पदार्थों का ताजमहल पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विदेशी विशेषज्ञों की राय

2498. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले प्रदूषणकारी पदार्थों का ताजमहल पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विदेशी विशेषज्ञों की राय मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) मथुरा रिफाइनरी से गैसीय स्त्राव से ताजमहल पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने का कार्य भारतीय तेल निगम ने अक्तूबर 1976 में ईटली की फर्म "टेकनेको" को सौंपा था। इसके निष्कर्ष यह हैं कि मथुरा रिफाइनरी से स्त्राव से प्रदूषण का स्तर निर्धारित प्रदूषण स्तर से काफी कम है और यह कि आगरा में पूर्वानुमानित प्रदूषण स्तर स्मारकों के अपकर्ष का कोई खतरा पैदा नहीं करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा बिमानों में सीटों से अधिक सीटें बुक कराने के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा

2499. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अगस्त-सितम्बर, में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा लगभग प्रतिदिन भारी संख्या में यात्रियों को वापस भेज दिया जाता था;

(ख) यदि हां, तो सीटों से अधिक बुकिंग करने और उसके परिणाम स्वरूप अन्तिम क्षणों में संपुष्ट टिकटों के यात्रियों के विमान में बैठ जाने के बाद उन्हें उतारने के क्या कारण है; और

(ग) भविष्य में यात्रियों को ऐसी परेशानियां न हो इस दिशा मे क्या कदम उठाये गये है या उठाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। अधिक बुकिंग हो जाने के कारण कुल 128 यात्री उड़ानों में यात्रा नहीं कर सके और उन्हें उनके गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए वैकल्पिक उड़ानें मुहैया की गई थी।

(ख) अन्तिम क्षणों में बुकिंग रद्द किये जाने और यात्रियों के न आने के कारण राजस्व की हानि से बचने के लिए, समस्त संसार में एयरलाइन उद्योग में कतिपय कार्यपद्धति पर आधारित उड़ानों में अधिक बुकिंग करने की एक प्रमाणित प्रथा है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के विनियमनों के तहत ऐसे यात्रियों पर कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) अधिक बुकिंग के कारण विमान में सवार न हुए यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए होटल में स्थान और भोजन आदि की व्यवस्था एयालाइन के खर्चे पर की जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को कलकत्ता होकर ले जाना

2500. **श्री सन्त कुमार मण्डल** :

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालका/कलकत्ता हवाई अड्डे की यातायात संबंधी आधारभूत सुविधाओं और इसकी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का मार्ग बदल कर कलकत्ता हवाई अड्डे से करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : विदेशी एयरलाइनों द्वारा भारत के लिए और भारत से होकर प्रचालित की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानें उनके द्विपक्षीय विमान सेवा करारों के अधीन उनकी हकदारों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। भारत के लिए प्रचालन के लिए प्रत्येक द्विपक्षीय करार में कलकत्ता को निरन्तर एक परिचालन केन्द्र के रूप में पेश किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, सिंगापुर एयरलाइन ने कलकत्ता के के लिए प्रचालन शुरू कर दिये हैं और जाट (युगोस्लाविया एयरलाइन) को इस शर्त पर भारत के लिए प्रचालन की अनुमति दी गई है कि वह पहले कलकत्ता से होकर जाए।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा चलाए जा रहे अस्वीकृत पाठ्यक्रम

2501. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ प्राध्यापकों और अन्य संकायों द्वारा चलाये जा रहे कुछ पाठ्यक्रमों की जानकारी है, जिन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन पाठ्यक्रमों का और उच्च अधिकारियों द्वारा यदि इस सम्बन्ध में

कोई जांच की गई है, उसका ब्यौरा क्या है और क्या इसके लिए चलाये गए शुल्क/प्रभार न्यायोचित थे;

(ग) विश्वविद्यालय के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध ऐसा कार्य करने जिसकी उन्हें अनुमति नहीं थी, के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) देश के और कौन-कौन से विश्वविद्यालय में ऐसी प्रक्रिया पाई गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, कुछ कालेज ऐसे पाठ्यक्रम चला रहे हैं जो उनके द्वारा अनुमोदित नहीं किये गए हैं।

विश्वविद्यालय ने इस मामले में जांच करने और की जाने वाली कार्रवाई निर्धारित करने के लिए एक तथ्य जांच समिति नियुक्त की है। इसी बीच विश्वविद्यालय ने सम्बन्धित कालेजों के प्रिंसिपलों को ऐसे अनाधिकृत पाठ्यक्रमों को बन्द करने का निर्देश दिया है और 20-9-1986 को समाचार-पत्रों में इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी जारी किया है।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है।

शहीद मतनगिरि हाल्ट स्टेशन

2502. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के पंसकुरा हल्दिया सैक्शन में शहीद मतनगिरि हाल्ट स्टेशन को खोलने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा;

(ग) इसमें देरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त हाल्ट स्टेशन कब खोले जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इन्जीनियरी कार्य प्रगति पर है।

(ख) अप्रैल, 1987 तक निर्माण कार्य पूरा किये जाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) हाल्ट खोलने की स्वीकृति मार्च, 1986 में दी गई थी बशर्ते मिट्टी सम्बन्धी कार्य स्थानीय जनता द्वारा श्रमदान के जरिये किया जाए। लेकिन श्रमदान नहीं किया गया और जून, 1986 में दक्षिण पूर्व रेलवे को अनुदेश दिये गए थे कि बिना श्रमदान के ही निर्माण कार्य आगे जारी रखा जाए।

(घ) ज्यों ही न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था हो जायेगी। हाल्ट खोल दिया जायेगा।

दक्षिण क्षेत्र में सूखा की स्थिति का मुकाबला करने के लिए कदम

2503. **श्री के. राममूर्ति** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समग्र रूप से देश में और विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र में प्रति वर्ष कुल वर्षा की मात्रा में कमी होती जा रही है और उसके परिणामस्वरूप सूखे की स्थिति पैदा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न नदियों को जोड़ने से जल के बेहतर भण्डारण, उसके संरक्षण और उपयोग में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिणी क्षेत्र सहित भारत के किसी भाग में वर्षापात् में कमी की प्रवृत्ति नहीं पाई गई है ।

(ख) और (ग) जहां व्यवहार्य हो, जल संचयन तथा नदियों को एक दूसरे से जोड़े जाने से जल के संरक्षण तथा बेहतर उपयोग में सहायता मिलेगी । राष्ट्रीय जल संदर्श के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण प्रायद्वीपीय घटक की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है ।

खेलों के संवर्धन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2504. **श्री गुरुदास कामत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को खेलों के संवर्धन हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) राज्यों को धन स्वीकृत करने का क्या मानदण्ड है; और

(ग) क्या हाल ही में सियोल में सम्पन्न एशियाई खेलों में भारत की असंतोषजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार खेलों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि करने पर विचार करेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य खेल परिषदों को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत गत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान निम्न-लिखित सहायता दी गई है :—

1983-84	—	69.88 लाख रुपये
1984-85	—	146.91 लाख रुपये
1985-86	—	222.00 लाख रुपये

(ख) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों पर तथा प्रत्येक मामले

के गुण-दोष के आधार पर और विशेष प्रयोजनों पर विचार करने के बाद अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, बशर्ते कि राशि की उपलब्धता हो।

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए इस योजना हेतु पहले ही पर्याप्त मात्रा में 1180.90 लाख रुपये का बढ़ा हुआ बजट प्रावधान है।

अशोक स्तूप के अवशेषों का पता लगाने के प्रयास

2505. **श्री पी. ए. एन्टनी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नेपाल सीमा पर अशोक स्तूप के अवशेषों का पता लगाने के प्रयास चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुसंधान कार्य-क्रम में कौन-कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में बारम्बार विलम्ब होना

2506. **श्री आर. एस माने** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में बारम्बार विलम्ब होने पर निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विलम्ब के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने हेतु कोई नया तरीका निकाला गया है;

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में समय की पाबन्दी में सुधार लाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उड़ान में विलम्ब यात्री सेवा/हवाई अड्डों आदि पर सेवा के लिए क्या मार्ग-निर्देश जारी किये गए हैं; और

(ङ) क्या सुदूर पूर्वी देशों की एयरलाइनों की लोकप्रियता के कारणों के जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां। इण्डियन एयरलाइन्स विलम्ब सम्बन्धी सभी मामलों की जांच करता है और विलम्ब के कारणों का पता लगाया जाता है तथा किसी उपेक्षा के मामले में जिम्मेवारी निश्चित की जाती है।

(ग) और (घ) हालांकि कोई लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है, फिर भी इण्डियन एयरलाइन्स के समग्र समकालिक निष्पादनों में 1984 (76.10%) और 1985 (75.77%) की

तुलना में 1986 में सुधार (77.45%) हुआ है। अपनी उड़ानों में समय पावन्दी में सुधार करना और अपने यात्रियों के लिए सौहार्दपूर्ण सेवा मुहैया करना इण्डियन एयरलाइन्स का सतत् प्रयास रहता है। इस सम्बन्ध में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन जारी किये जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

बिना टिकट यात्रा

2507. **डा. वी. वेंकटेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेल के टिकटों की जांच करने वाले अधिकारियों और जालसाजी विरोधी संगठन ने बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए कोई अभियान चलाया था;

(ख) यदि हां, तो कितने लोग गिरफ्तार किए गए; और

(ग) दोषी व्यक्तियों से कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) 1-4-1986 से 30-9-86 की अवधि के दौरान कुल 10,984 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था।

(ग) उनसे 3.73 लाख रुपये की राशि न्यायिक दण्ड के रूप में वसूल की गई थी।

नये पोतों की डिलीवरी के लिए भारत नौवहन निगम के पास लम्बित प्रस्ताव/पेशकश

2508. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** :

डा. वी. वेंकटेश :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम, बम्बई को विदेशी शिपयार्डों से ऋण सुविधाओं के साथ नये पोतों की पेशकश करते हुए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम अपनी क्षमता बढ़ाने और बदलती स्थिति के साथ नई मांगें पूरी करने के उद्देश्य से अपने बेड़ों के लिए नये पोत खरीदने के लिए जांच-पड़ताल कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो शिपयार्डों के नाम, उनके देशों के नाम और उनमें से प्रत्येक द्वारा बनाए जाने वाले पोतों की क्षमता, बताए गये मूल्य और प्रस्तावित ऋण सुविधा सहित इस सम्बन्ध में प्राप्त पेशकश का ब्यौरा क्या है;

(घ) पश्चिम जर्मन के शिपयार्डों से प्राप्त कितनी पेशकश लम्बित पड़ी है;

(ङ) क्या पश्चिम जर्मन के ब्रेमर वल्कन ने कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है;

(च) यदि हां, तो क्या उस पर कोई निर्णय ले लिया गया है अथवा नए पोत खरीदने के लिए किसी शिपयार्ड को क्रयादेश दिए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) भारतीय नौवहन निगम ने पिछले 3-5 वर्षों के दौरान सातवीं पचवर्षीय योजना के टनेज विस्तार कार्यक्रम के अंग के रूप में कंटेनर जहाजों, फास्फोरिक एसिड कैरियरों खाद्य तेल कैरियरों आदि जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के जहाजों के लिए पूरे विश्व से निविदा आमंत्रित की और जिसके उत्तर में विभिन्न शिपयार्डों से प्रस्ताव हुए। जिन शिपयार्डों के प्रस्ताव भारतीय नौवहन निगम की तकनीकी अपेक्षाएं पूरी करते थे, वे जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन, जापान और कोरिया जैसे देशों के थे। सभी शिपयार्डों ने जहाज की डिलिवरी से पहले अधिकतम 20% धनराशि का भुगतान करने और शेष 80-100% राशि स्थगित ऋण 8 से 15 वर्षों में ऋण अदायगी जैसी ऋण सुविधा प्रदान करने की पेशकश की जिन पर प्रति वर्ष ब्याज की दर 3% से 9% तक थी।

(घ) भारतीय नौवहन निगम द्वारा सेलुलर जहाज खरीदने के एक मामले में पश्चिम जर्मनी के एक शिपयार्ड का एक प्रस्ताव लम्बित है।

(ङ) भारतीय नौवहन निगम की किसी भी परियोजना में पश्चिम जर्मनी के ब्रेमर वुल्कन शिपयार्ड को छोटी सूची में शामिल नहीं किया गया था।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठता। फास्फोरिक एसिड कैरियरों, खाद्य तेल कैरियरों और सेलुलर कंटेनर जहाजों को खरीदने के आर्डर अभी दिए जाने हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में स्थानों का आरक्षण

2509. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कुछ स्थान आरक्षित रखे गये हैं, जो सरकार द्वारा नामांकन के जरिए भरे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये स्थान किस आधार पर भरे जाते हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशों में भारतीय राजदूतावासों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के भारत में स्थानान्तरण होने पर उनके बच्चों के लिए 20 स्थान आरक्षित होते हैं। इन स्थानों के लिए विदेश मंत्रालय से नामांकन प्राप्त होते हैं। गाजियाबाद स्थित विशेष केन्द्रीय विद्यालय में सीमान्त जिलों के बच्चों के लिए कक्षा vi में 60 स्थान आरक्षित हैं। इन स्थानों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन तथा भूटान सरकार से नामांकन प्राप्त होते हैं।

बिहार की नलकूप योजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

2510. **डा. गौरी शंकर राजहंस :**

श्रीमती प्रभावती गुप्ता :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में, जैसा कि 9 सितम्बर, 1986 के इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है; बिहार की 130 करोड़ रुपये की लागत की नलकूप योजना के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और बिहार में पानी की कमी की भीषण समस्या का कहां तक समाधान हो जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक ने 68 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) प्रस्तावित परियोजना 1986-87 से आरंभ होने वाले सात वर्ष के कार्यक्रम का वित्त पोषण करेगी। इसके पूरे हो जाने पर 4,47,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र सिंचित होगा।

गाद जमा होने से खतरा

2511. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ की चोटियों पर वनों की कटाई होने के कारण गाद जमा होने से, जो कि पहाड़ की चोटियों से पानी के साथ बहकर नदी में आती है, नदी तल उथले हो गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नदी तलों में भारी मात्रा में गाद जमा हो जाने के कारण वर्षा ऋतु में पहाड़ की चोटियों से आने वाला पानी नदियों के किनारों पर फैल जाता है और जिसके कारण आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ का सदैव खतरा बना रहता है; और

(ग) यदि हां, तो गाद जमा होने से बढ़ते हुए खतरे को दूर करने का क्या उपाय है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जल संभर में अंधाधुंध वन कटाव से भूमि कटाव की दर बढ़ती है जिससे नदियों में भारी मात्रा में गाद जमा होता है। इससे कभी-कभी नदियों के जल स्तर तथा बाढ़ स्तर ऊंचे हो जाते हैं जिससे आस-पास के निचले क्षेत्रों में पानी भर जाता है।

(ग) वैज्ञानिक जल संभर प्रबन्ध।

फ्लोराइड टूथपेस्ट का स्वास्थ्य और हड्डियों के लिए हानिकारक होना

2512. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जांच करने का कोई प्रस्ताव है कि फ्लोराइड टूथपेस्ट स्वास्थ्य और हड्डियों के लिए हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या औषध नियन्त्रक ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) औषध नियन्त्रक (भारत) द्वारा टूथपेस्ट में फ्लोराइड की उस सुरक्षित सीमा की जो स्वास्थ्य और हड्डियों के लिए हानिकारक नहीं हैं, जांच-पड़ताल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

कर्नाटक के समेकित बाल विकास सेवा खण्डों में पोषाहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2513. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान कर्नाटक के कुछ समेकित बाल विकास सेवा खण्डों में पोषाहार कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के उन समेकित बाल विकास सेवा खण्डों की संख्या कितनी है, जिन्हें उक्त वर्ष में पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार का कर्नाटक के सभी समेकित बाल विकास सेवा खण्डों में पोषाहार कार्यक्रम कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल-कूद तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पूरक पोषाहार की व्यवस्था है, 1985-86 तक कर्नाटक में 86 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी । इनमें 1985-86 में स्वीकृत 8 परियोजनाएं भी शामिल हैं ।

(ग) यह प्रस्ताव है कि समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का कर्नाटक सहित देश भर में चरणबद्ध विस्तार किया जाए ।

(घ) और (ङ) 1986-87 में कर्नाटक के लिए 8 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास

सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की गई है जिससे राज्य में ऐसी परियोजनाओं की कुल संख्या 94 हो गई है। (64 केन्द्रीय प्रायोजित और 30 राज्य सैक्टर की आई. सी. डी. एस. परियोजनाएं)

परिवहन के क्षेत्र में भारत और स्वीडन के बीच सहयोग का प्रस्ताव

2514. **डा. डी. एन. रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन के क्षेत्र में भारत और स्वीडन के बीच सहयोग का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के चम्बल डिविजन में खोले गए स्वास्थ्य केन्द्र

2515. **श्री कमोदी लाल जाटव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 से 1985 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के चम्बल डिवीजन में कितने स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए और वे किन-किन स्थानों पर खोले गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

नदियों के पानी का समुद्र में जाकर बेकार होना

2517. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सभी नदियों में उपलब्ध पानी की कुल मात्रा में से कितना पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसमें से कितना पानी समुद्र में जाकर बेकार हो जाता है;

(ख) नदियों के पूरे पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) क्या इस शताब्दी के अन्त तक नदियों के पूरे पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करना सम्भव होगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जल विज्ञानी, स्थलाकृति, पर्यावरण तथा अन्य सीमाओं के कारण कुल उपलब्ध जल संसाधनों के केवल एक भाग को ही प्रयोग में

लाया जा सकता है। लगभग आधे उपयोज्य जल संसाधनों को सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। समुद्र में बह कर जाने वाले जल का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सम्पूर्ण नदी जल को सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि जल दूसरे उद्देश्यों के लिए भी आवश्यक होता है। सिंचाई के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले जल की लागत जल संसाधन विकास परियोजनाओं को हाथ में लेने हेतु संसाधनों की उपलब्धता एवं उन्हें दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

पंचरतल अगरतला रेल लाइन

2518. **श्री बाबूबन रियान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचरतल से अगरतला तक रेल लाइन के निर्माण संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त रेल लाइन के निर्माण की योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) धर्मनगर से कुमारघाट तक की मीटर लाइन का निर्माण कार्य, जो चल रहा है, एक अनुमोदित निर्माण कार्य है। कुमारघाट से अगरतला तक लाइन का आगे विस्तार करने के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करने का कार्य हो चुका है। 130 कि.मी. लम्बी लाइन के निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 283 करोड़ रुपये है।

(ख) जी नहीं।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण।

राज्यों को एम्बुलेंसों का वितरण

2519. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को कुल कितनी एम्बुलेंसों का आवंटन किया गया;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को आवंटित एम्बुलेंसों की संख्या राज्य की जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राज्यों को एम्बुलेंस प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

सुरक्षित पुलों के निर्माण हेतु मार्गनिर्देश

2520. डा. चिन्ता मोहन : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षित पुलों के निर्माण सम्बन्धी मार्गनिर्देशों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है जिसके कारण गोवा में माण्डवी नदी पर बने नेहरू पुल जैसे पुल ढह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा तैयार की गई प्रथा सम्बन्धी संहिता के अनुसार पुलों का डिजायन बनाया जाता है और उसका निर्माण जल-भूतल परिवहन मंत्रालयें की विशिष्टियों के अनुसार किया जाता है, जिसे प्रौद्योगिकी उन्नति को दृष्टि में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

मध्य प्रदेश में उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास संस्थान

2521. श्री अजय मुशरान : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या तकनीकी शिक्षा संबंधी कार्यवाही दल इसकी स्थापना करने के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाने हेतु मध्य प्रदेश का दौरा करेगा; और

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जबलपुर भोगोलिक दृष्टि से भारत के मध्य में स्थित है तथा सभी आवश्यक आधार सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं, यह स्थान इस संस्थान की स्थापना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां। उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास का एक संस्थान स्थापित करने का एक अनुरोध सरकार को प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) विशेष संस्थानों की समग्र योजना, फिलहाल अन्तिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। उक्त योजना को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिये जाने के बाद ही अलग-अलग प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

अधिकतम लाभ कमाने वाला हवाई अड्डा

2522. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत का कौन सा हवाई अड्डा एयर इण्डिया के लिए सर्वाधिक लाभ कमा रहा है ?

नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : एयर इण्डिया बम्बई एयरपोर्ट से अधिकतम राजस्व अर्जित कर रहा है ।

बम्बई आरक्षण कार्यालय में विमान यात्रियों को असुविधा

2523. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में इण्डियन एयरलाइन्स कार्यालय में विमान में आरक्षण हेतु, विशेषकर सुबह के समय, जब आरक्षण के लिए काफी भीड़ होती है, कम्प्यूटरों के बार बार काम न करने के कारण यात्रियों को होने वाली अत्यधिक कठिनाई की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो असुविधा और विलम्ब को दूर करने तथा कम्प्यूटरों का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने और ऐसे ड्यूटी अधिकारियों की नियुक्ति करने जो यात्रियों के प्रति विनम्र हों, क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) दिनांक 16.10.86 से 10.11.86 की अवधि के दौरान बम्बई स्थित इण्डियन एयरलाइन्स के कार्यालय में हवाई आरक्षणों में यात्रियों को असुविधा हुई थी । ऐसा कम्प्यूटर के डाउन समय में बढोंतरी हो जाने की वजह से हुआ जो मुख्यतौर पर दूर-संचार विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं के आन्दोलन से उत्पन्न हुई हाई स्पीड डाटा सर्किटों के अनियमित चलन के कारण था । चूंकि अब आन्दोलन समाप्त हो गया है इसलिए प्रणाली में निश्चित रूप से सुधार है । इण्डियन एयर-लाइन्स का प्रयास अपने यात्रियों की सौहार्दपूर्ण सेवा प्रदान करना है ।

पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में हवाई अड्डों का विकास

2524. **श्री बृज मोहन मइत्ती** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यातायात की बढ़ती आवश्यकता विशेष रूप से पर्यटक-यातायात के संवर्धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में किन-किन हवाई अड्डों का तत्काल विकास किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में किन-किन हवाई अड्डों में यात्रियों के तुरन्त उपचार के लिए डाक्टरों की सुविधा प्रदान नहीं की गई है; और

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान उपर्युक्त क्षेत्र में हवाई अड्डों का विकास करने तथा डाक्टरों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) एयरपोर्टों का दर्जा बढ़ाया जाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो एयरलाइनों की आवश्यकता तथा संसाधनों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में विमान क्षेत्रों पर उपलब्ध सुविधाएं, जिनकी व्यवस्थाएं वर्तमान में की जा रही है, पर्याप्त रूप से यातायात की तत्काल आवश्यकता पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ख) किसी भी विमान क्षेत्र पर चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं की जाती क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है। तथापि, उन डाक्टरों का एक पैनल सदैव तैयार रहता है जिनकी सेवायें अधिकांश विमान क्षेत्रों पर आपातकाल में ली जा सकती है।

(ग) विमान क्षेत्रों इत्यादि का दर्जा बढ़ाए जाने के विभिन्न प्रस्तावों पर जो वर्तमान में विचाराधीन है, चालू योजना की शेष अवधि के दौरान संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर विचार किया जा सकता है।

रेलवे बांड

2525. **श्री कमल नाथ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने चल स्टाक आदि के लिए धन एकत्र करने के लिए रेलवे बांड जारी करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में घोषणा कब तक की जायेगी, और

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी तथा 50 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी से भारतीय रेलवे वित्त निगम के नाम से एक कम्पनी का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित निगम बांड जारी करके जनता से ऋण प्राप्त करेगा। इस प्रकार वसूल किये गये धन से निगम चल स्टाक और अन्य उपस्कर खरीदेगा तथा उन्हें रेलों को पट्टे पर देगा। बांडों को जारी करने की घोषणा, ब्याज की दर आदि से संबंधित विस्तृत ब्योरों के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अन्य देशों को उपलब्ध की गई परामर्श सेवा

2526. **श्री अनादि चरण दास** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्हें भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान हवाई अड्डों के विकास कार्यों के लिए परामर्श सेवा उपलब्ध की है; और

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं, जिनमें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

द्वारा बड़ी परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं और इन योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अल्जीरिया में सैटिफ और बतना हवाई अड्डों के डिजायन और आयोजना के लिए परामर्शदात्री सेवायें प्रदान की गई थी।

(ख) इस समय विदेशों में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई बड़ी योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

162 डाउन टाटा अमृतसर एक्सप्रेस की दुर्घटना में हताहत हुए व्यक्तियों को मुआवजा देना

2527. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 6 अगस्त, 1986 को 162 डाउन टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की दुर्घटना में मरने वाले कितने व्यक्तियों के परिवारों को और घायल हुए कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है और उन्हें मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : अनुस्मारकों के बावजूद बिहार सरकार ने अभी तक तदर्थ दावा आयुक्त की सिफारिश नहीं की है जिसकी वजह से किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। तथापि, अनुग्रह राशि के रूप में 1,84,750 रुपये का भुगतान किया गया है।

पांच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

2528. **श्री त्रिलोचन सिंह तुर** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री बी. वी. रमैया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पांच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के हाल में हुए सम्मेलन में किये गये निर्णयों की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं,

(ग) क्या यह सच है कि सम्मेलन में शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अधिक धनराशि आवंटित करने पर जोर दिया गया था,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं, और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) शिक्षा विषय को समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए।

(ii) शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृ-भाषा के माध्यम से ही शिक्षा में उत्कृष्टता को प्रोन्नत करने तथा समान आधार पर सभी क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित करने के लिए नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(iii) भारतीय शिक्षा सेवा को गठित करने का प्रस्ताव बन्द कर दिया जाना चाहिए।

(iv) केन्द्रीय सरकार को खेलों, एन.एस.एस., एन.सी.सी. पुस्तकालय सेवाओं आदि के विकास के लिए शत-प्रतिशत सहायता देनी चाहिए।

(v) केन्द्रीय सरकार को अपने बजट का 10 प्रतिशत शिक्षा के लिए आबंटित करना चाहिए और

(vi) देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुपात को क्षेत्रीय शिक्षा एकक खोली जानी चाहिए।

(ग) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह निर्धारित किया गया है कि यद्यपि वास्तविक अपेक्षाएं अनुश्रवण और पुनरीक्षा के आधार पर समय-समय पर परिकलित की जाएगी जबकि सातवीं योजना में नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा पर परिव्यय अनिवार्य सीमा तक बढ़ा दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से आगे यह राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत तक समान रूप से बढ़ जाएगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में तांदूर टाउन के लिए सीटों के आरक्षण का कोटा

2529. **श्री बी. तुलसी राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के तांदूर टाउन की जनता से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें उक्त स्टेशन से गुजरने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों में सीटों/बर्थों का आरक्षण कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

(ख) क्या इस टाउन के लिए तत्काल आरक्षण की व्यवस्था करने के संबन्ध में भी अनुरोध किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इस कस्बे और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को उक्त सुविधाएं सुलभ कराने के संबन्ध में वहां की जनता के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 102 सिकन्दराबाद, बम्बई मीनार एक्सप्रेस को छोड़कर तांदूर स्टेशन पर पहले से आबंटित किये गये आरक्षण कोटा का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। अन्य स्टेशनों पर इस गाड़ी के लिए आवंटित किए गए आरक्षण कोटा का पूरा उपयोग हो रहा है अतः तांदूर स्टेशन पर आरक्षण कोटा में वृद्धि करने हेतु कोई समायोजन करने की कोई गुंजाइश नहीं हैं। तांदूर स्टेशन पर कर्नाटक एक्सप्रेस के, जो लम्बी दूरी की एक सुपरफास्ट गाड़ी है, ठहराव की व्यवस्था को औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

औषधियों के मिश्रण का विपणन

2530. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औषधियों के मिश्रण के विपणन की अनुमति दिए जाने के मुख्य आधार क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री, (कुमारी सरोज खापर्डे) : औषधों के सम्मिश्रण की अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाए गए मुख्य मानदण्ड इस प्रकार हैं—:

(i) जब योगवाहिता हो, अर्थात जब सम्मिश्रण में किसी औषधि की सामान्य से कम खुराक मिलाने पर भी मिश्रित रूप में वह पूरा असर दिखाती हो।

(ii) जब मिलाने से प्रभावकारिता बढ़ जाती हो, अर्थात औषधियों को अलग-अलग देने पर उनकी जो प्रभावकारिता होगी, उसकी तुलना में उन्हें मिलाकर देने पर प्रभाव-कारिता बढ़ जाती हो ;

(iii) जब एक औषधि दूसरी औषधि के पार्श्व प्रभावों को कम करती हो ;

(iv) जब औषधियां किसी वांछित चिकित्सीय प्रभाव के लिए भिन्न तरह की क्रिया करती हों ;

(v) एक व्यापक आयामी क्रिया के लिए।

(vi) अनुपालन के लिए।

चलते-फिरते औषधालय शुरू करने का प्रस्ताव

2531. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चलते-फिरते औषधालय शुरू करने का प्रस्ताव है जिससे कि गांवों में रहने वाले लोगों को इसका फायदा हो सके, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में नीति और कार्यक्रम यह है कि उप-केन्द्रों,

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक जाल सा बिछा कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं जिससे कि गांव के लोग पर्याप्त सेवाएं प्राप्त कर सकें। वैसे, दृष्टिहीनता को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत चलती-फिरती नेत्र परिचर्या यूनिटों की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा शिक्षा को समयानुकूल बनाने के लिए मेडिकल कालेजों को भी चलती-फिरती यूनिटें उपलब्ध कराई गई हैं और इन चलती-फिरती वैनों का इस्तेमाल मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामिण क्षेत्रों में सेवाए प्रदान करने के लिए किया जाता है।

करवाड़ और हुबली के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण

2532 **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करवाड़ और हुबली के बीच रेल लाइन बिछाने संबन्धी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और सर्वेक्षण कार्य पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है,

(ग) इस रेल लाइन का निर्माण कार्य कब शुरू होगा, और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण 1987 में पूरा हो जाने की प्रत्याशा है मार्च 1986 तक 12.24 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और 1986-87 के लिए 21.66 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

(ग) और (घ) आगे की कार्यवाई पर विचार सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए किया जायेगा। लाइन की लम्बाई लगभग 191 कि. मी. है।

बड़ोदरा रेलवे स्टेशन का विस्तार

2533. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण बड़ोदरा रेलवे स्टेशन और उसके आस-पास के क्षेत्र का विकास करने तथा यात्रियों की सुविधाएं उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) यात्री सुविधाओं के लिए किए गए तथा प्रस्तावित उपाय इस प्रकार हैं :

1. प्लेटफार्म नं. 1 को चौड़ा करने का प्रस्ताव तथा प्लेटफार्म नं. 2 और 3 की छतों को बढ़ाने का काम प्रगति पर है।

2. आरक्षण कार्यालय के काम के घंटों में 2 घंटे की वृद्धि कर दी गयी है।

3. आरक्षण की सुविधा सहित सिटी बुकिंग ऑफिस खोल दिया गया है।

4. इस क्षेत्र में बढ़े हुए यातायात को सम्भालने के लिए एक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण को अनुमोदित कर दिया गया है।

राजधानी में नमूना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना

2534. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में खाने की वस्तुओं और आवश्यक औषधियों में मिलावट की घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि पकड़े गए नमूनों के तत्काल विश्लेषण के लिए कोई परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार, जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों और रसायनों में मिलावट के इस जोखिम को कारगर ढंग से रोकने के लिए राजधानी में सभी आधुनिक उपकरणों से सज्जित प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को दिल्ली औषध नियंत्रण प्रशासन से इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है कि पकड़े गए नमूनों के तत्काल विश्लेषण के लिए कोई परीक्षण प्रयोगशाला न होने के कारण राजधानी में औषधि अपमिश्रण के मामलों में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में खाद्य और औषध प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए कदम उठाए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार, जमीन खरीद ली गई है, नक्शे पास हो गए हैं और भवन के निर्माण के लिए धनराशि का आबंटन कर दिया गया है, निर्माण कार्य पूरा होने पर यह प्रयोगशाला काम करना शुरू कर देगी।

अमरावती पांढुरना नरखेड और दिल्ली के बीच रेल लाईन बिछाना

2535. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरावती-पांढुरना (नरखेड़) और दिल्ली के बीच एक नई सीधी रेल संपर्क सेवा आरम्भ करने के सम्बन्ध में पश्चिम विदर्भ अमरावती मण्डल से काफी अरसे से मांग की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) सुझायी गयी रेल लाइन की लम्बाई लगभग 135 कि.मी. होगी।

[हिन्दी]

न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल आयोग की सिफारिशें

2536. **श्री काली प्रसाद पांडेय :**

श्री शरद दिघे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल जांच आयोग की किन-किन सिफारिशों को सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) क्या जांच आयोग की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सिफारिशों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। जांच आयोग की रिपोर्ट को सूचकांक संख्या 629.13255 आर द्वारा संसदीय पुस्तकालय में रख दिया गया है। एम-5

विवरण

1. **इकाम्रो, इमाटा और राज्य :**

(क) वाणिज्यिक विमानों पर विस्फोट सामग्रियां ले जाने को रोकने के लिए स्थापित विमानन सुरक्षा मानकों की निरन्तर समीक्षा करें;

(ख) संबंधित सरकारों के सहयोग से समस्त विश्व के हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों की निगरानी और उनके कार्यान्वयन के कार्यक्रम बनाएं; जिस किसी हवाई अड्डे का अध्ययन किया जाए उसके निष्कर्ष सूचित किए जाएं और यदि किसी सुधार की आवश्यकता हो तो उसकी सिफारिश की जाए;

(ग) सुरक्षा उपायों में हुई गम्भीर खामियों की तफतीश के लिए नागर विमानन विशेषज्ञों का एक ग्रुप बनाने पर विचार किया जाए, इन तफ्तीशों का उद्देश्य घटना के तथ्यों का निर्धारण करना होगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की खामियों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक उपाय किए जाएं और उन्हें सारे विश्व में लागू किए जाएं;

नोट — क्योंकि इकाम्रो और इमाटा को ये सिफारिशें लागू करने में कुछ समय लग सकता है इसलिए कम से कम वे देश, जहां अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात होता है, अविलंब कारगर उपाय करें।

2. **इकाम्रो**

(क) सुरक्षा पर कोई ऐसी आदर्श शर्त तैयार करें, जो उन द्विपक्षीय हवाई करारों पर लागू की जा सके जिनके तहत देशों के बीच हवाई यातायात अधिकारों का विनिमय होता है;

(ख) सुरक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए मानक बनाने पर विचार करें ;

3. इम्फाल

मध्यवर्ती हवाई अड्डों पर एक हवाई कम्पनी से दूसरी हवाई कम्पनी द्वारा लिए गए यात्रियों और उनके सामान के भिजवाने के लिए कोई व्यवहारिक प्रक्रिया विकसित करें।

4. यदि यात्री के पास अगली वाहक उड़ान पर पुष्ट आरक्षण नहीं है तो जांच किए हुए सामान को एक हवाई कम्पनी से दूसरी हवाई कम्पनी द्वारा न भेजा जाए।

5. विमान में सामान लादने से पहले अगला वाहक एक हवाई कम्पनी से दूसरी कंपनी में लिए जाने वाले यात्रियों के सामान का मिलान यात्रियों से कर लें।

6. जब कभी किसी सरकार को कोई विशेष अत्यन्त जोखिमभरी सुरक्षा धमकी का पता चले तो वह इसकी सूचना न केवल उस हवाई कंपनी को दे जिसे खतरा है अपितु उन सभी एयरलाइनों को दे, जो इससे जुड़ी हों, ताकि सामान बदली करते समय खतरे के संभावित स्थलों पर अतिरिक्त सावधानी बरती जा सके।

7. जब किसी एयरलाइन्स को बड़ी सुरक्षा धमकी का पता चले तो वह इसकी सूचना भेजवान देश को दे दे, यदि संभव और उचित हो तो उस देश में परिचालन कर रही अन्य सभी एयरलाइनों को भी सूचित कर दें।

8. विमान में चढ़ने वाले द्वार पर यात्रियों की गणना की जाये और यदि कोई यात्री विमान द्वार पर न पहुँचे तो उसका सामान हरसूरत में विमान से उतार दिया जाये।

9. जिस सामान की जांच कर ली गई हो, भले ही वह जांच एक्सरे मशीन से की गई हो या न की गई हो, उसकी पहचान और मिलान विमान में सवार होने वाले यात्री से करा ली जाए यदि किसी सामान की इस प्रकार से पहचान न की गई हो तो उसे विमान से उतार देना चाहिए। इस बात की सलाह इसलिए दी जाती है क्यों कि एक्सरे मशीन की सहायता से जांचे गए सामान की जांच की भी सीमा होती है और यह त्रुटि रहित नहीं होती। रेडियो, कैमरों आदि में छिपा कर रखे गए कुछ विस्फोटक इन मशीनों से भी नहीं पकड़े जा सकते। दरअसल धातु के डिब्बे आदि में न रखे गए विस्फोटकों को यह मशीन नहीं पकड़ सकती। इसी प्रकार प्लास्टिक विस्फोटक को इस प्रकार की छद्म शक्ल प्रदान की जा सकती है जिससे कि वह एक्सरे मशीन की पकड़ में नहीं आ सकता। केवल एक्सरे मशीनों पर भरोसा करना सही सुरक्षा प्रदान करना नहीं है।

10. पी. डी. 4 उपकरण कारगर है या नहीं यह बात संदेहास्पद है। यह सलाह दी जाती है कि इस पर भरोसा न किया जाये।

11. साथ न ले जाए गए सामान की सभी वस्तुओं की जामा तलाशी लिए जाने के बाद उन्हें विमान में रख दिया जाए। दूसरे विकल्प के रूप में इसे तभी लादा जाना चाहिए जब इसे डिकम्प्रेशन चैम्बर में रख दिया जाए और मेजबान देश संतुष्ट हो कि सामान स्वच्छ है और शिपर्स की पहिचान कर ली गई है।

12. सुरक्षा संबंधी उपस्कर में यांत्रिक खराबी आ जाने की स्थिति में एयरलाइनों के पास कारगर सुरक्षा सहायक उपस्कर या प्रणाली उपलब्ध होनी चाहिए।

13. कर्मी-दल के सामान सहित सभी हाथ के सामान को खोला जाय और उसकी वस्तुओं की जामा तलाशी ली जाए चाहे उक्त सामान की एक्सरे जांच पड़ताल की जा चुकी हो। इसमें निःसंदेह समय लगेगा और यह श्रमसाध्य भी होगा लेकिन यदि सुरक्षा को सार्थक होना है तो सुरक्षित उड़ान के प्रयोजन के लिए कुछ असुविधा भी सहन करनी पड़ेगी।

14. विमान निर्माताओं का चाहिए कि वे विमान के संवेदनशील हिस्सों को विस्फोटकों से बचाने के लिए कारगर कदम उठाएं।

15. विमान में कार्गो एरिया से "एवियोनिक बे" और आपातकालीन आक्सीजन प्रणाली को वास्तविक रूप से अलग-अलग करने की संभाव्यता का अध्ययन किया जाए ताकि सामान में छिपाये गए छोटे विस्फोटक तत्व से विमान के इन संवेदनशील हिस्सों को क्षति न पहुँचाई जा सके और न नष्ट किया जा सके।

16. सीटों पर सुरक्षा पट्टी होनी चाहिए जो कि शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए रोधक का काम कर सके अर्थात् निश्चेष्ट रोधक युक्त स्कन्ध साज।

17. विमान की सीटों को डिजाइन इस प्रकार तैयार किया जाए कि उनमें आघात अवशोषक प्रणाली हो और इन सीटों का निर्माण ऐसी सामग्री से किया जाए जो आसानी से न टूटे।

18. काकपिट ध्वनि रिकार्डर के अलावा, काकपिट में वीडियो/वीक्षण कैमरा होना चाहिए जो काकपिट में गतिशीलता और श्रव्य ध्वनि को रिकार्ड कर सके। इससे इस बात के आलावा कि आपात स्थिति में पायलेट किस प्रकार कार्य करता है, विमान अपहरण के समय अपहरणकर्ताओं की पहिचान करने में भी सहायता मिलती है।

19. काकपिट ध्वनि रिकार्डर (सी.वी.आर.) उड़ान की संपूर्ण अवधि के दौरान न कि केवल अन्तिम 30 मिनट के लिए काकपिट में ध्वनि का संरक्षण करें।

20. सी.वी.आर. और डी.एफ.डी.आर. में ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों से शक्ति पहुंचाई जाए।

21. उड़ान कर्मीदल को आक्सीजन दो अलग-अलग श्रोतो से पहुँचाई जाए अर्थात् आपात

स्थिति में पायलटों और को-पायलटों को चाहिए कि वे अवलोकन आवरण को बंद कर दें और अवलोकन की सच्चाई दूसरे स्रोतों से की जाए।

22. अनुबंध-13 में उपयुक्त उपबंध जोड़ दिए जाएं जिससे अन्वेषक को जांच किए जाने वाले देश से बाहर साक्ष्य रिकार्ड करने का अधिकार मिल सके और विदेश से गवाहों को बुलाने का अधिकार मिल सके। संविदाकारी स्टेटों के लिए भी यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे अन्वेषक द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत करें।

[अनुवाद]

तमिलनाडु एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाना और जी. टी. एक्सप्रेस के रुकने के स्थानों की संख्या कम करना

2537. डा. पी. वल्लाल पेरूमान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का घटटी यात्रा सुविधा के अन्तर्गत मोटर वाहनों से यात्रा की अनुमति न देने के सरकारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए, जिनके कारण इस रेलगाड़ी से दक्षिण भारत की यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, नई दिल्ली और मद्रास के बीच तमिलनाडु एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार की जी. टी. एक्सप्रेस के बीच के स्टेशनों पर रूकने के स्थानों की संख्या कम करने का विचार है जिससे कि उसके यात्रा समय में कुछ सीमा तक कमी की जा सके?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना

2538. श्री सी. जंगा रेड्डी :

डा. ए. के. पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के समकक्ष अन्य ग्रामीण संस्थाओं की स्थापना के लिए ब्यौरा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो वे विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से किस प्रकार भिन्न होंगे,

(ग) ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय को कहां स्थापित किया जाएगा और कब तक स्थापित किया जायेगा तथा उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन विश्वविद्यालयों पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा और इस संबंध में क्या वित्तीय प्रावधान किये गये हैं; और

(ङ) क्या ये शिक्षा के अनौपचारिक केन्द्रों से सम्बन्धित होंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

एयर इंडिया द्वारा नये अन्तर्राष्ट्रीय वायु मार्गों पर विमान सेवायें आरम्भ करना

2539. **श्री ई. अय्यपू रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान एयर इण्डिया का किन नये अन्तर्राष्ट्रीय वायु मार्गों पर विमान सेवायें आरम्भ करने का विचार है;

(ख) क्या वर्ष 1987 से शिकागो, लांस एन्जलेस और डल्लास के लिए एयर इण्डिया की सीधी विमान सेवायें चलाने का विचार है;

(ग) रुपये की तुलना में डालर में टिकट खरीदने वाले एयर इण्डिया यात्रियों को कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है, और

(घ) एयर इण्डिया ने वर्ष 1985 और 1986 में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) स्कैन्डिनेवियन प्राधिकारियों द्वारा अनुमति दिए जाने की शर्त के अधीन मास्को के लिए चालू सेवाओं के विस्तार के रूप में एयर इण्डिया का विचार जनवरी, 1987 से स्टाकहोम के लिए सप्ताह में दो बार ए-310 विमान सेवाएं शुरू करने का है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एयर इण्डिया द्वारा रुपये की बजाय डालर में टिकट खरीदने के लिए यात्रियों को कोई छूट नहीं दी जाती है।

(घ) एयर इण्डिया ने वर्ष 1985-86 में 176.73 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की सागरमल और बीरबल शाखा नहरों के कार्य में प्रगति

2540. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंन्दिरा गांधी नहर को सागरमल और बीरबल शाखा नहरों की परियोजनाओं के सम्बन्ध में अब तक तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग द्वारा इस परियोजना

को स्वीकृति देने में विलम्ब किये जाने के कारण इसके निर्माण कार्य की प्रगति में रुकावट आई है;

(ग) सागरमल गोपा शाखा नहर को गदरा रोड तक बढ़ाने का कार्य कब तक पूरा कर दिये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त सहायता न मिलने के कारण उक्त परियोजना के कार्य की गति धीमी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) सागरमल शाखा तथा शहीद बीरबल शाखा के जल सप्लाई चैनल में मिट्टी कार्य की प्रगति क्रमश: 62% तथा 97% है इसके अतिरिक्त सागरमल गोपा शाखा नहर प्रणाली में 429 लाख घन फुट मिट्टी कार्य किया गया है। वर्ष 1986-87 में सागरमल गोपा शाखा पर 510 लाख घन फुट मिट्टी कार्य तथा 10 कि. मी. को पक्का करने और बीरबल शाखा नहर पर 200 लाख घन फुट मिट्टी कार्य तथा 0·50 कि. मी. पक्का करने का कार्यक्रम है। बाद के वर्षों के लिए कार्यक्रम निधियों की उपलब्धता के अनुसार तैयार किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) धन की उपलब्धता के अध्ययीन वर्ष 1994-95 तक।

(घ) चरण-दो के संशोधित अनुमान (1984) के अनुसार सागरमल गोपा प्रणाली की लागत 186.17 करोड़ रुपये तथा गदरा रोड उप-शाखा प्रणाली की लागत 65.89 करोड़ रुपए है।

(ङ) केन्द्रीय सहायता राज्यों को ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी परियोजना से जुड़ी नहीं होती है इसलिए केन्द्रीय सहायता के अभाव के कारण धीमी प्रगति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

चिकित्सीय नैदानिक एक्स-रे यूनिटों के प्रयोग के लिए सुरक्षा कोड

2541. **श्री एम रघुमा रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सीय नैदानिक एक्स-रे यूनिटों के प्रयोग क लिए कोई सेफटी कोड तैयार किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मानक संस्थान ने निम्नलिखित नैदानिक चिकित्सा एक्स-रे उपकरणों के लिए विनिर्देश तैयार किये हैं : (I) सामान्य और सुरक्षा आवश्यकताएं भाग 1 (आई. एस. :7620 का प्रथम संशोधन) मुद्रणाधीन (II) आई. एस. 7064-1973, दस किलो वाट से 400 किलोवाट पर चलने वाले चिकित्सा एक्सरे उपकरणों में विकिरण सुरक्षा के लिए विनिर्देश। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड ने चिकित्सा नैदानिक एक्सरे उपकरण और संस्थापन के लिए एक सुरक्षा कोड तैयार किया है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय नाविकों की दशा सुधारने के लिए उठाए गए कदम

2542. **श्री आई. रामा राव** : क्या जल-भूतल परिवाहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नन्दा समिति रिपोर्ट के बाद भारतीय नाविकों की दशा सुधारने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी, हां। नन्दा समिति की सिफारिश के अनुसार हैं नन्दा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है।

भारतीय नाविकों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए किये जा रहे विभिन्न उपायों में भारतीय नाविकों को 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अपना पंजीकरण स्थगन में रखने की अनुमति देने के प्रश्न पर विभिन्न मंचों पर विस्तार से विचार किया गया था ताकि बेरोजगार के गैर-भारतीय आर्टिकल्ज के तहत ठेके के आधार पर विदेशी जहाजों पर रोजगार प्राप्त कर सकें। यह मामला नाविक रोजगार बोर्ड की 3-1-1984 को हुई बैठक में विस्तृत जांच के लिए रखा गया था और इस बात पर आम सहमति हुई थी कि परिस्थितियों के अनुसार यह एक वांछनीय कदम होगा।

शुरू में, विदेशी जहाजों पर ठेके के आधार पर रोजगार के लिए भारतीय पंजीकृत नाविकों के चयन के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखाएं तैयार की गई थी। ऐसे नाविकों को लगाने के लिए 7 एजेंटों को अनुमति दी गई है अब तक 1149 पंजीकृत नाविकों को विदेशी जहाजों पर लगाया जा चुका है।

यातायात को अन्य पत्तनों की ओर मोड़ना

2543. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े पत्तन क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ यातायात को कुछ दूसरे पत्तनों की ओर मोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) निम्नलिखित पत्तनों ने सूचित किया है कि वे 1985-86 और 86-87 (अक्तूबर, 86 तक) के दौरान कतिपय कार्गों के मामले में अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक कार्य करते रहे हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:—

पत्तन का नाम	कार्गो	प्रतिशत उपयोग (85-86)	86-87 (अक्तूबर, 86 तक)
कडला	जनरल कार्गो	134.10	139.05
बम्बई	जनरल कार्गो	125.90	133.24
न्यू मंगलूर	जनरल कार्गो	128.80	122.14
टूटीकोरिन	थर्मल कोयला	102.90	108.64
परादीप	जनरल कार्गो	166.35	243.0
हल्दिया	पी. ओ. एल.	145.56	—

(ग) और (घ) जनरल कार्गो मुख्यतः प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा आयातित किये जाते हैं जिनके परेषिती/परेषित जहाजों को दूसरे पत्तन पर भेजने के बारे में निर्णय लेते हैं। जहां तक सरकार की ओर से आयातित जनरल कार्गो/शुष्क बल्क कार्गो का सम्बन्ध है, पत्तनों के बीच ट्रेफिक का आवंटन मंत्रालय द्वारा कार्गो के युक्तिसंगत वितरण विषयक स्थाई समिति की तिमाही बैठकों में प्रयोक्ता एजेंसियों के परामर्श से किया जाता है। इस समिति में प्रयोक्ता मंत्रालय और पत्तनों के प्रतिनिधि होते हैं।

राज्यों को बच्चों के लिये विटमिन "ए" के अन्तर्राष्ट्रीय यूनिटों का वितरण

2544. **श्रीमती डी. के. भंडारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन के पैरा 3-1-1 में कहा गया है कि बच्चों में अन्धेपन की रोकथाम के उपाय के रूप में हर छः महीने के बाद एक से पांच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दो लाख अन्तर्राष्ट्रीय यूनिट विटामिन "ए" दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विटामिन

"ए" के कितने अन्तर्राष्ट्रीय यूनिट वितरित किये गये है और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्या लक्ष्य और उपलब्धि निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या विटामिन "ए" के अन्तर्राष्ट्रीय यूनिटों का राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार वितरण किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सिक्किम राज्य की आवश्यकता क्या थी और उसे कितनी मात्रा दी गई और कितने प्रतिशत आवश्यकता पूरी की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सईदा खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) 1985-86 के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार विटामिन "ए" का वितरण, उनके लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) औषधि की उपलब्धता के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें अपने यथा सम्भव लक्ष्य प्राप्त करने के लिये औषधियां दी गई हैं।

(घ) सिक्किम की आवश्यकता विटामिन "ए" की 0.4 लाख खुराक थी और उससे 0.23 लाख अर्थात 57.5 प्रतिशत व्यक्ति लाभान्वित हुए।

विवरण

विटमिन "ए" की कमी के कारण अन्धेपन से रोकथाम

(लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86 के दौरान सप्लाई की गई विटामिन "ए" की मात्रा	1-4-85 का स्टाक	लक्ष्य 1985-86	उपलब्धि 1985-86
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	46.8	0.0	25.0	18.22
2.	असम	6.0	2.25	4.0	3.27
3.	बिहार	14.8	0.98	8.8	5.25
4.	गुजरात	36.0	9.25	18.0	15.97
5.	हरियाणा	12.0	1.9	6.0	8.09
6.	हिमाचल प्रदेश	6.0	0.7	3.0	5.01*
7.	जम्मू और कश्मीर	6.0	0.0	3.0	2.25*

2	3	4	5	6
8. कर्नाटक	48.7	4.3	23.0	37.17*
9. केरल	14.8	10.9	15.0	24.40*
10. मध्य प्रदेश	17.0	0.357	17.0	22.70
11. महाराष्ट्र	23.0	20.0	23.0	20.54
12. मणिपुर	4.0	0.8	1.0	0.08
13. मेघालय	1.88	0.6	1.0	0.95*
14. नागालैंड	2.0	0·0	1.0	0.09
15. उड़ीसा	20.0	6.2	16.0	13.71
16. पंजाब	10.0	0.7	5.0	13.11*
17. राजस्थान	20.0	12.0	10.0	10.34*
18. सिक्किम	1.3	1.06	0.2	0.23*
19. तमिलनाडु	22.6	72.51	22.0	31.87
20. त्रिपुरा	2.0	0.0	1.0	0.16
21. उत्तर प्रदेश	45.99	36.2	23.0	45.70*
22. पश्चिम बंगाल	37.5	7.83	17.0	8.20
23. अण्डमान और निकोबार दीव	0.1	0.2	0.05	0.05
24. अरुणाचल प्रदेश	0.1	0.5	0.05	0.36*
25. चण्डीगढ़	0.1	0.0	0.1	0.10
26. दादरा और नगर हवेली	0.10	0.004	0.05	0.04
27. दिल्ली	1.0	0.1	0.5	0.86
28. गोवा	1.0	0.06	0.5	0.77*
29. लक्षद्वीप	0.1	0.3	0.05	0.05
30. मिजोरम	0.13	0.04	0.1	1.06*
31. पांडिचेरी	0.65	शून्य	0 2	0.4

* लाभार्थियों को पहली बार आरम्भ में, बाद में और अन्त में दी गई कुल खुराकें।

पुराने सुरेन्द्र नगर जंक्शन का भवन

2545. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराने सुरेन्द्र नगर जंक्शन का भवन कितने वर्षों से बिना उपयोग के पड़ा हुआ है,

(ख) भवन किस सीमा तक-खराब हो गया है, और

(ग) क्या सरकार ने इन परिसरों में एक स्कूल की स्थापना करने की स्वीकृति देने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है, यदि हां, तो इन भवनों का किस कार्य के लिए उपयोग किया जायेगा।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पुराने सुरेन्द्र नगर जंक्शन की इमारत का जून, 1980 से उपयोग नहीं हो रहा है।

(ख) हालत में मामूली सी खराबी आई है।

(ग) जी हां। इन इमारतों के उपयोग के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

जयपुर-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस का डीजलीकरण करना और वातानुकूलित टू-टीयर कोच चलाना

2546. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग का विचार जयपुर-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस का डीजलीकरण करने का है,

(ख) क्या सरकार का विचार इस गाड़ी में टू-टीयर वातानुकूलित कोच लगाने का है,

(ग) क्या दिल्ली-बीकानेर और बीकानेर जयपुर गाड़ियों में भी टू-टीयर वातानुकूलित कोच जोड़ने का विचार है,

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उत्पादन कारखानों से ऐसे सवारी डिब्बे प्राप्त होने के बाद चुनिंदा लम्बी दूरी की गाड़ियों और महत्वपूर्ण मीटर लाइन की गाड़ियों में वातानुकूल शयनयान लगाने की योजना है। फिलहाल कोई निर्धारित समय नहीं बताया जा सकता है।

[अनुवाद]

अलवर में रेल ऊपरि पुल

2547. **श्री राम सिंह यादव** : क्या रेल मंत्री अलवर रेलवे स्टेशन के पास ऊपरि पुल के निर्माण के बारे में 24 जुलाई, 1986 के तारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलवर में रेल ऊपरि पुल का निर्माण तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और क्या मंत्रालय इस परियोजना को अपने निर्माण कार्यक्रम में शामिल करेगा;

(ख) क्या शहरी विकास ट्रस्ट अलवर, इस परियोजना के लिए अपने हिस्से की राशि देने के लिए सहमत हो गया है और राजस्थान सरकार का हिस्सा भी वित्तीय एजेंसियों से ऋण लेकर जुटा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) अलवर में ऊपर सड़क पुल का निर्माण तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक है। रेलवे और राज्य सरकार संयुक्त रूप से प्रस्ताव की जांच कर रही हैं।

(ख) जी हां। यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए फिलहाल, प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के प्रवर्तन कर्मचारियों को दिए जाने वाले खुराक भत्ते को बढ़ाना

2548. **श्री अजय कुमार यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के प्रवर्तन कर्मचारियों को अनन्तिम भत्ते के भुगतान में असंगति के बारे में 5 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मात्स्यिकी विभाग के अन्तर्गत पोतों पर कार्यरत प्रवर्तन कर्मचारियों को मिलने वाले खुराक भत्ते को चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे अन्तर्देशीय जल परिवहन विभाग के प्रवर्तन कर्मचारियों के खुराक भत्ते की दर मात्स्यिकी विभाग के प्रवर्तन कर्मचारियों को दिए जा रहे खुराक भत्ते के बराबर बढ़ाये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के फ्लाटिंग स्टाफ को दिए जा रहे प्राविजन एलाउंस की दर बढ़ाने के प्रश्न पर पहले विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले पर चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा जिसकी कि जल्दी ही आशा थी तथापि चतुर्थ वेतन आयोग ने अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के फ्लाटिंग स्टाफ को दिए जा रहे प्राविजन एलाउन्स के विषय में कोई सिफारिश नहीं की है।

हुबली हवाई अड्डे पर वायुदूत सेवा संचालन हेतु स्थापना सुविधाएं

2549. **श्री डी. के. नायकर** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने वायुदूत सेवा आरम्भ करने के लिए हुबली हवाई अड्डे पर आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

खान पान व्यवस्था में भारत पर्यटन विकास निगम की विशेषज्ञता हासिल करने के लिए रेलवे द्वारा उन्हें धनराशि का भुगतान

2550. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में खान-पान की नई योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने और/अथवा उसे लागू करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के साथ सर्वेक्षण करने हेतु करार के समय और उनके अधिकारियों को यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों के रूप में कितनी धनराशि दी गई और अन्य क्या सुविधाएं दी गई;

(ख) क्या रेलवे को खान-पान के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) खान-पान व्यवस्था में सुधार लाने के सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम को परामर्श शुल्क के रूप में देय 5 लाख रुपयों में से 1.25 लाख रुपयों का भुगतान करार के समय कर दिया गया था और बाद में 1.25 लाख रुपये का भुगतान पुनः किया गया था, रेलों पर यात्रा करने के लिए उनके अधिकारियों को यात्राभत्ता/दैनिक भत्ता के रूप में 18,735 रुपये का भी भुगतान किया गया है।

(ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम को खान-पान व्यवस्था में रेलवे से बेहतर विशेषज्ञता प्राप्त है।

औषधियों पर प्रतिबन्ध

2551. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में प्रतिबन्धित की गई औषधियों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन औषधियों के हानिकारक प्रभाव क्या थे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) 1984-86 की अवधि में सरकार ने निम्नलिखित औषधों/औषध मिश्रणों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाई है :—

औषध का नाम	कारण
1. मीथाक्वालोन	औषध के दुरुपयोग से हानि होने की संभावना।
2. ऑक्सीटेट्रासाइक्लीन मुंह से ली जाने वाली तरल दवाई	दांतों का रंग खराब होना और दीर्घाधियों का विरलीकरण।

1	2
3. डिमेक्लोसाइक्लीन मुंह से ली जाने वाली तरल दवाई	दांतों का रंग खराब होना और दीर्घास्थियों का विरलीकरण।
4. अन्य औषधियों के साथ एनाबोलिक स्टिरॉयड्स का मिश्रण।	एनाबोलिक स्टिरॉयड्स का प्रयोग कुछ निर्दिष्ट लक्षणों के लिए बताया जाता है। अन्य औषधियों के साथ एनाबोलिक स्टिरॉयड्स के मिश्रण का दुरुप्रयोग हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप एनाबोलिक स्टिरावड्स के पुस्त्वभवन (मेस्कुलिनाइजेशन) स्त्रीपुंवता आदि जैसे विशिष्ट अनुषंगी प्रभाव हो जाते हैं।

बिना औषधि के इलाज तथा स्वास्थ्य लाभ की अन्य चिकित्सा पद्धतियों को सरकारी मान्यता देने के बारे में अपील

2552 **श्री पी. एम. सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई में अगस्त में हुए आल इण्डिया नेचुरल थिरेपीज कांग्रेस के सम्मेलन की कार्यवाहियों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिना औषधि के इलाज तथा स्वास्थ्य लाभ की अन्य चिकित्सा पद्धतियों को सरकारी मान्यता देने के बारे में सरकार को कोई अपील प्राप्त हुई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को बम्बई में अगस्त में हुए आल इण्डिया नेचुरल थिरेपीज कांग्रेस के सम्मेलन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सिंचाई मंत्रियों का सम्मेलन

2553. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले आरंभ की गई सिंचाई परियोजनाओं को इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से निकालने के राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार कर रही है;

(ख) क्या नई दिल्ली में आयोजित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सिंचाई और जल संसाधन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में इस पहलू पर चर्चा की गई थी; और

(ग) परियोजना आयोजना के पर्यावरण एवं पुनर्वास पहलुओं और प्रारम्भिक चरणों के सम्बन्धों में किये गये निर्णयों सहित उसमें किये गये निर्णयों का ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) सम्मेलन ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि पर्यावरणिक तथा पुनर्वास संबंधी पहलुओं को परियोजना की आयोजना के प्रारम्भिक स्तरों पर ध्यान में रखा जाना चाहिए और सिफारिश की कि जिस प्रकार की जांच अब केन्द्रीय स्तर पर की जाती है वैसी ही जांच करने के लिए राज्य स्तर पर पर्यावरणिक मूल्यांकन समिति स्थापित की जानी चाहिए तथा ऐसी समिति की स्वीकृति के पश्चात् ही परियोजनाएं केन्द्र की स्वीकृति हेतु भेजी जानी चाहिएं।

एड्स रोग के नए जीवाणु की खोज

2554. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधानकर्त्ताओं ने हेरेस्पस जैसे एक नए जीवाणु की खोज की है जिससे एड्स रोग होता है;

(ख) क्या यह जीवाणु संक्रामक है; और

(ग) यदि हां, तो एड्स रोग के संक्रमण के बारे में जनता को शिक्षित करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) एड्स बायरस के कारण पैदा हुए गम्भीर इम्यून अवसाद के कारण एड्स के रोगी अनेक किस्म के यदा-कदा संक्रमणों—परोपजीवी, जीवाणु, (बैक्टीरियल) और विषाणु—से पीड़ित होते हैं। सामान्य किस्म का परिसर्प (हर्पीज) संक्रमण एड्स रोगियों में एक जाना-माना यदा-कदा संक्रमण माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान-कर्त्ताओं ने हाल ही में सूचित किया था कि यदा-कदा संक्रमण के शिकार एड्स रोगियों में एक नया परिसर्प (हर्पीज) जैसा विषाणु हाल ही में पाया गया था। वैसे, यह विषाणु एड्स रोग का कारण नहीं है। परिसर्प तथा एड्स दोनों के विषाणु सांसर्गिक होते हैं।

(ग) एड्स संक्रमण के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए भारत सरकार ने निम्न-लिखित उपाय किए हैं :—

1. चिकित्सा कर्मचारियों को एड्स संक्रमण के बारे में सूचनाएं देने के लिए कार्यशालाएं तथा संगोष्टियां आयोजित की गई थीं। इन चिकित्सा कर्मचारियों ने बाद में इस नये रोग के बारे में अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं और सामूहिक परिचर्चाएं आयोजित की। इन चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों ने अब एच. आई. वी. संक्रमण को कम करने,

नियन्त्रित करने तथा रोकने के उपायों के सम्बन्ध में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए हैं।

2. विभिन्न एजेन्सियों द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा पैम्फलेट्स तैयार किए गये हैं ताकि एड्स संक्रमण को रोकने तथा नियंत्रित करने के बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके।

3. एड्स संक्रमण को रोकने तथा नियन्त्रित करने के संदेश प्रसारित करने के लिए प्रचार साधनों का इस्तेमाल किया गया है।

पुणे और कलकत्ता के बीच बरास्ता दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी सेवा

2555. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र विशेषकर पुणे के लोगों ने, पुणे और कलकत्ता के बीच बरास्ता दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की बारंबार मांग की है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त रेलगाड़ी चलाने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त रेलगाड़ी सेवा चलाने में कौन सी बाधाएं/कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कालका-वसी रेल लाइन

2556. **श्री एस. जी. घोलप** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोलवा वसी रेल लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है और उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) कालका-वशी (तुर्मे) रेल लाइन के निर्माण कार्य में अभी तक 25 प्रतिशत की प्रगति हुई है। इस रेल लाइन का पूरा होना नगर औद्योगिक विकास निगम द्वारा, जो इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था कर रही है, सुलभ कराये गये संसाधनों पर निर्भर करेगा।

बम्बई-रायपुर जाने वाले विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

2557. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

श्री सुभाष यादव : क्या **नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स का बम्बई-रायपुर जाने वाला विमान, जिसमें 51 यात्री सवार थे, जब 23 अक्तूबर, 1986 को इन्दौर हवाई अड्डे पर उतरा तो सभी यात्री आश्चर्यजनक ढंग से बच गये और विमान क्षतिग्रस्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ग) क्या उक्त दुर्घटना की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इण्डियन एयर-लाइन्स का एच एस-748 विमान वीटी-इएटी 23 अक्तूबर, 1986 को इन्दौर पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

(ख) प्रारंभिक सूचना के अनुसार, दुर्घटना निचली स्थिति में लाक करने वाले नोज लैंडिंग गियर के फेल हो जाने के कारण हुई थी।

(ग) और (घ) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

"बायें को बजाए दाहिने गुर्दे का आपरेशन" शीर्षक में प्रकाशित समाचार

2558. **श्री शांति धारीवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दैनिक समाचार पत्र "जनसत्ता" के 18 अगस्त, 1986 के अंक में "बायें की बजाए दाहिने गुर्दे का आपरेशन" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है, और

(ग) यदि इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री ((श्रीमती सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी हां। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा इस मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि रोगी के दोनों गुर्दों अर्थात दाएं गुर्दे में एक पथरी और बाएं गुर्दे में बहुत सी पथरियां थीं। चूंकि रोगी का दाहिना ओर का गुर्दा ठीक से काम नहीं कर रहा था इसलिए इलाज करने वाले डाक्टर ने, जो कि सर्जरी के कन्सलटेंट थे, विवेकपूर्ण और वैकल्पिक आधार पर दाहिने गुर्दे का पहले आपरेशन करने का निर्णय लिया।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय का स्थान

2559. **श्री पी. कुलनवेई वेलू** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित अन्तर्देशीय जल-भूतल प्राधिकरण का मुख्यालय किसी दक्षिण के राज्य में रखने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सालयों के प्रबन्ध स्तर में सुधार के उपाय

2560. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की तरह केवल चिकित्सालयों के लिए, उच्चस्तरीय प्रबन्धकों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) देश में चिकित्सालयों के प्रबन्ध-स्तर में सुधार करने के लिए कौन-कौन से अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) अस्पताल प्रबन्ध के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सर्वोच्च प्रबन्धक, मध्यम प्रबन्धक और अवर प्रबन्धक वर्ग के कार्मिकों के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली के सहयोग से विषय परिचायक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

कोटा-गुना रेल मार्ग

2561. **श्री बुधार सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटा-गुना रेल लाइन कब बिछाई गई थी और इसके निर्माण के समय से इसमें क्या सुधार किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : कोटा-गुना रेल लाइन 1899 से 1909 तक की समयावधि के दौरान बिछाई गई थी। रेल पथ संरचना, क्रासिंग स्टेशनों और यात्रियों के लिए सुविधा कार्यों के सम्बन्ध में बहुत से सुधार किए गए हैं।

बम्बई मंगलोर के बीच बरास्ता गोवा रेल लाइन बिछाना

2562. **श्री जी. मूपति :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई-मंगलोर के बीच बरास्ता गोवा रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया था, यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कार्य पूरे कर लिए गए हैं; और

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और इसका कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) बम्बई के छोर से रोहा तक रेल लाइन चालू हो गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत निर्धारित करने तथा समग्र परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए रोहा और मंगलोर के बीच विभिन्न खंडों हेतु सर्वेक्षण और पूर्ववर्ती सर्वेक्षणों को अद्यतन करने के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सर्वेक्षण पूरे हो जाने के बाद आगे की कार्यवाही पर विचार करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दक्षिण रेलवे को आंदोलन के कारण हुई हानि

2563. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेंकटस्वामी द्वारा प्रस्तुत की गई पिछड़े वर्ग सम्बन्धी रिपोर्ट के सम्बन्ध में बंगलोर-मैसूर में अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1986 के दौरान हुए आन्दोलन के कारण दक्षिण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : बेंगलूर-मैसूर क्षेत्र में आन्दोलन के कारण रेलों को कुल लगभग 5.81 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

सफदरजंग हस्पताल में आक्सीजन सिलेन्डरों का खाली पड़े रहना

2564. **डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग के आपातकालीन विभाग में अक्सीजन के सिलेन्डर प्राय: बिना भरे हुए/खाली पड़े रहते हैं और जरूरत के समय रोगियों को आक्सीजस नहीं मिल पाता;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में स्वास्थय विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई अवसर नहीं होता जब आपाती विभागों में आक्सीजन के सिलिन्डर खाली पड़े रहते हों जिसके परिणामस्वरूप आक्सीजन न होने के कारण रोगियों को तकलीफ होती हो जब कभी सिलिन्डर खाली हो जाता है तो सैंट्रल आक्सीजन सप्लाई केन्द्र से भरा हुआ सिलिन्डर लेकर उसे बदल दिया जाता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

दरभंगा समस्तीपुर और सकरी हसनपुर रेल लाइन

2565. **श्री राम भगत पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा-समस्तीपुर बड़ी रेल लाइन और सकरी-हसनपुर छोटी रेल लाइन न बिछाये जाने के विरोध में शुरू किए गए आन्दोलन में अभी तक कितने संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों ने भाग लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि इन दोनों रेल लाइनों को बिछाने के लिए मिट्टी की खुदाई का काम शुरू करने के लिए दस वर्ष पूर्व एक सर्वेक्षण किया गया था और इस कार्य का उद्घाटन भी किया गया था परन्तु मिट्टी की खुदाई का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है; और

(ग) क्या सरकार उत्तरी बिहार के पिछड़ेपन और इस सम्बन्ध में इस क्षेत्र की जनता में फैले व्यापक असंन्तोष को ध्यान में रखते हुए इन लाइनों का कार्य शीघ्र आरम्भ करेगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) मालूम नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) समस्तीपुर और दरभंगा के बीच आमान परिवर्तन करने की बजाय समानान्तर बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण के पूरा हो जाने पर आगे कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जायेगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। सकरी-हसनपुर नई लाइन पर कार्य करने के बारे में संसाधनों की स्थिति में सुधार हो जाने पर ही विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ अधिकारियों का विदेशों को दौरा

2566. **डा. सुधीर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त सचिव के पद पर मंत्रालयों के ऐसे कितने वरिष्ठ अधिकारी हैं जो गत 3 महीनों के दौरान विदेशी दौरे पर गए; और

(ख) प्रत्येक अधिकारी द्वारा दौरा किए गए देशों के नाम क्या हैं, वे वहां कितने समय तक ठहरे और प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च हुई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) पिछले तीन महीनों में विदेश गए संयुक्त सचिवों और उनसे ऊपर के पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के नाम दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3264/86]

इनालिजम मिश्रित दर्दनाशक और ऐंठनरोधी औषधियों का मिश्रण

2567. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दर्दनाशक तथा ऐंठनरोधी अन्य औषधियों में एनालिज्म का मिलाया जाना घातक सिद्ध हुआ है;

(ख) क्या सरकार इस मिश्रित औषधि के विपणन पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें दर्दनाशक और ऐंठन-रोधी औषधियों में एनाल्जिन का मिलाया जाना घातक सिद्ध हुआ हो।

(ख) और (ग) अतएव, इस प्रकार की मिश्रित औषधि के विपणन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

शारीरिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन

2568. **श्री तेजा सिंह डर्डी :**

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शारीरिक प्रशिक्षण के विकास पर विशेष ध्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावित योजना की क्या रूपरेखा है;

(ग) क्या इस शीर्ष के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 300 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस धनराशि को खर्च करते समय पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय खेल नीति—1984 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 में खेलों और शारीरिक शिक्षा कार्यकलापों में सभी छात्रों द्वारा भाग लेने और उन कार्यकलापों को अध्ययन प्रक्रिया के साथ जोड़ने के महत्व पर बल दिया गया है।

शारीरिक शिक्षा, योगों और खेल कार्यकलापों से शारीरिक स्वस्थ्यता आती है, अत: केन्द्रीय क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना में कुल 200 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन है। इसमें अवस्थापना के सृजन और वास्तविक खेल कार्यकलापों की प्रोन्नति और शारीरिक शिक्षा और योग के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि सहित खेलों की प्रोन्नति का प्रावधान है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी इन कार्यकलापों पर व्यय करती है।

[अनुवाद]

बल्क माल को कम तोलने वालों गिरोह

2569. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल ही में एक

ऐसे संगठित गिरोह का पता लगा है जो बल्क सामान को लांदने से पूर्व उसे कम तोलता था और विमानों की सुरक्षा को खतरा पैदा करता था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस गिरोह में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय नौवहन निगम के पूंजी ढांचे का पुनर्गठन

2570. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन लिमिटेड का भारतीय नौवहन निगम में विलय के पश्चात् निगम के पूंजी ढांचे का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां । भारतीय नौवहन निगम ने एक प्रस्ताव पेश किया है । सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

चम्पाकारा नहर का विकास

2571. **प्रो. के. वी. थाम्स** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एर्णाकुलम में चम्पाकारा नहर के दोनों किनारे तलकर्षण के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, चम्पाकारा नहर के किनारों को बचाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या नीदरलैण्ड सरकार की सहायता से चम्पाकारा और कोचीन जलमार्ग को विकसित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) एर्नाकुलम में चम्पाकारा कैनाल की दोनों साइड क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, स्थानीय व्यक्तियों के विरोध के कारण चैनेज 500 से 540 मीटर और चैनेज 620 मीटर से 1300 मीटर के 720 मीटर के छोटे प्रखंड को छोड़कर

कैनाल के विकास से प्रथम चरण के लिए सन् 1971 में संस्वीकृत निकर्षण कार्य दिसम्बर 1982 में पूरा कर लिया था। कैनाल की साइडों का संरक्षण कार्य भी किया गया था। विकास के द्वितीय चरण में कैनाल को नौगम्य बनाने के लिए इसकी बकाया ड्रेजिंग मई, 1986 में स्वीकृत की गई थी जहां दोनों ओर की अगली ड्रेजिंग, के साथ-साथ फेंडर, पाइल्स, टर्मिनल सुविधाओं और चिनाई संरक्षण कार्यों समेत कैनाल की साइड्स का संरक्षण कार्य भी किया जाना है।

(ग) और (घ) 445.00 लाख रु. की कुल लागत पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में चम्पाकारा और कोचीन जलमार्गों समेत केरल के अन्तर्देशीय जलमार्गों पर प्रयोग हेतु नीदरलैंड सरकार की वित्तीय सहायता से एक ड्रेजर और एक वाटर हायसिंथ हार्वेस्टर खरीदने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इस स्कीम के लिए नीदरलैंड सरकार से 175.00 लाख रु. की राशि की तकनीकी सहायता के लिए विचार किया गया है।

पश्चिम रेलवे में चलाई गई नई रेल गाड़ियां और आगे तक बढ़ाई गई रेल गाड़ियां

2572 **श्रीमती पटेल रमाबेन :**

रामजी भाई मावणि :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 से अब तक गुजरात में पश्चिम रेलवे पर कितनी नई रेलगाड़ियां चलाई गई अथवा कितनी रेलगाड़ियां आगे तक बढ़ाई गई हैं,

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे पर कितनी रेलगाड़ियां को मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदला गया है, और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माचराव सिन्धया) : (क) और (ख) 153/154 अन्तर्नगरीय एक्सप्रेस को राजकोट और अहमदाबाद के बीच शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त 139/140 बोरीवली-धानूरोड शटल का चालन संजान तक और 99/100 भरुच-बलसाड पैसेंजर को दाहानु रोड तक बढ़ा दिया गया है। 145/146 नवजीवन एक्सप्रेस की बारंबारता को सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 4 दिन कर दिया गया है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकें

2573. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा की नई पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्य-पुस्तकें आगामी शैक्षिक वर्ष से उपलब्ध किये जाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकें चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी। कक्षा I, III और VI के लिए पाठ्य-पुस्तकें रा. शै. अ· प्र. परि० द्वारा तैयार की जा रही हैं और ये मार्च, 1987 तक उपलब्ध हो जायेंगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्प्यूटर विज्ञान में प्रगति के लिए गणित की शिक्षा

2574. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगामी वर्षों में कम्प्यूटर विज्ञान में भारत की प्रगति के लिए गणित की शिक्षा अत्यावश्यक है;

(ख) क्या गणित के विशिष्ट पाठ्यक्रमों के प्रति सामान्यत: पर्याप्त संख्या में छात्रों की रुचि नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रवृति के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या गणित की शिक्षा के लिए विशिष्ठ संस्थाओं की व्यवस्था और विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी और गणित को अधिक रुचिकर बनाने के लिए माध्यमिक स्कूलों के स्तर पर गणित की शिक्षण पद्धति में परिवर्तन किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) गणित पाठ्क्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या में किसी प्रकार के विशिष्ट ह्रास की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत, गणित की "बच्चे को विवेकशील मनन करने, उसका विश्लेषण करने तथा तर्क संगत रूप से स्पष्ट वक्ता बनाने में प्राशक्षित करने वाले एक साधन के रूप में" कल्पना की गई है। गणित के अध्यापन की यह दिशा प्रदान करने और उसे रुचिकर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम विकसित किये जायेंगे।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेलों से न जुड़े हुए शहर

2575. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य में उन मुख्य शहरों के नाम क्या हैं जहां पर इस समय रेल लाइनें नहीं हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : राजस्थान के प्रमुख शहर रेल लाइनों से पहले ही जुड़े हुए हैं ।

[अनुवाद]

कुष्ठरोग और अन्धेपन की रोकथाम के लिए धनराशि का आवंटन और उठाये गये कदम

2576 **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा अन्धेपन की रोकथाम के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त प्रयोजना के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कुष्ठ रोग और अन्धेपन के कितने मामले पता चले; और

(घ) कुष्ठ रोग तथा अन्धेपन की रोकथाम के लिए उड़ीसा में उठाये गये कदमों का ब्यौर क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 3265/86**]

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कुष्ठ और दृष्टिहीनता के पता लगाये गये रोगियों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	मोतियाबिन्द के आपरेशनों की संख्या	पता लगाये गये कुष्ठ रोगियों की संख्या
1	2	3
1983-84	17,500	36,599

1	2	3
1984-85	18.345	31,975
1985-86	19,250	31,114

(घ) कुष्ठ रोग पर नियन्त्रण रखने और दृष्टिहीनता की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

1. भारत सरकार ने शिविरों का आयोजन करके और विभिन्न स्तरों पर बेहतर विशेषज्ञता वाली स्थाई नेत्र परिचर्या सुविधाएं प्रदान करके, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी उपाय भी शामिल हैं, जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए 1976 में देश भर में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है ।

2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में जहां इस रोग की व्यापकता प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे 5 और इससे अधिक है, वटिकल कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिसमें बहु-औषध उपचार पद्धति से इलाज किया जाता है और अन्य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ के माध्यम से चलाया जा रहा है । उड़ीसा के गंजम और पुरी जिलों को पहले ही बहुऔषध उपचार चिकित्सा कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है । शीघ्र ही दो और जिलों अर्थात कटक और मयूर भंज में बहुऔषध उपचार पद्धति शुरू करने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय को अनुदान देना बन्द करना

2577. **प्रो. रामकृष्ण मोरे : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अनुदान बन्द कर दिये जाने से धन की कमी के कारण राष्ट्रीय गांधी सग्रहालय निष्क्रिय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय अनुदान बन्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रपिता की बहुमूल्य वस्तुओं के रखरखाव और संरक्षण के लिए अनुदान को पुन: चालू करने का है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, जो सोसाइटीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक प्राइवेट संग्रहालय है, संस्कृति विभाग द्वारा संचालित वित्तीय सहायता को योजनाओं के अन्तर्गत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए समय-समय पर अमूल्य अनुदान प्राप्त करता रहा है ।

[हिन्दी]

भारत महोत्सव से अर्जित विदेशी मुद्रा की धनराशि

2578. **श्री दिलीप सिंह भूरिया:** क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका और फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सवों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : पेरिस और संयुक्त राज्य अमरीका मे आयोजित उत्सव मेलों के दौरान हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं और भारतीय खाद्य वस्तुओं की बिक्री से अर्जित विदेशी मुद्रा 52.15 लाख रु. के बराबर थी। हथकरघा, हस्तशिल्प और वस्त्र सम्बन्धी वस्तुओं के 295.25 लाख रुपए के आर्डर भी अब तक पूरे किये जा चुके हैं।

[अनुवाद]

सिंचाई के नये तरीकों को विकसित करना

2579. **श्री सुभाष यादव** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा आसानी से अपनाये जाने वाले सिंचाई के नये तरीकों को विकसित किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। इनमें सीमा-पट्टियों, बजर तथा अर्ध-बन्जर क्षेत्रों में जल कटाई तकनीकों, फसल बढ़ने के प्रारम्भिक चरण में सिंचाई के लिए जल का इष्ठतम उपयोग तथा छिड़काव और ड्रिप प्रणालियों के उपयोग जैसे विभिन्न सतही सिंचाई विधियों के लिए उपयुक्त अभिकल्प विनिर्देशों का अपनाया जाना सम्मिलित है।

जम्मू और कश्मीर के लिए वायुदूत सेवाएं

2580. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू से पूंछ, जम्मू से राजौरी और जम्मू से किश्तवार और भद्रवाह तक वायुदूत सेवा आरम्भ करने का कोई स्वीकृत प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं को अब तक आरम्भ न करने के क्या कारण हैं और उपर्युक्त वायुदूत सेवायें किस तारीख से चलाये जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) अपेक्षित अनुमति मिल जाने पर और राजौरी, पूंछ और किश्तवार में आवश्यक आधार-भूत

सुविधाओं का विकास हो जाने पर, वायुदूत की वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इन स्टेशनों के साथ-साथ जम्मू को हवाई-मार्ग से जोड़ने की योजनाएं हैं।

तथापि भादर्वा को हवाई मार्ग से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

समेकित बाल विकास और परिवार कल्याण संबंधी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी

2581 **श्री कृष्ण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21-22 अक्तूबर, 1986 को राजधानी (दिल्ली) में समेकित बाल विकास योजना और परिवार कल्याण संबंधी एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो विचारगोष्ठी में क्या मुख्य विचार व्यक्त किए गए और क्या सुझाव दिये गए; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) सेमिनार की मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन टिप्पणियों और सिफारिशों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाएगा।

विवरण

समेकित बाल विकास सेवा और परिवार कल्याण पर राष्ट्रीय सेमिनार में दिए गए सुझाव और टिप्पणियां।

1. समेकित बाल विकास सेवा और परिवार कल्याण कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक और परस्पर सहायक होने चाहिए और इनका एक दूसरे के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग परिवार कल्याण सम्बन्धी संदेश देने के लिए किया जाए

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बंधीकरण लक्ष्य निर्धारित करने की बजाय परिवार कल्याण के गैर-बंधीकरण तरीके अपनाने के आधार तैयार करने में उनकी भूमिका का समर्थन किया जाए और उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

4. परिवार कल्याण विभाग में उपलब्ध सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों के विस्तृत आधारभूत ढांचे का उपयोग समेकित बाल विकास सेवा समूह के लिए किया जाए।

5. देश के और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा का विस्तार किया जाना।

समेकित बाल विकास सेवा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जन शिक्षा घटक को और अधिक कारगर और परिणामवादी बनाने के लिए उसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

6. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के स्वास्थ्य, पोषाहार और बाल देखभाल घटक को सुदृढ़ बनाया जाए। इस प्रयोजन के लिए उनके पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा समीक्षा की जाए।

7. गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन की नई योजना की ऐच्छिक और प्रायोगिक आधार पर आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं द्वारा आजमाइश की जाए। इस कार्य के लिये सहायक नर्स मिडवाइफ (ए एन एम) और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा व्यापक प्रक्रिया (मकेनिजम) विकसित की जानी चाहिए।

8. प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम पुन: शुरू किया जाए ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अधिक समेकित तरीके से समुदाय को शिक्षित कर सकें।

9. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ए. एन. एम. स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दाइयों की भूमिका और कार्यों को परिभाषित किया जाए ताकि दोनों कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्यों को प्रभावित किए बिना समेकित बाल विकास सेवा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

सागर शहर में पैदल पुल और रेलवे बुकिंग कार्यालय

2582. **श्री डाल चन्द्र जैना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागर शहर के लिए पैदल पुल और शहर वाले छोर पर रेलवे बुकिंग कार्यालय का निर्माण कार्य, जो पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये हैं, कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है, और

(ख) क्या जन हित को ध्यान में रखते हुए, इस कार्य को वर्ष 1987-88 के बजट में शामिल किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय सागर स्टेशन पर शहर की ओर एक पैदल पुल सहित नये बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था करने के काम को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने हेतु एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

दमदम हवाई अड्डे के निकट स्वर्णकार पट्टी के सुनारों की बेदखली

2583. **श्री हन्नान मौल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्रो रेलवे प्राधिकरण दम दम स्टेशन के निकट "स्वर्णकार पट्टी" के सैकड़ों सुनारों को बेदखल कर रहा है,

(ख) क्या यह सच है कि ऐसा करने से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जायेंगे,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी,

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ङ) मेट्रो रेलवे, कलकत्ता को दम दम स्टेशन नई इमारत हेतु परिचलन क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए परिसर संख्या 91,91/1 और 91/3 बी, साउथ सिंधी रोड, कलकत्ता का, जिसे स्वर्णकार पट्टी के रूप में भी जाना जाता है, अधिग्रहण किया जा रहा है क्योंकि स्टेशन इमारत के सामने उपलब्ध मौजूदा क्षेत्र यात्रियों और वाहन यातायात के कारगर परिचालन के लिए प्रर्याप्त नहीं है।

मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 के तहत इन परिसरों का अधिग्रहण किया जा रहा है और इस अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मालिकों की आपत्तियों पर विधिवत् विचार किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे के बारे में निर्णय किए जाने पर इन परिसरों के मालिकों को भुगतान किया जाएगा।

इस विषय में बहुत से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार किया गया है और अभ्यावेदनकर्त्ताओं को कहा गया है कि उनके परिसरों का अधिग्रहण अपरिहार्य है।

इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में भोजन/अल्पाहार की सप्लाई के लिए ठेके

2584. **प्रो. सैफुउदीन सोज** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एअरलाइन्स की उड़ानों में यात्रियों को भोजन/अल्पाहार सप्लाई करने के लिए विभिन्न लोगों को ठेके किस प्रकार दिये जाते हैं;

(ख) इस समय खाद्य पदार्थ सप्लाई करने वाले लोगों के नाम क्या है; और

(ग) क्या ठेकेदारों और इन्डियन एअरलाइन्स के प्राधिकारियों के बीच कोई मध्यवर्ती एजेंसियां भी हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भोजन/अल्पाहार सप्लाई करने के ठेके इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा प्रसिद्ध होटलों के मालिकों और "फ्लाइट किचनों से टेंडर मांगने के आधार पर दिए जाते हैं।

(ख) इस समय इन वस्तुओं की सप्लाई करने वाली पार्टियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में यात्रियों को इस समय खाद्य वस्तुओं की सप्लाई कर रही पार्टियों के नाम।

पूर्वी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र
1	2	3	4
1. कलकत्ता —भारत पर्यटन विकास निगम होटल —केथेलेन होटल	1. दिल्ली —होटल सम्राट (भारत पर्यटन विकास निगम) —शैंफियर फ्लाइट किचन (एच. सी. आई) —ताज फ्लाइट किचन —ओबराई फ्लाइट किचन	1. मद्रास —ताज कोरमंडर —वैलकल ग्रुप फ्लाइट कैटरिंग ग्रू अडह. पार्क होटल	1. बम्बई —ताज फ्लाइट किचन —ओबराई फ्लाइट सेवा —शैंफियर फ्लाइट किचन (एच. सी. आई.) —होली डे इन —वैलकम ग्रुप (ग्रू होटल सी रौक)
II. बाह्य स्टेशन —गौहाटी —होटल पारादीप —पटना —एयरपोर्ट रैस्टोरेंट —बांगडोगरा—डिप्टी रैस्टोरेंट —अगरतला —एयरपोर्ट रैस्टोरेंट —जोरहाट —होटल पारादीस —भुवनेश्वर —होटल प्राची	II बाह्य स्टेशन —अमृतसर —एयरपोर्ट रैस्टोरेंट —भोपाल —एयरपोर्ट रैस्टोरेंट मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम —चन्डीगढ —एयरपोर्ट रैस्टोरेंट —जयपुर —होटल केसा कोट।	II. बाह्य स्टेशन —बंगलौर —भारत पर्यटन विकास निगम अशोक फेसता रैस्टोरेंट कोचीन —कसिनो होटल त्रिची —असबे होटल	II. बाह्य स्टेशन —पुणे —होटल ब्लू डाइमन्ड —गोवा —मजरदा बीच ओबराई बोगेमलो बीच —मंगलौर —सुमेर सम्द्र होटल न्यू उडलेन —इन्दौर —एयरपोर्ट रैस्टोरेंट

1	2	3	4
—रांची— एयरपोर्ट रेस्टोरेंट	(राजस्थान राज्य)	कोयम्बतूर—होटल सीटी	—बडोदा —होटल एक्सप्रैस
—पोर्ट ब्लेयर--होटल बे आईस लैंड	होटल कारपोरेशन)	टावर परिक्षण	—अहमदाबाद —होटल करनाबेली
—डिबरूगढ़ —स्वागत कैटरर	जम्मू —एयरपोर्ट रैस्टोरेंट	के आधार पर)	—कामा होटल
	जोधपुर—उमेद भवन (वैलकम ग्रुप)	--त्रिवेन्द्रम—भारत पर्यटन	—नागपुर —अशोक फूड
	लखनऊ —होटल क्लार्क अवध	विकास निगम	प्रोसेसिंग और
	एयरपोर्ट फ्लाइट किचन	कोवलम	पैकेजिंग यूनिट
	एयरपोर्ट फ्लाइट —हैदराबाद—क्वालिटी		
	रैस्टोरेंट	रैस्टोरेंट	
		—एयरपोर्ट रेस्टोरेंट	
	—रायपुर —ज्योति कैटरर	—विशाखापतनम-ए. पी. पर्यटन विकास	
	—उदयपुर —लक्ष्मी विलास	कारपोरेशन होटल	
	प्लेस होटल —मदुरै	—आई. टी. डी. सी.	
	(आई. टी. डी. सी.)	अशोक	
	—वाराणसी—होटल वाराणसी		
	अशोक (आई. टी. डी. सी.)		

मराठवाड़ा क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं

2585 **श्री प्रकाश पी पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में मराठवाड़ा क्षेत्र के स्थायी रूप से पिछड़े हुए तथा सूखा पीड़ित क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए कोई केन्द्रीय परियोजनाएं तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ान संख्या 829 को रद्द करना

2586. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अक्तूबर, 1986 को दिल्ली से डेहरान (संउदी अरब) को जाने वाले एयर इन्डिया की उड़ान संख्या 829 को अन्तिम समय में रद्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) सऊदी अरब के लिए इस उड़ान से कुल कितने यात्रियों को यात्रा करनी थी;

(घ) क्या यह सच है कि इस उड़ान से यात्रा करने वाले कई यात्रियों के बीजा की अवधि 18 अक्तूबर 1986 या उसके कुछ दिन बाद समाप्त हो रही थी; और

(ङ) यदि हां, तो इन यात्रियों को विमान से भेजने के लिए एयर इन्डिया ने क्या कार्यवाही की ताकि वे बीजावधि की समाप्ति से पूर्व वहां पहुँच सकें और अपने बीजा की अवधि को बढ़वा सकें तथा इसके क्या परिणाम रहे ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) एयर इन्डिया की उड़ान संख्या ए आई-829 रद्द नहीं की गई थी। इस उड़ान को जिसे बम्बई-दिल्ली देहरान मार्ग पर बोइंग 747 विमान द्वारा प्रचालन के लिए निर्दिष्ट किया गया था, एयरबस ए-310 विमान के साथ दिल्ली को छोड़ते हुए, प्रचालन के लिए फिर से अनुसूचित किया गया।

(ग) (घ) और (ङ) इस उड़ान द्वारा दिल्ली से 30 यात्रियों को यात्रा करनी थी। इनमें से केवल दो यात्रियों की बीजावधि 18 अक्तूबर, 1986 को समाप्त होनी थी इन दो में से एक यात्री को एयर इन्डिया की अन्य उड़ान द्वारा 17 अक्तूबर, 1986 को ही बम्बई पहुँचाने का प्रबन्ध किया गया जो 18 अक्तूबर, 1986 को सऊदी अरेबीयन एयरलाइन्स की उड़ान से जोड़ती थी और वह बीजा की अवधि समाप्त होने से पहले ही सऊदी अरब पहुंच गया था। दिल्ली स्थित साऊदी अरेबीयन दूतावास को सम्बोधित एक पत्र के आधार पर दूसरे यात्री की बीजावधि बढ़ा दी गई और उसने 19 अक्तूबर, 1986 को एयर इन्डिया की उड़ान द्वारा साऊदी अरब के लिए यात्रा की।

रेलवे स्टेशनों पर माल बेचने के ठेके

2587. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय कुछ स्टेशनों पर माल बेचने के ठेके, ठेकेदारों को सौंपे गए हैं जबकि दूसरे स्टेशनों पर ये ठेके विभागीय स्टाफ को दिए गए हैं, और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) 2987 स्टेशनों पर खान-पान/बेडिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें से 72 स्टेशनों पर खान-पान सेवाओं का प्रबन्ध विभागीय तौर पर होता है। 45 स्टेशनों पर सेवाओं की व्यवस्था आंशिक रूप से रेलवे और आंशिक रूप से ठेकेदारों द्वारा की जाती है और शेष 2870 स्टेशनों पर ठेकेदारों द्वारा व्यवस्था की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायता अनुदान

2588. **सैयद सहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शैक्षिक संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों के रूप में मानयता दी गई है;

(ख) गत अकादमिक वर्ष के दौरान उनके रजिस्टर में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या क्या थी;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त प्रत्येक संस्था को कितनी सहायता अनुदान दिया गया; और

(घ) क्या उपयुक्त अधिनियमन द्वारा इन संस्थाओं में से किसी संस्था को पूर्णतः विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जामिया मिलिया इस्लामिया को संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत संवैधानिक विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने से एक सम्बन्धित प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

विवरण

विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं के नाम, उनमें दाखिल छात्रों की संख्या और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान इन संस्थाओं को दिए गए अनुदान

क्रम सं.	संस्था का नाम	छात्रों का नामांकन		सहायक अनुदान (रुपये लाख में)
		स्नातक	स्नातकोत्तर	
1	2	3	4	5
1.	बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पिलानी	1289	883	31.53

1	2	3	4	5
2.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली (राजस्थान)	630	185	11.66
3.	*केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद	—	—	106.18
4.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	1078	96	37.60
5.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	297	125	103.65
6.	गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद	301	79	95.90
7.	गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार	285	161	71.61
8.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।	234	314	1245.57
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।	—	174	0.35
10.	भारतीय खान स्कूल धनवाद	411	118	224.80
11.	**भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर।	—	—	0.58
12.	जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली	12 6	350	254.87
13.	आयोजन और वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली।	267	181	0.70
14.	श्री सत्य साई उच्च अध्ययन संस्थान, प्रशान्ति निलयम (हैदराबाद)।	353	70	38.76

1	2	3	4	5
15.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बम्बई	—	171	121.83
16.	अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान बम्बई	उपलब्ध नहीं		
17.	थापर इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला ।	757	188	7.00
18.	†बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, राची ।			

†केवल डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए है ।

**केवल अनुसंधान सुविधाओं के लिए है ।

*बिरला प्रौद्योगिक संस्थान, मेसरा, रांची 1985-86 में विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था नहीं थी ।

"ओरोविले" में विदेशी नागरिक

2589. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ओरोविले" में इस समय कुल कितने लोग रह रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने विदेशी नागरिक हैं;

(ग) "ओरोविले" के प्रशासन में उनकी क्या भूमिका है;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी नागरिक उनके बीजा की अवधि समाप्त हो जाने पर भी ओरोविले में रह रहे हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ विदेशी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तिब्बिया और आयुर्वेदिक कालेजों में प्रवेश

2590 **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों में प्रवेश सामूहिक प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या सामूहिक परीक्षा के परिणामस्वरूप तिब्बिया और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियों की सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता;

(ग) 1985-86 के दौरान देश में मान्यता प्राप्त तिब्बिया और आयुर्वेदिक कालेजों में कुल कितनी अधिकृत सीटें थीं; और

(घ) इन सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं !

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के पाठ्यक्रमों में दाखिला सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाता है।

(ख) और (ग) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-4-1985 को देश के विभिन्न कालेजों में आयुर्वेदिक और यूनानी डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता क्रमशः 3872 और 675 थी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि इन सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सीरीफोर्ट की दीवारों का नष्ट होना

2591. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐतिहासिक सीरी फोर्ट पर कथित अतिक्रमण के समाचारों की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप उसकी दीवारें क्रमबद्ध रूप से नष्ट हो रही हैं; और

(ख) क्या सरकार ने अतिक्रमण को हटाने और किले की दीवारों को और नष्ट होने से बचाने के लिए कोई सुधारात्मक कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नर सिंह राव) : (क) सीरी फोर्ट दीवार का कुछ हिस्सा और शाहपुर जाट गांव के सम्मुख का इसका संलग्न क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है। कुछ स्थानों पर दीवार को क्षति हुई है।

(ख) सम्बन्धित एजेंसियों से विचार विमर्श करके समुचित कार्रवाई करने के लिए अतिक्रमण को हटाने का प्रश्न पहले ही विचाराधीन है और अतिक्रमण एवं फोर्ट दीवारों की क्षति को रोकने के लिए प्रभावकारी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

"लैपसेज इन दि रेड-क्रास वर्किंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2592. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22-अगस्त, 1986 के स्टेटसमैन में "लैपसेज इन दि रेड-क्रास वर्किंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार को समाचार-पत्र में छपी इस रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) गृह मंत्रालय से पता चला है कि भारतीय रेड क्रास सोसायटी ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम को कुछ तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया था जो कि सोसायटी के ध्यान में लाई गई थी। सोसाइटी अब इन अपेक्षाओं को पूरा कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय पोषाहार नीति के लिए प्रस्ताव

2593. **श्री एन. डेनिस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पोषाहार नीति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं और किन-किन क्षेत्रों के लिए पोषाहार कार्यक्रम अत्याधिक उपयोगी रहेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी नहीं, इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों को एच. एम. टी. घड़ियां देना

2594. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे ने 9 नवम्बर, 1983 को कुछ पर्यवेक्षी और शिल्पी कर्मचारियों को एच. एम. टी. घड़ियां देने के आदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को घड़ियां सप्लाई की गई हैं;

(ग) क्या अन्य रेल जोनों के ऐसे कर्मचारियों को भी इसी तरह घड़ियां दी जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं !

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) पश्चिम रेलवे ने कतिपय कोटियों के कर्मचारियों को हाथ-घड़ी सप्लाई करने के सम्बन्ध में 10-2-1982 को अनुदेश जारी किये थे।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) ऐसे अनुदेश मौजूद है कि प्रत्येक क्षेत्रीय प्रशासन, यदि सेवा के हित में औचित्यपूर्ण हो तो, घड़ियों की कीमत किस्तों में वसूल करके किसी भी कोटि को घड़ियों की सप्लाई की सुविधा पाने का पात्र नामजद कर सकता है।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर आरक्षण के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग

2595 **श्री अमिताभ बच्चन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद रेलवे आरक्षण कार्यालय में आरक्षण के लिए लोगों को लम्बी कतारों में प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई बार यात्रियों के पास आरक्षण टिकटें होने के बावजूद भी उनके नाम आरक्षण चार्टों में नहीं होते हैं;

(ग) क्या इलाहबाद रेलवे आरक्षण कार्यालय में आरक्षणों के लिए कम्प्यूटर प्रयोग करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि पहले चरण में आरक्षण के संगणकीकरण की परियोजना केवल चार महानगरों में शुरू की गई है, जहां आरक्षण का कार्य-भार बहुत अधिक है।

अहटा-रोहा पश्चिम तट कोंकण रेलवे

2596. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह घोषणा की है कि अहटा-रोहा, अहटा और मंगलौर के बीच पश्चिम तट कोंकण रेलवे की योजना का भाग है;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्तावित रेल लाइन का दोनों ओर से विस्तृत सर्वेक्षण करने की घोषणा भी की है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना में इस लाइन के और विस्तार में क्या प्रगति होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) आप्ता-रोहा, आप्ता और मंगलौर के बीच पश्चिम तट कोंकण लाइन का ही भाग होगी।

(ख) जी हां।

(ग) सर्वेक्षण पूरे हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उत्तर रेलवे की गाड़ियों का डीजलीकरण करना

2597. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन द्वारा उत्तर रेलवे की गाड़ियों के डीजलीकरण के किसी चरणबद्ध कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली/नई दिल्ली को नंगल डैम से जोड़ने वाली 53-अप और 54-डाउन हिमाचल एक्सप्रेस और जालन्धर शहर जाइजोल दोआबा, जालन्धर और पठानकोट तथा जालन्धर और होशियारपुर के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियों का डीजलीकरण कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंदिया) : (क) से (ग) भारतीय रेलों के पास डीजल इन्जनों की भारी कमी है। अतः इस समय इन गाड़ियों का डीजलीकरण करने के बारे में कोई संभावित तारीख नहीं बताई जा सकती।

रेलवे प्रयोक्ता समितियां

2598. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता समिति सात क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता समितियां और विभिन्न मंडलों के लिए मंडलीय रेलवे प्रयोक्ता समितियां गठित की गई हैं,

(ख) यदि हां, तो उन समितियों के नाम क्या हैं, जिनका अभी तक गठन नहीं किया है और वे कितने समय से अस्तित्व में नहीं रही हैं,

(ग) राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता समिति, उत्तर रेलवे प्रयोक्ता समिति और दिल्ली और फिरोजपुर मंडलों के लिए मडलीय रेलवे प्रयोक्ता समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं और किन तारीखों को इनका गठन किया गया है और प्रत्येक समिति का कार्यकाल तथा प्रत्येक में किस-किस वर्ग के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं, और

(घ) इन समितियों के विचारार्थ विषय और मुख्य कृत्य क्या हैं तथा उनकी बैठकों के लिए निर्धारित अन्तराल क्या है और प्रत्येक समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ?

रेल मंत्रायय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों का 1.1.86 से 31.3.88 तक की अवधि के लिए और मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का 1.3.86 से 31.12.87 तक की अवधि के लिए गठन किया गया है। बहरहाल, राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद का इस समय गठन किया जा रहा है। यह परिषद 1.7.1980 से अस्तित्व में नहीं थी।

(ग) और (घ) संलग्न विवरण I और II में आवश्यक सूचना दी गयी है।

विवरण I

1. उत्तर रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता 'परामर्श समिति (1.1.86 से 31.3.88) के सदस्य

सदस्यों के नाम	प्रतिनिधित्व
1. श्री सुन्दर लाल, संसद सदस्य	भारतीय संसद (लोक सभा)
2. श्री चिरंजी लाल शर्मा, संसद सदस्य	-वही-
3. श्री जसवंत सिंह, संसद सदस्य	-वही-(राज्य सभा)
4. श्री एस. रणजीत सिंह बलियां, विधायक डाकखाना बलियां	पंजाब राज्य विधान सभा
5. श्री लीला कृष्ण चौधरी, विधायक, फतेहबाद (हिसार)	हरयाणा राज्य विधान सभा
6. श्री नेहर सिंह, विधायक, गांव व डाकखाना कलोटी (शिमला)	हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा
7. श्री प्यारा सिंह, विधान परिषद् सदस्य, डाकखाना आर. एस. पोरा (जम्मू)	जम्मू व कश्मीर राज्य विधान सभा
8. श्री जीवराज सिंह राठोर, विधायक, श्री गंगानगर	राजस्थान राज्य विधान सभा
9. नाम की प्रतीक्षा है	उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा
10. श्री बाबू राम सोलंकी, सदस्य, महानगर परिषद	महानगर परिषद, दिल्ली
11. सचिव, पंजाब सरकार, परिवहन विभाग	पंजाब सरकार
12. सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला	हिमाचल प्रदेश सरकार
13. सचिव (परिवहन), परिवहन विभाग, हरयाणा सरकार, चण्डीगढ़	हरयाणा सरकार
14. श्री के. सी. राणा, जम्मू	जम्मू व कश्मीर सरकार
15. क्षेत्र विकास आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर	राजस्थान सरकार
16. नाम की प्रतीक्षा है	उत्तर प्रदेश सरकार
17. सचिव, परिवहन, दिल्ली प्रशासन	दिल्ली प्रशासन

1	2
18. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, मेरठ	चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, उत्तर प्रदेश, मेरठ
19. श्री एस. एल. भान, श्रीनगर	कश्मीर चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री, श्रीनगर
20. श्री जसवंत राय, नयी दिल्ली	पंजाब, हरियाणा एण्ड दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, दिल्ली
21. श्री चम्पा लाल सलेचा, जोधपुर	मारवाड़ चैंबर आफ कामर्स एड इण्डस्ट्री, जोधपुर
22. श्री रमेश श्रीवास्तव, कानपुर	दी अपर इण्डिया चैंबर आफ कामर्स, कानपुर
23. श्री एस. पी. पांडेय, इलाहाबाद	रेलवे पैसेंजर्स सेफ्टी एण्ड एमिनिटिज एसोसियेशन आफ इण्डिया, इलाहाबाद
24. श्री बी. सी. वर्मा, पानीपत	दी डेली रेलवे पैसेंजर एसोसियेशन, पानीपत (रजिस्टर्ड)
25. श्री एम. पी. गुप्ता, नयी दिल्ली	भारतीय खाद्य निगम
26. श्री के. एस. मुखार्या, नयी दिल्ली	भारतीय उर्वरक निगम
27. श्री मनि राम बिश्नोई, फतेहाबाद, हिसार, हरयाणा	कृषि हित
28. श्रीमती श्यामलता मिश्र, कानपुर	मं.रे.उ.प. समिति, इलाहाबाद
29. श्री मोहम्मद जमान आरिफ, बीकानेर	मं.रे.उ.प. समिति, बीकानेर
30. श्री एस.के. दास, मेरठ कैंट	मं.रे.उ.प. समिति, दिल्ली
31. श्री अजीत मल भंडारी, जोधपुर	मं.रे.उ.प. समिति, जोधपुर
32. श्री मातू राम, मुक्तसर (पंजाब)	मं.रे.उ.प. समिति, फिरोजपुर
33. श्री प्रेम किशोर कपूर, वाराणसी	मं.रे.उ.प. समिति, लखनऊ
34. श्री मोहम्मद असलम, मुरादाबाद	मं.रे.उ.प. समिति, मुरादाबाद
35. श्री ब्रह्म प्रकाश गुप्ता, चर्खीदादरी (हरयाणा)	विशेष हित
36. श्री नवाब सिंह यादव, लखनऊ	-वही-
37. श्री भरत गांधी, डोडा (जम्मू व कश्मीर)	विशेष हित
38. श्री हजारी लाल रिंवा, अबोहर (पंजाब)	-वही-
39. श्री जगन्नाथ शास्त्री, नयी दिल्ली	-वही-

1	2
40. श्री के.एन. सिंह, मथुरा	विशेष हित
41. श्रीमती रत्ना, अमृतसर	-वही-
42. श्री जवेन्दर नाथ कौल लखनऊ	-वही-
43. श्री तेज बहादुर सिंह, प्रतापगढ़	-वही-
44. श्री आर.एस. सूरी, नयी दिल्ली	-वही-
45. श्री सूबेदार प्रभु सिंह, भिवानी (हरयाणा)	-वही-
46. श्री जी.एम. मीर, जम्मू	-वही-
47. श्री तमल कांति घोष, लखनऊ	-वही-

II. **दिल्ली मंडल की मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति (1.3.86 से 31.12.87) के सदस्य**

1. श्री भरत सिंह, संसद सदस्य	भारतीय संसद (लोक सभा)
2. श्री आनन्द शर्मा, संसद सदस्य	-वही- (राज्य सभा)
3. हरयाणा सरकार के संयुक्त सचिव, चंडीगढ़	हरयाणा सरकार
4. श्री गोपी मोहन श्रीवास्तव, उप सचिव (लो.नि वि.), लखनऊ	उत्तर प्रदेश सरकार
5. हिमाचल प्रदेश सरकार के उप सचिव (जी.ए.डी.) शिमला	हिमाचल प्रदेश सरकार
6. डा.ए.सी. वत्स, सदस्य महानगर, परिषद, दिल्ली	दिल्ली प्रशासन
7. श्री आर.डी. धमीजा, विधायक, अम्बाला कैंट	हरयाणा राज्य विधान सभा
8. श्री योगीन्द्र चन्द, विधायक, शिमला	हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा
9. श्री बाबू राम सोलंकी, सदस्य महानगर परिषद, नयी दिल्ली	दिल्ली महानगर परिषद
10. श्री विनीत विरमानी, नयी दिल्ली	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैंबर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री
11. श्री बलराम सूरज, मण्डी गोबिन्दगढ़	आर ई-रोलर्स काउन्सिल आफ इण्डिया
12. श्री राम स्वरूप अग्रवाल, नयी दिल्ली	दिल्ली पेट्रोलियम प्रोडक्टस डीलर्स एसोसियेशन

13. श्री एस.के. दास, मेरठ कैंट	वेस्टर्न यू.पी. चैंबर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री
14. श्री रवीन्द्र जोशी, भटिंडा	नार्दनरन इण्डिया काटन एसो.
15. श्री डी.आर. जौहर, यमुनानगर, जि. अम्बाला	बल्लारपुर पेपर इण्डस्ट्री लि., यमुनानगर
16. श्री आर.के. नैन, सोनीपत, हरियाणा	दैनिक रेल यात्री संघ रजि. सोनीपत
17. श्री एस.एन. अग्रवाल बहादुरगढ़, जि. रोहतक (हरियाणा)	सैंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाइज एसोसियेशन
18. श्री मनमोहन सिंह लिबरेहन, चण्डीगढ़	विशेष हित
19. श्री राजेन्द्र दत्त, दिल्ली	-वही-
20. श्री एम.एल. परीक, पो.आ. बहादुरगढ़	-वही-
21. श्री मोहन जोशी, नई दिल्ली	-वही-
22. श्री मातू राम, भिवानी (हरियाणा)	-वही-
23. चौधरी घजी राम, जीन्द (हरियाणा)	-वही-
24. सेठ श्री किशन दास, रोहतक (हरियाणा)	-वही-
25. श्रीमती किरणबाला जैन, अंबाला शहर	-वही-
26. पंडित दौलत राम शर्मा, चण्डीगढ़	-वही-
27. चौधरी दलीप सिंह. नयी दिल्ली	-वही-
28. मास्टर प्रकाश चंद शर्मा, आ. तथा पो. रायसरी (हि.प्र.)	-वही-
29. संयुक्त निदेशक (इनपुटस), एफ.आई.सी.सी., नयी दिल्ली	विशेष हित

III फिरोजपुर की मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति (1.3.86 से 31.12.87) के सदस्य

1. प्रो. सैफूदीन सोज, संसद सदस्य	भारतीय संसद (लोक सभा)
2. श्री एच.एस. हंसपाल, संसद सदस्य	-वही- (राज्य सभा)

3. उप सचिव (जी.ए.डी), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला	हिमाचल प्रदेश सरकार
4. निदेशक, रेल संचलन, जम्मू/श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर सरकार
5. श्री सजवार सिंह, विधायक, ग्रा. मेघा राय, जि. फिरोजपुर	पंजाब विधान सभा
6. डा. मिल्खी राम गोमा, विधायक, शिमला	हिमाचल प्रदेश विधान सभा
7. श्री मोहम्मद शफी, सदस्य विधान परिषद, जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा
8. श्री हरलाल अग्रवाल, लुधियाना	पंजाब कोल मर्चेण्टस एसोसिएशन, लुधियाना
9. श्री महावीर प्रसाद नवातिया, अबोहर	अबोहर काटन एण्ड ग्रेन मर्चेण्टस एसोसियेशन, अबोहर
10. श्री जे.एल. राहेजा, लुधियाना	चेम्बर आफ इण्डस्ट्रियल एंड कमर्शियल अन्डरटेकिंग, लुधियाना
11. श्री अनिल कुमार, जालन्धर सिटी	स्पोर्टस गुडस एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, जालन्धर
12. श्री वाई.वी. शर्मा, जम्मू	चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)
13. श्री वेद प्रकाश गुप्ता, लुधियाना	वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, लुधियाना
14. श्री जे.सी. धींगरा, अमृतसर	दैनिक यात्री एसोसियेशन, अमृतसर
15. श्री इन्द्र राज सेठी, लुधियाना	दी पैसेंजर ट्रेफिक रिलीफ एसोसियेशन, लुधियाना
16. श्री मातू राम, भूतपूर्व विधायक, अमुक्तसर	विशेष हित
17. श्री नरेन्द्र कुमार गोयल, फिल्लौर	-वही-
18. श्री गुलाब सिंह, जोगिन्द्रनगर (हि. प्र.)	-वही-
19. श्री इकबाल सिंह (मुका), अमृतसर	-वही-
20. सरदार तारा सिंह, लुधियाना	-वही-
21. शेख गुलाम रसूल, श्रीनगर	-वही-
22. श्री गुलाम हैदर शेख किश्तवार (जम्मू व कश्मीर)	-वही-
23. श्री राम आसरे शर्मा, जम्मू	-वही-

24. सेठ मनोहर लाल, अबोहर (पंजाब)	विशेष हित
25. श्री बूटा राम आजाद, दिल्ली	-वही-
26. श्री इन्द्र मोहन वालिया, गांव और पोस्ट आफिस डेहरा (हि.प्र.)	-वही-

विवरण II

रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों के विचारार्थ विषय और कार्य-कलाप

1. मण्डल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियां

मण्डलों में रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समितियां उस रेल द्वारा सेवित क्षेत्रों के स्थानीय उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनसे सम्बन्धित मामलों पर विचार करती हैं :—

(1) जिस क्षेत्र से समिति सम्बन्धित हो उस क्षेत्र में सुविधाओं की व्यवस्था।

(2) समिति के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले नये स्टेशनों को खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

(3) समय सारणियों के सम्बन्ध में प्रबन्ध।

(4) रेलों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं में सुधार।

(5) सामान्य जनता के हित या सार्वजनिक सुविधा का कोई भी विषय या ऐसे मामले जो कि सेवाओं और सुविधाओं को प्रभावित करते हों और जिनके सम्बन्ध में उपयोगकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हों या ऐसे मामले जो क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ताओं सलाहकार समितियों, राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् या प्रशासन द्वारा विचार किये जाने के लिए उनके पास भेजे जाते हैं।

2. क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति

प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति उस रेलवे द्वारा सेवित प्रदेश या क्षेत्र का पूरे तौर पर प्रतिनिधित्व करती है और निम्नलिखित विषयों पर विचार करती है।

(1) ऊपर उल्लिखित ऐसे सभी मामले जो समग्रतः उस क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

(2) मण्डल समितियों की रिपोर्टों से उद्भूत विषय, या अन्य ऐसे विषय जो ऊपर उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित हैं, जो कि विशेष रूप से मण्डल समितियों को विचारार्थ भेजे गये हों, और

(3) रेल प्रशासन द्वारा या रेल मंत्रालय द्वारा या राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद द्वारा विचारार्थ या रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत मामले।

राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद्

III. केन्द्र में स्थित राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् निम्नलिखित विषयों पर विचार करती है :—

(1) रेलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं से सम्बन्धित ऐसे मामले जो इसके पास मंत्रियों द्वारा विचारार्थ भेजे जाते हैं,

(2) ऐसे मामले जो क्षेत्रीय समितियों के कार्यकलाप के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जो इन समितियों द्वारा परिषद् को विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं, और

(3) रेल सेवाओं और सुविधाओं से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामले जिन्हें अध्यक्ष की सहमति से परिषद् का कोई सदस्य कार्यसूची में शामिल कराने का इच्छुक हो।

सभी समितियां और परिषद् परामर्श देती हैं।

Iv **समयान्तराल** :—

मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों की बैठकें तीन माह में एक बार होती हैं लेकिन एक वर्ष में तीन बार से कम नहीं, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की एक वर्ष में तीन बार बैठकें होती हैं और राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् की एक वर्ष में दो बार बैठकें होती हैं।

v **आयोजित बैठकों की संख्या** :—

मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों और क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों की अब तक हुई बैठकों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

रेलवे	आयोजित बैठकों की संख्या	
	क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति	मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति (सभी मंडलों पर सामूहिक रूप से हुई बैठकों की संख्या)
मध्य	1	5
पूर्व	2	4
उत्तर	2	15
पूर्वोत्तर	2	7
पूर्वोत्तर सीमा	2	4
दक्षिण	2	13
दक्षिण मध्य	2	11
दक्षिण पूर्व	2	8
पश्चिम	2	10

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का किराए की गैर-सरकारी इमारतों में चलाया जाना

2599. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता महानगरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुछ औषधालय किराए की गैर-सरकारी इमारतों में चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक नगर में कितने औषधालय किराए की गैर-सरकारी इमारतों में स्थित हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ इमारतों के मालिक अपनी इमारतों को जिनपर प्रारंभिक अनुबन्ध में निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने पर भी औषधालय कार्य कर रहें हैं; खाली करने के लिए जोर दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक नगर के बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपने भवनों का निर्माण करके अथवा अन्य स्थान ढूंढकर इन इमारतों को खाली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी, हां।

(ख)

शहर का नाम	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की कुल संख्या	किराये पर ली हुई प्राइवेट इमारतों में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की संख्या
1. दिल्ली	108	21
2. बम्बई	29	3
3. मद्रास	13	11
4. कलकत्ता	18	6

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन औषधालयों को स्थान पारित करने के लिए उपर्युक्त वैकल्पिक स्थान को ढूंढने और अपनी इमारतों को बनाने के लिए उपयुक्त भूखण्ड प्राप्त करने की कोशिशें की जा रही हैं।

विवरण

ऐसी इमारतों, जिनके मालिक खाली करने के लिए जोर डाल रहे हैं, के ब्यौरे

शहर का नाम		औषधालय का नाम और स्थिति
दिल्ली		1. मालवीय नगर इमारत नं. एन-19 2. लक्ष्मी नगर इमारत नं. एल-25 3. शकूरबस्ती इमारत नं. डब्ल्यू जैड-144/1 4. मोती नगर इमारत नं. डी-58 5. राजौरी गार्डन इमारत नं. जैड-9 6. जनकपुरी-1 इमारत नं. ए-1/254 7. जनकपुरी-2 इमारत नं. बी-1/20 8. इन्द्रपुरी इमारत नं. आर.ए.-75 9. पालम कालोनी इमारत नं. डब्ल्यू ए./172 10. पटेल नगर-1 इमारत नं. 11-ई/14
बम्बई	चेम्बूर	इमारत सं. बी-3 मीरा कोपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, चेम्बूर
मद्रास	1 मयिलापुर	इमारत नं. 124, लुज चर्च रोड, मयिलापुर, मद्रास
	*2 टी. नगर	इमारत न. 4, सरोजिनी स्ट्रीट, टी. नगर, मद्रास
कलकत्ता	विधान सरणी *केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य	इमारत नं. 168, विधान सरणी, कलकत्ता योजना से भवन की बेदखली कराने के लिए मकान मालकिन ने मद्रास के लघुवाद न्यायालय में रिट याचिका दायर की है।

नया केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ

2600. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने के बारे में राज्य का दावा स्वीकार कर लिया गया है और इस प्रयोजनार्थ किस स्थान का चयन किया गया है तथा यह कब स्थापित किया जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो विद्यापीठ स्थापित करने के बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है तथा हिमाचल प्रदेश में यह संस्थान कब तक स्थापित किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) हिमालय प्रदेश सरकार से प्राप्त पत्र के सन्दर्भ में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को यह सूचित किया कि मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के तत्वावधान में एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किया जा सकता है। राज्य सरकार को एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के लिए भूमि, भवनों, वार्षिक व्यय आदि की निश्चित अपेक्षाओं के बारे में भी सूचित किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि निश्चित अपेक्षाओं, पढ़ाये जाने वाले प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले, स्टाफ संख्या आदि से सम्बन्धित विभिन्न मद तैयार करने होंगे। यह सुझाव दिया गया था कि यदि हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है और इसे ब्यौरे तैयार करने के लिए सहायता की आवश्यकता है तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान सहायता कर सकता है। राज्य सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

तिस्ता बांध परियोजना

2601. **श्री पीयूष तिरकी :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिस्ता बांध परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक आरम्भ किया जायेगा और इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात उत्तर बंगाल की आर्थिक स्थिति क्या होगी ;

(ख) क्या यह सच है कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस परियोजना के काम में विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) तीस्ता बराज परियोजना में तीस्ता, महानंदा डॉक नदियों पर बराजों तथा 140 कि.मी. नहरों के निर्माण की परिकल्पना है। इस परियोजना के आठवीं योजना के दौरान पूरा हो जाने तथा इससे उत्तरी बंगाल जिलों में 3.03 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की आशा है।

(ख) और (ग) निधियों की कमी से परियोजना की प्रगति पर असर पड़ा है। राज्य सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपये के निर्धारित परिव्यय को पूरी तरह से खर्च किये जाने के पश्चात् वर्ष 1986-87 के लिए 15 करोड़ रुपये की अग्रिम योजनागत सहायता प्रदान करना मंजूर कर लिया गया है।

जाफरानी पत्ती और जर्दा के प्रयोग से स्वास्थ्य की हानि

2602. **श्रीमती एन. पी. झांसी लक्ष्मी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जाफरानी पत्ती और जर्दा जिसका लोग व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं;

(ख) क्या इन उत्पादों के प्रयोग पर रोक लगाने का कोई विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ये उत्पाद भारतीय मानक संस्थान के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों तथा उनके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत खाये जाने वाले तम्बाकू, जिसमें जाफरानी पत्ती और जर्दा शामिल है, के लेबलों पर इस आशय की घोषणा लिखने की आवश्यकता होगी कि तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।

(घ) भारतीय मानक संस्थान ने खाए जाने वाले तम्बाकू के लिए पहले ही विनिर्देशन तैयार कर लिया है ।

दक्षिण मध्य रेलवे में रेल स्टेशन का विकास

2603. **श्रीमती एन. पी. झांसी लक्ष्मी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(1) दक्षिण मध्य रेलवे में तिरुपति, अनन्तपुर, राजमपेट, कुर्नल, महबूबनगर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए चालू वर्ष में कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का विचार है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) क्या इन रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु स्थानीय लोगों के सुझावों पर विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) तिरुपति को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास करने की योजना है । चालू वर्ष में अन्य स्टेशनों यथा अनन्तपुर, राजमपेट कुर्नल और महबूबनगर के बारे में कोई योजना नहीं है ।

(ख) स्वीकृत राशि का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है क्योंकि विस्तृत अनुमान और नक्शों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) स्थानीय व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की जाती है और धन की उपलब्धता, यातायात की आवश्यकताओं तथा विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में निर्णय लिया जाता है ।

सातवीं योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का प्रस्ताव

2604. **श्रीमती एन. पी. झांसी लक्ष्मी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके लिए भाषा-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तेलुगू को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, प्रोन्नति और प्रचार के लिए 15.29 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इस परिव्यय का उपयोग मंत्रालय द्वारा स्थापित भाषायी संस्थाओं के अनुसन्धान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्य-कलाप, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना और हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी में प्रकाशनों के लिए सहायता, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को तैयार करने के लिए किया जाएगा। परिव्यय, भाषावार और राज्यवार निर्धारित नहीं किया गया है। विभिन्न भाषाओं (तेलुगु सहित) के लिए कार्यरत विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब वे प्राप्त होते हैं।

संशोधित परिवार कल्याण नीति के लिए जनसंख्या सम्बन्धी गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि से सहायता

2605. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा संशोधित परिवार कल्याण नीति लागू करने के लिए संचार ढांचे की स्थापना करने के लिए जनसंख्या सम्बन्धी गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि से कोई सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या सम्बन्धी गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि से भारत को प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) संचार सहायता संगठन की स्थापना के लिए जनसंख्या कार्यकलाप सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र निधि से सहायता प्राप्त करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है।

[हिन्दी]

भारत और विदेशों में प्राचीन भारतीय स्मारकों का रखरखाव

2606. **श्री आर. एम. भोये** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्वीय महत्व के स्मारकों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा हर वर्ष करोड़ों रुपये मंजूर किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मजूर की जाती है और उसका राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत और विदेशों में प्राचीन भारतीय स्मारकों और पांडुलिपियों का रख रखाव सन्तोजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों को क्या सलाह दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नर्सिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव, संरक्षण और परिरक्षण के लिए वर्ष 1986-87 में केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित राज्यवार राशि संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी, नहीं । भारत में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव असन्तोषजनक नहीं है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने स्थल संग्रहालयो की पाँडुलिपियों को छोड़कर जो भली भांति परिरक्षित हैं, अन्य पांडुलिपियों का रख-रखाव नहीं किया जाता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1986-87 में मन्डलवार और राज्यवार आवंटित राशि को दिखाने वाला विवरण

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	राज्य	स्मारकों/स्थलों की संख्या	योग	आवंटित राशि लाखों में
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश	306	306	41.00
2.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	283	305	24.50
			22		
3.	बंगलौर	कर्नाटक	488	488	87.00
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	66	111	26.60
		मध्य प्रदेश	45		
5.	भोपाल	मध्य प्रदेश	273	292	32.65
		उत्तर प्रदेश	19		
6.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	109	109	19.50

1	2	3	4	5	6
7.	चण्डीगढ़	हरियाणा	86	143	22.00
		हिमाचल प्रदेश	33		
		पंजाब	24		
8.	दिल्ली	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	163	163	50.50
9.	गुवाहाटी	असम	49		
		अरुणाचल प्रदेश	5		
		मणिपुर	1	71	11.65
		मेघालय	8		
		नागालैंड	4		
		त्रिपुरा	4		
10.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	134	149	46.10
		कर्नाटक	15		
11.	जयपुर	राजस्थान	150	150	49.50
12.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	341	341	23.00
13.	मद्रास	तामिलनाडु	40		
		केरल	28	438	76.00
		पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र	8		
14.	पटना	बिहार	76	188	29.00
		उत्तर प्रदेश	112		
15.	श्रीनगर	जम्मू और काश्मीर	61	61	22.00
16.	बड़ोदरा	गुजरात	196		29.30
		दीव और दमन का संघ शासित क्षेत्र	10	206	
				3521	588.30
17.	रासायनिक संरक्षण, पर्यवरण विकास और उद्यान कार्य के लिए आवंटित धनराशि				79.30
				योग	667.60

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेल अधिकारियों की नियुक्ति

2607. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन विभिन्न रेल परियोजनाओं सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ख) क्या तीन मुख्य इन्जीनियरों के कार्यालयों को उड़ीसा में खोलने और इन तीनों को वहां नियुक्त करने की मांग की गई थी,

(ग) क्या उड़ीसा में निर्माणाधीन इन सभी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए महाप्रबन्धक निर्माण प्रभारी का एक पद बनाने की भी मांग की गई थी, और

(घ) यदि हां, तो उक्त उचित मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) उड़ीसा में निर्माणाधीन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं निम्नलिखित है :—

(1) कोरापुट:—रायगडा नई लाइन।

(2) तालचेर—सम्बलपुर नई लाइन।

(3) मंचेश्वर सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना।

(4) सम्बलपुर—नये मण्डल की स्थापना।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) कार्यों का उचित पर्यवेक्षण करने के लिए, उपयुक्त स्थानों पर समुचित स्तर के अधिकारियों को तैनात किया जाता है। मुख्य इन्जीनियरों के मुख्यालय, परिचालनिक और संगठनात्मक तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा बेहतर समन्वय के लिए निर्धारित किये गये हैं।

वायुदूत के लिए विमानों का निर्माण

2608. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वायुदूत सेवा के लिए भारत विमानों के निर्माण के लिए किसी देश के साथ कोई सहायोग करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस एकक के कहां स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वायुदूत और दूसरे उपयोगकर्ताओं के लिए हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में डोनियर 228 विमानों के लाइसेंस-शुदा निर्माण के लिए भारत सरकार और डोनियर जी. एम. बी. एच. के बीच 1983 में हस्ताक्षरित करार के अतिरिक्त, वायुदूत के लिए भारत में विमानों के निर्माण के सम्बन्ध में हाल ही में कोई और करार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दक्षिण मध्य रेलवे में रेल दुर्घटनाएं और रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

2609. **श्री सी. सम्बु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे में वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान आज तक सवारी रेलगाड़ियों और मालगाड़ियों के पटरी से उतरने और रेल दुर्घटनाओं के कितने मामले हुए हैं,

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं/गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं के कारणों की कोई जांच की गई है, और

(ग) इनमें कितने लोगों की मृत्यु हुई और इसमें मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों और घायल हुए व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा अक्तूबर, 1986 के अन्त तक दक्षिण मध्य रेलवे पर पटरी से रेलगाड़ी उतरने की घटनाओं और कुल रेल गाड़ी दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1984-85		1985-86		अप्रैल-अक्तूबर 1986-87	
	पैसेंजर गाड़ियां	अन्य गाड़ियां	पैसेंजर गाड़ियां	अन्य गाड़ियां	पैसेंजर गाड़ियां	अन्य गाड़ियां
पटरी से उतरने की घटनाएं	9	55	5	48	4	26
कुल रेल गाड़ी दुर्घटनाएं	18	59	15	49	10	28

(ख) जी हां।

(ग) 1984-85 में पांच व्यक्तियों की तथा 1985-86 में नौ व्यक्तियों की जानें गयीं। अप्रैल से अक्तूबर, 1986-87 की अवधि के दौरान 13 व्यक्तियों की जानें गईं जिनमें से 11 जानें बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण गयीं।

अब तक एक रेल कर्मचारी को कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत 55,652/-रु. तथा एक यात्री को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

शेष मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। एक मामला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष लम्बित पड़ा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यक्रम का प्रसार

2610. **डा. वी. एल. शैलेश** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में कमजोर वर्गों और ग्रामीण गरीब जनता में अपने आपको शिक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागृति पैदा करने के लिए समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यक्रम के प्रसार के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उस एजेंसी का ब्यौरा क्या है, जिसके माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 में यह उल्लेख है कि बाल विकास की सम्पूर्ण-प्रकृति को स्वीकार करते हुए अर्थात् पोषाहार स्वास्थ्य और समाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावकात्मक विकास, प्रारम्भिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होगी और जहां भी सम्भव हो समेकित बाल, विकास सेवा कार्यक्रम के साथ समुचित एकीकरण करना होगा।

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का संचालन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। इसमें स्कूल पूर्व बच्चों गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को बुनियादी पोषाहार, स्वास्थ्य और शिक्षात्मक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा इन सेवाओं का अभिन्न भाग है और फिर कार्यक्रम के सूचना, शिक्षा और संचार संघटक का उद्देश्य अभिभावकों समाज, राय निर्धारण कर्ताओं और बच्चों में जागरुकता उत्पन्न करना और ज्ञान का प्रसार करना है।

रेल परिवहन के सम्बन्ध में भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग

2611 **डा. बी. एल. शैलेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पिछले महीने भारत की यात्रा पर आये सोवियत संघ के शिष्ट मंडल ने रेल परिवहन के आधुनिकीकरण कार्यक्रम और लाइन बिछाने तथा उपकरणों जैसे पूंजीगत सामान में निवेश करने सम्बन्धी अनेक क्षेत्रों में भारत और सोवियत संघ के बीच सहोयग की सम्भावनाओं के बारे में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रारम्भिक बातचीत के क्या परिणाम निकले और विशेषकर प्रौद्योगिकी के आयात के सम्बन्ध में जिससे कि उत्पादन हेतु लाइसेंस देने की संभावना बने, क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक विस्तृत रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु गुजरात को वर्ष 1986-87 के लिए आवंटित राशि

2612. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य को वर्ष 1985-86 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई,

(ख) इसकी क्या उपलब्धियां रहीं, और

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1986-87 के लिए आवंटित राशि का ब्योरा क्या है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान 2183.90 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी ।

(ख) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए 2192.60 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है ।

विवरण

1985-86 के दौरान परिवार नियोजन और जच्चा बच्चा स्वास्थ्य के लक्ष्य और उपलब्धियां

	लक्ष्य 1985-86 (हजारों में)	उपलब्धि* (1985-86)	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि
परिवार नियोजन तरीके			
I. नसबन्दी	300	333,423	111.1
II. आई. यू. डी. निवेशन	250	291,227	116.5
III. प्रचलित गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ता (निशुल्क विवरण)	472	472,487	100.1
IV. खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता निःशुल्क वितरण)	74	74,900	101.2
जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यकलाप			
क. रोग प्रतिरक्षण			
I. गर्भवती माताओं का टेटनस से रोग प्रतिरक्षण बच्चों का	850	773,529	91.0
II. डी. टी. टी. रोगप्रतिरक्षण	900	866,270	96.3

1	2	3	4
III. पोलियो	900	753,235	83.7
IV टाइफाइड	900	675,783	75.1
V. डी. टी. बच्चों का डी. टी. से रोग प्रतिरक्षण।	900	877,060	97.5
VI. टी. टी. (10 वर्ष)	500	398,112	79.6
VII. टी. टी. (16 वर्ष)	250	188,335	75.3
8. निम्नलिखित का अपोषणज अरक्तता से बचाव			
I. कुल महिलाएं	750	1,212,182	161.6
II. बच्चे	750	1,041,810	138.9
विटामिन "ए" कमी के कारण होने वाले अन्धेपन से रोक थाम पहली खुराक	1,800	1,597,003	88.7

* आंकड़े अनन्तिम।

विजयवाडा हवाई अड्डे के धावन-पथ का विकास

2613. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान विजयवाड़ा हवाई अड्डे के धावनपथ का विकास करने, ताकि वहां बोइंग विमान उतर सके और यात्री प्रतीक्षा कक्ष का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) विजयवाड़ा आने जाने वाले यात्रियों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए विजयवाड़ा हवाई अड्डे के विकास के लिये क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, बोइंग परिचालनों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए चालू योजना अवधि के दौरान वियजवाड़ा पर धावनपथ के विकास, एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण, परिचालन दीवार तथा विद्युत और जल आपूर्ति में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय स्मारकों को प्रदूषण से खतरा

2614. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में तेल शोधनशालाओं और ऐसे अन्य एककों से प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय स्मारकों को खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन राष्ट्रीय स्मारकों को वायु-प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों में से जो इस समय वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं, वे आगरा में हैं और उनकी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) मथुरा तेल शोधक कम गन्धक वाले ईंधन का उपयोग कर रहा है और अपनी चिमनी की ऊंचाई में परिवर्तन किया है।

(2) कोयले पर आधारित दो ताप बिजली घरों को बन्द कर दिया है और रेल विभाग ने अपने ईन्जनों का डीजलीकरण कर दिया है।

(3) प्रदूषण अनुश्रवण स्टेशनों की स्थापना की गई है।

(4) आगरा के आस-पास हरित-पट्टी लगाई जा रही है।

(5) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताज के संरक्षण के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

नागर विमानन प्रबन्ध-व्यवस्था को सुचारू बनाना

2615. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व में बचत करने के लिए और जनशक्ति के अपव्यय को रोकने के लिए भी नागर विमानन प्रबन्ध व्यवस्था को आधुनिक बनाने तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां। अधिकतम सम्भावित प्रचालन सम्बन्धी कार्यकुशलता, उपभोक्ता सन्तुष्टि, मितव्ययिता का आकलन, संयुक्त विमान बेड़ा योजना तथा संकलित मार्ग-निर्धारण तथा उपलब्ध इन्जीनियरिंग और संचारण सुविधाओं का प्रयोग तथा सामान्य सामान सूची प्रबन्ध को प्राप्त करने की

दृष्टि से सरकार ने एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के संसाधनों को मिलाने के बारे में अध्ययन करने के लिए दो दलों की नियुक्ति की थी।

दलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर सरकार विचार कर रही है।

रेल दुर्घटनाएं

2616. **श्री बल्लम पाणिग्राही :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री एच. एन. नन्जेगौडा :

श्री हरिहर सोरन :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

श्री ई. अय्यपु रेड्डी :

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, से अक्तूबर, 1986 के दौरान भारतीय रेलों में जोन वार कितनी दुर्घटनाएं हुई।

(ख) उनके क्या कारण थे।

(ग) इनमें हताहत व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और दुर्घटनाओं के परिणाम-स्वरूप कितने मूल्य की रेलवे सम्पत्ति का नुकसान हुआ; और

(घ) रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने तथा ऐसे जोनों के कार्यकरण में, जहां दुर्घटनाएं अधिक होती है, सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) मध्य रेलवे 29, पूर्व 28, उत्तर 37, पूर्वोत्तर 10, पूर्वोत्तर सीमा 50, दक्षिण 26 दक्षिण मध्य 24, दक्षिण पूर्व 21 और पश्चिम 21,

(ख) रेल कर्मचारियों तथा रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की गलती, रेलवे उपस्कर की खराबी, तोड़-फोड़ तथा अन्य मिश्रित कारण।

(ग) 157, व्यक्तियों की जानें गई तथा 325 को चोटें आई। रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति की अनुमानित लागत लगभग 5.7 करोड़ रुपये है।

(घ) निरीक्षणों को गहन करना और कर्मचारियों को परामर्श देना, आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों की शुरूआत, परिसम्पत्तियों का कार्यक्रमबद्ध पुनः स्थापन, प्रतिक्षण की गुणवत्ता में सुधार तथा संरक्षा अभियानों को गहन करना।

नसबन्दी के जाली चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करना

2617. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे गिरोह की जानकारी है जिसके द्वारा बिना आपरेशन किए डाक्टरों द्वारा नवबन्दी के जाली प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं ताकि लोग इस प्रकार के मामलों में सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों रियायतों का लाभ उठा सकें;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान पकड़े गए इस प्रकार के मामलों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के कदाचारों को रोकने जांच करने के लिए कोई योजना आरम्भ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) और (ख) कदाचार की कोई प्रमाणित रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है किन्तु कुछ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों तथा एक समाचार पत्रिका में छपी कुछ रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

(ग) और (घ) योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यों द्वारा परिवार नियोजन कार्यानिष्पादन के सूचित किये गये आंकड़ों की प्रमाणिकता सत्यापित करने की पद्धति पहले ही मौजूद है। यह पद्धति 1976 से चल रही है। इस प्रयोजन के लिए इस समय 8 क्षेत्रीय मूल्यांकन दल हैं जो बंगलौर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, मद्रास, पटना और पुणे में स्थित हैं प्रत्येक मूल्यांकन दल को नमूना सत्यापन के लिए हर महीने एक राज्य के दो जिलों का दौरा करना होता है, इस दल को जिन राज्यों और जिलों का दौरा करना होता है उनका चयन कार्यानिष्पादन के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है तथा उन्हें इसकी सूचना समय रहते दे दी जाती है। निरीक्षण दल द्वारा कार्यानिष्पादन के आधार पर प्रत्येक जिले में दो ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों तथा एक शहरी परिवार कल्याण केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के अन्तर्गत गांवों/ब्लाकों का चयन किया जाता है प्रत्येक दल को क्षेत्रीय सत्यापन के लिए हर जिले में लगभग 500 स्वीकारकर्ताओं का चयन करना होता है। इस पद्धति के अनुसार जो कार्य करना होता है वह है-रिकार्ड के अनुसार चयन किये गये परिवार नियोजन और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, दोनों के स्वीकारकर्ताओं की प्रामाणिकता जांच करने के लिए उनमें से कुछ से व्यक्तिगत सम्पर्क, परिवार नियोजन स्वीकारकर्ताओं के दर्ज जनांकिकीय ब्यौरे का सत्यापन, पात्रता स्थिति तथा रिकार्ड तथा रजिस्टरों का रख-रखाव। इसके अतिरिक्त, स्वीकारकर्ताओं को उपलब्ध की गई अनुवर्ती सेवाओं तथा दौरा किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

जिला/राज्य की मासिक प्रगति रिपोर्टों और रखे गये रिकार्डों/रजिस्टरों के आधार पर कार्यान्वयन के सूचित आंकड़ों के सत्यापन का कार्य भी 1981 से किया जा रहा है। मूल्यांकन दल सत्यापन के आधार पर परिवार कल्याण विभाग को विस्तृत रिपोर्ट भेजते हैं जिनके आधार पर संबंधित राज्य सरकारों को प्रमुख निष्कर्षों से अवगत कराया जाता है जिसमें सत्यापन के दौरान पाए गए अच्छे और खराब दोनों पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है ताकि कार्यक्रम का गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपचारी कार्रवाई शुरू की जा सके। इसी प्रकार का मूल्यांकन कार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारियों द्वारा (1974-75 से) तथा राज्य जनाकिकी और मूल्यांकन एककों द्वारा (1972 से) किया जा रहा है और इस विभाग में उनसे क्रमशः मासिक और त्रैमासिक रिपोर्टें प्राप्त होती हैं।

राजस्थान में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

2618. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान राजस्थान में कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) सातवीं योजना के आरम्भ होने से अब तक सिंचाई पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) उक्त राज्य में कितनी अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) सातवीं योजना के लिए 5.7 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान सिंचाई कार्यों पर 214.60 करोड़ रुपए के व्यय तथा 1.96 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता सृजित होने की संभावना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

2619. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से कितने स्वयंसेवी संगठनों को सहायता मिल रही है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, उन्हें कितनी अनुदान राशि दी गई,

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संगठन द्वारा कितने मामले हाथ में लिए गए,

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में इन स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकरण में कितने मामलों में दोषों का पता लगा, और

(ङ) उक्त संगठनों के कार्यकरण को सुचारू बनाने तथा धनराशि का सही उपयोग करने के लिए क्या निवारक उपाय किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण I में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. (3266/86)**]

(घ) और (ङ) : सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण II में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3266/86**]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के बच्चों में साक्षारता

2620. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लड़के और लड़कियों के मध्य साक्षारता के प्रतिशत के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक द्वारा प्रत्येक दस वर्षों में आयोजित जनगणना, राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर साक्षरता दर से संबंधित सूचना प्रदान करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की प्रतिशतता भी शामिल होती है। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों में साक्षरता की प्रतिशतता के बारे में भारत सरकार ने कोई अन्य सर्वेक्षण नहीं किया है।

लघु सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश को आवंटित सीमेंट

2621. **श्री जैनुल बशर** : क्या जल-संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के सिंचाई-विभाग द्वारा वर्ष 1985-86 तथा अप्रैल, 1986 से जून 1986 की अवधि के दौरान राज्य के लघु सिंचाई क्षेत्र के लिए केन्द्रीय जल आयोग से कितने सीमेंट के आवंटन की मांग की गई;

(ख) की गई मांग की तुलना में कितना आवंटन किया गया; और

(ग) कम आवंटन करने यदि कोई किया गया है, के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी जाती है :

	अवधि	उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई के लिए सीमेंट की मांग	उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई के लिए सीमेंट का आबंटन
(1)	1985-86	1,20,870 मी० टन	59,300 मी० टन
(2)	अप्रैल-जून, 1986	33,370 मी० टन	16,500 मी० टन

(ग) उद्योग मंत्रालय द्वारा देश की बृहत्, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया गया कुल आवंटन राज्य सरकारों द्वारा बताई गई कुल मांग से कम था।

[हिन्दी]

मुगलसराय से आसनसोल तक रेल लाइन का विद्युतीकरण

2623. **श्री कुंवर राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय से आसनसोल तक वाराणसी पटना रेलमार्ग के विद्युतीकरण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ख) उक्त कार्य के कितने चरणों में और कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) आसनसोल सीतारामपुर खंड पहले ही विद्युतीकृत है। पटना के रास्ते सीतारामपुर-मुगलसराय के विद्युतीकरण का काम आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने की आशा है और यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

बाजार में घटिया स्तर की औषधियां

2624. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेषज्ञों और व्यावसायियों द्वारा व्यक्त इन विचारों की जानकारी है कि बाजार में मिलने वाली बहुत सी औषधियां घटिया स्तर की हैं; और

(ख) यदि हां, तो घटिया स्तर की औषधियों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को समाचार पत्रों में समय-समय पर घटिया औषधों के बारे में छपी रिपोर्टों की जानकारी है। तथापि, केन्द्रीय औषध मानक

नियंत्रण संगठन को विशेषज्ञों और जानकारों द्वारा इस बारे में दी गई किसी विशिष्ट राय के बारे में जानकारी नहीं है कि बाजार में बहुत सारी औषधियां घटिया किस्म की हैं।

(ख) औषधों के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्ध और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम राज्यों के औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं। औषध परामर्शदात्री समिति जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय है, समय-समय पर इस अधिनियम को लागू करने और औषधों के मानक स्तर को बनाये रखने की समीक्षा करती है।

कलकत्ता मेट्रो रेल के लिए घटिया किस्म के उपकरण

2625. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री चिंतामणि जेना :
श्री नित्यानंद मिश्र :
श्री नारायण चौबे :
श्रीमती किशोरी सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा रेल डिब्बों के लिए घटिया किस्म की ट्रेक्शन मोटरों की सप्लाई किये जाने के कारण कलकत्ता मेट्रो रेल प्रणाली में खराबी आने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है जैसा कि दिनांक 26 अक्तूबर, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है,

(ख) क्या इस प्रणाली के अन्य पुर्जे भी घटिया किस्म के हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उपकरणों के दोष दूर करने के लिए कौन से आवश्यक कदम उठाये गए हैं, और

(घ) कलकत्ता के दैनिक यात्रियों पर इसका किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स द्वारा सप्लाई की गयी कर्षण मोटरों के सिवाय सवारी डिब्बों के कतिपय उपकरणों जैसे कैमशैफ्ट कन्ट्रोलर, थाइरिस्टर पावर यूनिट कम्प्रेसर तथा दरवाजे के उपकरण आदि के संबंध में कुछ आरम्भिक कठिनाइयां अनुभव की गयी थीं। इन समस्याओं की पहचान कर ली गयी है और उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। इससे मेट्रो सेवाओं पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केरल में इण्डियन एयरलाइन्स की फीडर सेवा शुरू करना

2626. **श्री थम्पन थामस :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की फीडर सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कुडडालोर के लिए वायुदूत सेवा

2627. **श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वायुदूत सेवाओं के नेटवर्क में कुडडालोर शहर को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार कुडडालोर के लिए मद्रास और तिरूचि को जोड़ने वाली वायुदूत सेवा शुरू करने पर विचार करेगी ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) कुडडालोर, पांडिचेरी के समीप है जहां पर हवाई अड्डे के विकास और अन्य आधार-भूत सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने पर, वर्तमान योजना अवधि के दौरान वायुदूत की सेवाएं मुहैया करवाए जाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शहरी सम्पर्क सड़कों के रखरखाव की राशि

2628. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवें वित्त आयोग ने 1984 में शहरों और नगर पालिकाओं में राष्ट्रीय जलमार्ग शहरी संपर्क सड़कों पर दोहरी लेन सड़कों (बिटूमन की सतह वाली) की रखरखाव के लिए 23,500 रुपए प्रति कीलोमीटर प्रति वर्ष राशि की सिफारिश की थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार 8000/-रुपये प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से प्रतिपूर्ति कर रही है, जिसके कारण राज्य सरकारें इस शहरी सम्पर्क सड़कों का ठीक प्रकार से रखरखाव नहीं कर पाती; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सड़कों की उचित रखरखाव के लिए राशि की दर में आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वृद्धि करने का है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां, लेकिन भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्तित 8000.00 रु. प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष के व्यय से अधिक होने वाले खर्च को, राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीच हुए नेशनल हाइवे अर्बन लिंक करारों की शर्तों के अनुसार स्वयं राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना अपेक्षित है।

अन्तरराज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की ऋण सहायता योजना के अन्तर्गत ओंगोल से काकीनाड़ा तक सड़क का निर्माण

2629. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण ग्रामीण परिषद द्वारा गठित स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत अर्थात् ओंगोल से काकीनाडा तक की सड़क के दूसरे खंड का विकास कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस सड़क के दूसरे खंड को आंशिक रूप से अन्तरराज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की ऋण सहायता योजना से किए जाने वाले सड़क पुल निर्माण के अन्तर्गत और आंशिक रूप से राज्य योजना और गैर-योजना के अन्तर्गत शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के कार्यक्रम के तहत इस प्रकार के विशद आकार का निर्माण कार्य हाथ में लेना संभव नहीं है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 38 में स्थानीय संशोधन करने का आंध्र प्रदेश का प्रस्ताव

2630. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को कम करने के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा 38 में स्थानीय संशोधन का प्रस्ताव रखा है जिससे कि राज्य सरकार मोटर वाहनों के लिए उपयुक्त प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य मोटर वाहन निरीक्षकों के अतिरिक्त प्रतिष्ठित और विश्वसनीय वर्कशाप एवं गराजों को सौंप सके; और

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और राज्य सरकार द्वारा भेजे गये विधेयक को किस तारीख तक राष्ट्रपति की स्वीकृति दिये जाने की संभावना है।

जल-भूतल परिवहन मत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को, विशेष वर्गों के वाहनों के सम्बन्ध में फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राइवेट परीक्षण केन्द्रों को प्राधिकृत करने की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव, मोटर यान अधिनियम, 1939 को बदलने के लिए प्रस्तावित व्यापक विधान का ही एक अंग है। चूंकि केन्द्रीय विधान देश भर में लागू होगा, इसलिए राज्य सरकार द्वारा अलग से विधान बनाने की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं समझा गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में गैरसरकारी व्यावसायिक कालेज

2631. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कई गैर-सरकारी व्यवसायिक कालेज चलाये जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने और कौन-कौन से कालेज हैं और उनमें से कितने मान्यता प्राप्त हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे सभी कालेजों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, ऐसी प्राइवेट संस्थाओं/कालेजों, जिन्हें अपने एक या अधिक पाठ्यक्रमों को संचालन करने के लिए सम्बन्धन प्रदान किया है, के बारे में सूचना संलग्न विवरण के रूप में दी गई है। इन सम्बद्ध संस्थाओं की संख्या दस है और इनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रम सं.	संस्थान का नाम
1.	नई दिल्ली पालिटेकनिक फॉर वूमेन, लाजपत नगर IV, नई दिल्ली.
2.	इन्टरनेशनल पालिटेकनिक फॉर वूमेन, ए-3, साउथ एक्स्टेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली.
3.	डी. आई. एम. एस. स्कूल ऑफ मेनेजमेन्ट, 301, आकाशदीप बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली.
4.	दिल्ली वूमेन्स टेक्नीकल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जे-46, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली.
5.	डाबर कन्या शिल्प कला केन्द्र, नजफगढ़ नई दिल्ली.
6.	शारदा उकिल स्कूल ऑफ आर्ट, 66, जनपथ, नई दिल्ली.
7.	भारतीय विद्या भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली.
8.	महाराजा सूरजमल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एण्ड टेक्नोलॉजी, सी-4 जनकपुरी, नई दिल्ली.
9.	छोटू राम रूरल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, करारी सुलेमान, नांगलोई दिल्ली.
10.	दिल्ली प्रोडक्टीविटी कौंसिल इन्स्टीट्यूट, 1-ई/10 झंडेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली।

[अनुवाद]

"एड्स" रोग से सम्बन्धित मामलों का पता लगना

2632. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "एड्स" रोग के कितने रोगियों का अभी तक पता लगा है और किन स्थानों पर ऐसे रोगियों के मामले अधिक संख्या में पाए गये हैं; और

(ख) इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 31-10-1986 तक एड्स के केवल दो रोगियों की सूचना मिली है जो पूरी तरह से इस रोग से ग्रस्त हैं। एक रोगी बम्बई (महाराष्ट्र) से है और दूसरा हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) से है।

इसके अतिरिक्त, ए. आर. सी. (एड्स रिलेटिड काम्प्लेक्स) के दो रोगियों का पता लगाया गया है। इनमें से एक महाराष्ट्र से है तथा दूसरा मद्रास से है।

(ख) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित उपाय किये गये हैं/कदम उठाये गये हैं :—

1. एड्स का पता लगाने के लिए 19 निदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त देश में 4 रैफरल केन्द्र स्थापित किये गये हैं जहां एड्स के निदान के लिए उच्च-स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

2. एड्स अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना रक्त और रक्त-उत्पादों का आयात करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

3. सभी रक्त बैंकों को हिदायतें दी गई हैं कि वे पेशेवर रक्तदाताओं की जांच करें।

4. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों/अस्पतालें/यौन-संचारित रोग क्लिनिकों को एड्स के रोगियों का पता लगाने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

5. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे अस्पतालों और क्लिनिकों में विसंक्रमण करने सम्बन्धी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करें या जहां तक सम्भव हो पहले से विसंक्रमित डिस्पोजेबल सिरिंजों और सुइयों का इस्तेमाल करें।

6. स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के लिए मार्ग-निर्देश सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को भेज दिये गये हैं।

7. लोगों को एड्स, इसकी प्रकृति, संचरण और रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के लिए जन प्रचार के सभी साधनों को भी इस कार्य में लगाया गया है।

8. भारतीय विश्वविद्यालयों मे दाखिल किये जा रहे विदेशी छात्रों की डाक्टरी जांच करने जिसमें एड्स की जांच भी शामिल है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को हिदायतें/मार्ग-निदेश जारी किये गये है ।

पाकिस्तान इन्टरनेशनल एअर लाइन्स के फाक्कर एफ-27 विमान की दुर्घटना में मारे गये भारतीय

2633. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 अक्टूबर, 1986 को पेशावर के निकट पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स के फाक्कर एफ-27 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कुछ भारतीय मारे गये थे; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपरोक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय चिकित्सा परिषद में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी

2634. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली में विभिन्न ग्रेडों में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं,

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी स्थाई है और 10 वर्ष 20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा वाले कितने कर्मचारी अभी भी अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं,

(ग) अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई दर्जा देने के बारे में क्या नियम हैं,

(घ) क्या अस्थाई कर्मचारियों की सेवा-विच्छेद करने की कोई प्रथा है ताकि स्थाई कर्मचारियों की संख्या को एक निश्चित सीमा तक रखा जा सके; और

(ङ) ऐसे अस्थायी कर्मचारियों के कितने ऐसे मामले हैं जिनमें सेवा-विच्छेद किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार स्थाई कर्मचारियों की संख्या 15 है ।

10 वर्ष की सेवा-अवधि वाले अस्थाई कर्मचारियों की संख्या 4 है और 20 वर्ष से अधिक सेवा वालों की संख्या एक है ।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार केन्द्र सरकार के नियमों का सभी मामलों में पालन किया जाता है ।

(घ) जी नहीं।

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार वहां पर ऐसा कोई अस्थाई कर्मचारी नहीं है जिसकी सेवा में विच्छेद किया गया हो।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली

क्र. सं.	वर्ग	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	सचिव	रु. 1500-60-1800-100-2000	1
2.	पूर्णकालिक निरीक्षक	रु. 1800-100-2000-125/2-2250	2 सेवा निवृति के बाद पुनः नियुक्ति)
3.	उप सचिव	रु. 1200-50-1600	2
4.	सहायक सचिव	रु. 840-40-1000-द. रो-40-1200	1 (सेवा निवृति के बाद पुनः नियुक्ति)
5.	अधीक्षक	रु. 550-25-750-द. रो-30-900	1
6.	लेखाकर	रु. 500-20-300-द. रो-25-900	1
7.	मुख्य लिपिक	रु. 425-15-500-द. रो 15-560-20-700	3
8.	उच्च श्रेणी लिपिक/ स्टोर कीपर	रु. 330-10-380-द. रो-12-500-द. रो-15-560	6
9.	अवर श्रेणी लिपिक	रु. 260-6-290-द. रो-6-326-8-366-द. रो-8-390-10-400	9
10.	सीनियर स्टेनोग्राफर	रु. 425-15-500-द. रो-15-560-20-700	1
11.	जूनियर स्टेनोग्राफर	रु. 330-10-380-द. रो-12-500-द. रो-15-560	3
12.	गेस्टेटनर ऑपरेटर	रु. 260-6-326-द. रो-8-350	2
13.	ड्राइवर	रु. 260-6-326-द. रो-8-350	1
14.	चपरासी	रु. 196-3-220-द.रो-232	8
15.	दफ्तरी	रु. 200-3-206-4-234-द. रो-4-250	1
16.	सफाई वाला	रु. 196-3-220-द. रो-3-232	1
17.	चौकीदार	रु. 196-3-220-द. रो-3-232	1
			44

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में विधि कक्षाओं में प्रवेश

2635. **श्री राज कुमार राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में विधि कक्षाओं में प्रवेश के लिए निर्धारित मानदण्डों का पालन न किये जाने से सम्बन्धित शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि प्रवेश निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हों ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

इन्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

2636. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी में आरम्भ कितना पूंजी निवेश किया गया और इसको अब तक हुये लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी की स्थापना के बाद से इसे क्या उत्तरदायित्व सौंपे गये और इसे किन-किन निर्माण कार्यों के आर्डर प्राप्त हुए और प्रत्येक निर्माण कार्य की लागत कितनी है और प्रत्येक निर्माण कार्य के शुरू किए जाने की तारीख क्या है तथा प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 3267/86]

इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्सन कम्पनी को ठेके

2637. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे अथवा इसके अधीन संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी ठेके मिले और संबंधित देशों के नाम क्या हैं तथा निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत कितनी है, और

(ख) भारतीय रेलवे अथवा इन्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी तथा इसके अधीन अन्य

संगठनों को इस समय सौंपे गये निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा विश्व के किन-किन देशों में ये निर्माण कार्य चल रहे हैं तथा प्रत्येक मामले में निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत कितनी है और ये निर्माण कार्य कब शुरू किये गये तथा इनको कब तक पूरा किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज (राइट्स) और इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी (इरकान) को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये विदेशी ठेकों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

राइट्स देश का नाम	ठेकों की संख्या	मूल्य करोड़ रुपयों में
अल्जीरिया	2	13.7
बंगला देश	1	0.7
इथोपिया	1	0.76
घाना	1	4.55
मोजम्बिक	1	3.6
श्री लंका	1	0.7
जाम्बिया	1	0.26
इराक	3	4.44
जिम्बाब्वे	2	9.8
जोर्डन	1	2.1
सूडान	1	0.22
तंजानिया	1	0.2
नामीबिया	1	0.2

इरकान देश का नाम	ठेकों की संख्या	मूल्य करोड़ रुपयों में
इराक	1	137
अल्जीरिया	1	81
सउदी अरब	1	20

(ख) राइट्स और इरकान को सौंपे गये हस्ते विदेशी ठेकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

राइट्स देश	निर्माण कार्य का नाम	मूल्य करोड़ रुपयों में	ठेके के शुरू होने की तारीख	पूर्ति की तारीख
1.	2.	3.	4.	5.
अल्जीरिया	(I) एन टाउटा-एम सिला रेलवे लाइन का निर्माण पर्यवेक्षण	10.50	मई,85	नव.,88
	(II) एल खरुब बाऊशैंगौर रेल संपर्क का इन्जीनियरी अध्ययन	3.20	सित.,83	मार्च'87
बंगला देश	(I) वर्कशापों और चल-स्टाक का पुनः स्थापन	0.70	जुलाई,85	दिस.,88
	(I) सवारी डिब्बों का निरीक्षण	0.70	मई,86	दिस.,87
नामीबिया	विभिन्न विभागों के रेल कार्मिकों का प्रशिक्षण	0.20	अप्रैल,85	जून, 87
घाना	घाना रेलवे के कार्य निष्पादन में सुधार और पुनःस्थापन के लिए परामर्श सेवाएं	4.85	जुलाई, 83	जून, 87
मोजाम्बिक	मोजाम्बिक रेलवे को प्रबंधकीय और व्यवसायिक सेवाएं	3.60	सितम्बर,85	अगस्त,87
श्री लंका	रेलवे वर्कशाप में सुधार आदि के लिए परामर्श सेवाए	0.70	जून.,86	फरवरी,88
जाम्बिया	जाम्बिया रेलवे प्रणाली को पुनः चालू करने और पुनः नया बनाना	0.26	दिस.,85	दिस.,86
इराक	(I) बगदाद अल क्वायम अकाशात रेल परियोजना के लिए सामान्य इन्जीनियरी और आबासीय इन्जीनियरी सेवाएं	1.40	अप्रैल,84	दिस.,86
	(II) एकीकृत तकनीकी और आर्थिक सेवाओं की व्यवस्था	2.40	अप्रैल,84	दिस.,86

1.	2.	3.	4.	5.
	(III) बगदाद मार्शलिंग यार्ड के ढांचें में परिवर्तन	0.64	अगस्त,84	मार्च,87
जिम्बाब्वे	(I) जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय रेलवे के अनुरक्षण और परिचालन में सहायता (दूसरा ठेका)	0.80	अक्तू.,85	फर.,87
	(II) -वही-(तीसरा ठेका)	9.00	फरवरी,84	फर.,87
जोर्डन	(I) अकाबा रेलवे कार्पोरेशन को तकनीकी और पर्यवेक्षण सहायता की व्यवस्था	2.10	नव.,84	नव.,86
	(II) रेलपथ सामग्री का निरीक्षण	0.18	जुलाई,86	जन.,89
तंजानिया	तंजानियन रेलवे के विभिन्न विभागों के कार्मिकों को प्रशिक्षण	0.20	नव.,85	अक्तू.,87
इरकान				
इराक	अल-मुथाना सीमेंट कारखाने के लिए मानक आमान की शाखा लाइन का निर्माण	137	जन.,85	जुलाई.87
अल्जीरिया	बेनिसेफ में सीमेंट को सेवित करने के लिए रेल सुविधा की व्यवस्था	81	दिस.,83	दिस.,87
सउदी अरब	दम्माम में अनुरक्षण कारखाने का विस्तृत अभिकल्प और निर्माण	20	सित.,83	दिस.,86
बंगला देश	पूर्व प्रबिलत कंक्रीट स्लीपर संयंत्र की स्थापना	2.73	जून,86	मार्च,88
नेपाल	किंग महेन्द्रा हाईवे पर सात पुलों का निर्माण	3.2	नव.,86	दिस.,88
जोर्डन	अकाबा रेलवे कारखाना विस्तार परियोजना का निर्माण	5,07	नव.,86	जून.,88

[अनुवाद]

शुद्ध जन्म दर कम करने के लिए प्रोत्साहन

2638. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सन् 2000 तक शुद्ध जन्म दर कम करके 1 पर लाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों और राज्यों को कुछ विशेष प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने की कोई योजना निश्चित नहीं की गई है ।

महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट का पुनः मुद्रण

2639. **डा. फूलरेनु गुहा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट को अद्यतन करके पुनः मुद्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो अद्यतन रिपोर्ट कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) रिपोर्ट को अद्यतन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, मौजूदा रिपोर्ट को पुनः मुद्रण करने का आर्डर मुद्रण निदेशक को दे दिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नेत्रवती नदी के पानी का उपयोग

2640. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि नेत्रवती नदी का लगभग 500 टी. एम. सी. पानी समुद्र में बहकर बेकार हो रहा है;

(ख) क्या इस पानी का सिंचाई के लिए उपभोग किए जाने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) अरब सागर में बहकर जाने वाली नदियों के जल संसाधनों के मूल्यांकन तथा उनके उपयोग हेतु योजना आयोग द्वारा 1978 में गठित समिति के अनुसार नेत्रवती बेसिन में लब्धि लगभग 9940 एम.एम. 3 (351 टी.एम.सी.) है। इस पानी के उपयोग के लिए कर्नाटक सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी है। कर्नाटक द्वारा केन्द्र को अब तक कोई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

मिदनापुर की मोयनी बेसिन योजना

2641. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले की मोयनी बेसिन योजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की मोयनी बेसिन स्कीम जिसमें 99.84 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 94.72 वर्ग किलोमीटर के कुल बेसिन क्षेत्र में से लगभग 57 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से जल निकास संकुलन को हटाने की परिकल्पना की गई है, अगस्त, 1981 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में मूल रूप से प्राप्त हुई थी। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा दिये गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने स्कीम का आशोधन 159.50 लाख रुपये किया तथा इसे गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को पुनः प्रस्तुत किया। 129 लाख रुपये के परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने जुलाई, 1984 में योजना आयोग को स्वीकृति हेतु स्कीम की सिफारिश की थी। योजना आयोग ने राज्य सरकार को वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध किया है जिसकी अभी प्रतीक्षा है।

(घ) परियोजना को राज्य सरकार द्वारा अपने योजनागत संसाधनों से निधियां प्रदान करके क्रियान्वित किया जाना है।

त्रिपुरा में सातवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय स्थापित करना

2642. **श्री बाजूबन रियान** :

श्री अजय विश्वास :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना के दौरान त्रिपुरा में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, त्रिपुरा सरकार उस राज्य में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

हाकी खेलने के लिए एस्ट्रो टर्फ मैदानों की व्यवस्था

2643. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने मान्यता प्राप्त हाकी संगठन हैं और उनमें से कितने संगठनों के पास हाकी खेलने के लिए एस्ट्रोटर्फ वाले मैदान हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में भी इस प्रकार के मैदान उपलब्ध कराने का है, जहां पर नियमित रूप से हाकी खेली जाती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) देश में दो मान्यता प्राप्त हाकी संगठन अर्थात् भारतीय हाकी संघ और अखिल भारतीय महिला हाकी एसोसिएशन के पास अपने कोई कृत्रिम टर्फ हाकी फील्ड नहीं हैं। तथापि, ऐसे कृत्रिम टर्फ हाकी फील्ड कुछ समय के लिए राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली तथा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के परिसर में उपलब्ध रहे हैं। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ कृत्रिम टर्फ हाकी फील्ड स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता करने की योजना शुरू की है।

उत्तर प्रदेश में श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल

2644. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में श्रमजीवी महिलाओं के लिए अधिक होस्टलों का निर्माण करने के लिए कोई प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने होस्टलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है और उन शहरों के क्या नाम है जहां इन होस्टलों का निर्माण किया जाएगा और उनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में और श्रमजीवी महिला होस्टल खोलने के लिए 30 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि या परियोजनाओं का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार आवंटन नहीं किया गया है। राज्य सरकार के माध्यम से स्वयं-सेवी संगठनों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर, भारत सरकार उत्तर प्रदेश में श्रमजीवी महिला होस्टल बनाने के लिए सहायता दिए जाने के प्रस्तावों पर विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से मूर्तियों की चोरी

2645. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से अप्रैल से नवम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान पुरातत्वीय महत्व की चोरी हुई मूर्तियों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितनी मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं और उन्हें उनके मूल स्थानों पर पुनः स्थापित कर दिया गया है;

(ग) क्या इस प्रकार की मूर्तियों की सुरक्षा के प्रबन्ध पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में से अप्रैल से नवम्बर, 1986 की अवधि के दौरान पुरातत्वीय महत्व की कोई मूर्ति चोरी नहीं की गई है : तथापि इस अवधि के दौरान दो मूर्तियों के चोरी जाने की रिपोर्ट मिली है—एक दोमोनोला शिवजी मन्दिर अल्मोड़ा से एक शिवजी और दूसरी शक्ति देवी की तथा देवाल सारी मन्दिर टिहरी गढ़वाल से भगवान की एक छोटी मूर्ति। उपरोक्त मन्दिर न तो केन्द्र सरकार द्वारा और न ही राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हैं।

(ख) केवल देवाल सारी मन्दिर, टिहरी गढ़वाल से सम्बन्धित भगवान की छोटी मूर्ति बरामद कर ली गई है।

(ग) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में ऐसी मूर्तियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(i) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में अबद्ध मूर्तियों की निगरानी और पहरे के प्रबन्धों सहित उपयुक्त ढंग से रखा जा रहा है।

(ii) जागेश्वर और बैजनाथ मंदिरों में, जो केन्द्र द्वारा संरक्षित हैं, सशस्त्र पहरेदार नियुक्त किये गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में बैजनाथ का रखरखाव

2646. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बैजनाथ के रख-रखाव का कार्य एक लम्बे समय से केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुरातत्व विभाग ने वहां पर मूर्ति संग्रहालय स्थापित करने के प्रश्न पर कभी विचार किया है और वहां पर इसके लिए भूमि आदि का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थान पर अभी तक मूर्ति संग्रहालय का निर्माण कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं और वहां पर निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां,

(ख) इस परिसर में सभी खुली पड़ी मूर्तियों को वहां पहले से विद्यमान मूर्ति शेड में प्रदर्शन के लिए रखा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

2647. **श्री अजय मुशरान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1986-87 के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) मध्य प्रदेश के किन जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है; और

(ग) इस राज्य के शेष जिलों की (जिला-वार) इस योजना में शामिल करने का कार्यक्रम क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई. सी. डी. एस.) के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1986-87 के दौरान अभी तक मध्य प्रदेश को 585.23 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जा चुकी है।

(ख) मध्य प्रदेश में स्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं तथा उन जिलों में जहां उनका स्थान निर्धारण किया है .उनका नाम दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) धनराशि उपलब्ध हुई तो समेकित बाल विकास कार्यक्रम को चरण-बद्ध विस्तृत किया जाएगा। सभी जिलों तक कार्यक्रम का विस्तार किए जाने का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

विवरण

म ध्य प्रदेश में स्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के जिला-वार नाम

(19-11-1986 के अनुसार स्थिति)

क्र.सं	जिला (नाम)	परियोजना का नाम
1.	बालाघाट	1. बेहर
		2. बिरसा
2.	बस्तर	1. टोंकापाल
		2. कुआकोंडा
		3. फारागांव
		4. दुर्ग कोण्डल
		5. उसूर
		6. छिन्दगढ़
		7. कोलीबेड़ा
		8. मकाड़ी
		9. भानुप्रतापपुर
		10. गिदम
		11. कोंटा
		12. सुकमा
		13. गीदम
		14. लोहान्दी गुडा
		15. कोण्डा गांव
		16. चारमा
		17. दरभा
3.	बेतुल	1. भीमपुर
		2. आम्ला
		3. भाएंसदेही
		4. छिछोली

1	2	3
	4. भोपाल	1. भोपाल-1 (जे. पी. नगर)
		2. भोपाल-2 (छन्दाबाद)
		3. भोपाल-3 (बरखेड़ी)
		4. भोपाल-4 (मोतिया पार्क)
		5. भोपाल-5 (बाण गंगा)
	5. बिलासपुर	1. दाभरा
		2. मारवाबी
		3. बिलासपुर
		4. करतला
		5. पाण्डरा
		6. पाण्डी उपरोरा
		7. मास्तुरी
		8. मालखारोड़ा
		9. गोरेला
		10. कोरबा
		11. गोरेला
	6. छिन्दवाड़ा	1. बिछवा
		2. अमरवाड़ा
		3. हरई
	7. दामोह	1. दामोह
		2. हाटा
	8. धर	1. धर
		2. गन्धवानी
		3. मनावर
		4. नालछा
	9. दुर्ग	1. साजा
		2. दोण्डी
		3. भिलाई

1	2	3
	10. गुना	1. राघोगढ़
	11. ग्वालियर	1. गिरड
	12. होशिन्गाबाद	1. बबाई
		2. केसला
	13. जबलपुर	1. जबलपुर शहर
		2. पाटन
		3. जबलपुर-शहर II
	14. झाबुआ	1. रामा
		2. काठीवाड़ा
		3. मेघनगर
		4. अलीराजपुर
		5. रानापुर
	15. मान्डला	1. बाजग
		2. अमरपुरी
		3. विजावण्डी
		4. दुधारी
		5. मुबई
		6. करंजिया
		7. सामनापुर
		8. डिन्डौरी
		9. मोहगांव
	16. मुरैना	1. कराहल
	17. नारायणपुर	1. नारायणपुर
	18. पन्ना	1. गुनौर
		2. पबाई
	19. रायगढ़	1. मनोरा
		2. बागीचा
		3. ब्रह्मकेला
		4. रायगढ़

1	2	3
		5. जशपुर नगर
		6. कंसबेल
		7. टपकारा
		8. पुसोर
		9. सरनगढ़
		10. धर्मजयगढ़
		11. लैलुगा
		12. पताल गांव
20.	रायपुर	1. कसडोल
		2. छबड़ा
21.	रायसेन	1. सिलबानी
22.	राजा नन्दगांव	1. बोदला
		2. मानपुर
23.	रतलाम	1. बाजना
24.	रेवा	1. रायपुर-कर चिमलिया
		2. रेवा
25.	सागर	1. सागर
26.	सतना	1. नागोद
		2. उचेहरा
		3. सतना
27.	सिग्रोणी	1. सिग्रोणी
		2. किसोलारी
		3. बरघाट
		4. लखनादुआ
		5. धन्सौर
28.	शाहडोल	1. जयसिंह नगर
		2. पुष्पाराजगढ़
		3. सोहागपुर

1	2	3
	29. शाहजापुर	1. ससरोर
	30. शिवपुर	1. पोहरी
	31. सिधि	1. सिंगरोली
		2. चितरंगी
		3. कुसमी
		4. रामपुर नानकी
	32. सुरगुजा	1. बादराफ नगर
		2. कुसमी
		3. शंकरगढ़
		4. बलरामपुर
		5. भरतपुर
		6. बैकुन्ठपुर
		7. सीतापुर
		8. रामचन्द्रपुर
		9. चन्द्रमेघा
	33. उज्जैन	1. उज्जैन
	34. बैस्ट निमार (खरगांव)	1. निवाली
		2. भगवानपुर
		3. सन्धवी
		4. झिरानीय
		5. पट्टी
		6. गोगवान

अमरीका में "ओपन हार्ट सर्जरी" कराने वाले सरकारी कर्मचारी

2648. **श्री अनादि चरण दास :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश में ओपन हार्ट सर्जरी" के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा सस्ती दरों पर उपलब्ध है,

(ख) किन-किन चिकित्सालयों में यह शल्य-चिकित्सा की जाती है,

(ग) क्या यह सच है कि इस सुविधा के उपलब्ध होने के बावजूद इस शल्य-चिकित्सा के लिए अधिकतर लोग अमरीका जा रहे हैं, और

(घ) कितने सरकारी कर्मचारियों ने अमरीका में यह शल्य-चिकित्सा कराई है और अपने विभागों/उपक्रमों में इस पर व्यय की गई पूरी राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त की ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी सदीना खापर्डे) : (क) देश की कुछेक प्रमुख चिकित्सा संस्थाओं में अब शल्य-चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा किसी को विदेश में जितना खर्च करना पड़ता है। उसकी अपेक्षा यहां अपरेशन की लागत काफी कम है।

(ख) देश के सरकारी अस्पतालों की, जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यद्यपि हमारे अस्पतालों में रोगियों की लम्बी प्रतीक्षा सूची होने के कारण अनेक रोगी इस इलाज के लिए विदेश जाते हैं तथापि यह सूचित किया गया है कि ऐसे मामलों की संख्या में निरन्तर कमी ही रही है।

(घ) सरकारी कर्मचारियों के संबन्ध में विदेश में ओपन हार्ट सर्जरी कराने के लिए व्यय की गई पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है।

विवरण

सरकारी अस्पतालों के नाम जहां ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं

1. दक्षिण रेलवे मुख्यालय अस्पताल, पैरान्तूर, मद्रास।
2. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज और अस्पताल, वेल्लूर।
3. के. ई. एम. अस्पताल, बम्बई।
4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली,
5. बम्बई अस्पताल, बम्बई।
6. गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली।
7. श्री चित्रा-तिरुनल आयुर्विज्ञान और तकनीकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम
8. स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़।
9. सेमिरिटन होस्पिटल, अलवेई (केरल)
10. एस एस.के. एम. अस्पताल, कलकत्ता।
11. कस्तूरबा अस्पताल, भोपाल (बी.एच.ई.एल.)
12. एन.एम. वाडिया कार्डियोलाजी संस्थान, पूणे।

[हिंदी]

विश्वायतन योगाश्रम में योग शिक्षक प्रशिक्षण के लिए चयन

2649. **श्री त्रिलोचन सिंह तुर :**
श्री बलवंत सिंह रामू वालिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार** कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विश्वायतन योगाश्रम में अनेक युवकों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर योग शिक्षक प्रशिक्षण देने से मना कर दिया गया,

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में कोई जांच की गई है, और

(ग) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) विश्वायतन योगाश्रम के प्रबन्ध न्यासी से यह पता चला है कि विश्वायतन योगाश्रम, कटरा में योग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म या जाति के आधार पर मना नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों के वेतनमानों और अन्य लाभों में अंतर

2650. **श्री वी. तुलसीराम** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक, तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों के वेतनमानों और अन्य लाभों में अन्तर है जबकि उनका कार्य एक जैसा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह संविधान के इस नीति निदेशक सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाये ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का अनुरक्षण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है और राज्य विश्वविद्यालयों का राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षण कर्मचारियों को वही वेतनमान और भत्ते संस्वीकृत किए जाते हैं, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तदनुरूपी श्रेणियों को अनुमत्य हैं । राज्य विश्वविद्यालयों के मामलों में गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते वही हैं जो राज्य सरकार के ऐसे ही कर्मचारियों के होते हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत गैर-शिक्षक कर्मचारी

2651. **श्री वी. तुलसीराम** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों और विश्वविद्यालयों में कार्य करने वाले पुस्तकाध्यक्ष पी.टी.आई, आदि जैसे गैर शिक्षक कर्मचारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं;

(ख) यदि हां, तो गैर शिक्षक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत लाए जाने में क्या कठिनाइयां हैं ? और

(ग) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) पुस्तकालय विज्ञान और शारीरिक शिक्षा में अनेक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। इन विषयों के प्राध्यापक, रीडर और लेक्चरर ऐसे विश्वविद्यालयों में नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा, अधिकांश विश्वविद्यालयों में पुस्तकाध्यक्ष और शारीरिक शिक्षा निदेशक हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अध्यापकों के रूप में माना जाता है। अध्यापकों के वेतनमानों की सिफारिश करते समय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रकार के संशोधन के दायरे में पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों को शामिल किया जाता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का अनुरक्षण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है और राज्य विश्वविद्यालयों का खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षण कर्मचारियों को वही वेतनमान और भत्ते दिए जाते हैं, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के तदनुरूपी श्रेणियों को अनुमत्य हैं। राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में वेतनमान और भत्ते वही होते है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के होते हैं। देश में विश्वविद्यालयों और कालेजों के गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा

2652. **श्री वी. तुलसीराम** :

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान रेल गाड़ियों की दुर्घटनाओं के कितने मामलों में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों और घायलों को मुआवजे की राशि दी गई है और अब तक कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है तथा कितने मामलों में अभी इसका भुगतान करना बाकी है :

(ख) क्या यह सच है कि मुआवजे की राशि का भुगतान रेलगाड़ियों की दुर्घटनाओं में

मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों और घायलों को नहीं किया जाता बल्कि यह रेल कर्मचारियों द्वारा गबन कर ली जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के साथ-साथ रेलवे में उच्च अधिकारियों द्वारा मुआवजे की राशि का गबन कर दिए जाने के संबंध में जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पिछले 6 माह के दौरान (मई से अक्तूबर, 1986 तक) भारतीय रेलों पर दुर्घटनाओं के 48 मामले हुए थे जिनमें रेल कर्मचारियों अथवा यात्रियों की मृत्यु हो गई थी या उन्हें गंभीर चोटें आयी थीं।

इन मामलों में अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि तदर्थ दावा आयुक्तों ने या न्यायालयों ने दिये जाने वाले मुआवजे के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया है।

लेकिन, मृतकों के निकट सम्बन्धियों और घायलों को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया था।

(ख) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(ग) जी नहीं।

आंध्र प्रदेश को सिंचाई के लिए अपर्याप्त धन राशि का आवंटन

2653 **श्री बी. तुलसीराम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश राज्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई प्रयोजनों के लिए नाममात्र राशि का आवंटन किया गया है जबकि राज्य में सिंचाई संसाधनों की अत्यधिक कमी है और जो सदैव सूखे का शिकार रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या छठी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य भी धन की कमी के कारण प्राप्त नहीं किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार आंध्र प्रदेश की सिंचाई योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे अधिक धन का आवंटन करने पर विचार कर रही है;

(घ) सातवीं योजना के प्रारम्भिक दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कौन कौन सी योजनाएं यदि कोई हैं शुरू की गई हैं और सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान भी कौन-कौन सी योजनाएं प्रारम्भ की जायेंगी; और

(ङ) आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे आवश्यक धन कब तक उपलब्ध किए जायेंगे ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी नहीं। राज्य के सातवीं योजना के कुल परिव्यय में से सिंचाई सेक्टर का परिव्यय लगभग 27.7% है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सातवीं योजना में चल रही केन्द्र प्रायोजित स्कीमें हैं : कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य में भूजल तथा सतही जल (लघु सिंचाई) संगठनों को सुदृढ़ करना, छिड़काव/ड्रिप प्रणालियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, डीजल पम्पसेटों में सुधार एवं प्रदर्शन तथा नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित विशिष्ट अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाओं के बारे में विश्व बैंक का अध्ययन

2654. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1986 के अमृता बाजार पत्रिका में "डिफेक्ट्स इन इरीगेशन प्रोडक्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विश्व बैंक अध्ययन दल द्वारा बताई गई स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या तात्कालिक और दीर्घकालीन उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) दल ने किन-किन परियोजनाओं में विशेष रूप से त्रुटियां पाई हैं और ये त्रुटियां किस प्रकार की हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी शंकरानंद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समाचार में विश्व बैंक के उस पेपर का उल्लेख है जिसमें मुख्यत: सिंचाई इन्जीनियरों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर लिखा गया है। अनेक राज्यों में जल तथा भूमि प्रबन्ध संस्थान पहले ही गठित किए जा चुके हैं। राज्य स्तर के तथा विशेषज्ञता युक्त प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। जिन क्षेत्रों में वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्था में कमी है, उनका पता लगाया गया है और केन्द्रीय जल आयोग के एक सदस्य के अधीन कार्य-योजना तैयार करने हेतु एक समिति गठित की गई है।

(घ) पेपर में किसी विशिष्ट परियोजना के त्रुटिपूर्ण होने का उल्लेख नहीं किया गया है।

जैव-समसंयोजक परीक्षण वाली औषधियां

2655. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन औषधियों का जैव-समसंयोजक परीक्षण किया गया; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितने प्रतिशत प्रभावोत्पादकता का पता चला ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) देश में जैव-समसंयोजक परीक्षकों की औषधीय अपेक्षा नहीं है और इसलिए इस बारे में सरकारी प्रयोगशालाओं में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

"एड्स" पर नियंत्रण पाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उठाए गए कदम

2656. **डा. गौरीशंकर राजहंस :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में "एड्स" रोग के निरन्तर फैलते जाने के प्रति अपनी चिन्ता प्रकट की है जैसा कि इण्डियन एक्सप्रेस के 25 अक्तूबर, 1986 में समाचार प्रकाशित हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत में "एड्स" रोग पर नियंत्रण पाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सरकार ने 25 अक्तूबर, 1986 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार को देखा है । सीरम-परीक्षण द्वारा संक्रमण का निदान करने के विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने में और एलिसा जांच किटों, एलिसा उपकरण पैकेज तथा वेस्टर्न ब्लाट टेस्ट किटों की खरीद के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता प्राप्त हुई है अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 211 एलिसा जांच किये तथा 30 उपकरण सैटों की पूर्ति की गई है ।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/कदम उठाए गए हैं :

1. एड्स का पता लगाने के लिए 19 निदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त देश में 4 रैफरल केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहां एड्स के निदान के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।
2. एड्स अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना रक्त और रक्त उत्पादों का आयात करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।
3. सभी रक्त बैंकों को हिदायतें दी गई हैं कि वे पेशेवर रक्तदाताओं की जांच करें ।
4. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों/अस्पतालों/यौन-संचारित रोग क्लिनिकों को एड्स के रोगियों का पता लगाने के लिए सतर्क कर दिया गया है ।
5. सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे अस्पतालों और क्लिनिकों में विसंक्रमण करने संबंधी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करें या जहां तक संभव हो, पहले से विसंक्रमित डिस्पोजेबल सिरिंजों और सुइयों को इस्तेमाल करें ।

6. स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के लिए मार्ग-निर्देश सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को भेज दिए गए हैं।

7. लोगों को एड्स, इसकी प्रकृति, संचरण और रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-प्रचार के सभी साधनों को भी इस कार्य में लगाया गया है।

8. भारतीय विश्वविद्यालयों में दाखिल किए जा रहे विदेशी छात्रों की डाक्टरी जांच करने जिसमें एड्स की जांच भी शामिल है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को हिदायतें/मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं।

विमानों की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञों के सुझाव

2657. **डा. गौरी शंकर राजहंस :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान दुर्घटनाओं की जांच करने की प्रक्रिया की पुनरीक्षा करने के सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण

2658. **डा. गौरी शंकर राजहंस :**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री टी. बाल गौड़ :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नव गठित प्राधिकरण की रचना, कार्य और प्राथमिकताएं क्या हैं;

(ग) अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये विभिन्न जलमार्गों के विकास को किस सीमा तक बढ़ावा मिलने की सम्भावना है; और

(घ) क्या जलमार्ग व्यवस्था का सभी दिशाओं में विस्तार करने के लिए कुछ नदियों को जोड़ने पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

जलभूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का वर्तमान संघटन, कार्य और प्राथमिकताएं निम्न प्रकार हैं :

संघटन :

श्री जेवियर अराकल संयुक्त सचिव (परिवहन)	अध्यक्ष
जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार	सदस्य
प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
आयुक्त (रिवर बेसिन) जल संसाधन मन्त्रालय	सदस्य

कार्य : भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 के निबन्धनों में प्राधिकरण को राष्ट्रीय जलमार्गों के सम्बन्ध में निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :—

(i) पोत परिवहन और नौचालन के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग और अनुलग्न भूमि के विकास अनुरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण;

(ii) आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था;

(iii) संरक्षण उपाय और प्रशिक्षण कार्य करना;

(iv) कूड़ा करकट फेंकने आदि जैसी गतिविधियों, जो नौचालन की सुरक्षा और कुशलता पर प्रभाव डाल सकती हैं, का नियन्त्रण करना;

(v) ऐसी रुकावटों को हटाना या परिवर्तित करना जो सुरक्षित नौचालन में बाधा डालती हैं और आधारभूत सुविधाओं की सुरक्षा को जोखिम में डालती हैं;

(vi) नौचालन और यातायात का विनियमन;

(vii) राष्ट्रीय जलमार्ग पर, उसके आर-पार या उसके नीचे संरचनाओं के निर्माण का विनियमन;

(viii) नौचालन और मौसम-विज्ञान सम्बन्धी सूचना देना;

(ix) राष्ट्रीय जलमार्गों पर पायलटेज;

(x) परिवहन के अन्य साधनों के साथ अन्तर्देशीय जल परिवहन का समन्वय;

(xi) अन्तर्देशीय जल परिवहन से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

(xii) जलीय सर्वेक्षण करना और नदी-चार्ट प्रकाशित करना;

(xiii) अन्तर्देशीय जल परिवहन-स्कीमों को तैयार करने और कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की सहायता करना;

(xiv) परामर्श सम्बन्धी सेवाओं का विकास करना;

(xv) आई. डब्ल्यू. टी. पर अनुसंधान का संचालन करना; और

(xvi) जलमार्गों का वर्गीकरण।

प्राथमिकताएं।

(क) राष्ट्रीय जल-मार्गों पर :

(i) नदी संरक्षण और प्रशिक्षण कार्य करना;

(ii) नौचालन और मौसम-विज्ञान सम्बन्धी सूचना देना;

(iii) पायलटेज और जलीय सर्वेक्षण सेवा सम्पोषित करना;

(iv) टर्मिनल सुविधाओं का विकास, सम्पोषण और प्रचालन;

(v) नौगम्य जलमार्गों में मलबा और रुकावटों को हटाना;

(vi) रोड-नियम और सुरक्षा-विनियमों को लागू करना;

(vii) जहां समीचीन समझा जाए क्राफ्टों के लाइसेंस देना;

(ख) अन्य जलमार्गों पर :

(i) यातायात सर्वेक्षणों का संचालन करना;

(ii) आई. डब्ल्यू. टी. विकास-स्कीमों के बनाने और कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को आवश्यकतानुसार सहायता करना;

(iii) जलमार्गों के वर्गीकरण के लिए मानकों का निर्धारण करना;

(ग) गंगा, भागीरथी, हुगली नदी के इलाहाबाद, हल्दिया प्रखंड को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में पहले ही घोषित किया जा चुका है जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना संरक्षण, नौचालन-सम्बन्धी साधनों, टर्मिनलों इत्यादि के विकास से सम्बन्धित स्कीमों के लिए 15.58 करोड़ रुपये की कुल लागत की व्यवस्था की गई है। सुन्दरवन में जलीय सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। सुन्दरवन और ब्रह्मपुत्र नदी पर यातायात अध्ययन पूरा हो चुका है। ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट कैनाल के कोचीन-क्विलोन प्रखंड का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 25.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नौचालन के लिए अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास की गति को तीव्र करने के लिए हाल ही में प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(घ) जल संसाधन मंत्रालय ने, जो इस विषय से सम्बन्धित है सूचित किया है कि

प्रायद्वीपीय नदियों के बहुउद्देशीय विकास के प्रस्ताव की संभाव्यता की स्थापना करने के लिए संचयन जलाशय स्थानों और परस्पर जोड़ने वाले लिंक्स का अध्ययन और अन्वेषण करने के उद्देश्यों के लिए सन् 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की जा चुकी है।

प्रयोगशाला तकनीशियनों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं

2659. **डा. गौरी शंकर राजहंस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में केन्द्रीय अस्पतालों/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में अधिकांश प्रयोगशाला तकनीशियन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नत व्यक्ति हैं और उनकी कोई तकनीक अर्हताएं नहीं हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है; और

(ख) क्या सरकार का रोग निदान सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से प्रयोगशाला तकनीशियनों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएं निर्धारित करने का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रयोगशाला तकनीशियन का पद अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाता है जिनमें वे अर्हताएं निर्धारित की होती हैं जो जरूरी समझी जाती हैं :

पश्चिम रेलवे स्टेशनों में रेल आरक्षण के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग

2660. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन का दिल्ली आरक्षण के लिए कम्प्यूटरों के प्रयोग के संतोषजनक अनुभव को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद और बड़ोदरा और सूरत आदि जैसे कुछ बड़े रेल स्टेशनों पर भी आरक्षण के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अहमदाबाद और बड़ोदरा स्टेशनों पर आरक्षण के लिए कब तक कम्प्यूटरों का प्रयोग शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) पश्चिम रेलवे के अभी फिलहाल केवल अहमदाबाद स्टेशन पर आरक्षण का संगणकीकरण करने के बारे में विचार किए जाने की सम्भावना है। तथापि यह बम्बई स्टेशन पर पश्चिम रेलवे की गाड़ियों के आरक्षण को भी दिसम्बर, 1987 तक संगणकीकृत करने की योजना के अतिरिक्त होगा।

प्रतापनगर-छोटा उदयपुर रेलवे लाइन को बदलना

2661. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलने के बड़ोदरा डिवीजन के प्रतापनगर-छोटा उदयपुर संकरी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए वर्ष 1970 में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) क्या वर्ष 1981-82 में किसी समय इस सर्वेक्षण को अद्यतन किया गया था; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) छोटा उदयपुर-प्रतापनगर खंड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने का यातायात सर्वेक्षण 1971-72 में किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) अलाभप्रद होने तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इस परियोजना का आमान परिवर्तन औचित्यपूर्ण नहीं है।

पश्चिम रेलवे में रेल मार्गों का विद्युतीकरण

2662. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में रेल लाइनों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उन लाइनों का ब्यौरा क्या है, जिनका अभी विद्युतीकरण किया जाना है; और

(ग) इन लाइनों का कब तक विद्युतीकरण किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सम्पूर्ण दिल्ली बम्बई मार्ग को विद्युतीकरण के लिए हाथ में लिया गया है। दिल्ली की ओर से बयाना तक और बंबई की ओर से रतलाम तक के खंड पहले ही विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। इस समय दिल्ली-बंबई मार्ग पर बयाना-रतलाम तथा नागदा-भोपाल खंड का विद्युतीकरण कार्य चल रहा है और 1987 में इसके पूरा होने की संभावना है। मौजूदा कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम रेलवे के किसी अन्य खंड का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कैंसर रोगी

2663. **श्री परुसराम भारद्वाज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला कैंसर रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) क्या यह सच है कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण महिला क्षेत्रों में महिला कैंसर रोगियों की संख्या अधिक है, और

(ग) कैंसर के इलाज और रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) कैंसर से पीड़ित महिलाओं की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वैसे, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री परियोजना सन् 1982 से पुरुषों और महिलाओं दोनों के संबंध में कैंसर के आंकड़े तैयार करती रही है। जनसंख्या पर आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों, बगलौर, बम्बई तथा मद्रास से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर 1982-84 की अवधि में महिला कैंसर की दर प्रति एक लाख महिलाओं के पीछे 75 थी। इस संख्या के आधार पर यह अनुमान है कि हर वर्ष 2,75,100 महिलाओं को कैंसर हो जाता है। यदि हम कोई समय-बिन्दु लें तो भारत में 8,25,300 महिलाएं कैंसर से पीड़ित पाए जाने का अनुमान है।

(ख) अखिल भारतीय आधार पर गांवों तथा नगरों में कैंसर के तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कैंसर अनुसंधान संस्थान, बम्बई द्वारा 1970 के दशक में शुरू में तैयार की गई सूचना के आधार पर महाराष्ट्र के अलीबाग तालुक में प्रति वर्ष एक लाख महिलाओं के पीछे 40 महिलाएं कैंसर रोग की शिकार थीं जबकि 1972 में बम्बई में यह संख्या एक लाख महिलाओं के पीछे 67.4 थी।

(ग) सरकार ने कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम 1975 में शुरू किया था जो अभी भी चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कटक, दिल्ली, गोहाटी, ग्वालियर, मद्रास तथा त्रिवेन्द्रम में 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से बम्बई स्थित क्षेत्रीय-कैंसर केन्द्र परामणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है। ये सभी केन्द्र न केवल कैंसर विशेषकर तम्बाकू के सेवन से होने वाले कैंसर को शुरू में रोकने के लिए बल्कि गर्भाशयी कैंसर तथा अन्य कैंसरों का शीघ्र पता लगाने तथा उसका उपचार करने के लिए आवश्यक सेवाएं भी प्रदान कर रहे है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी कोबाल्ट-थेरापी यूनिटों तथा कैंसर का शीघ्र पता लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सहायता देता है तथा क्रमश: 12.00 लाख रुपये तथा 50,000 रुपये की केन्द्रीय सहायता देता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसधान परिषद ने बंगलौर, बम्बई और मद्रास में जनसंख्या पर आधारित कैंसर रजिष्ट्रियां तथा चण्डीगढ़, डिब्रूगढ़ और त्रिवेन्द्रम में अस्पताल ट्यूमर रजिस्ट्रियां खोल दी हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 को बदलकर अमरावती शहर के बाहर से ले जाना

2664. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, जो इस समय महाराष्ट्र में अमरावती शहर के बीच से होकर गुजरात है, को बदलकर अमरावती शहर के बाहर से ले जाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) अमरावती नगर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-अकोला खंड) पर स्थित है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 पर। अमरावती और बदनेरा नगरों के निकट 14.47 कि. मी. लम्बे संयुक्त बाईपास निर्मित करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए 28.21 लाख रुपये के अनुमान की संस्वीकृति दी गई है। अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% भूमि अधिग्रहीत हो गई है। भूमि का कब्जा मिल जाने के बाद ही आगे के निर्माण कार्यों को संस्वीकृत करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

बम्बई और नागपुर के मध्य सेवाग्राम एक्सप्रेस चलाना

2665. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने गांधी जयन्ती पर बम्बई और नागपुर के मध्य सेवा ग्राम एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की थी, और

(ख) यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अकोला और अमरावती जिले में मूर्तिजापुर-दयापुर मीटर लाइन

2666. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्वामित्व वाली मीटर लाइनों की संख्या क्या है,

(ख) उनके सुधार तथा रखरखाव के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है, और

(ग) क्या अकोला और अमरावती जिले में मूर्तिजापुर दयापुर मीटर रेल लाइन में सुधार करने के लिए किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) श्रीमन् ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्वामित्व वाली रेल लाइनों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारतीय रेल प्रणाली में ऐसी मीटर लाइन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तथापि, मुर्तजापुर और अचलपुर के बीच निजी स्वामित्व वाली छोटी लाइन है जो दरयापुर नामक स्थान से गुजरती है (निकटतम स्टेशन बनोसा है) यह रेलवे लाइन पहले ही भारतीय रेलवे द्वारा संचालित की जा रही है। इस लाइन का ग्रेड बढ़ाने/सुधार करने के लिए कोई योजना नहीं है।

अमरावती में हवाई पट्टी बनाना

2667. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अमरावती में हवाई पट्टी बनाने की योजना को केन्द्रीय सरकार के पास अनुमति के लिए भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राज्य सरकार के स्वयं के खर्च पर, बेलोरा जिला अमरावती पर एक विमान पट्टी के विकास के लिए एक प्रस्ताव, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्राप्त हो गया है।

(ख) जैसा कि राज्य सरकार की आवश्यकता है, राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण द्वारा इन्हें परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

92 डाउन मुज्जफरपुर-टाटा जनता एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना

2668. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 अक्तूबर, 1986 को पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर डिवीजन में उजियारपुर रेलवे स्टेशन के निकट 92 डाउन मुज्जफरपुर-टाटा जनता एक्सप्रेस की दुर्घटना में कितने यात्रियों की मृत्यु हुई और कितने यात्री घायल हुए,

(ख) आरम्भ किये गये राहत कार्यों का ब्यौरा क्या है मृतकों के आश्रितों और घायलों को कितना मुआवजा दिया, गया और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे और दुर्घटना के लिए उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) तीन यात्रियों की मृत्यु हो गई थी और दो यात्रियों को मामूली चोटें आई थी।

(ख) रेलवे डाक्टर तथा सिविल डाक्टर सड़क द्वारा तत्काल वहां पहुँच गये थे और उन्होंने चिकित्सा सहायता प्रदान की थी।

अनुग्रह राशि का उसी दिन भुगतान कर दिया गया था तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने पर किया जायेगा।

(ग) स्टार्टर सिगनल से पहले, जो लाल संकेत दे रहा था, गाड़ी रोकने में ड्राईवर की विफलता के कारण ड्राईवर तथा प्रथम फायरमैन को निलिम्बत कर दिया गया है।
[अनुवाद]

कुड्डालोर, उडुमलपेट और पुनरोटी में रेल लाइन पर ऊपरि पुल

2669. **डा. पी. वल्लल पेरुमान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुड्डालोर उडुमलपेट और पुनरोटी में रेल लाइनों पर ऊपरि पुलों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) कुड्डालोर, उडमलपेट्टे तथा पनरुत्ती में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव रेलों के विचाराधीन नहीं है।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कोई प्रस्ताव प्रयोजित नहीं किया गया है।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर किया गया व्यय और उनसे प्राप्त आय

2670. **श्री सी. जंगा रेड्डी :**
डा. ए. के. पटेल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख परियोजनाओं पर कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है और उनके रख-रखाव पर प्रति वर्ष औसतन कितना व्यय होता है; और

(ख) इन परियोजनाओं से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी वार्षिक आय हुई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द):(क) और (ख)छठी योजना के अन्त तक बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर निवेश लगभग 15,080 करोड़ रुपए था। बृहद परियोजनाओं पर वार्षिक अनुरक्षण व्यय तथा उस पर वार्षिक प्रतिफल के ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं।

सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से मंजूर करना

2671. **श्री जी. एस. बसवराजू :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.:

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों से परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य तेजी से करने के लिए कहा है ताकि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उनकी शीघ्र जांच की जा सके और स्वीकृति दी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों ने स्वीकृति के लिए केन्द्र को अपने प्रस्ताव भेजे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जुलाई, 1986 में हुए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सिंचाई तथा जल संसाधन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि केन्द्र में स्वीकृति हेतु जो समय लगता है उसको कम करने के लिए राज्य स्तर पर परियोजना तैयार करने में सुधार लाना एक अनिवार्य कदम है और यह सिफारिश की कि परियोजना को केन्द्र में भेजने से पूर्व किसी बहुविषयक एकांश द्वारा समेकित आधार पर परियोजनाओं को व्यापक तौर पर तैयार किया जाना चाहिए।

आंख की पुतली (कार्निया) लगाने का आपरेशन कराने के लिए प्रतीक्षा सूची में नेत्रहीन व्यक्ति

2672. **श्री जी. एस. बसवराजू :**

श्री एस. एम. गुरड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रति चार नेत्रहीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पुतली लगाने के आपरेशन के बाद देख सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अधिकांश व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी आंखें दान नहीं करना चाहते हैं और यदि वे अपनी आंखें दान भी करते हैं, तो उनके रिश्तेदार भावुकतावश उनकी आंखें निकालने नहीं देते;

(ग) कितने नेत्रहीन व्यक्ति पुतली लगाने का आपरेशन कराने हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) क्या सम्बन्धित प्राधिकारी भारत में मृत्यु के पश्चात दान की गई आंखों की कमी के कारण इस योजना को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पिछले सर्वेक्षण के अनुसार कार्निया के कारण दृष्टिहीनता से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 25 लाख है। कार्निया के कारण होने वाली दृष्टिहीनता वाले 50 प्रतिशत लोगों को कार्निया आरोपण आपरेशन द्वारा लाभ हो सकता है।

(ख) से (घ) देश का कानून आंखों के केवल स्वैच्छिक दान की ही अनुमति देता है। परम्पराएं, धर्म और भावनाएं नेत्र-दान में बाधक हैं। जनप्रचार के माध्यम से नेत्र-दान आंदोलन को तेज किया गया है। नेत्र-दान के लिए जागरुकता पैदा करने और नेत्र-दाताओं से नेत्र एकत्र करने में स्वच्छिक संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेत्र बैंक के आधार भूत ढांचे को भी चरणबद्ध ढंग से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। 7वीं योजना अवधि के दौरान सहायता देने हेतु 96 नेत्र बैंकों का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 24 को 1986-87 के दौरान सुदृढ़ बनाया जा रहा है। कार्निया आरोपण आपरेशन के लिए प्रतीक्षा कर रहे दृष्टिहीन व्यक्तियों की कुल संख्या के संबंध में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

चुंगी से सम्बद्ध राजमार्ग निर्माण परियोजनाएं

2673. **श्री जी. एस. बसवराजू :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा चुंगी से संबद्ध राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं के लिये आंशिक वित्त प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रायोगिक आधार पर इस प्रकार की दो या तीन परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सीमित संसाधनों और यातायात की नित्य बढ़ती हुई भारी आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कुछ किस्म की स्कीमों के लिए चुनिंदा तौर पर प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने का इरादा किया था। इस प्रयोजन के लिए प्राइवेट सेक्टर से कुछ मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के साथ उपयुक्त प्रस्ताव आमंत्रित किए थे।

कुल निजी पार्टियों ने केवल दो राजमार्ग परियोजनाओं का वित्त घोषण करने के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं, वह भी रियायतों, ऋणों और गारन्टी आदि की कुछ शर्तों के साथ हैं, जो सरकार को स्वीकार्य नहीं हैं।

पृथक राष्ट्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनाने की सिफारिश

2674. **श्री जी. एस. बसवराजू** :

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने पृथक राष्ट्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा नीति तैयार करने की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है,

(ग) यदि हां, तो अन्तरिम रिपोर्ट में क्या मुख्य बातें कही गई हैं और क्या सिफारिशें की गई हैं, और

(घ) क्या सरकार ने समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी मुद्दों की जांच कर ली है और समिति के सुझावों को कब तक कार्यन्वित किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) : संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में एक पृथक राष्ट्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा नीति तैयार किए जाने की बात कही गई है।

सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी समान क्षेत्रों में कार्मिकों की जरूरतों का पता लगाने और अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में निश्चित सिफारिशें करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संसाधन के प्रो. जे. एस. बजाज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें जमा दो स्टेज पर स्वास्थ्य से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की सिफारिश की है। सरकार को अन्तिम रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी।

गोदावरी में बाढ़

2675. **श्री ई. अय्यपू रेड्डी** : क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1986 के दौरान गोदावरी नदी में अभूतपूर्व बाढ़ आई थी;

(ख) आंध्र प्रदेश में धालेश्वर एनीकट के पास बाढ़ के जल प्रवाह की अनुमानित गति क्या थी;

(ग) क्या अभूतपूर्व बाढ़ के कारण आंध्र प्रदेश में पूर्व गोदावरी तथा पश्चिम गोदावरी के जिलों में भारी विनाश हुआ है;

(घ) क्या गोदावरी नदी में आने वाली बाढ़ को नियन्त्रित करने संबंधी कोई योजनाएं हैं;

(ङ) क्या कोलावरम में एक बांध का निर्माण करके गोदावरी के बाढ़ के पानी को कृष्णा डेल्टा में मोड़ने से बाढ़ नियंत्रण, कृष्णा डेल्टा की सिंचाई और तेजी से प्रगति कर रहे औद्योगिक शहर विशाखापत्तनम के लिए नौ परिवहन नहर के माध्यम से जल आपूर्ति में वृद्धि करके तीन प्रयोजन सिद्ध होंगे, और

(च) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार की प्रस्तावित कोलावरम परियोजना को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी. शंकरा नन्द) (क) : जी, हां।

(ख) : लगभग 90,000 क्यूमिक्स (अन्तिम मूल्यांकन)।

(ग) तटबंधों में दरारों से बहते हुए बाढ़ का जल भारी वर्षा के जल से मिल गया तथा धीमे जल निकास से पूर्व तथा पश्चिमी गोदावरी के जिलों में भारी क्षति हुई।

(घ) गोदावरी नदी में बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं राज्य सरकार को तैयार करनी है।

(ङ) और (च) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई पोलावरम परियोजना रिपोर्ट सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन; नौवहन तथा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को जल सप्लाई करने की एक बहुद्देश्यीय परियोजना है। इसके अतिरिक्त इसमें गोदावरी के 80 टी. एम. सी. जल के कृष्णा में व्यपवर्तित किए जाने की परिकल्पना है। तथापि, इस परियोजना में बाढ़ नियंत्रण लाभ के बारे में कोई परिकल्पना नहीं की गई है। अन्तर्राज्यीय पहलुओं, संशोधित विद्युत आयोजना, पर्यावरण संबंधी पहलुओं तथा सिंचाई आयोजना संबंधी मुद्दों को तय करने के पश्चात ही परियोजना को स्वीकृति दिए जाने पर विचार किया जाएगा।

एअर टैक्सी सेवाएं

2676. श्री ई. अय्यपू रेड्डी :

श्री मोहनभाई पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एअर टैक्सी सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो एअर टैक्सी सेवा के लिए कौन से विमान प्रयोग किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या एअर टैक्सी सेवा इण्डियन एअरलाइन्स द्वारा चलाई जाएगी अथवा इन सेवाओं को चलाने का कार्य गैर सरकारी उद्यमियों को सौंपा जायेगा ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सरकार ने देश में हवाई टैक्सी सेवाओं के परिचालन की अनुमति दे दी है।

(ख) विदेशों में निर्मित परन्तु भारत में पहले से उपलब्ध ऐसे टिवन इन्जिन फिक्स्ड विंग वाले विमानों जिनकी सीट क्षमता 10 व्यक्तियों से अधिक न हो और भारत में निर्मित ऐसे विमानों जिनकी सीट क्षमता 19 व्यक्तियों से अधिक न हो, को हवाई टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) कोई भी भारतीय नागरिक, अथवा भारतीय राष्ट्रीयता वाले नागरिकों का समूह अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम हवाई टैक्सी परिचालन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

अखिल भारतीय जल संसाधन परिषद् की बैठकें

2677. **श्री ई. अय्यपू रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना के बाद इसकी कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ख) क्या उक्त परिषद् द्वारा जल संसाधनों के ईष्टतम उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की गयी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की पहली बैठक अक्तूबर, 1985 में हुई थी तथा इसके द्वारा गठित मंत्रियों के दल ने राष्ट्रीय जल नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार किया है जिसको परिषद की अगली बैठक के समक्ष रखे जाने का प्रस्ताव है।

कोरापुट रायगढ़ रेल लाइन

2678. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

श्री राधाकांत डिगाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कोरापुट रायगढ़ रेल लाइन के निर्माण की मूल अनुमानित लागत कितनी थी;

(ख) इस लाइन के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) इस लाइन को पूरा करने के लिए कौन सी तारीख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 112.10 करोड़ रुपये।

(ख) मार्च, 1986 तक इस पर लगभग 34 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। 1986-87 में इसके लिए 20 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

(ग) इस लाइन का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) कोरापुट से मचिलीगुडा तक (20 कि.मी.) चरण-1 दिसम्बर, 1985 में पूरा हुआ था। अक्तूबर, 1986 तक की समग्र प्रगति 12 प्रतिशत है।

प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति

2680. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति करने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना लागू कर दी गई है;

(ख) इस समय केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्यों के बीच योजना के व्यय को बांटे जाने का क्या आधार है;

(ग) क्या इस योजना के पूरे व्यय का वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार शत-प्रतिशत व्यय का वहन किस वर्ष से किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) महिला अध्यापकों की नियुक्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) केन्द्र और राज्यों में इस लागत को 80:20 के आधार पर बांटा जाता है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों में वैयक्तिक पदोन्नति योजना

2681. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में वैयक्तिक पदोन्नति योजना शुरू की गई है,

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों के विभिन्न संस्थाओं में प्राध्यापकों की पदोन्नति के लिए क्या न्यूनतम अर्हता और मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं,

(ग) उन प्राध्यापकों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें पदोन्नत किया गया है तथा उनमें से प्रत्येक की अर्हताएं क्या हैं, और

(घ) क्या यह भी सच है कि वैयक्तिक पदोन्नति योजना के कारण अध्यापन का स्तर गिर रहा है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1 जनवरी, 1983 से कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों के वास्ते एक योग्यता पदोन्नति योजना तैयार की थी। इस योजना का उद्देश्य अध्यापकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देना और उनको व्यावसायिक प्रोन्नति के लिए उचित अवसर प्रदान करना है। इस योजना के कार्यान्वय से संबन्धित दिशा-निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय के लेक्चरारों तथा रीडरों को, जिन्हें अपने निजी ग्रेड में 8 वर्ष का अनुभव है, उनके कार्य और योगदानों के मूल्यांकन के बाद निर्णीत योग्यता के आधार पर क्रमश: रीडरों और प्रोफेसरों के पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है। कालेजों में इस प्रकार की प्रदोन्नतियां लेक्चरारों के उस सेलेक्शन ग्रेड के लिए की जा सकती है जो रीडर के बराबर है। दोनों मामलों में ऐसी पदोन्नति पर धारित उच्च पद पदधारियों के वैयक्तिक पद हैं और किसी भी समय दी गई ऐसी पदोन्नतियों की अधिकतम संख्या उस काडर के पदों की कुल संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे पदोन्नतियां की जाती है। इस योजना को संबन्धित राज्य सरकारों की स्वीकृति से कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों में परिचालित किया गया था।

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने वाले विश्वविद्यालयों और कालेजों में पदोन्नति सभी अध्यापकों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) कुल क्षेत्रों में ये विचार व्यक्त किए गए हैं कि कुछ मामलों में योग्यता पदोन्नति योजना के कार्यान्वयन की विधि से ऐसी आशा उत्पन्न हुई है कि इस प्रकार की पदोन्नति सेवा अवधि पर आधारित होनी चाहिए।

बम्बई में उपनगरीय रेल सेवाएं

2682. **श्री गुरूदास कामत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में मध्य और पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत उपनगरीय रेल सेवाओं में सुधार करने के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव है;

(ख) भीड़भाड़ से बचने के लिए और रेलगाड़ियां चलाए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए नए रेल डिब्बे कब तक उपलब्ध किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या रेलवे प्लेटफार्मों पर स्थित शौचालय गिरा दिए गए हैं; यदि हां, तो क्या इनका पुन: निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलों के पुरानी बिजली गाड़ी रेकों को नयी बिजली गाड़ी रेकों से बदलने उच्च घनत्व वाली गाड़ियों, अधिक गाड़ियां चलाने और लम्बी दूरी की गाड़ियों के परीक्षण करने की योजना बनाई है।

(ख) 1986-87 में 14 रेक और 1987-88 में 10 रेकों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां। इनका फिर से निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि विगत में इनका दुरुपयोग होता रहा है।

[हिन्दी

गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना

2683. **श्री विलास मुत्तमवार** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के भंडारा जिले की गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना को कब तक पूरा कर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था और इसके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धन राशि खर्च हो चुकी है और अभी कितना खर्च किया जाना शेष है; और

(घ) इसे शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (घ) गोसी खुर्द परियोजना जिस पर 372.22 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में दिसम्बर, 1983 में प्राप्त हुई थी तथा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु इसकी जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने इसकी अद्यतन लागत 464.82 करोड़ रुपए बताई है।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना को इसके आरम्भ किए जाने से आठ वर्ष की अवधि में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) राज्य के वार्षिक योजना दस्तावेज में निहित सूचना के अनुसार मार्च, 1986 तक प्रारम्भिक कार्यों पर 2.09 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खेल नीति की उपलब्धियां

2684. **डा. के. जी. आदियोडी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेलों का विकास करने के लिए स्वीकार किए गए राष्ट्रीय खेल नीति संकल्प की क्या उपलब्धियां हैं;

(ख) क्या देश में खेलों का विकास करने के लिए स्कूलों में शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा का प्रसार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) राष्ट्रीय खेल नीति पर स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधिक बढ़े हुए आबंटन की व्यवस्था की है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सातवीं योजना में 200 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, जबकि छठी योजना में 14.73 करोड़ रुपये का आबंटन था। खेलों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार राशि के जरिए स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार देने जैसी नई योजनाएं तथा कई अन्य योजनाएं कार्यान्वयन के लिए मंजूर की गई हैं। चल रही योजनाएं विस्तृत की गई हैं। अब इलैक्ट्रानिक मीडिया पर खेलों का प्रसार भी बढ़ा है।

(ख) और (ग) कई राज्य सरकारें पहले ही खेलों के विकास के लिए खेल स्कूल चला रही हैं। खेलों के विकास के लिए स्कूलों को अपनाने की योजना भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है और इस संदर्भ में खेल छात्रावासों की एक और योजना नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा आरम्भ की गई है।

कालीकट रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए सर्वेक्षण

2685. **डा. के. जी. अदियोडी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट रेलवे स्टेशन के विस्तार सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कालीकट रेलवे स्टेशन के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कोई धनराशि आबंटित की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितनी धनराशि मंजूरी की गई है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित निर्माण कार्यों का पता लगाया गया है :

(1) माल गोदाम प्लेटफार्म पर छत.

(2) माल गोदाम में अतिरिक्त स्थान

(3) पूरक प्लेटफार्म पर पक्का फर्श

(4) दूसरे प्लेटफार्म पर छत।

(ग) जी हां।

(घ) 1986-87 में लगभग 3.65 लाख रुपये खर्च करने का विचार है।

छात्रों के नैतिक और शैक्षिक स्तर में गिरावट

2686. **डी. के. जी. अदियोडी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रसिद्ध शिक्षाविदों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्त इस दृष्टिकोण की जानकारी है कि हाल ही में कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के नैतिक और शैक्षिक स्तर में भारी गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति के पीछे क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां। इन बातों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दर्शाया गया है जिसमें शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर शिक्षण का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने, विश्वविद्यालयों और कालेजों में न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करने; क्षमता के अनुसार दाखिले के विनियमन, पाठ्यचर्या में समायोजनों की व्यवस्था है ताकि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को पैदा करने के लिए शिक्षा को एक सशक्त साधन बनाया जा सके। नीति को कार्यान्वित करने के लिए संसद में अगस्त 1986 में प्रस्तुत की गई कार्रवाही योजना में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं में भौतिक सुविधाओं में सुधार के लिए अनेक उपायों पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या को फिर से तैयार करने, अध्यापकों के प्रशिक्षण और अनुस्थापन की परिकल्पना की गई है।

दिल्ली परिवहन निगम के बस-क्यू शेल्टर

2687. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने यात्रियों के लिए बस-स्टापों पर क्यू-प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो (I) बोर्डों/प्लेटों की रंगाई (II) बोर्ड लगाने (III) नारे पद लिखने और बसों के नम्बर/टाईप लिखने पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) दिल्ली परिवहन निगम अपने प्रयास में कितना सफल रहा है;

(घ) क्या कई बस-स्टापों मे बस-क्यू शेल्टर नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने स्टाप हैं और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) 21579.52 रुपए

(ग) पंक्ति बनाने की प्रणाली शुरू करने के अभियान का परिणाम संतोषजनक रहा।

(घ) जी, हां।

(ङ) 3585 बस स्टापों में से 1541 बस स्टापों पर शेल्टरों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है, 2044 बस स्टापों पर शेल्टर बनाना शेष है। इनमें से अतिरिक्त 400 बस स्टापों पर शेल्टर बनाने का काम शुरू किया गया है। बस-शेल्टरों की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है।

बंगलौर-दिल्ली बरास्ता पुणे विमान सेवाओं का बन्द किया जाना

2688. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और नई दिल्ली बरास्ता पुणे के बीच विमान सेवा बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर विमान सेवा पुनः कब तक शुरू की जाएगी; और

(ग) इस मार्ग पर विमान सेवा शुरू होने तक यात्रियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां। धावनपथ का सतह लेपन किये जाने की वजह से बोईंग 737 के लिए पुणे विमान क्षेत्र के बन्द किए जाने के कारण सेवा बन्द करनी पड़ी थी। इसे कार्य पूरा हो जाने के पश्चात आरम्भ कर दिया जाएगा।

(ग) वैकल्पिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई हैं :

— दिल्ली से पुणे की यात्रा करने वाले यात्रियों को बम्बई में सुविधाजनक विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

— बंगलौर और पुणे के बीच दैनिक एच. एस-748 सेवा उपलब्ध है; और

— दिल्ली और बंगलौर के बीच यात्रियों के लिए बिना रूके एयरबस सेवा उपलब्ध करवाई गई है।

मैसूर बंगलौर रेल लाइन

2689. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर और बंगलौर के बीच बड़ी लाइन के निर्माण पर कितनी लागत आने का अनुमान है :

(ख) इसके निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) मैसूर-बेंगलूरु मीटर लाइन के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन पर 1984 के मूल्य स्तर पर, 26.02 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(ख) अक्तूबर, 1986 तक 6.86 करोड़ रुपये।

(ग) कार्य का पूरा होना आने वाले वर्षों में आमान परिवर्तनों के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बंगलौर-मिराज रेल लाइन

2690. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और मिराज के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधराव सिन्धिया) : (क) और (ख) बेंगलूरु मिराज तथा अन्य सम्बद्ध शाखा लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण 1984 में पूरा किया गया था और यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं पायी गयी थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टीकों आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों तथा विटामिन "ए" घोल की सप्लाई

2691. **श्रीमती डी. के. भंडारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय को वर्ष 1985-86 की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय-पन्द्रह के पैरा 5.1.1 में यह उल्लेख किया गया है कि परिवार कल्याण विभाग सभी टीकों, आयरन और फोलिक एडिस की गोलियों तथा विटामिन "ए" घोल की खरीद करता है और उनकी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई करता हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान उपर्युक्त औषधियों के लिए कितनी-कितनी मांग की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि सिक्किम राज्य को उसकी मांग के अनुसार पूरी सप्लाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि यह किस्तों में सप्लाई की गई है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए उपर्युक्त (क) में उल्लिखित औषधियों की राज्य की मांग से अधिक मात्रा में सप्लाई करने की कोई व्यवस्था की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री ((कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हर वर्ष औषधियां प्रदान की जाती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता। सिक्किम को यह सप्लाई एक किस्त में की गई है।

(ङ) और (च) ये औषधियां आपातिक स्थितियों का सामना करने के लिए नहीं हैं।

धारन्गधरा (गुजरात) के निकट साईडिंग

2692. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग धारन्गधरा (गुजरात) के निकट 5 किलोमीटर बड़ी रेल लाइन साईडिंग बिछाने के लिए 'डिपोजिट वर्क" के रूप में 1.50 करोड़ रुपये खर्च करने हेतु सहमत हो गया है;

(ख) क्या इस रेल लाइन पर नमक की ढुलाई पर अतिरिक्त भाड़ा प्रभार लगाकर इस धनराशि को वसूल करने के लिए कोई तरीका निकाला गया है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजकोट-अहमदाबाद इन्टर-सिटी एक्सप्रेस का थानगढ़ स्टेशन पर रूकना

2693. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट और अहमदाबाद के बीच चलने वाली इन्टर-सिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के थानगढ़ स्टेशन पर रूकने की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) 19.11.1986 से थान स्टेशन पर 153/154 एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव की व्यवस्था कर दी गयी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर तुला सेतु ों का उपयोग

2694. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में सुरेन्द्र नगर, थंगाड़, ध्रांग ध्रां, लीं बड़ी, बीकानेर और मोरयी स्टेशनों पर विभिन्न रेलवे द्वारा तुला सेतुओं का उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इन स्टेशनों से 600 से अधिक उद्योगों को कोयला भेजा जाता है; और

(ग) यदि तुला सेतुओं का उपयोग नहीं किया जाता है, तो रेलवे यह किस तरह सुनिश्चित करता है कि इन उद्योगों को उतनी मात्रा में कोयला मिल रहा है जितनी मात्रा के लिए उन्होंने धन का भुगतान किया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मोरवी में एक तुला चौकी की व्यवस्था है और वह इस्तेमाल में है। धांग ध्रा की तुला चौकी खराब हो गयी है। इस समय सुरेन्द्र नगर, थान, वांकानेर और लिम्बदी में कोई तुला चौकी नहीं है।

(ख) रेलों द्वारा ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) कोयले का लदान कोयला खानों में होता है और जहां तोलने की सुविधायें उपलब्ध हैं वहां बुकिंग से पहले कोयले के डिब्बों को प्रायः तोला जाता है। आमतौर पर गंतव्य स्थलों पर रेलों द्वारा कोयले के डिब्बों को नहीं तोला जाता है। तथापि, परेषिती को लादी गई मात्रा की सुपुर्दगी देने के लिए सभी संभव एहेतियात बरते जाते हैं।

[हिन्दी]

गाड़ियों और प्रतीक्षा गृहों में सिनेमा सुविधा

2695 **श्री आर. एम. भोये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए गाड़ियों तथा प्रतीक्षा गृहों में सिनेमा सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बीकानेर में रानी बाजार रेलवे फाटक पर ऊपरि पुल का निर्माण

2696. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर में अनेक रेलवे फाटक हैं और वहां के लोग रानी बाजार रेलवे फाटक पर ऊपरि पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग ने यह मांग मान ली है,

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने यह रेल पुल मंजूर कर दिया है, और

(घ) यदि हां, तो इस ऊपरि पुल का निर्माण कार्य कब से शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) नक्शों तथा अनुमान को अन्तिम रूप दिये जाने और राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की लागत वहन करने की स्वीकृति दिये जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

रेल लाइन की सतह ऊंची होने के कारण यातायात का ठप्प होना

2697. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरतगढ़-बीकानेर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के समय रेल लाइन बहुत ऊंची बनाये जाने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया है और अस्थायी क्रासिंग भी बन्द कर दिये गये हैं, और

(ख) क्या किसानों के आने जाने की सुविधा के लिए उपयुक्त परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव रेल विभाग के विचाराधीन है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) बिरदवाल स्टेशन पर दो अतिरिक्त समपारों की व्यवस्था की जा रही है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में लिफ्ट सिंचाई योजनायें

2698. **श्री मनफूलसिंह चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984 में राजस्थान सरकार ने पांच लिफ्ट सिंचाई योजनायें मंजूर की थी और इन्दिरा गांधी मुख्य नहर का शिलान्यास किया था और इन योजनाओं पर कार्य शुरू करने के विचार से खुदाई भी शुरू कर दी थी;

(ख) यदि हां तो इन पांच लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं और अब तक सर्वेक्षण और खुदाई पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इन पांच योजनाओं के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या इन्दिरा गांधी नहर विभाग ने कोलायत और गजनेर, नागौर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के संगमरमर की आधारशिलाओं पर अंकित शिला लेखों को मिटा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने परियोजना के चरण-दो में 5 लिफ्ट सिंचाई स्कीमें शामिल करने हेतु 1983 में निर्णय लिया था। इन लिफ्ट स्कीमों पर कुछ मिट्टी कार्य भी आरम्भ किया गया।

(ख) ये लिफ्ट सिंचाई स्कीमें हैं : सहवा, गजनेर, कोलायत, फलोदी तथा पोकरन। अब तक व्यय की गई राशि के ब्यौरे राज्य सरकार से एकत्र किए जा रहे हैं।

(ग) इन 5 लिफ्ट सिंचाई स्कीमों की अनुमानित लागतें हैं : ससबा—97.59 करोड़

रुपए, गजनेर-50.36 करोड़ रुपए, कोलायत-79.79 करोड़ रुपए, फलोदी—48.41 करोड़ रुपए तथा पोकरन—-23.76 करोड़ रुपए ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अलवर राजस्थान में भर्तृहरी की समाधि की जीर्ण शीर्ण स्थिति

2699. **श्री राम सिंह यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिजारा शहर, जिला अलवर, राजस्थान के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित "भर्तृहरि की समाधि" नामक प्राचीन स्मारक जीर्ण शीर्ण स्थिति में है;

(ख) क्या यह केन्द्रीय पुरातत्व विभाग की देखरेख और रख रखाव के अधीन है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्मारक के नष्ट होने से संरक्षण और बचाव के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया गया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान में भर्तृहरि समाधि के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन स्मारक राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार ने यह सूचित किया है कि यह जीर्णावस्था में नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास के लिए न्यास

2700. **श्री पी. एम. सईद** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ सरकारी उपक्रमों का पुरूष और महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण तथा विकास के लिए एक न्यास की स्थापना करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन सरकारी उपक्रमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिनका विचार प्रस्तावित न्यास में धन देने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में भूमिगत जल का उपयोग

2701. **श्री पी. एम. सईद** : क्या जल ससाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भूमिगत जल के उपयोग संबंधी परियोजना का वित्तपोषण कृषि प्रयोजनों संबंधी अन्तर-राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की सहायता की पेशकश की जा रही है और यह परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जायेगी; और

(ग) इस परियोजना से कितना लाभ होगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने उत्तरी बिहार के 26 जिलों में बिहार राजकीय नलकूप परियोजना के लिए 68 मिलियन अमरीकी डालर का क्रेडिट स्वीकृत किया है :

(ग) पूर्ण विकास पर कृषि उत्पादन एवं रोजगार प्रजनन के तहत परियोजना के परिशुद्ध लाभ निम्नवत् हैं :—

1.	कमान क्षेत्र को लाभ पहुँचना	= 4,47,000 हैक्टेयर
2.	खेतीहर परिवारों को लाभ पहुंचना	= 4,95000
3.	बढ़ा हुआ खाद्य उत्पादन	= 2,47,000 रुपये प्रति वर्ष
4.	खेत पर अतिरिक्त रोजगार बढ़ना	: 8 मिलियन व्यक्ति दिवस

माल परिवहन में गिरावट

2702. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :**
श्री राधाकान्त डिगाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई और अगस्त, 1986 में रेल माल भाड़े से प्राप्त राशि में काफी कमी आई है जिसके कारण इससे पहले के तीन महीनों में किया गया अतिरिक्त लदान भी निरर्थक हो गया है और रेलवे पांच महीनों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में कितनी कमी आई है और जून से अक्तूबर, 1986 तक की अवधि में रेलवे को माल परिवहन की कुल कितनी हानि हुई;

(ग) इसके क्या कारण हैं और कौन-कौन से रेलवे जोन लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे; और

(घ) क्या रेल मन्त्रालय का माल परिवहन में हुई हानि को पूरा करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) कुछ क्षेत्रों से कम यातायात प्राप्त होने के कारण जुलाई और अगस्त, 1986 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में लदान

में मामूली गिरावट आई है लेकिन इससे पूर्ववर्ती अवधि में अधिक लदान करने के कारण रेलें अभी भी लक्ष्य से ऊपर हैं।

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में लदान में कोई गिरावट नहीं आई है। जून से अक्तूबर, 1986 तक की अवधि के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में लदान में 0.68 मिलियन टन अथवा केवल लगभग आधा प्रतिशत की मामूली गिरावट आयी है। तथापि पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान किए गए लदान की तुलना में यह लदान 4.23 मिलियन टन अधिक है।

(ग) कार्यक्रमबद्ध थोक यातायात कम प्राप्त होने के कारण यह मामूली गिरावट आई है। गिरावट मुख्यत: दक्षिण-पूर्व, मध्य और दक्षिण रेलों में आई है।

(घ) रेलों ने इस गिरावट को पूरा करने के लिए कुछ क्षेत्रों में अन्य यातायात की ढुलाई की है और इस कारण समग्र लदान पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक है। अधिकाधिक लदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर माल ढुलाई निष्पादन की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है।

दक्षिण मध्य रेलवे में बंगलोर-मद्रास-बम्बई जनता एक्सप्रेस के इन्जन का पटरी से उतरना

2703. **श्री धर्मपालसिंह मलिक :**
श्री सुभाष यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर-मद्रास-बम्बई जनता एक्सप्रेस का इन्जन 27 अक्तूबर, 1986 को दक्षिण मध्य रेलवे के गुन्टकल डिविजन में नारायणपेट रोड और लिंगिरी स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गया था;

(ख) यदि हां, तो पटरी से उतरने के क्या कारण थे; और

(ग) इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन्जन के पटरी से उतरने की घटना रेल पटरी के टूटने के कारण घटी थी। चूंकि यह एक रेलपथ की खराबी का मामला है अत: कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं पाया गया है।

बोगियों और कोचों का आधुनिकीकरण

2704. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के पूर्वी छोर पर चलने वाली एक्सप्रेस रेल-गाड़ियों में यात्री डिब्बों की स्थिति का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) हावड़ा से उड़ीसा को जाने वाली रेलगाड़ियों में यात्री डिब्बों को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) सभी सवारी डिब्बों के निरीक्षण के लिए रेली के पास एक सुस्थापित प्रणाली है। सवारी डिब्बों का निरीक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है जो प्रत्येक फेरे के बाद निरीक्षण किए गए निरीक्षण से शुरू होता है और बाद में कार्यक्रमानुसार अन्य आवधिक निरीक्षण होते हैं। इन निरीक्षणों के दौरान सवारी डिब्बों की सफाई, पानी की भराई, खराब यात्री सुविधाओं का बदलाव तथा संरक्षा फिटिंगों सहित सभी पहलुओं पर उचित ध्यान दिया जाता है। इन निरीक्षणों के अलावा अधिकारियों तथा निरीक्षकों के स्तर पर भी निरीक्षण किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का भारत के पूर्वी तट पर चल रही एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में भी अनुसरण किया जा रहा है।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है कि इस खंड पर सवारी डिब्बे अच्छी हालत में रखे जाएं।

[हिन्दी]

लोहरदग्गा से टोरी तक नई रेल लाइन बिछाना तथा रांची, लोहर, दग्गा रेल को बड़ी लाइन में बदलना

2705. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या रेल मन्त्री लोहरदग्गा से टोरी तक नई रेल लाइन बिछाने तथा रांची लोहरदग्गा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण के बारे में 3-4-1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची से लोहारदग्गा तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के पश्चात लोहारदग्गा से टोरी तक एक नई रेल लाइन बिछाने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मान्यता प्राप्त पत्रकारों को यात्रा रियायत

2706. **श्री संफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शीघ्र ही यात्रा रियायत दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा किस-किस श्रेणी के पत्रकारों को दी जाएगी;

(ग) क्या यह सुविधा केवल समाचार पत्रों के पत्रकारों को ही दी जाएगी अथवा पत्रिकाओं के पत्रकारों को भी प्रदान की जाएगी; और

(घ) क्या क्षेत्रीय भाषाओं के पत्रकारों को भी यह सुविधा दी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मान्य सभी पत्रकारों को पहले तथा दूसरे दोनों दर्जों में यात्रा रियायत पहले ही उपलब्ध हैं। बहरहाल, 11.9.1986 से पहले दर्जे में रियायत की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गयी है।

(ग) और (घ) अंग्रेजी तथा प्रादेशिक दोनों भाषाओं के समाचार पत्रों, मैगजीनों तथा पत्रिकाओं के मान्य पत्रकार मौजूदा रियायत के पहले ही पात्र हैं।

पोर्ट इन्जीनियरिंग श्रमिक यूनियन, हावड़ा से प्राप्त पत्र

2707. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोर्ट इन्जीनियरिंग श्रमिक यूनियन, हावड़ा से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या मामले उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त ज्ञापन की जांच की है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरी पीतमपुरा दिल्ली में रहने वाले कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

2708. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरी पीतमपुर, दिल्ली तथा आसपास की कालोनियों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) नार्थ पीतमपुरा में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार

स्वास्थ्य योजना औषधालय, शकूरबस्ती के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं ।

(ख) और (ग) किसी क्षेत्र में एक नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए यह जरूरी है कि उस क्षेत्र के इर्दगिर्द 3 किलोमीटर के अन्दर 2000—2500 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पक्के तौर पर रहते हों । जैसे ही केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या से सम्बन्धित मापदण्ड पूरा हो जाएगा, बशर्ते साधन उपलब्ध हों, नार्थ पीतमपुरा और नजदीक की कालोनियों में नये औषधालय खोल दिए जायेंगे ।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कृपया हमें आप एक-एक करके बोलने की अनुमति दें ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप इस ओर देखते ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा इस ओर देखता हूँ । कौन बोलना चाहता है ?

श्री बसुदेव आचार्य : भोपाल गैस दुर्घटना में केन्द्रीय जाँच ब्यूरों द्वारा पता लगाये गये कुछ महत्पूर्ण निष्कर्षों को यूनियन कारबाइड के प्रबन्धकों तक पहुँचा दिया गया है यद्यपि जाँच कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है । यह एक बहुत गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले ही आपका नोटिस प्राप्त हो गया है और यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । मैं इस पर गौर करूँगा और पता लगाऊँगा कि यह ठीक है अथवा नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जानबूझकर जिम्मेदारी को टालने का प्रयास हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर गौर करेंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमनें नोटिस दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आज मिला है और मैं इस पर गौर करूँगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पहले भी मैंने नोटिश दिया था ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम इसे कुछ दिनों से उठा रहे हैं और हमें एक ही तरह का जवाब मिल रहा है ।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : सरकार को कम से कम इस सदन को बताना चाहिए···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल आपको बुलाया था ।

[अनुवाद]

मेरे पास सूचना है जिसे मैं आपको देना चाहता हूँ ।

[हिन्दी]

लेकिन आप मिले नहीं। मैंने बहुत तलाश किया।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप : उस व्यक्ति ने आकर मुझे बताया कि अदालत में सुनवाई के पश्चात मन्त्री महोदय एक वक्तव्य देंगे। कम से कम उन्हें इस सदन के सामने आकर बताना चाहिए कि सरकार क्या कदम उठा रही है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे।

[अनुवाद]

हम इसे करेंगे। हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। चिंता मत कीजिए। मुझे यह मिल गयी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार से कहिए कि वह इसे बहुत ही गंभीरता से लें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

हम इसे करेंगे।

[हिन्दी]

श्री वी. तुलसी राम (नगरकुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सदन में दो रोज पहले टैरारिस्टों के बारे में डिसकसशन हुआ। आज वहां पुलिस अफसरों और कांस्टेबलों को मारा गया। इस डिसकसशन का क्या मतलब होगा ?

अध्यक्ष महोदय : पूरा-पूरा होगा।

श्री वी. तुलसी राम : इसका कोई खास उपाय होना चाहिए। वहां पुलिस अफसरों को मार रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत बुरा है।

[अनुवाद]

श्री टी. बशीर (चिरायिकिल) : खेल के क्षेत्र में हमारे खराब प्रदर्शन पर आप एक चर्चा करने के लिए तैयार हो गये थे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : करेंगे साहब।

[अनुवाद]

श्री टी. बशीर : कल 'आई. ओ. ए.' ने आगामी ओलम्पिक खेलों में हमारे खिलाड़ी न भेजने का फैसला किया है। यह बात उनके प्रतिवेदन में है। यह बहुत गंभीर बात है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपसे जो वायदा है वह पूरा निभायेंगे।

[अनुवाद]

श्री टी. बशीर : अब उन्होंने एक प्रतिवेदन दे दिया है। मेरे विचार से आप यह करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पूरा वायदा निभायेंगे।

[अनुवाद]

हम वायदा पूरा करेंगे।

[हिन्दी]

दूसरा अगर उर्दू का शेर कह दूं तो कहूंगा कि "वो वायदा ही क्या जो वफा हो गया।"

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप : शून्य काल में आज आप बहुत उदार हैं।

डॉ. दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : शून्य काल में आज आप बहुत मैत्रीपूर्ण हैं।

श्री टी. बशीर : आज आपने जो दृष्टिकोण अपनाया हैं हम उसकी प्रशंसा करते हैं। आप इस को बनाये रखें। हम सब इसका स्वागत करते हैं तथा हम आपको बधाई देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सब केवल आप सदस्यों पर निर्भर करता है। आपने अच्छा बर्ताव किया अतः मैं बहुत खुश हूँ और मैं सहयोग कर रहा हूँ। जब आप सब पचास से ज्यादा, खड़े हो जाते हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्या सुनूं और किसे सुनूं।

श्री वसुदेव आचार्य : आप हमें एक-एक करके अनुमति दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा काम करने से मुझे कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

मैं यहां आपकी सहायता करने के लिए हूं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें उस प्रत्येक मामले पर चर्चा करनी चाहिए जो राष्ट्रीय हित में है।

श्री वसुदेव आचार्य : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : कोई दिक्कत नहीं है मैं सहमत हूं और मैंने पहले ही कदम उठा लिये हैं। मैं अवश्य तथ्यों का पता लगाऊंगा कि यह सच है। अथवा नहीं। उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। क्यों नहीं ? हम यहां किस लिए आये हैं ? अगर आप सिर्फ इतनी सी बात मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

12.02 म. प.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत अधिसूचनायें

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) नियम, 1986, जो 20 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 496 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल. टी. 3248/86]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) सा. का. नि. 1123 (अ), जो 1 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाओं पत्तन कर्मचारी (बाल शिक्षा भत्ता) (संशोधन) विनियम, 1986 की स्वीकृति दी गई है।

(दो) सा. का. नि. 1162 (अ), जो 23 अक्तूबर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास सामान्य (संशोधन) विनियम, 1986 को स्वीकृति दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल. टी. 3249/86]

(3) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण :-

(एक) जल भूतल परिवहन विभाग (परिवहन खण्ड) रोकड़ अधिकारी भर्ती नियम, 1986 जो 16 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 630 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) परिवहन मंत्रालय, जल भूतल परिवहन विभाग (स्टाफ कार ड्राइवर और डिस्पेच राइडर) भर्ती नियम, 1986 जो 16 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 631 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) परिवहन मंत्रालय, जल भूतल परिवहन विभाग (परिवहन खण्ड) आंतरिक कार्य अध्ययन एकक (कनिष्ठ विश्लेषक और अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1986

जो 23 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 649 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल. टी.-3250/86]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1196 (अ), जो 12 नवम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या. 389/76-सं.शु. रद्द की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1197 (अ), जो 12 नवम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 132/86-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि 1.28 अथवा अधिक के विशिष्ट घनत्व वाले पी. वी. सी. कम्पाउन्डों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट दी जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 3251/86]

12.03 म. प.

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1986 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 नवम्बर, 1986 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों में लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 नवम्बर, 1986

को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 नवम्बर, 1986 को पारित किये गये किशोर न्याय विधेयक, 1986 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 18 नवम्बर, 1986 को हुई अपनी बैठक में पारित शिशु, दुग्ध खाद्य और पोषण बोतल (उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1986 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

12.04 म. प.

शिशु दुग्ध खाद्य और पोषण बोतल उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम विधेयक, १९८६

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में शिशु दुग्ध खाद्य और पोषण बोतल (उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1986 सभा पटल पर रखता हूं।

लोक लेखा समिति

की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण

[अनुवाद]

श्री ई. अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : मैं निम्नलिखित विवरणों के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

1. संघ उत्पाद शुल्क-टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले माल को छूट के बारे में चौदहवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उक्त प्रतिवेदन के अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

2. 10-टन की पीठिका (शैसी) और उस पर बनाए गए वाहनों की खरीद और इस्तेमाल के बारे में 189वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उक्त प्रतिवेदन के अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

12.05 म. प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

देश के विभिन्न भागों में मस्तिष्क ज्वर महामारी के बड़े पैमाने पर फैलने का समाचार

[हिन्दी]

श्री अैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ?

"देश के विभिन्न भागों में मस्तिष्क ज्वर महामारी के बड़े पैमाने पर फैलने के समाचार और इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : अध्यक्ष महोदय, जापानी मस्तिष्क-ज्वर वाइरस-सम्बन्धी ··

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खुजराहो) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी हिन्दी जानती हैं, हिन्दी में प्रश्न हुआ है, हिन्दी में ही जबाव आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक लोक तंत्रवादी हूँ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय जी, जापानी एन्सेफेलाइटिस एक वाइरल रोग है जो मुख्यतया क्यूलेक्स-विश्नूई नामक प्रजाति के मच्छर तथा अन्य किस्मों के मछरो द्वारा फैलता है। यह रोग मच्छरों के काटने से फैलता है। आमतौर पर इसका संक्रमण पक्षियों, सूअरों और पशुओं तक ही सीमित रहता है। मनुष्य में संक्रमण के मच्छर ग्रहण कर लेते हैं। इस रोग का संचरण मनुष्य पर आकर खत्म होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का संचरण एक मनुष्य में नहीं होता। यह छूत का रोग नहीं है और पशुओं का गोश्त खाने और उनका दूध पीने से नहीं फैलता।

इसके संक्रमण से अल्पावधि के लिए तीव्र शोथ रोग हो जाता है जो दिमाग, रीढ़ की नाल और मस्तिष्कावरण को प्रभावित करता है। इससे तानिका-क्षोभ के लक्षण, अर्थात सिर दर्द कमर में दर्द, गर्दन में अकडन और तेज बुखार तथा बेहोशी भी हो सकती है। मृत्यु आमतौर पर दिमाग की क्षति के कारण होती है। इसकी मृत्यु दर आमतौर पर 60 प्रतिशत तक है।

नवीनतम सूचना के अनुसार, 1986 के दौरान देश के सात राज्यों, नामतः असम, आंध्र, प्रदेश, बिहार, कर्नाटक मणिपुर, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से जापानी एन्सेफेलाइटिस के कारण कुल 1358 मौतें सूचित की गई हैं।

राज्यवार घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	रोगी	मौतें
1. असम	897	385
2. आंध्र प्रदेश	1338	367
3. बिहार	67	11
4. कर्नाटक	117	29
5. मणिपुर	15	5
6. तमिलनाडु	70	28
7. उत्तर प्रदेश	1549	533
कुल	4053	1358

जापानी इन्सफेलाइटिस की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की घटनाओं की सूचना नियमित रूप से एकत्र करके उनका विश्लेषण करता है।

2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे मैलथियान फॉगिंग/यू.एल.वी. के छिड़काव के अलावा जहां से भी इस रोग की सूचना मिले उस स्थान के 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में वी.एच.सी./डी.डी.टी. का छिड़काव करें।

3. एन.आई.वी., पुणे, स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली रोगियों को सलाह देने और उनका निदान करने के काम में लगे हुए हैं।

4. राज्यों और क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालयों से यह अनुरोध किया गया है कि वे जापानी इन्सेफेलाइटिस के नियंत्रण के लिए राज्यों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखें।

5. जापानी इन्सेफेलाइटिस को रोकने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा बी.एच.सी./डी.डी.टी. और मैलाथियान सप्लाई की जाती है।

6. इस रोग से प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा फॉगिंग/यू.एल.वी. मशीनें सप्लाई की जाती हैं।

7. जापानी इन्सेफेलाइटिस के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा तेज कर दी गई है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं कि वे इस रोग को रोकने के लिए कार्यवाही करें।

8. असम सरकार को उपलब्ध स्टाक में से जापानी इन्सेफेलाइटिस वैक्सीन की 9000 खुराकें सप्लाई की गई हैं। तथापि, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल ने, जिसके अन्य सदस्यों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के स्वास्थ्य सेवा निदेशक भी सदस्य हैं, राय दी है कि महामारी के दौरान वैक्सीन देने का कोई लाभ नहीं होता और जब यह रोग फैल चुका हो तो महामारी-रोधी उपाय के रूप में वैक्सीन देने की सलाह नहीं दी जाती।

[हिन्दी]

श्री जंगल ठक्कर : अध्यक्ष जी, आज हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया। आज मस्तिष्क ज्वर की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनकर पूरे देश के सामने खड़ी हो गई है। रोजाना बड़ी संख्या में लोगों के मरने की खबरें मिलती रहती हैं। माननीय मन्त्री जी ने अपने बयान में ब्योरा दिया है राज्यवार, जो लोग इस बीमारी से पीड़ित होकर मरे हैं लेकिन यह ब्योरा इस बात पर आधारित है कि जो रोगी अस्पताल में आकर मरे होंगे उन्हीं के बारे में यह ब्योरा है लेकिन बड़ी संख्या में रोगी अस्पताल तक पहुँच नहीं पाते हैं और यह बीमारी ऐसी है कि अगर बहुत जल्दी रोगी को इलाज न पहुँचाया जाये तो वे मर जाते हैं। और इलाज की जो सुविधा तथा अस्पतालों की जो सुविधा हमारे गांवों में है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इससे बहुत बड़ी संख्या में कई गुना अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित होकर मर रहे हैं और उनके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुँच रही है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में यह बीमारी एक भयंकर रूप धारण कर चुकी है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसका प्रकोप है। असम का नाम इसमें नहीं आया लेकिन पिछले दिनों खबर मिली थी कि असम में भी यह बीमारी काफी तेजी के साथ फैली हुई है।
12.13 म.प.

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए।]

और यह बीमारी कोई अभी नहीं आ गई है 23 नवम्बर, 1981 को इसी माननीय सदन में माननीय सदस्य श्री हरीश रावत तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने इसी बीमारी के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था और उस समय भी जिस तरह का आज ब्योरा दिया गया है, उस समय भी ब्योरा दिया गया था। माननीय मन्त्री जी ने बहुत जोरदार तरीके से उस समय कहा था कि इस बीमारी को दूर करने के लिए सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं और किये जायेंगे। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि यह बीमारी हटने का नाम नहीं ले रही है बल्कि मुझे तो डर है कहीं यह बीमारी और अधिक भयानक रूप न ले ले क्योंकि जैसा बताया गया है, यह बीमारी अधिकतर मच्छरों से पैदा होती है। जिस तेजी के साथ मच्छर बढ़ रहे हैं, यह आप सभी लोग जानते हैं और माननीय सदन जानता है। यहां तक कि दिल्ली में भी जहां हम लोग रहते हैं, जहां दो-तीन साल पहले मच्छरों का नाम नहीं था, आज हम लोगों का सोना मुश्किल हो गया है। सारे के सारे मच्छर हर घर में हर कमरे में पहुंच गए हैं। यह सोचना पड़ रहा है कि शायद दिल्ली में भी मच्छरदानी लगाकर सोना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली की ही नहीं, बल्कि दूसरे शहरों की

हालत भी खराब है। जिस तेजी के साथ इस देश से मच्छर हटा दिए गए थे, उससे अधिक तेजी के साथ इस देश में मच्छर फिर से बढ़ रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि लोग मलेरिया से मर रहे हैं और मस्तिष्क ज्वर की बीमारी से भी लोगों का मरना स्वाभाविक है। मैं पूछना चाहता हूं, मच्छरों के उन्मूलन के लिए सरकार क्या कार्यक्रम चला रहे हैं। जिस तरह से पहले मच्छरों को हटाने का कार्यक्रम तेजी के साथ चलाया गया था, उतनी तेजी के साथ अब कार्यक्रम क्यों नहीं चलाया जा रहा है। कहीं-कहीं पर तो यह भी सुनने में आया है कि अब मच्छर रहेंगे, लेकिन मच्छर की बीमारी नहीं रहेगी। क्या यह सही है कि मच्छर रहेंगे और मच्छर की बीमारी नहीं रहेगी? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है, जब मच्छर रहेंगे, तो मच्छर की बीमारी भी रहेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मच्छरों के उन्मूलन के लिए व्यापक रूप से कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए और खासकर गांवों में यहां पर कि गन्दगी बहुत बढ़ गई है। पीने के पानी की सुविधा जिन-जिन गांवों में पहुँची है, वहां पानी की निकासी न होने की वजह से बड़ी संख्या में मच्छर पैदा हो गए हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खास कर गांवों में इस बीमारी के लिए जहां अस्पताल भी है, वहां दवाइयों का इन्तजाम नहीं है। इस बीमारी के लिए कोई दवा जल्दी उपलब्ध नहीं होती है। जब लोग अस्पताल में जाते हैं, तो डाक्टर मदद करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में इस बीमारी को दूर करने के लिए जो भी दवायें हैं, उनको खास कर गांवों के प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स तक पहुंचाया जाए। प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स ही ऐसे हैं, जो गांवों के सबसे करीब होते हैं। लोग वहां पहुंच सकते हैं, इसलिए इन दवाओं को प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स तक पहुंचाने की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए।

इस ध्यान में यह भी बताया गया है कि डाक्टरों की राय के मुताबिक कोई वैक्सीन इसके लिए जरूरी नहीं है। एक तरफ यह कहा गया है कि यह छूत का रोग है, कम्यूनिकेबल-डिजीज है, और दूसरी तरफ यह बताया गया है कि इसके लिए कोई वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई डाक्टर नहीं हूं और जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, मैं उसको मान लेता हूं, लेकिन फिर इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी। इसकी रोक-थाम के लिए कोई ऐसी दवा है या नहीं है? यदि है, तो लोगों को प्रिकांशनरी तौर पर खिला दी जाए, तब यह बीमारी न हो। अगर कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इस प्रकार की दवा है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा वितरण होना चाहिए। खास कर जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां यह बीमारी तेजी के साथ फैली हुई है, वहां युद्धस्तर पर ऐसी दवाओं को भेजना चाहिए और युद्धस्तर पर मरीजों को ऐसी दवायें देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्या इस मामले में वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनिजेशन से कोई सहायता मांगी गई है या नहीं मांगी गई है। यदि मांगी गई है, तो क्या कोई सहायता मिली है या नहीं मिली है? क्योंकि यह बीमारी ऐसी है, जिसको जापानी मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है। संभवतः यह बीमारी जापान से होकर आई है। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनिजेशन ने भी इस मामले में रिसर्च की होगी, इस मामले में उन्होंने कोई आविष्कार या कोई दवायें निकाली होंगी, तो क्या इस मामले में उनसे मदद ली गई है या कोई मदद लिए जाने के बारे में सरकार सोच रही है?

एक बात और भी हमारे सामने आई है। यह बीमारी ज्यादातर उन जगहों पर फैल रही है, जहां पर कि सूअर बड़ी संख्या में पाले जाते हैं। सूअर पूरे देश में लगभग हर जगह बड़ी संख्या में खासकर जहां गरीब लोगों की बस्ती है, कमजोर लोगों की बस्ती है, वहां बड़ी संख्या में सूअर पाले जाते हैं, क्या ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है ? जहां सूअर पाले जाते हैं, वहां विशेष रूप से इस बीमारी की रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है ? यही कुछ सवाल मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। धन्यवाद

[अनुवाद]

श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर राव (अमलापुरम)* : सभापति महोदय, जापानी एन्सेफैलाइटिस नामी वाइरस ज्वर जिसे सामान्यतः मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, देश के सात राज्यों में व्यापक रूप से फैल चुका है। पहले ही सहस्त्रों बच्चे इस भयानक रोग से मर चुके है। यद्यपि स्थिति ऐसी है फिर भी इस अत्यन्त भयानक रोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि चिकित्सा क्षेत्र में हमारे अनुसंधानकर्ता क्या कर रहे है। जब मस्तिष्क ज्वर का रोग बच्चे को लगता है, तो उसको प्रमस्तिष्कीय क्षति पहुँचती है। आक्रांत बच्चा अपनी मानसिक योग्यता से वंचित रहेगा। बहुत से मामलों में बच्चे या तो इस रोग से मर जाते हैं अथवा यदि वह बच भी जाए तो वह या तो दृष्टि से वंचित रहेंगे अथवा स्थाई रूप से मानसिक तौर पर अपंग हो जाते है। उनके शरीर तथा मन को स्थाई क्षति पहुंचती हैं। महोदय मेरे आन्ध्र प्रदेश राज्य में, यह रोग 23 में से 18 जिलों में फैल चुका है। अभी तक मेरे जिले में 500 से अधिक बच्चे मर गए हैं। वर्षा ऋतु, के दौरान और विशेषकर नवम्बर के दौरान मस्तिष्क रोग फैल जाता है। इस अवधि के दौरान मच्छर फैल जाते हैं। यह सभी जानते हैं कि मस्तिष्क ज्वर मुख्तः मच्छर के कारण फैल जाता है। यद्यपि सभी जानते हैं कि मच्छर का काटना मूल कारण है, अभी तक स्पष्ट रूप से इस ज्वर का कारण देखने के लिए कोई अनुसंधान कार्य आरम्भ नहीं किया गया है और इसका बचाव भी नहीं ढूंढ सके कुछ लोग कहते है कि मच्छरों के अतिरिक्त, सूअर और पक्षी भी इस उरावने ज्वर को फैलाने में सहायक होते हैं। महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस ज्वर को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इस रोग को फैलने की संभावना को खत्म करने के लिये अब सुअरों को गांवों से पांच कि. मी. दूर रखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी केन्द्र सरकार से दस लाख टीकों का अनुरोध किया था अगर आवश्कता पड़े तो यह विदेशों से आयात कर लिए जायें। लेकिन मुझे खेद है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर कोई कार्यवाही नहीं की है। महोदय केन्द्रीय सरकार भी इस रोग को दूर करने और नियत्रित करने में समान रूप से उत्तरदायी है इसलिए उन्हें आंध्र प्रदेश को अपेक्षित टीके भेजने में शीघ्रता करनी चाहिए। हाल ही में 'कार्क' बैठक की समाप्ति पर, जिसमें राज्य और केन्द्र सरकार के शासनाध्यक्षों ने भाग लिया था, हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने घोषणा की थी कि बच्चों की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा, और इस वर्ष की समाप्ति तक किसी भी बच्चे को उचित चिकित्सा की कमी के कारण मरने नहीं दिया जायेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे मस्तिष्क ज्वर से मर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का विचार इस

* मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भयानक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है । हमने देश से मलेरिया जैसी बीमारी के उन्मूलन में सफलता प्राप्त करली है । मलेरिया के उन्मूलन के लिये युद्ध स्तर पर कार्य किया गया । अब उपयुक्त समय है जब हमें मस्तिष्क ज्वर के उन्मूलन के लिये युद्ध स्तर पर प्रभावी उपाय करने हैं । अनुसंधान कार्य अधिक जोरदार ढंग से करना पड़ेगा । हमें मस्तिष्क ज्वर के कारण और समाधान दोनों का पता लगाना है । हमें इस बीमारी के नियन्त्रण के लिए निवारक उपायों के बारे में भी जानने का प्रयास करना चाहिए । कारगर दवाइयों का भी पता लगाना चाहिए । इस बीमारी को सदा के लिए खत्म करने की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए केन्द्रीय सरकार की यह मुख्य जिम्मेदारी है।

महोदय बच्चे देश के भावी नागरिक हैं । अगर मस्तिष्क ज्वर से हजारों बच्चे मरेंगे तो क्या कल देश में कोई नागरिक बचेगा ;

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया आंध्र प्रदेश में लोग अनपढ़ और सीधे-सादे हैं । ऐसे समय में जबकि विशेषज्ञ भी इस मस्तिष्क ज्वर के कारणों और समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मेल-जोल ग्रामीणों से इसके नियन्त्रण के लिये आवश्यक और निवारक कदमों के लिये कैसे आशा कर सकते हैं । साधारणतः इस रोग के छः घन्टे के बाद बच्चा मौत का शिकार हो जाता है इस लिए माता-पिता को शीघ्र कार्यवाही के लिए सतर्क रहना चाहिए इस लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उचित प्रचार किया जाये कि मस्तिष्क-ज्वर के आक्रमण के बाद कौन-कौन से शीघ्र कदम उठाने चाहिएं इस प्रयोजन के लिए प्रचार के सभी विभागों और केन्द्रीय सरकार के एन ई पी एण्ड एच विभाग को तुरन्त सतर्क करना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों को इस बारे में बिना समय गंवाये उचित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए । रुके हुए पानी और कीचड़ को जहां मच्छर पैदा होते हैं को निकालने के लिये भी कदम उठाये जाने चाहिएं । इस बीमारी को दूर करने के लिए सरकार को ये और अन्य बहुत आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को मैंने अभी सुना है । मैं केवल उसमें एक या दो मुद्दे जोड़ना चाहूंगा क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने इस घातक बीमारी के बारे में पहले ही बोला है यह बीमारी इस देश के लिए नई नहीं है शायद यह बीमारी इस देश में चार या पांच वर्ष पूर्व ही आई थी । कर्नाटक विधान सभा में भी हमने इस पर कई बार चर्चा की है । प्रत्येक वर्ष इससे सैकड़ों मौतें हुई हैं । निःसन्देह हमारे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि केवल चालू वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं अब तक के आंकड़े 1400 के करीब है मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस बीमारी का इलाज हो सकता है या नहीं । माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार विशेषज्ञों की राय है कि यह टीका इतना प्रभावी नहीं हुआ है । आपने इसका विकल्प क्या सोचा है ? क्या सरकार ने किसी विकल्प पर विचार किया है । आप विभिन्न राज्यों को टीके भेज रहे हैं आपने 5000 टीके आसाम को भेजे हैं । कर्नाटक राज्य और टीकों का अनुरोध कर रहा है । उन्हें इसकी आवश्यकता है । क्या सरकार ने विशेषज्ञों की इस राय को स्वीकार कर लिया है ? क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि और अधिक टीके भेजना लाभदायक नहीं है । अगर ऐसा है तो इसके विकल्प क्या

हैं ? हमारे भारतीय वैज्ञानिक लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिक हैं। क्या हम इस बीमारी के लिए टीका ढूंढने में समर्थ नहीं हैं ? क्या हम अपनी प्रयोगशालाओं मे इस विशेष जापानी टीकों को नहीं बना रहे हैं। क्या यह भारत में बनाया जाता है या दूसरे देशों से इसका आयात किया जाता है ? माननीय मंत्री महोदय कृपया इस पर विस्तार से बतायें।

यह बीमारी पहले कर्नाटक के कोलार जिले में जो कि डा. वेंकटेश का है नोटिस की गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि अब कर्नाटक में मृत्यु के आंकड़े 29 हो गये है। हम हर रोज स्थानीय समाचार-पत्रों में विशेष रूप से कोलार और बेलरी के इन दो अत्यधिक पिछड़े जिलों में हुई मृत्यु के समाचारों को पढ़ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारे विशेषज्ञों की राय क्या है ? चिकित्सा समाचारों के अनुसार जिन्हें मैंने पढ़ा है इसे रोका जा सकता है जब हम सफलतापूर्वक इस देश से मलेरिया जैसी बीमारी को दूर करने में सफल हो सके हैं तो क्या हम इस विशेष मच्छर को समाप्त नहीं कर सकते। हम जानते है कि यह बीमारी संक्रामक नहीं है। लेकिन यह महामारी है और इसको रोका जा सकता है यह पूर्णतया सामाजिक आर्थिक प्रश्न है। यह राज्य सरकारों की अधिक जिम्मेदारी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसे गम्भीरता से लें और इस विशेष विषय की चर्चा के लिए ही सभी स्वास्थ्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलायें। उत्तर प्रदेश में 533 मौतों की; आंध्र प्रदेश में 367 और आसाम से 385 मौतों की सूचना मिली है। यह कोई थोड़े आंकड़े नहीं हैं। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है और हमें इस टीके को ढूढने के लिए समर्थ होना चाहिए। किसी और बात के अलावा, पर्यावरण स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस घातक बीमारी के बारे में लोगों को शिक्षित करने और निवारक उपायों को बताने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन का स्वच्छन्द प्रयोग किया जाना चाहिए। स्वच्छ जल, स्वच्छता और वैज्ञानिक स्वास्थ्य विज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की आवश्यकता लोगों की शिक्षा है विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। यह बहुत आवश्यक है मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के सहयोग से इसे नियंत्रित कर सकेगा और 1987 में प्रवेश करते ही आपको इस बीमारी का टीका मिल जायेगा। इलाज से परहेज बेहतर है। पूरे देश में निवारक उपाय किये जाने चाहिएं जिससे कि यह घातक बीमारी फिर न फैले।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के प्रति मैं पूरा सम्मान रखते हुए, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बयान से इसकी पूरी गंभीरता स्पष्ट नहीं होती। इसमें 1358 डेथ बतायी गयी है। मुझे डर है कि इतनी डेथें तो केवल उत्तर प्रदेश के अन्दर हुई होंगी, इस बीमारी से हुई होंगी। यह बात हो सकती है कि जो गरीब लोग हैं उनके मामले रजिस्टर नहीं हो पाते या वे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। आपको इस मजबूरी को हम समझते हैं। वहां नैनिताल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह हलद्वानी है। वहा करीब 57-58 लोग मरे हैं। यह वहां के अस्पताल के लोगों की दी हुई जानकारी है।

एक तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को कहा जाना चाहिए कि जितनी गंभीर स्थिति है उसके अनुसार वे अपने साधनों को इसके प्रिवेन्टिव मेजर में लगाएं।

अधिकांश मौतें गरीबों में होती हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं होता। जो सक्षम आदमी हैं, स्वस्थ आदमी हैं वे इसके वायरस के अटेक को झेल लेते है लेकिन गरीब आदमी इसको नहीं झेल पाता है क्योंकि उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं होता। विशेषकर इसका असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चों पर जब यह वायरस अटेक करता है तो या तो उनकी मौत हो जाती है, अगर उनकी मौत नहीं होती है तो परमानेंट डिसेब्लिटी हो जाती है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो प्रिवेन्टिव मेजर्स है उनको अधिक स्ट्रेंगदन करने की जरूरत है। वी.एच.सी. या डी.डी.टी. इत्यादि जो इस समय उपलब्ध हैं वे इस समय इतनी इफेक्टिव नहीं हैं कि वह उस मच्छर को जो इसके वायरस को केरी करता है नष्ट कर सकें। वह मच्छर इतना पूर्ण हो चुका है इतना आदि हो चुका है कि बी.एच.-सी. या डी.डी.टी. छिड़कने के बाद वह मच्छर मरता नहीं है। अब तो मलेरिया का मच्छर दिल्ली में भी बहुत कामन हो गया है। मैं समझता हूं कि दिल्ली में भी मलेरिया से कई डेथे हुई हैं। इसके वायरस की वजह से। इस वायरस के विषय में आप गंभीरता से स्टैप लें। उन लोगों को कहा जाना चाहिए कि बी.एच.सी. और डी डी. टी. और मैलाथियान इतनी इफेक्टिव नहीं हैं। या तो इनकी इफेक्टिव डोज काम में लायी जाए या मेन्युफेक्चरर इसको इफेक्टिव बनाए। दूसरी बात यह है कि जापान में सबसे पहले इसका अटेक हुआ था, उसके बाद कोलार डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटक में है, 1980 में वहां यह बीमारी प्रकट हुई थी, तब से लेकर अब तक मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में भी एक से अधिक बार इस मामले को उठाया जा चुका है और हर बार माननीय मन्त्रीगणों का एक ही जवाब इसका प्राप्त होता है कि इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयत्नों का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है।

सभापति महोदय, जापान से जो वैक्सीन इम्पोर्ट करते हैं, वह भी इनइफेक्टिव है। यहीं डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में और दूसरी जगह लोगों को यह वैक्सीन लगाया गया, इसके बाद भी कई लोगों पर इस वायरस का इफेक्ट हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी जगह कोई इफेक्टिव वैक्सीन मंगाई जानी चाहिए, किसी दूसरे देश से, जहां कहीं भी उपलब्ध हो दूसरा हमको अपने साइन्टिस्ट्स को यह चैलेज देना चाहिए, नेशनलाइन्स्टीट्यूट आफ वायरालाजी, पूना, स्कूल आफ ट्राफिकल मेडिसन कलकत्ता, अन्य भी इस तरह की संस्थाए हैं, जिनका आपने जिक्र किया है, इन साइन्टिस्ट्स को यह जाब सौंपा जाना चाहिए। यदि हम कहेंगे कि 6 साल के अन्दर हम कोई वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाए हैं, मेडीसन डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिसके जरिए इसके इफेक्ट को रोका जा सकता है, लोगों को मरने से बचाया जा सकता है तो यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है और विशेष तौर पर नरसिंह राव जी जैसे मन्त्री के अधीन इस विभाग के होते हुए यह काम अवश्य होना चाहिए। आज यह चैलेंज कोई एक दिशा में नहीं है बल्कि बहुत सारे राज्यों से आ रहा है। आसाम में 500 से ज्यादा मौतें हुई हैं, आपने स्वयं बताया है, उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बताया ही है, इसलिए मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वैक्सीन कितने समय में तैयार होगी, इसके लिए कोई टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम बनाएंगे अगर ऐसा है तो हमको यह बताने की कृपा करें। इसके अलावा प्रिवेटिव मेजर जैसे बी.एच.सी., डी.डी.टी. का छिड़काव किया जाता है, यह इफेक्टिव नहीं हैं, इनको और इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : श्रीमान् अपने हस्तक्षेप के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये कुछ रचनात्मक सुझावों के लिए मैं उनका आभारी हूं । प्रत्येक मुद्दे को अलग से लेने की बजाय मैं, सदन में जापानी एंसेफेलाइटिस के सम्बन्ध में एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

समस्त देश में लगभग 400 जिलों में से 62 जिले इस रोग से प्रभावित हैं । इस प्रकार, सबसे पहली बात यह है कि जब हम इस रोग का प्रभाव इन 62 जिलों तक सीमित रखने के सक्षम हैं अर्थात दूसरे जिलों में जहां इसका खतरा है, फैलने नहीं देते हैं तो इस समस्या पर तत्काल नियंत्रण किया जा सकता है अतः हमें इन 62 जिलों पर ध्यान केन्द्रीत करना होगा और आस-पास के जिलों में भी कुछ उपाय करने होंगे । इस तरह की योजना होनी चाहिए ।

जिस जिले में यह एंसेफेलाइटिस रोग फैल जाता है तो आप वहां क्या कदम उठाते हैं ? उस जिले में हमेंशा यह रोग नहीं फैलता । कुछ मौसम होते हैं जब महामारी फैलती है और यह महामारी दो तीन महीने तक चलती है । यह अपने आप खत्म हो जाती है अर्थात जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु आरम्भ हो जाती है तो यह रोग समाप्त हो जाता है । रोग वाहक लोगों की संख्या कम हो जाती हैं और इस प्रकार यह रोग अपने आप खत्म हो जाता है । इस प्रकार, इस रोग का प्रभाव अधिक सांघानिक होता है और सिर्फ इन दो या तीन महीनों में मौतें ज्यादा होती हैं । इस प्रकार, इस रोग पर प्रहार करने का समय भी हमारे पास बहुत कम होता है । क्षेत्र के साथ-साथ समय भी सीमित होता है । इस रोग पर आक्रमण करने के दो तरीके हैं । यह सर्वविदित है कि जापानी एंसेफेलाइटिस का कोई इलाज नहीं है । यह बात सर्व-मान्य है । जापान में भी जहां पर यह शुरू हुआ था और विश्व के किसी भी देश में भी इसका कोई इलाज नहीं है । अतः इस रोग के लिए किसी विशिष्ट उपचार या दवाई की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए हमें इस बात के बारे में भूल जाना चाहिए । फिलहाल किसी दवा का पता लगाने अथवा उसे दे सकने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

एक माननीय सदस्य : अन्य व्यवस्थाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं तो सिर्फ एक प्रकार की दवा की पद्धति के बारे में बात कर रहा हूं जिसके लिए अब तक प्रयास किया गया है । अगर दूसरी पद्धतियों के बारे में कोई प्रश्न है तो हम निश्चित तौर पर अध्ययन करेंगे । हमने कुछ हद तक इस पर अध्ययन किया है किन्तु इन पर आगे परीक्षण करने की आवश्यकता है । हम एक निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि क्या अन्य पद्धतियों के पास इसका इलाज है । फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है और यह निष्कर्ष है जिसके आधार पर हमने इस प्रश्न पर विचार करना है ।

जब कोई इलाज नहीं होता है तो दो बातें की जा सकती हैं । हम जानते हैं कि जब कोई महामारी फैलती है तो टीका लगवाना भी बेकार हो जाता है । काफी समय पहले हमने चेचक के रोगियों को देखा है । जब एक गांव में चेचक वास्तविक रूप में फैलती है तो आप उस समय टीके लगाने शुरू नहीं करते हैं क्योंकि उस स्थिति में टीका लगाना पूर्णतया बेकार तथा अनुपयोगी

होता है। टीका एक निवारक उपाय होता है न कि उपचारात्मक उपाय। जो कुछ दूसरे टीकों के बारे में सत्य है वही इस एन्सेफेलाइटिस के टीके के बारे में भी सत्य है। जब आन्ध्र प्रदेश और असम में यह रोग फैला तो उस समय स्थिति के बारे में जानना और टीके भेजने का प्रश्न बेकार समझा गया क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। अतः जब एक रोग का आक्रमण होता है और महामारी फैलती है तो क्या करना चाहिए। हमने इस मुद्दे तक अपना भाषण सीमित रखना है। सबसे पहले इस रोग से प्रभावित लोगों को पृथक किया जाना चाहिए, आपको परीक्षण करते हुए घर-घर जाना पड़ेगा और अगर आप इस रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसे तुरन्त अस्पताल पहुँचाना चाहिए। क्योंकि अस्पताल में कोई विशेष दवा नहीं होती इसलिए साधारणतया वे रोगलाक्षणिक इलाज करते हैं। अगर रोगी को सिरदर्द है तो उसका शीघ्र ही इलाज कर दिया जाता है। एक अच्छे से अच्छे अस्पताल में भी यह सब कुछ ही किया जाता है। एन्सेफेलाइटिस रोग के संबंध में यह स्थिति है।

मान लो, एक गांव इस रोग से प्रभावित हो जाता है किन्तु इसका प्रभाव सभी लोगों पर नहीं पड़ता है। प्रभावित लोगों को अस्पताल में ले जाया जाता है। बाकी बचे हुए लोगों के लिए आप क्या करते हैं ? यह एक सम्बद्ध प्रश्न है। आपको वहां यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गांव में मेलाथीयन अथवा डी. डी. टी. का उपयुक्त छिड़काव हो। आपने उस गांव में रोग वाहक प्रभाव पर नियंत्रण करना होगा और ऐसे समय में सिर्फ यह सब कुछ किया जा सकता है। ये कुछ मापदण्ड हैं जिनके अधीन हमें इस रोग का इलाज करना होगा।

जहां तक टीके का संबंध है, यह टीका बाजार में नहीं मिल सकता। यह विश्व में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको आर्डर देना होगा और उत्पादक को इसका निर्माण करना होगा। सिर्फ तब ही आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कुछ समय लगेगा। असम और जिन दूसरे स्थानों पर इस रोग का आक्रमण है वहां पर अब हम यह टीका भेज सके या नहीं इसकी कोई बात नहीं क्योंकि परिणाम वही है, क्योंकि इस रोग के फैलने के बाद टीके का उपयोग बेकार है। हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिया गया यह सर्वसम्मत विचार है। इस प्रकार, सामान्य समय में जब आप लोगों को प्रतिरक्षित करना चाहते हैं सिर्फ तब ही इस टीके का उपयोग ठीक होगा। सामान्य समय में इस टीके की कितनी मांग है ? हमारी मांग इतनी है कि इसका निर्माण हमें खुद करना होगा। हमारी निर्माण सुविधा स्थापित की जा रही है। यह अन्तिम चरणों में है। फरवरी, 1987 तक हमारे टीके के निर्माण का परीक्षण किया जायेगा। इसके बाद एक-दो वर्ष के अन्दर हम यह टीका बना पायेंगे और देश में इसका उपयोग कर सकेंगे और देश के अन्दर इसका उपयोग करेंगे और जहां पर आवश्यकता होगी इसका आयात भी किया जायेगा। अगले कुछ वर्षों में हम इसके उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जायेंगे। इस बीच अगर हम इस रोग को नियंत्रण करने में समर्थ हो जाते हैं तो टीके की आवश्यकता कम हो सकती है। अब टीके की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अगर आप रोग पर नियंत्रण कर लेते हैं, इसके प्रभाव को रोग ग्रस्त क्षेत्रों तक सीमित रखने में कामयाब हो जाते हैं और अगर इन सभी बातों को एक साथ करते हैं तो इसका प्रभाव यह होगा कि टीके की आवश्यकता बहुत कम हो जायेगी। टीके के निर्माण के सम्बन्ध में यह स्थिति है।

मेरे विचार में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए सभी मुद्दों का यह संक्षिप्त विवरण है।

सौभाग्यवश, एन्सेफेलाइटिस पर नियन्त्रण, मच्छरों पर नियन्त्रण के बराबर प्रभावकारी होगा, क्योंकि यह रोग व्यक्ति के सम्पर्क से नहीं फैलता है; व्यक्ति में ही यह रोग समाप्त हो जाता है और वहां से यह आगे नहीं बढ़ता। इसलिये, मच्छरों पर नियन्त्रण आवश्यक है। मच्छरों को विभिन्न तरीकों से नियन्त्रित करना होगा। मुझे बताया गया है कि इस रोग के फैलने का एक कारण यह है कि हमारे देश से काफी मात्रा में मेंढकों की टांगों का निर्यात किया जा रहा है। हमें वाणिज्य मंत्रालय से यह पता लगाना होगा कि क्या मेंढकों की टांगों का निर्यात करना और मेंढकों द्वारा मच्छरों को खाने की प्राकृतिक व्यवस्था को समाप्त करना देश के लिए उचित होगा। ये मेंढक मच्छरों पर जीवित रहते हैं और इन मच्छरों को मनुष्यों की जान लेने के लिये खुला छोड़ देना, क्या वास्तव में उचित होगा—यह देखना होगा।

ये वे मामले हैं जिनका पता चला है, जो अब तक किए गए अध्ययन के फलस्वरूप पता चले हैं। मुझे यकीन है कि यद्यपि तुरन्त तो नहीं, लेकिन बाद में इसे समाप्त करना सम्भव हो सकेगा। हम यह मलेरिया के मामले में कर पाये हैं। दुर्भाग्य से यह बीमारी फिर से अपने पुराने रूप में आ गई है क्योंकि कुछ सालों तक बीच में हमने उतनी सावधानी नहीं बरती है जितनी हमें प्रभावी रूप से इस रोग से बचाव के लिए बरतनी चाहिये थी, परन्तु मुझे यकीन है कि यदि यह काम एक बार किया जा सकता है तो यह दोबारा भी किया जा सकता है क्योंकि चाहे यह जापानी इन्सेफेलाइटिस हो या मलेरिया हो इसे रोकने का तरीका एक ही है। इस रोग को दूर करने का तरीका यह है कि मच्छरों का उन्मूलन किया जाये रोग के लक्षणों को दूर करने का उपचार हो तथा रोग निरोधक टीके का इस्तेमाल किया जाये, ये ही इस रोग के निवारण के तीन तरीके हैं और इन्हें अपनाया गया है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके परिणाम कुछ समय के बाद मिलने लग जायेंगे···(व्यवधान)।

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें; मन्त्री महोदय अन्य पद्धतियों के बारे में भी पहले जिक्र कर चुके हैं।

12.43 म. प.

कार्य मंत्रणा समिति

तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा 19 नवम्बर, 1986 को सभा में पेश किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 नवम्बर, 1986 को सभा में पेश किए गये कार्य मंत्रणा समिति के तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.44 म. प.

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक आधुनिक संचार उपकरणों से सुसज्जित "वन संरक्षण बल" गठित करने की आवश्यकता

श्री एम. एल. झिकराम (मांडला) वर्तमान में अवैध रूप से वनों की कटाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। यदि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कड़े कदम नहीं उठाये तो निश्चय ही अगले दशक तक जमीन वन विहीन हो जायेगी। जिसका प्रभाव वर्षा एवम् पर्यावरण पर भीषण रूप से पड़ेगा। अवैध रूप से वृक्षों की कटाई करने वालों के गिरोह के ऊपर बड़े लोगों का वरदहस्त होता है और वह हथियारों से लैस रहते हैं। इस हालत में जंगल की रक्षा करने वाले दो-चार फोरेस्ट गार्ड रेंजर आदि क्या कर सकते हैं ? ऐसी लाचार स्थिति में या यह लोग चुपचाप अपनी आंखों के सामने अवैध कटाई देखने को मजबूर रहते हैं या छिप जाते हैं अथवा उन्हीं गिरो: का साथ देकर बहती गंगा में हाथ धोते हैं। यदि इनमें से किसी ने इन्हें रोकने की ईमानदारी दिखलायी तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे अनेक प्रकरण सामने आये हैं कि ईमानदार कर्मचारी व अधिकारी इन गिरोहों द्वारा मार दिए गये हैं और उनके परिवार बेसहारों की स्थिति में दिन गुजार रहे हैं।

अत: मेरा निवेदन है कि वनों की रक्षा हेतु "वन सुरक्षा दल" का गठन अलग से किया जाये तथा उनके दस्तों के लिए वायरलेस, गाड़ियां और आधुनिक आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित किया जाये।

साथ ही विगत 3 वर्षों के भीतर जितने भी आरा मशीन के लाइसेंस दिये गये हैं उनको भी कैंसिल किया जाये।

(दो) चम्बल घाटी के पिछड़े क्षेत्रों और यमुना नदी के एक भाग के विकास संबन्धी कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री गंगाराम (फिरोजाबाद) : चम्बल घाटी के सर्वाधिक पिछड़े, क्षेत्र और यमुना नदी

के एक भाग के जहाँ पर डाकू समस्या विद्यमान है, विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 300 करोड़ रुपये वाली एक योजना बनाई थी जिससे कि उक्त नदी के दोनों ओर कुछ दूरी पर घने बीहड़ों की भूमि के स्वरूप को भूमि संरक्षण कार्यक्रम से पुल एवं पक्की सड़कें बनाकर कृषि कार्यों के लिए सिंचाई की व्यवस्था के साथ-साथ सारे क्षेत्र के लिए पेय जल उपलब्ध करा कर तथा औद्योगिक इकाईयां लगाकर, बदला जा सकेगा, ताकि जो लोग डकैतियां डालने एवं अन्य अपराध करने के लिए मजबूर हैं, वे अपना जीवन यापन इमानदारी से कर सकें और कानून का पालन करने वाले नागरिकों की तरह शान्ति से जीवन व्यतीत कर सकें। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार मिलकर इ. इ. सी के सहयोग से कर रही हैं। यह भी पता चला है कि परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है और शुरू में आगरा जिले के बटेश्वर और पिनहाट स्थानों पर स्थायी पुल बनाने और शिकोहाबाद जंक्शन के निकट, जहां से बटेश्वर का रास्ता जाता है, रेल लाइन पर एक उपरि पुल बनाने के लिए 14 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है। परन्तु अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। जैसे कि पहले सुझाव दिया गया था डाकू समस्या से ग्रस्त क्षेत्र आगरा जिले के फतेहाबाद तहसील में यमुना नदी पर शकरपुर के स्थान पर पक्का पुल बनाने की स्वीकृति भी अभी तक नहीं दी गई है। केन्द्रीय सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जन महत्व के इन कार्यों को शीघ्र आरम्भ किया जाये क्योंकि डाकू समस्या फिर से उभरने लगी है।

(तीन) बुन्देलखण्ड क्षेत्र का विकास करने और डाकुओं को समाप्त करने के लिए बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण को विशेष धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न सूचना प्रस्तुत करना चाहता हूं।

वर्ष 1983 में केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के डाकूग्रस्त क्षेत्रों में डाकू उन्मूलन के लिए तथा इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक विकास के लिए विकास प्राधिकरण गठित किये थे। मध्य प्रदेश में भी 5 जिलों में बुन्देलखण्ड का विकास प्राधिकरण गठित हुआ था, जिसका अलग से बजट न होने के कारण कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है।

निवेदन है कि इसको अलग से कम से कम 50 करोड़ रुपये का बजट दिया जाये जिससे कि वहां विकास कार्य हो सके, डाकूओं का उन्मूलन हो सके और क्षेत्र का विकास हो सके।

(चार) राजस्थान के बूंदी और कोटा नगरों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिए पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, राजस्थान में हाडौती क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। प्राचीन मन्दिरों तथा किलों, तालाबों एवं अत्यन्त रमणीक चम्बल नदी की कन्दराओं तथा दरागेम सेंक्चुरी से भरपूर यह क्षेत्र पर्यटकों के द्वारा खूब

सराहा गया है। इस क्षेत्र में बून्दी का विख्यात महलगढ़ व किला देखने काबिल है। पहाड़ी पर बने हुए किले व महलों की दीवारों पर जो चित्रकला बनी हुई है वह अद्वितिय है तथा महल व किले की बनावट भी बहुत ही सुन्दर लुभावनी है। जिस पहाड़ो पर वह किला बना है, वह भी काफी रमणीय है। बूंदी शहर पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन सकता है। विदेशी पर्यटक इस किले के महलों बावड़ियों और तालावों की सराहना करते नहीं थकते हैं। परन्तु दुर्भाग्य से राज्य सरकार के पास धन उपलब्ध न होने के कारण हाड़ोती क्षेत्र के कई स्थान जिनमें बूंदी कोष अटरू के गढ़गज का मन्दिर, रामगढ़ का भड़देवरा रावतभाट का वाडोली का मन्दिर तथा आलनियां की शैल चित्रकारी स्थल पर्यटक स्थान घोषित नहीं हो सके एवं इन क्षेत्रों का पर्यटन की दृष्टि से विकास नहीं हो सका। बूंदी व कोटा की मिनियेचर तस्वीरें विश्वविख्यात है तथा अमूल्य हैं। कोटा व बूंदी में कई हवेलियों व गड़ों व महलों की दिवारों पर जो पुराने समय की चित्रकारी की गई है वह भी अद्वितीय है तथा दर्शनीय है पर ऐसे स्थानों का पर्यटकों के बीच प्रचार-प्रसार विदेशी मुद्रा भी एकत्रित करेगा।

मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि राज्य सरकार पर न छोड़कर स्वयं भारत सरकार बूंदी शहर को एवं कोटा के उपरोक्त विभिन्न स्थानों को पर्यटन केन्द्र घोषित कर, इनके विकास के लिए समुचित धनराशि राज्य सरकार को दें तथा पर्यटकों निगम को भी इन स्थानों को विकास हेतु प्रोत्साहित करें तथा कोटा की दरागेम सेंचुरी के विकास हेतु भी धनराशि उपलब्ध करायें।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा में बरहामपुर (गंजम) से बासपल्ला तक रेल लाइन बिछाने और उसे उड़ीसा के खुर्दा और बोलनगीर से जोड़ने की संभाव्यता की जांच करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : देश में रेल संचार व्यवस्था सबसे कम उड़ीसा में विकसित हुई है। उड़ीसा में खुरदा से बोलनगीर के बीच एक रेल लाइन के निर्माण की व्यहार्यता के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गई थी और यह सर्वेक्षण कार्य 'रायट्स' को सौंपा गया है और इस पर काम चल रहा है। कुछ महीनों में समुद पर पर एक पत्तन (बरहामपुर के निकट) बन कर तैयार हो जायेगा ! स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के इस क्षेत्र के दौरे के वक्त तथा साथ ही वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा उड़ीसा के गंजम जिले के दौरे के समय लोगों ने बरहामपुर (गंजम) से दासपिल्ला अथवा बौद्ध तक एक रेल लाइन के निर्माण की मांग की थी, ताकि रेल लाइन को खुर्दा और बोलानगीरी के मध्य जोड़ा जा सके जिससे उड़ीसा के पांच अविकसित जिलों को, जोकि गोपालपुर पत्तन के भीतरी प्रदेश हैं आत्म-निर्भर बना कर लाभान्वित एवं विकसित किया जा सके।

इस सर्वेक्षण पर 25 लाख रुपये खर्च होंगे। यह बताया गया है कि निधियों की कमी है। उड़ीसा सरकार ने रेल विभाग को यह बताया है कि यदि केन्द्र यह खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है तो वह इसका वहन करेगी। गंजम जिला योजना बोर्ड ने भी तुरन्त रेल लाइन का

सर्वेक्षण करने के लिए और जिला योजना निधियों में से खर्च का प्रावधान करने के लिए संकल्प पारित करके यह मांग की है। इसलिए बरहमपुर (गंजम) से दासपल्ला अथवा बौद्ध के बीच एक रेल लाइन बिछाने की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु 'राइट्स' को इस संबन्ध में तुरन्त सर्वेक्षण करने के लिए कहा जाये।

(छः) नेपाल में भुतहीबालन नदी के क्षेत्र में एक तटबन्ध और एक जलाशय के निर्माण के बारे में नेपाल सरकार के साथ बात-चीत करने की आवश्यकता

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : जैसा कि इस सम्मानीय सभा में पहले कई बार जिक्र किया गया है, उत्तरी बिहार हर वर्ष नेपाल में हिमालय से अद्भूत नदियों से आई बाढ़ से घिर जाता है। ऐसी ही एक नदी भुतई बालान है। यह भारत में बिहार के मधुबनी जिले में लऊ काही नामक स्थान से प्रवेश करती है। यह राज्य का एक सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है।

नदी की विभीषिका को रोकने के लिए बोकई बालार के निकट एक तटबन्ध बनाया गया था। यह तटबन्ध भी इस वजह से अप्रभावी रहा क्योंकि नदी ने पिछले दो वर्षों में अपनी जलधारा बदल दी है। स्थानीय लोगों को तब तक कोई राहत नहीं मिल सकती है जब तक नेपाल के उस क्षेत्र, जहां पर यह नदी बहती है में तुरन्त एक तटबन्ध न बनाया जाये।

यदि नेपाल में जलाशय के साथ-साथ एक तटबन्ध बनाया जाये तो इससे न केवल मिथिला की बाढ़ समस्या हल होगी, बल्कि उससे पर्याप्त विद्युत उत्पादन भी किया जा सकेगा जिससे भारत और नेपाल दोनों को लाभ होगा। इसके अलावा नियंत्रित किये गये पानी को सिंचाई प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा ?

अतः यह आग्रह किया जाता है कि केन्द्र सरकार को नेपाल सरकार के साथ इस सम्बन्ध में शीघ्र वार्ता करनी चाहिए।

(सात) 'नेशनल हेराल्ड' और 'कौमी आवाज' को फिर से प्रकाशित करने की मांग

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह एक भारी चिन्ता का विषय है कि सरकार नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज को फिर से प्रकाशित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है जहां कर्मचारियों को अप्रैल 1986 से अपना वेतन नहीं मिला है और उनमें से बहुत कर्मचारियों को निलम्बन आदेश का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में, कुछ दिन पहले एक कर्मचारी की मृत्यु हो गयी। कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि का भी हिसाब नहीं लगाया गया है। इस मामले में श्रम मन्त्रालय की निष्क्रियता स्पष्ट है। दो भाषा वाली एजेंसियां 'हिन्दुस्तान समाचार' और 'समाचार भारती' के कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनमें से बहुत से कर्मचारी बेरोजगार हैं। आश्वासनों के बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये हैं। प्रबन्धकों ने विशेषकर मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं को आक्रमण का लक्ष्य बनाया है। विख्यात उर्दू पत्रकार शाहिद सिद्दीक को उनके एक लेख के लिए, जो उन्होंने बहुत पहले लिखा था, गिरफ्तार किया गया। 'इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली' के पत्रकारों पर मुकदमे

चलाये जा रहे हैं। प्रेस कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है। बम्बई में कुछ पत्रकारों की सेवाएं समाप्त करने का समाचार मिला है। मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं का दमन चक्र लगातार चल रहा है। पत्रकारों के दिल्ली संघ और अन्य संगठनों को मजबूर होकर विरोध की आवाज उठानी पड़ी है और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह पूरी गम्भीरता से इस मामले पर गौर करें और इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करें।

(आठ) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सामान्य स्थिति की पुनः स्थापना और सिक्किम की वस्तुओं की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्रीमती डी. के. भंडारी (सिक्किम) : पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि उस क्षेत्र में व्यवहार्यतः कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन का कार्य ठप्प हो गया है। असामाजिक तत्व लूट और आगजनी में लिप्त है और आंतक का बोलबाला है। प्रमुख संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ना अभी बाकी है। मकानों को जलाया जा रहा हैं और अनेक बेकसूर व्यक्तियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। सैंकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और उन्होंने सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण ली हैं। पशुओं और घर के अन्य सामान को मजबूरन बेचने के समाचार हैं। सिक्किम सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में इन असहाय और आंतकग्रस्त व्यक्तियों के होने की सूचना दी है। ऐसी अशान्त स्थिति से सिक्किम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सिक्किम को देश के अन्य भागों से जोड़ने वाला केवल एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दार्जिलिंग जिले से गुजरता है। ऐसी स्थिति के कारण इस व्यस्त राजमार्ग पर यातायात में रुकावट आने से आवश्यक वस्तुओं की सामान्य आपूर्ति में बाधा आई है जिसके कारण सिक्किम वासियों को भारी कठिनाई हो रही है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने के लिए शीघ्र प्रयत्न किए जाए और ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे दार्जिलिंग के लोगों के मनो में विश्वास की पुनः स्थापना में सहायता मिल सके।

12.57 म. प.

डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री संगमा।

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि डाक कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :

'अधिनियम सूत्र'

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द 'छत्तीसवें' के स्थान पर शब्द 'सैंतीसवें' प्रतिस्थापित किया जाये। (1)

खण्ड (1)

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक "1985" के स्थान पर अंक "1986" प्रति स्थापित किया जाए। (2)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि डाक कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए और उनसे संबन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्न लिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :

अधिनियम सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द "छत्तीसवें" के स्थान पर शब्द "सैंतीसवें" प्रति स्थापित किया जाए। (1)

खण्ड - 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक "1985" के स्थान पर अंक "1986" प्रति स्थापित किया जाए। (2)

अधिनियमन सूत्र

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम संशोधनों को लेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द 'छत्तीसवें" के स्थान पर शब्द "सैंतीसवें' प्रति स्थापित किया जाए (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक "1985" के स्थान पर अंक '1986" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. ए. संगमा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन स्वीकार किए जायें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन स्वीकार किये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.59 म. प.

अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1986-87-जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा वर्ष 1986-87 के लिए बजट सामान्य के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेगी।

अब डा. राजहंस।

[हिन्दी]

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स हमारे सामने आई हैं, उसके कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर विस्तार से बहस करनी जरूरी है। प्रश्न यह है कि बजट पेश करने के बाद भी बार-बार सप्लीमेंट्री डिमांड्स लानी पड़ती हैं। इसमें से कई डिमांड्स ऐसी हैं जिसके बारे में यह सरकार पहले से सोच सकती थी और विचार कर सकती थी, लेकिन उस पर विचार न होने के कारण ही यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स लानी पड़ती हैं।

आप यह जो डिमांड्स लाये हैं, उसके 2-3 पहलूओं पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। पब्लिक सेक्टर पर आपने 1228 करोड़ रुपये का प्रावीजन किया है।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : आप यहां रुक जाइये, आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म. प. तक स्थगित होती है।

1.01 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई

2.07 अ. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 7 मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई।

[श्री जंगुल बशर पीठासीन हुए]

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पाकिस्तानी मण्डप द्वारा आपत्तिजनक नक्शे वितरित किये जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. नटवर सिंह) : महोदय, 7वें भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पाकिस्तान एक पर्यटक संदर्शिका और पुस्तिका जिसका शीर्षक "पाकिस्तान—उत्तरी क्षेत्र" हैं वितरित कर रहा है जिसके मानचित्रों में जम्मू और कश्मीर को अस्वीकार्य रूप में दर्शाया गया है।

जैसे ही यह बात सरकार के नोटिस में आई पाकिस्तानी दूतावास में मन्त्री स्तर के अधिकारी को 19 नवम्बर, 1986 को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और एक विरोध-पत्र प्रस्तुत किया गया। इस बात का उल्लेख किया गया कि ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को वितरित करना भारतीय कानून का उल्लंघन है और इससे स्वीकार्य राजनयिक प्रथा का उल्लंघन हुआ। इस घटना पर सरकार की अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए, पाकिस्तानी अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि आपत्तिजनक सामग्री को तुरन्त वापिस लिया जाए।

विदेश मंत्रालय को यह आश्वासन दिया गया कि मानचित्रों को वापिस ले लिया गया है।

सम्बन्धित प्राधिकारियों को यह अनुदेश भी दिये गये हैं कि वे इस बात को सुनिश्चत करें कि यदि ऐसी सामग्री को वितरित करने का फिर प्रयास किया गया तो सम्बद्ध कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

---

2. 09 म. प.

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के दूसरे सम्मेलन के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : 16 और 17 नवम्बर 1986 को बंगलौर में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के दूसरे सम्मेलन के बारे में 19 नवम्बर, 1986 को प्रधानमंत्री द्वारा इस सदन में दिए गए वक्तव्य पर चर्चा करने के इस अवसर को मैं एक विशेषाधिकार समझता हूं।

अपने संक्षिप्त वक्तव्य में माननीय प्रधानमन्त्री ने दूसरे सम्मेलन को विश्व के सबसे बड़े और अत्यधिक नवीनतम क्षेत्रीय संघ के विकास में एक महत्वपूर्ण कार्यवाही के रूप में उल्लेख किया है। उन्होंने हमें भी और अन्य देशों के लोगों को भी यह बताया है कि आपसी समस्याओं के लिए पारस्परिक सहयोग समाधानों के जरिए क्षेत्र के लोगों की सामान्य भलाई को बढ़ावा देने के लिए इन देशों के विश्वास को यह शिखर सम्मेलन पुनः पुष्ट करता है। प्रधानमन्त्री महोदय ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष का कार्यभार सम्भालने के बाद पारस्परिक कार्यवाही को नए आयाम देते हुए और नई विषयवस्तु के साथ हमारे सहयोग को बढ़ाते हुए वे उपलब्धियों को संचित करने का प्रयास करेंगे।

यह जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसके परिणाम पर खुश होने का कारण तो है हांलाकि मैं यह नहीं कहूंगा कि हमें यह नहीं महसूस करना चाहिए कि हमने किसी मंजिल को पार कर लिया है या कोई बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस वास्तविकता के बावजूद की विभिन्न समितियों और विदेश सचिवों ने बड़े पैमाने पर सहयोग का पता लगाया है हमें यह महसूस करना चाहिए

कि यह शिवर सम्मेलन आपसी अविश्वास और संदेह के वातावरण में हुआ था और बुनियादी स्तर पर अधिक प्रगति नहीं हुई है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि व्यापार, उद्योग, ऊर्जा तथा धनराशि के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिये भारत के प्रस्ताव के प्रति उस सम्मेलन में शामिल हुये छोटे राष्ट्रों ने अनुकूल रवैया नहीं अपनाया था। सम्भवत: ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि इन देशों को भारत के आकार और रूप के बारे में अब भी कुछ शक है। उन्हें डर है कि यदि इस सहयोग का विस्तार किया जाता है तो भारतीय निर्यात और व्यापार की मात्रा के कारण वे दलदल में फंस सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि आतंकवाद की परिभाषा के बारे में भी शिखर सम्मेलन में सहमति नहीं हुई और मामला एक अस्पष्ट स्थिति में ही छोड़ दिया गया। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि यद्यपि चर्चा के लिये द्विपक्षीय मसले 'सार्क' के कार्यक्षेत्र में नहीं आते अथवा विवादास्पद मामलों को 'सार्क' सम्मेलन में उठाने की आशा नहीं की जाती परन्तु फिर भी राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने अपनी टिप्पणी में श्रीलंका के मामले पर भारत की कड़ी आलोचना की है। मुझे खुशी है कि प्रधानमन्त्री महोदय ने उल्टी फब्ती नहीं कसी क्योंकि मुझे विश्वास है कि उल्टे फब्ती कसने से अथवा एक दूसरे के विरुद्ध जोरदार टिप्पणी करने से विवादास्पद मुद्दे उठ सकते हैं जिसके 'सार्क' के वातावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि वर्तमान समय में 'सार्क' अपने प्रारम्भिक चरण में है। परन्तु इन सभी सीमाओं के बावजूद जब शिखर सम्मेलन हुआ था तो हाल ही में पाकिस्तान द्वारा हथियार प्राप्त करने तथा पाकिस्तान के अणु-शक्ति प्राप्त करने के समाचार के कारण और श्रीलंका की जातीय समस्या के कारण भारी सन्देह था कि यह शिखर सम्मेलन एक प्रतिचरम सिद्ध हो सकता है और इसमें किसी परिणाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परन्तु यह गलत सिद्ध हुआ और निश्चित रूप से कुछ ठोस परिणाम सामने आए हैं और हमें उनका स्वागत करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि 'सार्क' अब भी अपने प्रारम्भिक चरण में है 1980 में बंगला देश के राष्ट्रपति श्री जिया-उर-रहमान ने इस विचार को प्रस्तुत किया। प्रारम्भिक चरण में इसे समर्थन नहीं मिला अथवा दूसरे शब्दों में अधिकतर राष्ट्रों का रवैया उपेक्षा का था, परन्तु बाद में 1982-83 के बीच में, वास्तविकता यह है कि 1981 से ही 'सार्क' अथवा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग इस क्षेत्र में राजनयिकता का एक प्रमुख अंग बन गया और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जिनमें सहयोग प्राप्त किया जा सकता है विभिन्न सचिवों और विशेषज्ञों की बहुत सी बैठकें और सम्मेलन हुए अब तक हमारे दो शिखर सम्मेलन हुए हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में सहयोग के लिए बहुत सी बाधायें हैं और यदि हम इनको ध्यान में नहीं रखते और इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए ठोस अलग प्रयास नहीं करते हैं तो 'सार्क' उस रूप में अथवा उस तरीके में एक वास्तविकता नहीं बन सकेगा जिस रूप में हम उसे एक वास्तविकता बनाना चाहते हैं। ये बाधायें क्या हैं ? मैं छह बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा जिन्हें मैं इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग के लिए बाधायें समझता हूँ। पहली बात यह है कि अन्तः-क्षेत्रीय विवादों के कारण, भू-राजनैतिक विवादों से परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया के कारण, इस क्षेत्र में विभिन्न देशों की विभिन्न राजनैतिक विदेश नीतियों के कारण और साम्राज्यवादी शक्तियों के मशीनीकरण के कारण अप्रीतिकर राजनैतिक वातावरण बना है। हम जानते हैं कि जबकि द्वितीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है फिर भी भारत और पाकिस्तान के

सम्बन्ध अच्छी स्थिति में नहीं है। हमने स्वय वेनजरगर के दौरे और उसके बाद—'अवाक्स' विमान की खरीद पर यह देखा है—यद्यपि पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री महोदय ने इस बात से इन्कार किया है। परन्तु उनके इन्कार को स्वीकार करना हमारे लिए कठिन है और इससे इस क्षेत्र के भू-राजनैतिक वातावरण में स्थिति बदल गई है। जातीय समस्या के कारण भारत-श्रीलंका के संबंध अच्छे नहीं हैं। श्रीलंका को इस विशाल समस्या का अभी कोई हल नजर नहीं आता। बगलादेश में जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा भारत के विरुद्ध, उत्तेजनापूर्ण भाषण किये जा रहे है। पूरे भारतीय महाद्वीप में स्थिति के बारे में आज भारत और पाकिस्तान के विचार अलग-अलग हैं। जब आपसी विश्वास और भरोसा हो तभी सहयोग हो सकता है। अगर आपसी विश्वास और भरोसा न हो तो सही अर्थों में सहयोग नहीं हो सकता। इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में आपसी विश्वास की कमी के कारण उनके बीच लाभकारी सहयोग नहीं हो पा रहा है।

इसमें दूसरी रुकावट सार्क संगठन के सातों सदस्य देशों मे विकास की विभिन्न स्थिति है। आज भारत के पास मजबूत औद्योगिक आधार हैं औद्योगिक आधारभूत ढांचे में भारत विकसित देशों का मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तान में भी कुछ औद्योगिक आधारभूत ढांचा है। लेकिन बाकी के देशों में यह नाम मात्र ही है। वे मुख्यत: कृषि पर आधारित है और वहां कृषि भी प्राथमिक चरण में ही है। जहां तक कच्चे माल का संबंध है, भारत में औद्योगिक ढांचे के लिए आवश्यक कच्चा माल, लगभग 100% ही देश में ही उपलब्ध है भारत में यूरेनियम लौह अयस्क बॉक्साइट, तांबा, सोना, आदि खनिजो के पर्याप्त भण्डार हैं, मैं ऐसी कई जिन्सों के नाम बता सकता हूं। लेकिन अन्य छः देशों में से अधिक देशों में से खनिज उपलब्ध नहीं हैं। भारत में खनिज पेट्रोलियम मैगनीशियम नमक और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का 90% उत्पादन भारत में होता है। सार्क के विभिन्न देशों में तालमेल की कमी का एक कारण उनमें विकास की विभिन्न अवस्थाए और कच्चे माल की कमी है। विभिन्न देशों के आकार से भी बाधा पैदा हो रही है। भारत का क्षेत्रफल पूरे सार्क देशों के क्षेत्रफल का 3/4 है। जनसंख्या की दृष्टि से भी हमारा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे क्षेत्रफल, हमारी ताकत की वजह से यह स्वाभाविक है कि छोटे देश हमारी तरफ शक की नजर से देखें। वास्तव में सार्क के प्रथम सम्मेलन में राष्ट्रपति जयवर्धने ने कहा था कि, भारत को अपने क्षेत्रफल और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में इस संगठन में भारत को एक अधिकारिक नेता की भूमिका अपनानी चाहिए। लेकिन जिया-उल-हक ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया—

भारत को इस संगठन में मुख्य भूमिका निभाने के लिए कदम उठाने चाहिएं। लेकिन इसमें कोई भी राष्ट्र छोटा या बड़ा नहीं है। हम सब स्वतन्त्र और समान राष्ट्र हैं भारत को यह बात समझ लेनी चाहिए कि इसमें छोटे देशों की बात अधिक मानी जानी चाहिये।

हमारे देश के आकार उसकी, शक्ति और विशाल जनसंख्या को देखते हुए, कुछ छोटे राष्ट्रों को शक हो सकता है। शायद यह सही भी है। हमें इन सभी घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि सार्क के अध्यक्ष होने के नाते, श्री राजीव गांधी पर यह भारी

जिम्मेदारी है कि वे छोटे देशों के मन से यह शक दूर करें। जब तक यह शक दूर नहीं होता, सार्क एक लाभदायक संगठन नहीं बन सकता।

चौथा कारण, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति में मिलता है। सातों देशों में से, दो में लोकतन्त्र—भारत में संसदीय प्रणाली और श्रीलंका में राष्ट्रपति शासन की प्रणाली है। नेपाल और भूटान में राजतन्त्र है, पाकिस्तान और बंगला देश में तानाशाही है, जहां आंतरित असंतोष जारी है। वहां के लोग लोकतन्त्र की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी आंतरिक असंतोष के कारण भारत के पाकिस्तान और बंगला देश के साथ तनावपूर्ण संबन्ध हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हमने उनके आंतरिक असंतोष को बढ़ावा दिया है, हालांकि हमने ऐसा नहीं किया है। मालदीव में राष्ट्रपति प्रणाली है। इन देशों में प्रशासन की भिन्न-भिन्न प्रणालियों की वजह से भी इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग में बाधा आ रही है।

श्रीमन्, क्षेत्रीय सहयोग के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी अड़चन जानकारी मिलने में देरी होना है। आज हमें सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों के बारे में, इन छः देशों से कहीं ज्यादा जानकारी है। इन सात देशों में आपस में जानकारी का आदान-प्रदान न के बराबर है। वास्तव में साम्राज्यवादी देशों द्वारा गलत जानकारी दी जाती है, जिससे एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों के बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि चीन- अमेरिका में गठजोड़ के कारण भी वह यह चाहेगा कि यह संगठन प्रभावी न बनें। लेकिन इन सभी कमियों के बावजूद भी, जिनके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। सार्क के वास्तविक उद्देश्य का एक पहलू यह भी है कि यह क्षेत्र विश्व का सबसे गरीब क्षेत्र है। हम यह भूल जाते हैं कि विश्व की गरीब जनसंख्या का सबसे अधिक जमाव इसी क्षेत्र में है। इसमें विश्व के तीन-चौथाई गरीब लोग रहते हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन में भी 128 देशों के बाद सार्क के इन सातों देशों का स्थान आता है। बगला देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन 126, नेपाल में 124, भारत में 114 श्रीलंका में 113, और पाकिस्तान में 107, है। मेरे पास इस समय मालदीव के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन भूटान के बारे में विदेश मन्त्रालय आंकड़े उपलब्ध करा सकता है। इस क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि भी सबसे अधिक है। 1970-77 में विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत थी, जबकि इन सातों देशों में यह दर 2.2 प्रतिशत थी। इसके परिणामस्वरूप विश्व जनसंख्या का 20 प्रतिशत इसी क्षेत्र में है, जबकि इसका क्षेत्रफल सारे विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का 3.31 प्रतिशत ही है। विश्व जनसंख्या का 20 प्रतिशत हिस्सा मात्र 3.31 प्रतिशत भूमि में रह रहा है, इसलिए इतनी कम भूमि में जनसंख्या जमाव में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। इस क्षेत्र में विश्व खनिज का मात्र एक प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है। हम अधिकांशतया यह सोचते हैं कि हम अमीर हैं, लेकिन अगर आप सातों देशों की सम्पदा को मिला कर देखें तो पायेंगे कि विश्व की खनिज सम्पदा का केवल एक प्रतिशत हिस्सा ही इन देशों के पास है, और वह भी केवल भारत में ही उपलब्ध है। बाकी के देशों में खनिज सम्पदा बहुत कम मात्रा में हैं। लेकिन क्षेत्रीय एकता के लिए यही गरीबी एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि जब तक हम यह महसूस नहीं

करने लगेंगे कि एक दूसरे की सहायता द्वारा गरीबी दूर नहीं की जा सकती तब तक हम और गरीब होते जायेंगे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद, हमारे यहां दो ऐसे क्षेत्र हिमालय और हिन्द महासागर-हैं, जिनमें खनिजों के भण्डार भरे हुए हैं। मेरा विश्वास है कि अगर सहयोग से हम इन स्रोतों का विकास करें, तो हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अकेला देश हिन्द महासागर या हिमालय के गर्त में छिपे खनिजों की खोज नहीं कर सकता। इसी आधार पर ये सातों देश आपस में सहयोग के बन्धन में बन्ध सकते हैं।

श्रीमन्, हमारी संस्कृति समान है, हमारी विरासत समान है और हमारी परम्परा एक समान है। इन देशों में मैत्री सम्बन्ध काफी मजबूत है, इसके साथ ही हमारा इतिहास एक समान है। दुर्भाग्यवश साम्राज्यवादी देशों की फूट डालो राज करो की नीति के कारण इनमें से कुछ देश एक-दूसरे से दूर हो गए हैं। भौगोलिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण घटक है। और कई राजनैतिक पण्डितों ने कहा है कि 21वीं सदी में अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति का अखाड़ा होगा। यदि हम हिन्दमहासागर को आणविक शस्त्रों की दौड़ का क्षेत्र न बनने देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहते हैं तो हम सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए।

ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि इन सातों देशों में मित्रता पक्की हो सकती है। अब समय आ गया है जब विकासशील देश, विकसित देशों की ओर देखने की बजाय, एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें। हमारे देशों पर राज करके इन देशों ने हमारी सम्पदा को तहस-नहस कर दिया है। वे सारा कच्चा माल ले गए हैं। उन्होंने अपने देशों में सम्पत्ति एकत्र कर ली है। लेकिन इस तरक्की को वे विकासशील देशों के साथ बांटना नहीं चाहते। हालांकि विकसित देशों ने वादा किया हुआ है कि वे अपने सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 0.7% भाग विकासशील देशों पर खर्च करेंगे। लेकिन इस परम्परा को छोड़ दिया गया है। आज कुल सहायता मात्र 0.39% ही दी जा रही है, और वह भी राजनीति से प्रेरित होती है। अगर विकसित देश यह महसूस करते हैं कि अगर किसी देश की आर्थिक मदद की जाए तो वह उनका समर्थन करेगा और तभी वे उसकी सहायता करते हैं। अन्यथा नहीं। सभी विकसित देशों, विशेषकर इन सातों राष्ट्रों पर नव-उपनिवेशवाद का खतरा हमेशा रहता है। यह भी समझ लेना चाहिए कि सातों देशों में परस्पर सहयोग से सभी सम्बन्धित देशों को लाभ होगा। अतः सार्क के सातों देशों में क्षेत्रीय सहयोग पैदा करने में कई बाधाएं हैं, तथापि कई ऐसी बातें हैं जिन्हें यदि उन्हें वास्तव में लागू किया जाए तो यह सहयोग आसानी से स्थापित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सार्क की सफलता भारत-पाक सम्बन्धों पर निर्भर है। सार्क के ये दो महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परस्पर अविश्वास और सन्देह चलता रहा तो सार्क वह भूमिका कभी भी अदा नहीं कर पायेगा जिसकी हम इससे आशा करते हैं। मैं महसूस करता हूं कि सार्क के माध्यम से हम यह गलतफहमी दूर कर सकते हैं। शायद आजकल भारत-पाक के सम्बन्ध अपने सबसे निम्न स्तर पर हैं। हमें पाकिस्तान की मंशा पर शक है, क्योंकि उसे अमेरिका से हथियार मिल रहे हैं, जो कि उसकी आवश्यकता से अधिक हैं। आजादी के बाद, अब तक पाकिस्तान भारत पर तीन बार हमला कर चुका है। इसीलिए हमें उसकी मंशा पर शक है। इसके साथ ही पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, जो भारत-पाक मैत्री चाहते

हैं। कई दफा हमारी शक्ति और क्षेत्रफल को देखते हुए उनके मन में संदेह पैदा हो जाता है। अगर विकास और तरक्की करनी है तो, इन संदेहों को दूर करना होगा। हम यह नहीं भूल सकते कि दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात, अब तक, विकसित देशों में 130 युद्ध हुए, और इनमें से कई साम्राज्यवादी ताकतों के उकसाने पर हुए हैं। उसके दो कारण थे। एक तो यह कि जब दो विकसित देशों में युद्ध होता है तो उनके शस्त्र बनाने के उद्योग, उन क्षेत्र में अपने हथियार भेज सकते हैं और इस तरह से उन्हें इस क्षेत्र से पैसा मिलता रहता है। दूसरा कारण यह है कि हथियारों की दौड़ में विकासशील देश इस वजह से अपने स्रोतों को विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पाते। गैर-विकास के कार्यों के लिए स्रोतों का उपयोग करने की वजह से इन क्षेत्रों में विकास की दर कम हो जाती है। विकसित देश में असंतोष किसी परमाणु बम के खतरे से कम नहीं है। मैं नहीं जानता कि उपमहाद्वीप में हाल में हुई घटनाओं और पाकिस्तान को हथियार दिए जाने की वजह से, हमें अपने रक्षा व्यय में वृद्धि करनी होगी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? वास्तव में, 1978 में इन सातों देशों में रक्षा बजट 4 बिलियन डालर था, जो कि उनके सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3 प्रतिशत ही था। तीन वर्ष पश्चात् 1981 में, इन्हीं सातों देशों में यह बढ़कर 7 बिलियन डालर हो गया, और यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद के हिसाब से 3 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत होगा। मैं समझता हूं कि हमें इस क्षेत्र के लोगों से अपील करनी चाहिए कि उनमें सद्बुद्धि आए और हम अपनी प्राथमिकताओं को बदलें और इस खर्च को गैर विकासात्मक कार्यों के बदले विकास कार्यों पर खर्च करें ताकि जनसाधारण का हित हो सके।

मुझे इस बात की फिक्र है कि यदि हम इसी तरह से खर्च करते जायेंगे तो इस देश के लाखों बेरोजगार युवकों का कोई भविष्य नहीं होगा। या तो वे लोग उदासीन हो जायेंगे या फिर आक्रोशित हो जायेंगे और युवापीढ़ी की इन दोनों ही बातों से देश की एकता और अखण्डता को समान खतरा है। यदि पाकिस्तान हथियारों की खरीद करता है तो हमारे लिए चुप बैठे रहना मुमकिन नहीं है। हमें रक्षा प्रयोजनों के लिए खर्च करना ही पड़ेगा परन्तु किस कीमत पर? 'सार्क' को एक ऐसा मंच बनाया जा सकता है जहां पर सभी नेता एक खुली चर्चा कर सकते हैं तथा वास्तव में इस क्षेत्र में सैनिकीकरण की प्रक्रिया को हटाने के लिए कुछ कर सकें। यदि हम चाहते हैं कि इस सहयोग में वास्तव में सफलता मिले तो यह संस्था सिर्फ सामान्योक्ति ही बनकर नहीं रह जानी चाहिए परन्तु यह कार्योन्मुख होनी चाहिए। अभी तक इस संस्था की ओर से कोई कार्योन्मुख कार्यक्रम नहीं किया गया है हो सकता है इसकी वजह हो कि इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। यह कारण भी हो सकता है कि यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन कई बार हुआ जिसमें इन क्षेत्रों का पता लगाया गया तथा समन्वयकारी देशों की नियुक्ति की गई। और यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो बंगलादेश को कृषि के लिए श्रीलंका को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, पाकिस्थान को दूर-संचार के क्षेत्र में, भारत को मौसम-विज्ञान के क्षेत्र में नेपाल को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या के लिए मालद्वीप को परिवहन. डाक सम्बन्धी सेवा के क्षेत्र में ईरान को तथा बाद में पाकिस्तान को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समन्वयकारी देश के रूप में नियुक्त किया गया। तकनीकी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया

गया है। हमें देश में तथा देश के बाहर और यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह अनुभव रहा है कि इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि इन प्रतिवेदनों पर गर्द चढ़ती रही और यदि इस सम्मेलन में भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है सिर्फ वर्ष में एक बार देशों के शासनाध्यक्षों और विदेश मन्त्रियों की बैठक कर लेने या गुंजायमान शब्दों में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। कोई न कोई कार्यवाही करनी ही चाहिए।

विदेश मन्त्रियों ने आंकड़ों के आदान-प्रदान करने का भी निर्णय किया है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इस क्षेत्र के बारे में जानकारी न होना बहुत खराब बात है अथवा इस क्षेत्र में प्रभावी सहयोग के लिए हानिकारक है। इस चर्चा का उत्तर देते समय मैं चाहूँगा कि माननीय विदेश मन्त्री जी हमें यह जानकारी दें कि क्या इन आंकड़ों का आदान-प्रदान किया गया है या नहीं। माननीय मन्त्री जी को इस बारे में संसद को सूचना देनी चाहिए।

सहयोग की भारी गुंजायश है। पारिस्थितिकी तथा सामग्री संसाधन, सहयोग की गुंजायश समुद्र तथा पर्वत और जल संसाधन, सूचना के सम्बन्ध में सहयोग की गुंजायश, ऊर्जा ससाधन में सहयोग की गुंजाइश है।

मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि सन् 1955 में बंडूग सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था एशियाई देशों को ऊर्जा ससाधनों के विकास में सहयोग करना चाहिए परन्तु यह एक पवित्र कामना ही बन कर रह गई और 'सार्क' में हम यह बात नहीं दोहरायेंगे कि बंडूंग में क्या हुआ।

व्यापार एवं औद्योगिकीकरण तथा खेल और संस्कृति क्षेत्र में सहयोग किए जाने की गुंजायश है।

साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा हिन्द महासागर में आजिविकीकरण के बढ़ते हुए खतरे को दूर करने में सहयोग किए जाने की आवश्यकता है।

हमें ए. एस. ई ए. एन. (एशियन) से भी सबक सीखना चाहिए। मैं इस विचार के पक्ष में नहीं हूं कि हम इसकी प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करें। एशियन देशों का कार्य पहले वर्ष तो बहुत धीमा रहा परन्तु इस समय यह एक मजबूत संस्था है यद्यपि यह मूल रूप में आर्थिक सहयोग के लिए बनाई गई थी, अब इनका क्षेत्र आर्थिक सहयोग से निकलकर राजनैतिक सहयोग की ओर भी बढ़ा है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय मूल रूप में आर्थिक सहयोग के प्रयोजन से बनाया गया था लेकिन आजकल हमने देखा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय राजनैतिक मामलों में भी एकमत दृष्टिकोण अपनाता है। क्योंकि जहां पर आर्थिक सहयोग होगा वहां राजनैतिक सहयोग एव राजनैतिक सूझबूझ तो होगी ही और मेरा विश्वास है कि 'सार्क' राजनैतिक के क्षेत्र में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इस सन्दर्भ में, मैं सिंगापुर के विदेश मंत्री के उस वक्तव्य का उल्लेख कर सकता हूं जो कुछ वर्षों पहले उन्होंने एशियन को सम्बोधित करते हुए दिया था, उनका कहना था :

> "प्रारम्भिक वर्षों में एशिया का सबसे अधिक प्रभाव पांच सदस्यीय देशों के राजनैतिक नेताओं और अधिकारियों के बीच अधिक आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करने पर होना चाहिए। इससे सदस्य राष्ट्रों बीच संचार माध्यम का मार्ग खुलता है जिससे एक उनकी अपनी विदेश नीति को अच्छी तरह समझने में सुविधा होती है सदस्य राष्ट्रों के बीच विवादपूर्ण स्थिति में हुई बैठकों में सहायता प्रदान करना तथा एशियन सदस्य राष्ट्रों में विचार व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के बीच निजी विचार-विमर्श के अवसरों में वृद्धि होगी।"

हमें एशियन से सबक सीखना चाहिए। मेरा विश्वास है कि पीठासीन अधिकारी के रूप में भारत की काफी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा विश्वास है कि श्री राजीव गांधी को 'सार्क' का अध्यक्ष होने के नाते ज्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभानी है बजाय 'नाम' के अध्यक्ष की भूमिका के क्योंकि भारत ज्यादा अगुआ बनने की प्रवृत्ति अथवा रवैया नहीं अपना सकता और न ही ज्यादा जोर ही डाल सकने की कोशिश कर सकता है। जैसा कि एक राजनैतिक उद्घोषक ने कहा है कि यदि भारत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो छोटे राष्ट्र समझते हैं कि हम ऐसा अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। यदि हम कुछ भी नहीं करते तो हम ऐतिहासिक भूमिका निभाने में असफल रहेंगे। यदि हम बहुत ज्यादा उद्यमी हो जाएं तो दूसरे देश सोचेंगे कि हमने रूस समर्थक रवैया अपना लिया है। अतः श्री राजीव गांधी को सन्तुलन बनाये रखने का एक कठिन कार्य करना है। पूरा देश उनके साथ है। इस संतुलन को बनाये रखने के लिए पूरा संसद उनका साथ देगी।

महोदय, आज हम प्रत्याशा और संदेह के भार से दबे हुये है। मेरा विश्वास है कि सफलता की सीमाओं के बावजूद भी दूसरे शिखर सम्मेलन को दो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। पहले तो यह संभावना थी कि, जैसा मैंने पहले कहा है कि इस समय भौगोलिक राजनीतिक स्थिति का एक विशेष रूप व्याप्त है और दूसरा शिखर सम्मेलन असफल रहता या पांसा पलट जाता। सच तो यह है कि ऐसा नहीं हुआ। इस बात को देखते हुए कि इससे विश्वास पैदा हुआ हैं, वहां बैठक में उपस्थित नेताओं के बीच लगातार मतभेद बने रहे पर इन सबके बावजूद बहुत से सामान्य आधार थे जिसपर उनके विचार समान थे। यह बात दूसरे शिखर सम्मेलन की सफलता को दर्शाती है। तथा दूसरी सफलता जिसे मैं महत्वपूर्ण समझता हूं वह है कि इस शिखर सम्मेलन के बाद आज दक्षिण एशिया को अपनी आदेशिक पहचान बनी है जो इसे काफी समय से नहीं मिली थी। दक्षिण एशिया की प्रादेशिक पहचान कोई नहीं थी। अन्य क्षेत्रों की प्रादेशिक पहचान हैं। आज वर्तमान में हम दक्षिण एशिया की प्रादेशिक पहचान को लेकर बात कर सकते हैं। तीसरीबात है एक सचिवालय बनाने तथा बंगलादेश के श्री अबुल हसन को इसका महासचिव का प्रथम पद पर आसीन होने का सम्मान देने का निर्णय एकदम सही है

क्योंकि 'सार्क' को बनाने का विचार बंगलादेश का ही था। इसलिये हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं टैगोर की कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे पूरी तरह याद नहीं है इसलिए कुछ गलती भी हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी सहयोगी श्रीमती गीता मुखर्जी या अन्य सदस्यतगण इसमें सुधार कर देंगे। मैं उद्धृत करता हूं :-

"बहु पथ घुरे
बहु व्याय करे
देखिते गियेही पर बालमाला
देखिते गियेयी सिंधु
देखा है नई सखस्यु मेटिये
घर हते सुधु दुई या फेलिया
एकती घानेर सिसिर ओयार
एकती सिसिर बिन्धु"

मैं वास्तव में उनकी इन पंक्तियों का सही अर्थ या भावनायें पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके समानान्तर शब्द नहीं मिलेंगे। इनमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि हम दूर-दूर तक समुद्र तथा पर्वतों को देखने जाते हैं। परन्तु अपने नजदीक में हम दो कदम की दूरी पर घास की बालियों के शीर्ष पर ओस की बूंदों की सुन्दरता के बारे में नहीं सोचते। हमारे देश की सम्पूर्ण कूटनीति बहुत आगे की सोचने की है। लेकिन हमने अपने पड़ोसियों के बारे में कभी नहीं सोचा यह हमारी कूटनीति की असफलता है। हमने नजदीकी के बारे में कभी गौर नहीं किया हम दूर दराज के देशों के साथ मित्रता का गठबन्धन करने की बात सोचते हैं। ऐसा किया जाना चाहिए। हमारे पड़ोसी देशों के संबंध में हमने कोई भी कूटनीतिक पहल नहीं की है। मेरा विश्वास है 'सार्क' की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 7 देश आपस में मित्रता सहयोग के लिये आगे आये हैं उन्हें दूर कहीं नहीं जाना है अपितु आपस में मिलकर इन देशों के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिये मित्रता के बन्धन को मजबूत करना है। मेरा विश्वास है कि 'सार्क' इस संदेश को इन सभी सात देशों की जनता तक पहुंचायेगा। मैं कामना करता हूं कि इस सम्मेलन को सफलता मिले।

इस चर्चा पर बोलने का अवसर दिये जाने के लिये मैं आपका आभारी हूँ।

श्री जी. जी. स्वैल (शिलांग) : सभापति महोदय, मैं आपने मित्र श्री गोस्वामी की इस बात से अधिक सहमत नहीं हो सकता जब कि इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में गिरावट आ गई है और इसके सुधरने की आशायें कम हैं तथा एक विद्वेशपूर्ण रवैया बना हुआ है तब बंगलौर का शिखर सम्मेलन एक महान सफलता है। और इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम प्रधानमत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं जोकि अब 'सार्क' के वर्तमान अध्यक्ष भी है तथा उन्होंने शिखर सम्मे-

लन की चर्चाओं और कार्यवाहियों में बड़े शानदार ढंग से मार्गदर्शन किया है और शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं में रखे विचार प्रस्तुत किये हैं।

मैं अपने नये विदेश मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ जो अपने नये दायित्व को सम्भालते ही राजनीतिक गतिविधि में फंस गये हैं। विदेश मंत्री बनने के बाद उनका यह पहला अवसर है कि वे सदन में इस प्रमुख चर्चा में भाग ले रहे हैं। हम उनकी सफलता की कामना करते हैं और उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में हम उनका पूरा समर्थन तथा सहयोग करेंगे।

महोदय, इस क्षेत्र में तनाव, सुरक्षा व्यवस्था में गिरावट आने की बात हाल ही में अमरीका द्वारा पाकिस्तान को घातक एवं अत्याधुनिक हथियारों, 'आवक्स' विमानों, एम, आई.-1 अब्राम टैंक तथा एफ 16 सी विमानों के दिये जाने के निर्णय की वजह से उजागर हुई है। इस तरह के घातक तथा अत्याधुनिक हथियारों से दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल जायेगी और इससे जबरदस्ती हमें पाकिस्तान के साथ हथियारों की होड़ करनी पड़ेगी अमरीका ने ऐसा अपने स्वयं के भू-राजनीतिक नीतियों के हित में किया है न कि पाकिस्तान के व्यक्तियों के प्रति प्यार की भावना से यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान वासियों के लोकतांत्रिक अनुरोध का अमरीका के शासकों से कोई जवाब नहीं मिला। इस क्षेत्र के निवासियों के लिये प्रेम की भावना नहीं है। न ही इन निवासियों की शान्ति, कल्याण तथा समृद्धि के लिये कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा श्रीलंका में तमिल निवासियों के मामले में खेदजनक घटनायें हुई हैं। यहां तक कि हमारे प्रधान मंत्री तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति के सभी प्रयासों के बावजूद भी यह समस्या ज्यूं की त्यूं बनी हुई है।

इन परिस्थितियों के होते हुये इस क्षेत्र में 'सार्क' का होना एकदम उपयुक्त है। इस क्षेत्र के सदस्य राष्ट्र होने के नाते हमें इस चुनौती को सामूहिक रूप में पूरा करना है। हम ऐसा किस प्रकार से कर सकते हैं; इस संदर्भ को देखते हुए मैं 'सार्क' को उचित महत्व दूंगा। एक ऐसे प्लेटफार्म की जरूरत है जिसमें विभिन्न सरकारों के शासनाध्यक्ष तथा विभिन्न देशों की सरकारें इस क्षेत्र में एक जगह मिल सकें। एक ऐसी संस्थान या संगठन होना चाहिये जिसमें सभी लोग तथा इस क्षेत्र की सरकारें यह महसूस करें कि उनके सम्मुख एक और भविष्य है और वह भविष्य है सहयोग द्वारा शांति तथा परस्पर समृद्धि का यह अवसर हमें सार्क के द्वारा प्राप्त हुआ है।

महोदय, आगे बोलने से पहले मैं अपने पड़ोसी देश बंगलादेश को अपनी शुभ कामनाएं दूंगा। इस तरह का विचार सर्वप्रथम बंगलादेश का था। 'सार्क' को बनाये जाने की धारणा सबसे पहले बंगलादेश के स्वर्गीय राष्ट्रपति ने की थी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा।

श्री गोस्वामी ने अपने भाषण में कहा कि भारत को संभल कर चलना चाहिए। क्योंकि भारत एक विशाल देश है और यह आपने आप में एक प्रतिकूल परिस्थिति है। परन्तु इसका फायदा भी हैं श्री गोस्वामी ने बताया है कि हमारे यहां सामग्री संसाधन, मानव संसाधन तथा

औद्योगिक ससाधन मौजूद हैं। परन्तु पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबधों को देखते हुये ऐसा नहीं लगता है कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं ये देश हालांकि हमसे छोटे हैं। यह हमें नुकसान है। किसी सदस्य ने छोटे राष्ट्रों के लक्षणों के बारे में कहा है। यह बहुत ही स्वाभाविक है। एक परिवार में भी बड़े भाइयों के लक्षण तथा छोटे भाइयों के लक्षण होते हैं। हमारे यहां यह आंतरिक रूप से गठित समूह हैं। अतः मैं उनसे अधिक सहमत नही हो सकता कि हमें बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा।

जब बंगला देश जैसे छोटे से राष्ट्र से एक विचार व्यक्त किया जाता है, एक सही विचार यह हमारा विचार नहीं है, यह उनका विचार है हमने इसे स्वीकार कर लिया हमने इसे स्वीकार ही नहीं किया बल्कि हमने प्रयास किया और हर संभव प्रयास इस विचार को सफल बनाने के लिए करेंगे। मेरे विचार से यह बंगलौर के 'सार्क' सम्मेलन की एक और विशेष उपलब्धि है जिसे मुख्य रूप से बताया गया है। हमने किसी पर दबाव नहीं डाला। हमने कोई निर्णय लादने का प्रयास नहीं किया बल्कि यह सब सर्वसम्मति से हुआ था।

महोदय, एक वर्ष से कम समय में, पहला सम्मेलन दिसम्बर 1985 में ढाका में हुआ था। बंगलौर के सम्मेलन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हम 'सार्क' को एक संगठन के रूप में परिवर्तित करने में सफल हुए हैं। हम काठमांडु में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने के फैसले पर पहुँचने में सफल हुए हैं। हम सर्वसम्मति से संगठन का महासचिव चुनने में कामयाब हुए हैं लेकिन इससे भी अधिक मैं यह बताना चाहूंगा कि हम सचिवालय के खर्च को वहन करने की भागीदारी के प्रश्न संबंधी निर्णय में सर्वसम्मति से सफल हुए हैं जिसके अनुसार, जैसा कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, भारत सचिवालय को चलाने का 32.75 प्रतिशत खर्च वहन करेगा। पूंजीगत लागत मेजबान देश, अर्थात् नेपाल द्वारा वहन की जानी है। लेकिन सचिवालय चलाने का 32.75 प्रतिशत खर्च भारत; 25 प्रतिशत पाकिस्तान; 11-11 प्रतिशत खर्च बंगला देश, नेपाल और श्रीलंका तथा 5-5 प्रतिशत खर्च भूटान और मालद्वीप द्वारा वहन किया जायेगा।

एक संगठन की सेवा करने के लिए एक विशिष्ट खर्च के प्रति प्रत्येक देश को स्वयं वचनबद्ध करना तथा बातचीत करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे निर्णय पर पहुचना सरल कार्य नहीं है। अगर बंगलौर में शासनाध्यक्ष तथा राष्ट्राध्यक्ष सर्व सम्मति से तथा इच्छा से इस निर्णय पर पहुँच पाए हैं तो मेरे विचार से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इससे भी बढ़कर, जैसा कि आप जानते हैं, सहयोग के कुछ क्षेत्रों का पता लगाया गया है कुछ इस पर सहमत हो गए हैं तथा कुछ अन्य को इस पर सहमत होना अभी बाकी है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा क्षेत्रीय कृषि सूचना संस्थान जैसे कुछ संस्थान स्थापित करने में हम सहमत हो पाये हैं जो प्रत्येक के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। हम न केवल इन संस्थानों के स्थापित करने पर सहमत हो गये हैं बल्कि इस पर भी सहमति हो गयी है कि इन संस्थानों की लागत कैसे पूरी की जाये। ये प्रश्न तथा निर्णय बहुत ही मुश्किल थे और ये तब तक संभव नहीं थे जब तक कि बंगलौर के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता ईमानदार तथा दृढ़ निश्चयी न होते।

यही हम दक्षिण एशिया चेतना की शुरुआत के रूप में देखते हैं। जो नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए थे उन्होंने यह सब कुछ नहीं किया होता जब तक कि उन्हें यह नहीं मालूम होता कि ऐसी बात की जरूरत दक्षिण एशिया चेतना को देखते हुए है और यह स्वयं अपने महत्व को दर्शायेगी। यही बात है जहां पर हमें 'सार्क' महौल की आवश्यकता है। चापलूसी, तनाव तथा विभाजन जो इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के सामरिक हितों के कारण उत्पन्न हुआ उससे आप कैसे निपटेंगे ? और कोई रास्ता नहीं है, सिवाय दक्षिण एशिया चेतना पर बल देने तथा यह महसूस कराने कि उन सब देशों का हित एकता तथा सहयोग करने में ही हैं। मेरे विचार से 'सार्क' तथा बंगलौर शिखर सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है।

मेरे विचार से मैं एक बार फिर से, प्रधानमन्त्री को बधाई दूं। 'सार्क' शिखर सम्मेलन में जो बातें सर्व-सम्मति से हुई हैं वे सर्वविदित हैं। ये उपलब्धियां हैं। हमें इसके वास्तविक महत्व को समझने की जरूरत है। एक दृष्टिकोण होना चाहिए तथा इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने होंगे। मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में कुछ कदम उठाने के प्रति नदी पहाड़ियों के शांत तथा शीतल वातावरण में राष्ट्राध्यक्षों के अनौपचारिक परामर्श के दौरान सर्वसम्मति थी। वे कौन से कदम हैं ? उनकी सूची बनायी गयी है। पहली बात दक्षिण एशियाई प्रसारण कार्यक्रम आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रम के नेटवर्क में दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की एकता की तस्वीर—संस्कृति एकता, ऐतिहासिक एकता—प्रस्तुत करना, नई दक्षिण एशियाई चेतना तथा नई दक्षिण एशियाई जागरुकता को हमारे सामने प्रस्तुत करना है। हमें यह देखना है कि इसे किस तरह से कार्यान्वित किया जाये। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारें इसके लिए राजी हो गयीं है।

अगली बात, लोगों का आपस में सम्पर्क बढ़ाने से है। इस पर मैं और अधिक नहीं कह सकता सिवाय अपने मित्र श्री दिनेश गोस्वामी की इस बात से सहमति प्रगट करने के कि अभी तक हमारा दृष्टिकोण इतना उपनिवेशवादी रहा है कि लन्दन अथवा न्यूयार्क हमारे लिए इसलामाबाद अथवा कोलम्बो या ढाका से अधिक निकट रहे हैं। समय आ गया है जब हमें एक दूसरे के अधिक करीब आने की जरूरत है। हम ऐसा किस तरह से कर सकते हैं ? ऐसा हम आपस में लोगों का सम्पर्क बढ़ाकर तथा पर्यटन के माध्यम से कर सकते हैं, जिस पर सहमति हो गयी है ? पर्यटन का विकास एक अस्पष्ट बात नहीं है। 'सार्क' शिखर सम्मेलन में पर्यटकों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के विनिमय की सीमित छूट देने का एक और निर्णय लिया गया है। ढाका से पश्चिम बंगाल आने वाले लोगों को दुर्लभ मुद्रा को बदलने के लिए बैंकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे सीमा पर आ सकते हैं, वहां पर बैंक होंगे और वहां पर वे अपने टकों को रुपये में बदलकर यहां आ सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान से भी आ सकते हैं। यह एक नई बात है।

तीसरी बात एक प्रलेखन केन्द्र (डाकुमेंटेशन सेन्टर) स्थापित करने की है जो राजनैतिक अथवा विभाजक विषयों पर नहीं हो औषधियों, भौतिकी, परमाणु भौतिकी आदि के विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है ; इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में जो प्रगति हुई है उसका आदान-प्रदान होना चाहिए। प्रत्येक देश को दूसरे देश में जो प्रगति हुई है उसका

लाभ मिलना चाहिए और यह केवल इन विषयों की पुस्तकें और दस्तावेजों को उपलब्ध कराकर ही किया जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जी. जी. स्वैल : मैं आशा करता हूं कि चर्चा का उद्देश्य 'सार्क' के महत्व को बताना है; समय की बात इतना अधिक महत्व नहीं रखती। अगर आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो मैं बैठ जाऊंगा परन्तु 'सार्क' के प्रश्न पर कभी चर्चा नहीं होगी तथा इस प्रकार से इसके महत्व को नहीं समझा जायेगा। वक्ता बहुत नहीं हैं। मैं सिर्फ पांच मिनट और लूंगा।

प्रलेखन केन्द्र में प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकें तथा दस्तावेज विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों और शोधकर्त्ताओं को तत्काल उपलब्ध होगी। इसके अलावा, इन देशों के बीच फैलोशिप और विद्वानों का आदान-प्रदान होना चाहिए।

अन्तिम बात, जो मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है वह हैं संगठित स्वयंसेवी कार्यक्रम की स्थापना। भारत के युवा लोगों तथा पाकिस्तान के युवा लोगों के बीच सम्पर्क होना चाहिए। वास्तव में हमें सावधानी से कार्य करना होगा ताकि हम कठिनाइयों और विवादों में न पड़ें।

3.00 म. प.

लेकिन ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम एक साथ कार्य कर सकते हैं। भारत के युवा लोग पाकिस्तान में कृषि और वन विस्तार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जायें और पाकिस्तान के लोग भारत आयें, यह तरीका है जिसके माध्यम से ये बातें करनी हैं। काठमांडू में जो नया सचिवालय स्थापित किया गया है वह इन बातों पर कार्य करेगा। प्रत्येक संगठन में, प्रक्रिया संबंधी नियम होते हैं, आप कैसे बैठक बुलायेंगे, आप कैसे बैठक का संचालन करेंगे, आप दस्तावेजों पर किस प्रकार कार्य करेंगे आदि। बंगलौर शिखर सम्मेलन में नेता इस समझौते पर भी पहुंच सके हैं।

महोदय, हम यह आशा नहीं करते कि 'सार्क' एक वर्ष में परिपक्व व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेगा। 'एसियन' ने इसके लिए वर्षों और वर्षों का समय लिया है। एक संयुक्त यूरोप का विचार इतिहास में गत 200 वर्ष बल्कि एक हजार वर्ष से भी पुराना है। एम्परर चार्लेमागने ने क्या करने का प्रयास किया था ? वह भिन्न ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अधीन एक संयुक्त यूरोप बनाना चाहता था। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय क्या करने का प्रयास कर रहा है ? लेकिन इस ऐतिहासिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयत्न में वर्षों और दशकों का समय लग गया है। हम आशा नहीं कर सकते कि 'सार्क' अपनी आंतरिक सीमाओं तथा गत-उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण एक वर्ष के समय में परिपक्वता को प्राप्त कर लेगा। स्पष्ट रूप से यह आंतकवाद की परिभाषा पर सहमत नहीं हो पाया है। लेकिन आंतकवाद की स्पष्ट रूप से कड़ी निन्दा की है। लेकिन इस मामले पर, किस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में हम आंतकवाद की परिभाषा कर सके हैं ? संयुक्त राष्ट्र ने वर्षों तक इसके लिए संघर्ष किया है और यह ऐसा नहीं कर सका। आंतकवाद क्या है ? हम आंतकवादियों को स्वतंत्रता सेनानियों और आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों से

कैसे अलग पहचानेंगे ? जब एक विशेष राज्य में, एक घृणित प्रकार की व्यवस्था में जब लोग अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं तो क्या आप ऐसी स्थिति को स्वीकार कर लेंगे और उसके विरुद्ध संघर्ष नहीं करेंगे ? लेकिन हमें विश्वास है कि 'सार्क' इस बारे में भी किसी समझौते पर पहुँच सकेगा।

अब मैं अपनी अन्तिम बात पर आता हूं। जी हां, अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें 'सार्क' शिखर सम्मेलन ने अपने विचार-विमर्श में किन्हीं कारणों से सम्मिलित नहीं किया है। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, ऊर्जा, धन, वित्त जैसे मामले—ये वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। बंगलादेश जैसे राष्ट्र प्राकृतिक रूप से इतने भाग्यशाली नहीं है और उनके पास निर्यात करने की सामग्री बहुत कम है। लेकिन बंगलादेश में गैस पर्याप्त मात्रा में है। बंगलादेश की गैस इस समय बगलादेश के लोगों के लिए व्यर्थ साबित हो रही है। यदि आपस में सहमति हो जाये तो बंगलादेश से वह गैस आसानी से पाइपलाइनों के जरिये कलकत्ता में कारखानों और उद्योगों को भेजी जा सकती है। पाकिस्तान इतनी दूर केन्या से चाय की खरीद क्यों करता है ? यह भारतीय चाय क्यों नहीं खरीदता है ? क्या भारतीय चाय उन्हें जल्दी तथा सस्ते दामों में नहीं मिलेगी ? बंगलादेश आस्ट्रेलिया और चीन से कोयला क्यों खरीदता है ? जबकि भारत के हिस्सों से बंगलादेश में कोयला पहुंचने में केवल दो घंटे लगते हैं।

ये सब ठोस तथ्य हैं। परन्तु उनके बारे में सिद्धान्त रूप में बोलना आसान है। इन सभी बातों को कार्यान्वित करने के लिए, जो कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं एक विश्वास के वातावरण की आवश्यकता है। और विशेषरूप से भारत जैसे विशाल देश के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसा वातावरण बनायें ताकि ये सब देश स्वयं को स्वतन्त्र महसूस करें और भविष्य के बारे में निर्भय रहें परन्तु यह सब बात मिलजुल कर कार्य करने से ही पैदा होगी। किसी व्यक्ति ने कहा है कि ये छोटे देश भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमसे बातचीत किये बिना भी उनके पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि हम एक भौगोलिक वास्तविकता हैं। परन्तु 'सार्क' शिखर सम्मेलन में वे हमसे ही बात नहीं करते हैं बल्कि हम सभी से बात करते हैं और आपस में भी बात करते हैं। यह बातचीत का वातावरण बढ़े, जागरुकता बढ़े और यही सब लोगों की इच्छा भी है।

अन्ततः, मैं आशा करता हूं कि आगामी शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया-उल-हक् भाग लेंगे। उन्होंने ढाका में हुये शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और कुछ कारणों से, जिनका हमें पता नहीं है, वह बंगलौर के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले सके। परन्तु हमें पाकिस्तान में शक्ति संरचना का पता है। वहां सारे निर्णय प्रधानमन्त्री के बजाय राष्ट्रपति लेते हैं अतः हम उनसे अपील करेंगे कि वे आगामी शिखर सम्मेलन में भाग लें।

मैं इस अवसर पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से 'सार्क' की सफलता के लिए सहयोग देने का अनुरोध करूंगा।

श्री बी. बी. रमैया (ऐलुरू) : सभापति महोदय सदन में स्वयं तथा अपनी पार्टी को सम्बद्ध करते हुये मैं प्रधानमन्त्री को बंगलौर में हुए हाल के शिखर सम्मेलन में इस देश का नेतृत्व प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं। 'सार्क' संगठन का अध्यक्ष बनने के लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। यह कोई औपचारिकता नहीं है। इससे उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आ गई है। आशा है कि वह इसे सफलतापूर्वक निबाह पायेंगे। उन्होंने यह ठीक ही कहा है कि 'सार्क' का कार्य अच्छे परिणाम सुनिश्चित करना है। इस संबंध में हम दक्षिण एशिया के देश यूरोपीय साझा बाजार के अनुभव से सीखते हैं अर्थात 'इ.इ.सी' एवं एसियन के अनुभव से।

गुणात्मक रूप में ये संगठन 'सार्क' से भिन्न हैं जोकि 'कोमिकोन' से भी भिन्न है और यह पूर्वी यूरोपीय देशों का यूरोपीय साझा बाजार है। 'सार्क' के रूप में यह एक अच्छी शुरुआत और सही दृष्टिकोण है। इस संबंध में सावधानी से धीरे-धीरे कदम उठाना अच्छा है बजाय इसके कि हम महत्वाकांक्षी साझा बाजार खोलने का प्रयास करें और असफल हो जायें।

मैं 'सार्क' के नेताओं को उनके अच्छे दृष्टिकोण के लिए बधाई देता हूं। यह एक अच्छी बात है कि भारत इस संघ में बढ़-चढ़ कर सामने नहीं आ रहा है। हमें बड़े भाई की भूमिका निभानी है, जिसके कारण हमें आत्म-त्याग कर कीमत भी चुकानी पड़ेगी और पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका तथा भूटान जैसे छोटे पड़ौसी देशों को साथ लेकर चलना होगा।

जैसे कि हमारे मित्रों ने पहले जिक्र किया है, इस संगठन ने जो जिम्मेदारी अपने उपर ली है उससे इस क्षेत्र की शक्ति बनती है, जिसका हम सभी लोग आपस में मिल बांट कर उपयोग कर सकते हैं। यह हमारे लिए कोई अत्यधिक उपलब्धि नहीं है परन्तु यह हमारे लिए एक दीर्घ-कालीन लाभ है। इसलिए हमें अपना रक्षा व्यय कम करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ढाका में हुए पहले सम्मेलन के बाद हम पारस्परिक विश्वास को भूल गये थे। और कुछ ही सप्ताहों अथवा महीनों के अन्दर हमने रक्षा पर बहुत अधिक धन खर्च किया।

पाकिस्तान आज भी रक्षा पर भारी राशि खर्च कर रहा है। वह कह सकते हैं कि यह व्यय केवल अफगानिस्तान की वजह से है। परन्तु हम ठीक-ठीक यह नहीं कह सकते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हैं। हमें सावधान रहना चाहिये है लेकिन साथ ही हमारी यह भी कोशिश रहनी चाहिए कि देश के दीर्घकालीन लाभ के लिए जहां तक संभव हो पड़ोसी देशों से हमारे सम्बन्ध अच्छे रहें।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक काफी जटिल संस्था है। साझा बजार में कार्यरत होते हुये यह भी समस्याओं से घिरी हुई है, यद्यपि इसके ज्यादातर सदस्य विकसित औद्योगिक देश हैं। हम सभी विकासशील देश हैं। हमारी समस्यायें भिन्न हैं और इसलिए हमें कृषि, वन, मौसम विज्ञान तथा विपदा प्रबंध-व्यवस्था जैसे विषयों में आपस में सहयोग करने की बात करनी चाहिए।

अभी तक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका का एक ही उपमहाद्वीपीय के रूप

में अस्तित्व था . एक समुद्री तूफान जो बंगलादेश में आता है वह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और हमारे देश के उत्तरी भाग अर्थात आन्ध्र-प्रदेश पर भी प्रभाव डालता है। इसी प्रकार सिंध में आये सूखे से राजस्थान तथा उत्तरी भारत के अन्य हिस्से भी प्रभावित होंगे। इस उपमहाद्वीप की नदियों में बाढ़ अथवा भूकम्प और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को राजनीतिक सीमाओं से सरोकार नहीं है। अतः यह आवश्यक है तथा इसी में हमारी बुद्धिमानी है कि हम अपने सभी लोगों के लाभ हेतु समस्याओं का एक साथ निपटान करें और संसाधनों को जुटायें।

जैसा कि मैंने पहले कहा है इस बात का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे सभी देशों को पारस्परिक लाभ हों और इससे अन्य पड़ोसियों के साथ भी सहयोग हो। यद्यपि हमारी व्यवस्था अन्य ऐशियाई देशों से पूरी तरह से भिन्न है वे हमसे काफी आगे हैं। परन्तु यद्यपि हम पीछे हैं फिर भी मैं आशा करता हूं कि हम अच्छे संबंध, आपसी सूझ-बूझ बना सकेंगे और इसके फल-स्वरूप हम धीरे-धीरे व्यापार तथा उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में अच्छे संबंध बना सकेंगे।

सामाजिक तौर पर भी हमारे विभिन्न देशों के लोग लगभग समान रूप से ही विकसित हैं। स्त्रियों का उत्थान या बच्चों की शिक्षा देख-रेख का संवर्धन हमारे सभी देशों की समान समस्यायें हैं। प्रौद्योगिकी के विकास से हमारे लिए यह संभव हो सका है कि हम मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपग्रहों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हम समुद्री तूफान, बाढ़ तथा सूखे से निपटने के लिए कदम उठा सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी तथा ऐसी जानकारी तथा इसे प्राप्त करने के आंतरिक ढांचे को पारस्परिक हित में अदान-प्रदान भी कर सकते हैं। हमने भारत में गेहूं के मामले में पंजाब में हरित क्रान्ति की है। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा क्षेत्रों में भी हमने कृषि के आधुनिक तरीकों के उपयोग से चावल की पैदावार बढ़ाई है। हम इस लाभ का अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और बगलादेश से आदान-प्रदान कर सकते हैं। 1978-79 में भारत और पाकिस्तान के बीच कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया गया था। हमने खाद्य और कृषि संगठन की सलाह पर पाकिस्तान में अनाज की खेती के लिए संकरित बीज सप्लाई किये थे। परन्तु फिर भी अच्छे संबंधों के पनपने की बजाय संबंधों में कड़ुवाहट आयी। पाकिस्तानियों ने आरोप लगाया कि भारत द्वारा सप्लाई किये गये बीज सड़े हुए थे जबकि भारत ने इस आरोप का खंडन किया हमारे दोनों देशों के प्रचार माध्यमों ने भी इस मतभेद को बढ़ाया है और संबंध बिगड़े वे संबंध 1984 के अन्त तक खराब रहे हमारे प्रधानमन्त्री पाकिस्तान बंगलादेश और श्रीलंका सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल को बगलादेश की इच्छा के अनुसार गंगाजल विवाद में घसीटा गया है। भारत श्रीलंका में जातीय समस्या के समाधान के लिए एक रचनात्मक भूमिका अदा कर रहा है।

हम सभी पिछले दो सालों में वहां जो कुछ हुआ उसके बारे में जानते हैं। हमारे प्रधान मंत्री तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति के कई बार आपस में मिलने के बावजूद समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। जब तक इस बात के लिए जोरदार इच्छा, सहयोग और भावना न हो यह समस्या हल नहीं की जा सकती है 'सार्क' देशों के हाल के आपसी दृष्टिकोण से शायद इन मामलों में कुछ सुधार होगा।

यह आशा की गई है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने और सहयोग के लिए बातचीत आरंभ की जायेगी। इस बारे में मैं प्रधानमन्त्री का ध्यान हमारे दोनों देशों की अफसरशाही के निहित स्वार्थों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनसे संबन्ध बिगड़े हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण श्री नटवर सिंह का पिछले सप्ताह दिया गया यह वक्तव्य है कि पाकिस्तान के साथ आणविक और अन्य मुद्दों पर बिलकुल कोई बातचीत नहीं होगी। अब बंगलौर में यह निर्णय किया गया है कि बातचीत आरम्भ की जायेगी। यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। मैं उनसे पाकिस्तान के साथ शान्ति का मार्ग अनुसरण करने के लिए आग्रह करूंगा तथा उनकी सफलता की कामना करूंगा।

द्विपक्षीय संबंधों को सुधारे बगैर और देशों के बीच पारस्परिक अविश्वास समाप्त किये बिना हम 'सार्क' के लिए एक सुदृढ़ नींव नहीं रख सकते हैं। 'सार्क' की बुनियाद हमारे देशों के पारस्परिक द्विपक्षीय संबंधों में है। हमें अपने विवादों को शांतिपूर्वक और द्विपक्षीय रूप से हल करना चाहिए। हमें पाकिस्तान, बंगलादेश और अन्य देशों में जनमत तैयार करना चाहिए ताकि उन देशों की सरकारें समान नीति का अनुसरण करें।

'सार्क' के अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र पद्धति नहीं है। पाकिस्तान और बंगलादेश में अभी भी सैनिक तानाशाही है, भूटान और नेपाल में राजतन्त्र है। श्रीलंका में लोकतन्त्र जातीय मतभेद और तमिलों को मानव अधिकार से वंचित रखने से नष्ट हुआ है। भारत में संघीय संसदीय लोकतन्त्र है। हम चाहेंगे कि इन देशों में लोकतन्त्र पद्धति का निर्माण हो परन्तु हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे यह धारणा बने कि हम इन देशों पर अपनी प्रणाली लागू करना चाहते हैं।

जैसे कि हमने हाल की ये बातचीत आरंभ की हैं और पिछले वक्ताओं ने भी कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन माध्यमों से हमें अधिक सहयोग और पारस्परिक सूझ-बूझ को विकसित करने में तथा परस्पर अच्छे संबंध बनाने में मदद मिलेगी।

पर्यटन को इसमें सक्रिया भूमिका अदा करनी चाहिए और उसके आधार पर हमें आपस में वीसा प्रणाली को भी विकसित करना है या वीसा प्रणाली को समाप्त ही कर देना चाहिए, जैसा कि साझा बाज़ार से संबंध देशों में हुआ है। अन्य देशों के साथ हम जिस पारस्परिक आयात-निर्यात प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं अर्थात् वे आयात और निर्यात लाइसेंसीकरण पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं जिसे छूट दी जानी चाहिए ताकि व्यापार संबंध, सहयोग और संस्कृति तथा खेल-कूद और अन्य सभी गतिविधियां आगे साथ-साथ चलें और यदि आज नहीं तो आगामी वर्षों में हम आपस में श्रेष्ठतम संबंधों का निर्माण कर सकें तथा 'सार्क' को एक अत्युत्तम संगठन बना सकें।

मैं एक बार फिर 'प्रधानमंत्री को 'सार्क' के लिए किये गये प्रयासों और हमारे देश के व्यापक हित में इन कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए बधाई देता हूं।

श्री आर. एस. स्पैरो (जालंधर) : माननीय सभापति महोदय, सार्क का गठन वास्तव में

सही दिशा में कदम उठाना है । वास्तव में यह विचारों की परिपक्वता की दिशा में एक उपयोगी विचार है।

इसके द्वारा हर दृष्टिकोण से दक्षिण एशियाई देशों की जनता के लिए अच्छा कार्य किये जाने की सम्भावना है।

इस संबन्ध में अपने कुछ टिप्पणियां व सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले दक्षिण एशिया के लोगों के बीच आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। इस सम्बन्ध में मूलभूत कार्य का बहुत सारा काम पूरा हो गया है और जो भी कार्य पूरा हो गया है, वह संतोषजनक रहा है। अपने प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री द्वारा दिए गए सक्रिय भूमिका निभाये जाने के परिणाम स्वरूप पारस्परिक सहयोग के अन्य उपाय अपनाये जाने के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय संस्थायें, अनुसंधान केन्द्र, प्रबन्ध केन्द्र यथा परिवहन प्रबन्ध केन्द्र, स्थायी सचिवालय समिति तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थायें स्थापित की जा चुकी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह सम्पूर्ण रूप से अभूतपूर्व सफलता है और यदि मैं यह कहूं तो कोई अतिश्योक्ति न होगी कि दक्षिण एशिया के इतिहास में पहली बार ऐसी सफलता मिली है जिसे किसी भी स्थिति में निम्न कोटि की उपलब्धि नहीं कहा जा सकता है।

युगों से दक्षिण एशिया के राष्ट्रों की संस्कृति और पृष्ठभूमि ऐतिहासिक दृष्टि से सामान्यतया अभिन्न रही है और समग्र रूप से मिली-जुली सी रही है। उनका सामान्य बंधन एक है अर्थात् उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक करोड़ों लोग एक दूसरे से संबद्ध हैं।

जरा कल्पना तो कीजिए और उदाहरण के तौर पर विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश, तथा भारत के अण्डमान निकोबार द्वीपों के बिल्कुल निकट स्थित इन्डोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरूड़, है जो महाकाव्य 'रामायण' से अत्यन्त निकटता से जुड़ा है। दक्षिण एशिया के लोगों का यह सम्पूर्ण गठबंधन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जब हम इस खुले विशाल विश्व में प्रवेश करेंगे तो उसके परिणाम सामने आयेंगे।

महोदय, औद्योगिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और अन्य सभी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से तथा उत्पादन के क्षेत्र में, दक्षिण एशिया के बीच हम अपना अस्तित्व बना सकते हैं। मेरे विचार से इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और अन्य क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए हम सात समुन्द्र पार करके अन्य देशों में जाने की आवश्यकता नहीं है ?

दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्रीय ग्रुप के पास ऐसी कौन सी वस्तु है; जिसे हम एक दूसरे को प्रदान नहीं कर सकते हैं। उपयोगी मानवशक्ति, सभी क्षेत्र में कार्य क्षमता वाली श्रमशक्ति सभी प्रकार की वाणिज्यिक कुशलता वैज्ञानिक प्रगति में योगदान देने के लिए योग्य व्यक्ति, प्रोफेसर, डाक्टर, तकनीशियन, और सभी दिशाओं का ज्ञान रखने वाले अन्तरिक्ष विशेषज्ञ तथा योग्य व्यक्ति, हमारे यहां क्या उपलब्ध नहीं है। कहां है और दक्षिण एशिया ग्रुप के देशों

की समस्याओं को कुशलतापूर्वक निपटाने की कमी कहां है ? इसके बारे में तो हमें ही ध्यानपूर्वक विचार करना होगा ।

महोदय, हमें एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए । आकार क्षमता और आबादी में कोई देश कितना ही छोटा अथवा बड़ा है, सभी देश बराबर के सांझीदार हैं । हमने एक दूसरे के प्रति सच्ची और स्पष्ट सहानुभूति होनी चाहिए । एक अन्तर्राष्ट्रीय ब्लाक के रूप में हमारी एक समान भू-रणनीति भू-युद्ध रक्षा नीति होनी चाहिए ।

इसके अलावा, यदि 'नाटो' 'सेन्टो', वारसा पेक्ट ब्लाक और अन्य ब्लाक हो सकते हैं, तो सार्क ब्लाक क्यों नहीं हो सकता है ? इससे विश्व के शक्तिशाली देशों का संतुलन बना रह सकता है । विश्व में परमाणु युद्ध जो संभावना बनी हुई है, जिससे विश्व विनाश संभावित है तथा जिसमें विश्व की रणनीति और विश्व की सैन्य शक्ति की पूर्णाहुति होना संभावित है, ऐसी स्थिति में यदि आपसी हमदर्दी गहरी हो जाये, तो उसका एक गहरा अर्थ है ।

अनेक दृष्टिकोण से मानव एक पशु है । दुख की बात यह है कि वह किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को धमकी देता रहता है ।

एक माननीय सदस्य : एक विवेकशील पशु ।

श्री आर. एस. स्पैरो : आदि काल से लेकर पत्थर युग से आज तक मानव स्वभाव एक सा ही रहा है । अतः आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों के युग में आधुनिक मानव बुद्धि के परिवेश में जो बहुत ही चतुर हैं, जिसमें कभी-कभी किसी विभ्रम बुद्धि वाले व्यक्ति का मस्तिष्क कार्यरत रहता है, आपको उस पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी होगी । वंशानुगत परम्परा से, प्राचीन संस्कृति और ज्ञान की दृष्टि से समेकित, ज्ञान की दृष्टि से हम दक्षिण एशियाई लोगों से विश्व ने ज्ञान प्राप्त किया है । जीरो का अविष्कार किसने किया ? बीजगणित का अविष्कार किसने किया ? निपक्ष भाव से रहने का प्रसार किसने किया और अपने ही क्षेत्र जहां आप रहते हैं वहां सात्विक भाव से रहने का प्रचार किसने किया ?

इसलिए दक्षिण एशिया के निवासियों के विवेकशील मस्तिष्क में जो उथल-पुथल मची हुई है उसे सहज रूप से न लिया जाये और 'इसके लिए मैं इस देश से परे विश्व के सभी देशों को चेतावनी देता हूं । हमारे साथ छल-फरेब और चतुराई करने की चेष्टा मत करो । हम अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं । हम अपनी शक्ति संगठित कर सकते हैं और जो व्यक्ति हमेशा से हमारे साथ छेड़-छाड़ करते रहे हैं वे किसी-न-किसी रूप में उत्तेजना और विनाश को आमन्त्रित कर रहे हैं । वे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों में और राष्ट्रों को अपने प्रतिनिधि के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं ।

अतः हम, दक्षिण एशिया में अपने दोनों मजबूत पैरों पर मिलकर खड़े हो सकते हैं । हम करोड़ों की संख्या में हैं और वास्तव में हम विश्व की सबसे मजबूत शक्ति हैं । हम लोगों के बीच में कोई गलत-फहमी नहीं होनी चाहिए । जब तक आप स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे, कोई आपकी

ओर ध्यान नहीं देगा। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि इस सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री ने अपनी विलक्षण बुद्धि से तथा विदेश मन्त्री और अपने दल के सहयोग से एक ऐसा अभूतपूर्व कार्य कर दिखाया है जो इससे पहले कभी भी संभव नहीं हो सका था। मुझे इस बात का बड़ा गौरव है कि इसके नेतृत्व का गौरव भारत में प्राप्त हुआ है। सार्क के अध्यक्ष अब आप हैं, इससे आपको अपने भाव प्रकट करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इसका आपको पूरा लाभ होगा।

मेरे बोलने से पूर्व बहुत सारी बातें पहले ही कही जा चुकी हैं और भाषण देने के लिए उन्हें दोहराना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं उसमें विश्वास नहीं करता। दोनों पक्ष के लोग इस पर भली-भांति भाव प्रकट कर चुके हैं। समस्या से सम्बद्ध विभिन्न तथ्यों पर जाने में अथवा अनजाने में बार-बार प्रकाश डाला जा चुका है।

अन्त में और कुछ न कहकर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि दक्षिण एशिया अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो सकता है। माननीय प्रधान मन्त्री के संरक्षण में कार्य करने वाले विदेश मत्री से मेरा अनुरोध है कि समस्त दक्षिण एशियाई देशों को अपना ही समझते हुए अपनी शक्ति और चेतना के साथ तथा सत्यनिष्ठा के साथ उसको और आगे बढ़ायेंगे।

जैसा कि मैंने कहा है आप एशिया में न हीं तो कोई बड़ी शान्ति हैं और न ही छोटी शक्ति वे भी हमारे भाई हैं। अन्य देशों को भी सदस्य बनाया जाये। यदि अफगानिस्तान 'सार्क' का सदस्य नहीं बना है तो उससे कहा जाये कि यह उपयुक्त समय हैं कृपा करके वह सार्क का सदस्य बन जाये।

[हिन्दी]

फिर न कहना गाड़ी चली गई।

[अनुवाद]

अब समय है। बर्मा से कहा जाये कि अब वह सार्क का सदस्य बन जाये यह वक्त गंवाने के लिए नहीं है। यहां तक कि इन्डोनेशिया और बालीकों भी 'सार्क' का सदस्य बनाया जाये। हम हर समय चारों तरफ से खतरों से क्यों घिर रहें और इसकी कीमत क्यों चुकायें ?

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : नियम 193 के अन्तर्गत इस चर्चा में भाग लेते हुये मैं प्रधान मन्त्री महोदय के वक्तव्य का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। उनके वक्तव्य के शुरू में ही यह बात कही गई है :

> "यह शिखर सम्मेलन जिसका शुभारम्भ कार्तिक पूर्णिमा तथा हजरत मोहम्मद और गुरुनानक देव जी की जयंती के शुभ अवसर पर हुआ है, इस बात की पुनः पुष्टि करती है....."

उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा का उल्लेख किया इसके लिए मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ। उनमें उचित प्रकार के हवालों का उल्लेख करने की योग्यता है।

इस वक्तव्य में दूसरे शिखर सम्मेलन तथा इसके परिणामों के बारे में कुछ सामान्य उल्लेख किया गया है। यहां इस सदन में यह विदेश मन्त्री महोदय का कर्तव्य है कि वे हमें इस शिखर सम्मेलन में लिए गये निर्णयों तथा इसके परिणामों के बारे में निश्चित जानकारी दें।

3.28 म. प.

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

अब माननीय सदस्यों ने मेरे सामने कई बातें कही हैं। दक्षिण एशिया के जिन देशों ने इस 'सार्क' संस्था की स्थापना की है, मैं उन देशों के बीच निकट सहयोग की आवश्यकता की भी सराहना करता हूं। यदि इस संगठन से इन देशों के बीच अच्छे सम्बन्धों को बढ़ावा मिलने में सहायता मिल सकती है तो वास्तव में यह एक अच्छी बात होगी। इसकी बहुत आवश्यकता है। हमारे सम्बन्धों में बहुत कड़वाहट है। परन्तु यह लोगों द्वारा पैदा नहीं की गई है। यह निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा पैदा की गई है जो इन देशों में तथा विदेशों में रह रहे हैं।

अन्य सदस्यों ने आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा बाल-कल्याण स्त्री विकास तथा इन सभी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनायें शुरू करने की बात कही है। परन्तु इसके साथ ही हमारी पहचान के लिए सामान्य ज्ञान की जरूरत है। हमें यह पता लगाना होगा कि विगत में हम अलग-अलग क्यों पड़ गये थे इस क्षेत्र में विद्वेष किसने पैदा किया, तथा हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद हम एक जुट क्यों नहीं हो सके ? वे कौन है ? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रधान मन्त्री महोदय कहते हैं कि द्विपक्षीय मामलों को इस मंच पर नहीं उठाना चाहिए यह बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में कुछ बाधायें हैं जो इस धारणा के लिए भी खतरा बन सकती हैं। अतः हम इस बात को भी नहीं भूल सकते हैं। जबकि मैं यह चाहता हूँ कि हमारे बहुत निकट के संबंध हों, वे अधिक से अधिक मजबूत हों, परन्तु मुशरान जी यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो वास्तव में यह एक समस्या बन जायेगी।

एक माननीय सदस्य : मुशरान जी ही क्यों ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे मेरी ओर देख रहे थे। महोदय इस बारे में एक दिन हमने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर सुना था कि प्रधान मन्त्री जुनेजो ने कहा है कि पाकिस्तान 'अवाक्स' विमान नहीं खरीद रहा है, परन्तु आज यह खबर है कि पाकिस्तान में अमरीका के राजदूत ने कहा है कि पाकिस्तान 'अवाक्स' विमान खरीद रहा है। इसमें से कौन सी बात सच है ?

[हिन्दी]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : यह कहां पढ़ लिया आपने ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप लाइब्रेरी नहीं जाते हैं क्या ?

[अनुवाद]

अत: ये बातें हैं। हम इस बारे में चिन्तित हैं। जब 'सार्क' का गठन हुआ था, हमने शुरू में सोचा था कि हम इन बाधाओं को दूर करने जा रहे हैं, परन्तु अब हम देखते हैं कि नटवर-सिंह जी उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर की भावना है—ने कहा है कि बंगलौर में जिन विषयों पर चर्चा की जानी थी वे अविवादास्पद तथा अराजनैतिक विषय थे। यह अच्छी बात है कि हमें ऐसे विषय नहीं उठाने चाहिए जिससे 'सार्क' के विकास में क्षति पहुंचे, परन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि अविवादास्पद विषयों के साथ-साथ हममें कुछ अन्य बातें कहने का भी साहस होना चाहिए। वे कौन सी बातें हैं ? ···· (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उनकी बातें बहुत विवेकपूर्ण हैं।

श्री पी. कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : वे हमेशा विवेकपूर्ण ढंग से ही बातें करते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसके अलावा संयोजक नियुक्त किये गये और हमने जो कुछ सुना है वह विज्ञान और प्रौद्योगिक सहयोग संस्कृति शिक्षा के बारे में है। यदि आप कुछ अन्य क्षेत्रों का भी पता लग सकते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है तथा हमें यह करना है। हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु क्या हम इन अविवादास्पद विषयों में कुछ अन्य विषय भी शामिल कर सकते हैं ? मुझे विश्वास है कि हमें यह पहल करनी होगी। क्या हम 'सार्क' की ओर से यह नहीं कह सकते कि इन देशों में से कोई भी देश किसी बाहरी देश को अड्डा स्थापित करने के लिए अपने देश में अनुमति नहीं देगा ? भारत इसकी अनुमति नहीं देगा, पाकिस्तान इसकी अनुमति नहीं देगा मालदीव इसको अनुमति नहीं देगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है तथा प्रत्येक सदस्य को इस पर सहमत होना चाहिए। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि इससे विघटन पैदा होगा तो 'सार्क' बनाने का कोई फायदा नहीं है, बातचीत का कोई लाभ नहीं है।

दूसरी बात जिसकी हम मांग कर सकते है वह यह है कि हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र बनाया जाने की मांग काफी पुरानी है। दिसम्बर 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 26वें अधिवेशन में यह मांग की गई थी। इसके बाद कोलम्बो में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का निर्देश दिया गया था। उसका क्या हुआ ? ऐसा लगता है कि सभी इस बात को भूल गये हैं। क्या 'सार्क' में इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती ?·····(**व्यवधान**)

डा. गौरी शंकर राजहंस : आप चीन द्वारा कही गई बात कह रहे हैं। चीन ने इस शांति क्षेत्र की नीति का समर्थन किया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित किये जाने के बारे में बात कर रहा हूं नेपाल के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। उस शान्ति क्षेत्र वाले सिद्धांत के पक्ष में नहीं हूँ। परन्तु इसे हम शान्ति क्षेत्र बनाने के बारे में चर्चा कर सकते हैं। यदि इस

सम्मेलन की मेजबानी कोलम्बो नहीं कर सकता तो कोई अन्य देश इसकी मेजबानी कर सकता है। इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

दूसरी बात जो अविवादास्पद है, हम 'सार्क' में इसकी मांग रख सकते हैं तथा वह भी इस क्षेत्र के हित के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के हित में शान्ति से रहने के लिए। वह कौन सी बात है ? सुरक्षा परिषद के सदस्यों को यह आश्वासन देने के लिए कहना कि वे इस क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप न करें। क्या 'सार्क' के सदस्य इस आशय की घोषणा की मांग करने को तैयार हैं ?

किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए न ही अमरीका को, न ही सोवियत संघ को, न ही किसी अन्य देश को हस्तक्षेप करना चाहिए। परन्तु 'सार्क' सदस्य यह बात नहीं कहेंगे। यह बात कौन कहेगा ? इस बात पर सद्भावना तथा वास्तविक इरादा व्यक्त हो जायेगा।

मैं अन्य मुद्दों तथा पहलुओं पर नहीं बोलना चाहता। ये महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस क्षेत्र में वास्तविक सहयोग के लिए—कि यह क्षेत्र भविष्य में किसी भी धमकी, खतरे तथा बाधाओं से मुक्त रहेगा, एक अच्छा सुदृढ़ आधार ढूँढा जा सकता है।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) जहां तक 'सार्क' सम्मेलन का सम्बन्ध है आरम्भ में बहुत कम सामान्य आशायें थी क्योंकि संबंधित देशों के बीच आपसी दिवार है, विशेष तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तथा श्री लंका में भी जातीय दंगों को भी लेकर द्विपक्षीय विवाद है ऐसा समझा जाता था कि ऐसे सम्मेलन के कोई परिणाम नहीं निकलेंगे। परन्तु यह जानकर बड़ा संतोष हुआ कि ये आशायें बिल्कुल झूठी साबित हुई-और इसके जो परिणाम निकले वे बहुत महत्वपूर्ण यथेष्ट तथा प्रभावशाली थे। बंगलौर शिखर सम्मेलन से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में लाभ हुआ है। क्षेत्रीय स्वरुप के कुछ शिखर सम्मेलनों में हम कभी-कभी ऐसे प्रभावशाली परिणामों की आशा नहीं करते। परन्तु हमें धैर्यपूर्वक धीरे-धीरे प्रगति करनी है तथा एक-एक करके उपलब्धियाँ प्राप्त करनी हैं। और सहयोग के अधिक विषयों को शामिल करना है।इस सम्मेलन के परिणामों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है एक तो संस्थागत मशीनरी की स्थापना और कुछ प्रक्रियात्मक परम्पराओं पर सहमति होना। काठमाण्डू में सचिवालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में तथा बंगला देश के श्री अब्दुल उस्मान को महासचिव नियुक्त करने के बारे में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इन पर आने वाली लागतों के बंटवारे के बारे में भी समझोता हो गया है तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कार्यक्रम संबधी लागतों तथा क्षेत्रीय संस्थाओं संबंधी लागतों के निर्धारण पर भी सहमति हो गई है। सम्मेलन बुलाने आदि के लिए भी समान दिशा-निर्देश बनाये गये हैं। ये उपलब्धियाँ कम नहीं है यद्यपि इन्हें प्राप्त करने के बाद ये इतनी महत्वपूर्ण दिखाई नहीं देती। ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलनों में सचिवालय के लिए स्थान के चुनाव, सम्मेलनों संबंधी प्रक्रिया तथा लागतों के बंटवारे पर सहमति होना बहुत मुश्किल है। परन्तु हमें सभी संबंधित देशों तथा विशेषतौर पर भारत के प्रधान मंत्री को बधाई देनी चाहिए जिन्होंने इन विषयों पर समझौते का मार्ग प्रशस्त किया जो अन्यथा विवादास्पद भी था।

प्रक्रिया संबंधी भाग के अतिरिक्त कई अन्य निर्णय भी लिये गये जिससे यह ज्ञात होता है कि 'सार्क' एक गतिशील धारणा है। इसलिए इस मुद्दे के लिए भी आयोजक बधाई के पात्र हैं।

मेरे से पहले वाले वक्ता ने अभी एक मुद्दा उठाया था कि हमें सहयोग के नये-नये क्षेत्रों का पता लगाना चाहियें। उन्होंने बहुत क्षेत्रों के बारे में सुझाव भी दिया था परन्तु मैं यह उल्लेख कर सकता हूँ कि इस सम्मेलन में पहले ही लगभग 8 या 9 विषयों का पता लगाया जा चुका है जिन्हें 'सार्क' सहयोग के विस्तार की संज्ञा दी जा सकती है। पहले मैं अवैध औषध व्यापार संबंधी तकनीकी समिति की स्थापना का उल्लेख कर सकता हूँ। इस संबंध में हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि यह मामला पाकिस्तान और भारत के बीच एक विवादास्पद मामला था। वास्तव में हमारे प्रधान मन्त्री महोदय का एक वक्तव्य समाचार-पत्रों में आया था कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच औषध संबंधी मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला बन गया है। अतः इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि यह एक महान सफलता है कि सभी देश अवैध औषध व्यापार समिति की स्थापना करने के लिए सहमत हो गये हैं। केवल यह ही नहीं अपितु इसकी स्थापना कर दी गई है परन्तु यह निर्णय किया गया है कि इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान करेगा।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : यह तो चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही भेजने वाली बात हुई !

श्री शरद दिघे : अतः इस दृष्टि से यह कार्यक्रम एक महान उपलब्धि है।

वानिकी के लिये कृषि समिति अनुभव का आदान प्रदान, आयोजन तथा कार्यान्वयन के तरीकों के निदेश पदों का विस्तार करने के लिये बहुत से अन्य समझौते हुए हैं। इस तरह आयोजकों को समय-समय पर मिलना होगा और इन सब बातों पर विचार करना होगा। दूसरे देशों द्वारा भी राजस्व संग्रह करने में भारत के अनुभव को जानने हेतु पूछ ताछ की जाती है। यह मुझे बताया गया। और इसलिए, उस पर ध्यान दिया जायेगा तथा विचार किया जायेगा इसमें शक नहीं है कि एक रुपता नहीं लाई जा सकती लेकिन योजना बनाने के तरीके तथा उन्हें क्रियान्वित करने के हमारे अनुभव का लाभ इस समिति में उठाया जा सकता है।

साथ ही इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों पर सार्क देशों की अनेक प्राथमिकताओं का पता लगाया गया और इसीलिए, इस दृष्टिकोण से यह एक महान सफलता है। केवल बगलोर घोषणा से इस सार्क की सफलता नहीं आंकी जा सकती लेकिन हमें नन्दी हिल पर हुए इन देशों के अध्यक्षों की अनोपचारिक बैठकों पर भी ध्यान देना होगा जहां अनेक निर्णय लिए गये हैं जो शायद औपचारिक बैठकों में न लिये जा सकते थे इस अवसर पर द्विपक्षीय वार्तायें भी हुई। जैसा कहा गया है कि ऐसे सम्मेलनों में हमेशा इन अवसरों पर द्विपक्षीय वार्ताएँ की जाती हैं और हमने पढ़ा है कि भारत और पाकिस्तान में द्विपक्षीय वार्ताएँ हुई और भारत तथा श्रीलंका में भी द्विपक्षीय वार्ताएँ हुई और जहाँ तक भारत-पाक द्विपक्षीय संबंधों का सवाल है हमें कुछ सफलता मिली है। जैसा कि अखबारों में छपा है। इसलिए इसे भी सम्मेलन की सफलता समझना चाहिए।

कुछ अन्य मुद्दों पर फैसला हुआ जैसे रेडियो, टेलीविजन और पर्यटन जिनके संदर्भ के पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है पर्यटन के बारे में एक विशेष मुद्दा जिस पर फैसला होना है यह है कि सार्क देशों के पर्यटकों को राष्ट्रीय मुद्रा के सीमित परिवर्तन के लिए सुविधा देना। जहाँ तक पर्यटन का संबंध है, यह हमें बहुत सहायता करेगा लेकिन विशेष मुद्रा यह है कि जनता का जनता से सम्पर्क करने की दिशा में यह ठोस कदम होगा और जहाँ तक ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलनों का संबंध है, यह बहुत-बहुत आवश्यक है। इसलिए, अन्य मुद्दे जैसे छात्र-वृत्तियों का आदान-प्रदान, सार्क देशों में छात्र वृत्तियां शीघ्र प्रारम्भ करना तथा फैलोशिप तथा विभिन्न अध्ययन पीठों की स्थापना आदि के कार्यक्रमों से भी जनता का जनता से सम्पर्क बढ़ेगा।

इसके बाद, जहां तक इस बात का संबंध है एक प्रलेखन केन्द्र की स्थापना के बारे में भी फैसला हुआ। अतः प्रत्येक देश के युवकों को दूसरे देशों के विकास कार्यक्रमों में शरीक होने का सुझाव है जिसके अन्तर्गत एक देश के संगठित स्वयंसेवक दूसरे देश में कृषि तथा वन विस्तार कार्यों के क्षेत्रों में कार्य करेंगे। इस कार्य से जनता का आपस में सम्पर्क बढ़ेगा तथा वे एक दूसरे के कार्यों में शरीक होंगे और विशेष कर इन देशों के युवकों का आपस में सम्पर्क बढ़ेगा।

अब जैसा मैंने कहा, 'सार्क' द्विपक्षीय समस्याओं पर विचार करने से बचते हुए तथा मिलजुल कर फैसला करने की जरूरत पर जोर देने के रास्ते पर ठीक चल रहा है। निस्सन्देह, आतंकवाद की परिभाषा पर सहमति नहीं हुई है या पूर्ण सहमति नहीं हुई है। लेकिन जहां तक इस सम्मेलन का संबंध है, कम से कम आतंकवाद का निश्चित रूप से खण्डन किया गया है। इसलिए, मुझे बहुत आशा है कि समय रहते आतंकवाद की परिभाषा पर भी समझौता हो जाएगा। ऐसे सम्मेलनों में किसी मामले पर बलपूर्वक फैसला करवाना और केवल निर्णय लेने का प्रदर्शन करके गौरवान्वित होना, चाहे उसके परिणाम कुछ न निकले, बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः इस दृष्टिकोण से धीरज तथा दृढ़ता जरूरी है।

अब सचिवालय स्थापित हो चुका है। मैं केवल इतना कहूंगा कि यह सचिवालय एक कठिन अन्तर्राष्ट्रीय नौकरशाही के रूप में विकसित न हो, इसके लिए सतर्कता बरतनी होगी। हमें सतर्कता बरतनी होगी तथा देखना होगा कि यह वास्तव में सार्क और इसकी विभिन्न समितियों के कार्यक्रमों और फैसलों पर ही वास्तव में चर्चा करें। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि श्री जिया इस सम्मेलन में अनुपस्थित थे। मैं माननीय मन्त्री से भी जानना चाहूँगा कि इस सम्मेलन में पाक राष्ट्रपति के अनुपस्थित रहने तथा साधारण तौर पर उस देश के प्रधानमन्त्री को भेजने में क्या कोई राजनैतिक महत्व जुडा है। वह पिछले मौके पर ढाका में स्वयं ही उपस्थित थे। मैं चाहूँगा कि माननीय विदेश मन्त्री इस मुद्दे पर कुछ प्रकाश डालें। इन शब्दों के साथ मैं इस वर्ष सार्क का नेतृत्व करने तथा इसका समापति बनने के लिए अपने प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि यह संगठन चाहे सहयोग के मामले हो जो उन सभी क्षेत्रों में निश्चित होने जा रहे हैं, तीव्र गति दिखायेगा और यह क्षेत्र बहुत उन्नति करेगा।

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, इस विषय पर बोलने

का अवसर मिलने पर मैं गौरव महसूस करता हूँ क्योंकि क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया संगठन का दूसरा शिखर सम्मेलन बंगलौर में हुआ है जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है।

महोदय, कर्नाटक की परम्पराओं और संस्कृति के अनुसार बंगलौर वासियों ने अपने नेताओं का जोरदार स्वागत किया। कर्नाटक सरकार और बंगलौर नगर निगम ने इस अवसर को सफल बनाने में दिन-रात कार्य किया। सार्क शिखर सम्मेलन वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना है। महोदय, मुझे इसका उद्घाटन तथा समापन समारोह देखने का अवसर मिला है। मैंने पूर्ण तल्लीनता से सभी नेताओं के भाषण सुने हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि नेता सार्क संगठन को मजबूत बनाने में बहुत इमानदार हैं और वे सहयोग द्वारा समस्याओं का समाधान तथा वे भी अपने लोगों की समान भलाई को प्रोत्साहन देने में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि करते हैं जिसको सुनने के लिए वे सहमत हुए हैं।

ढाका शिखर सम्मेलन में स्वीकृत सार्क अध्याय की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि राजनीतिक और द्विपक्षीय मामले बाहर रखे जायेंगे और सहयोग की भावना को कुण्ठित नहीं होने दिया जायेगा। सम्मेलन में, उन्होंने द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा नहीं की। लेकिन सम्मेलन से बाहर, उन्होंने द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की। अब हमारा देश यह जानने के लिए उत्सुक है कि भ्रमणकारी नेताओं और हमारे प्रधान मन्त्री के मध्य क्या नतीजा निकला है। हम निष्कर्ष जानने के लिए भी उत्सुक हैं, यद्यपि हमारे प्रधान मन्त्री ने पत्रकार सम्मेलन में बहुत संक्षिप्त रूप में बताया है कि उनका श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री से विचार-विमर्श हुआ है।

जहां तक पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री से उनकी बात-चीत का संबंध है, पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने बताया है कि पाकिस्तान ने अणु बम का विस्फोट नहीं किया है। पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने बताया है कि "संयुक्त राज्य अमेरिका हमें अवाक्स विमान नहीं दे रहा है।" हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा कि भारत इससे सहमत नहीं है।

दूसरी ज्वलन्त समस्या श्रीलंका की जातीय समस्या है जिसने भारत की जनता को उत्तेजित किया है। इस समस्या पर घंटों विचार-विमर्श हुआ। हमारे प्रधान मन्त्री को 2.30 म.प. पर दूसरे दिन जाना था लेकिन उन्होंने अपनी वार्ता चार घंटे तक लगातार जारी रखी क्योंकि श्रीलंका में नर संहार होने के कारण वह इस समस्या का समाधान निकालने में बहुत उत्सुक थे। वे जल्दी ही एक समाधान चाहते हैं। हमारे प्रधान मन्त्री ने हमें कोई विवरण नहीं दिया है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि इस मौके पर कुछ भी रहस्योद्घाटन करना दोनों देशों के हित में नहीं होगा।

यह सभा और सम्पूर्ण राष्ट्र विभिन्न नेताओं और प्रधान मन्त्री के मध्य हुई द्विपक्षीय वार्ताओं के निष्कर्ष को जानने के लिए इच्छुक है।

हमारे प्रधान मन्त्री ने अगले सप्ताह एक वक्तव्य देने का वचन दिया था। मैं आशा

करता हूँ कि जब हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे तब तक हमें इसका ब्योरा मालूम हो जायेगा।

'सार्क' चार्टर की प्रस्तावना में भी यह घोषणा की गई है कि प्रभुसत्ता, समानता, प्रादेशिक अखंडता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेना का प्रयोग न करने तथा अन्य देशों के अन्दरुनी मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा विवादों के शांतिपूर्ण के सिद्धान्तों का पालन करेंगे।

'सार्क' राष्ट्र एक न एक ढंग से आपस में जुड़े हुए हैं। उनका भूगोल तथा संस्कृति, वातावरण तथा विरासत एक सी है।

बंगलादेश के गतिशील नेतृत्व में 'सार्क' एक मजबूत संस्था बना है और अब इसको विकास करने की बारी भारत की है।

हम सारी जिम्मेदारी अपने प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी पर नहीं डाल सकते। इस संस्था को मजबूत बनाने में सारा राष्ट्र प्रधान मन्त्री के साथ है। हमारे पास अत्यन्त योग्य विदेश मन्त्रियों की 'त्रिमूर्ति' है। तीन-तीन कुशल विदेश मन्त्री हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग इस जिम्मेदारी में हिस्सा बटायेंगे क्योंकि लोगों को 'सार्क' से बहुत उम्मीदें है।

'सार्क' सम्मेलन में सात नेताओं की भेंट उसे एक कदम और आगे ले जाता है। हम केवल सर्वमान्य निर्णय ही नहीं ले सकते। इससे लोग सन्तुष्ट नहीं होंगे। उन्हें ठोस कार्यवाही चाहिए। लोग देख रहे हैं कि ये संस्था कैसे काम करती है।

हम सभी को यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि जनवरी में काठमाडू में एक पृथक् सचिवालय बनाया जाएगा। जब इस सचिवालय की स्थापना हो जाएगी तो यह आशा करना स्वाभाविक है कि शिखर सम्मेलन में लिए गये निर्णयों के कार्यान्वयन की दिशा में भी काम होगा।

अनेक सदस्यों ने कई विषयों में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख किया है। वे एक दूसरे से लाभ बांटने को राजी हो गए हैं।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर वे सभी एकमत हैं, वह है अवैध औषध व्यापार तथा आतंकवाद की बुराइयों को समाप्त करना। यह हमारे देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी स्तरों पर लोगों के परस्पर सम्पर्क को बढ़ावा देने का निर्णय किया है।

'सार्क' के नेताओं को 'नन्दी हिल्स' में हुई बैठक में संभावित सहयोग के दो और मुद्दे मिले। वहां पर परस्पर सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। ये दो मुद्दे लोकप्रिय भागीदारिता को मजबूत बनाने तथा पारस्परिक कार्यवाही करने के बारे में हैं। इनमें आकाशवाणी, दूरदर्शन के कार्यक्रम, पर्यटन विद्वानों का आदान-प्रदान, क्षेत्रीय प्रलेखन केन्द्र तथा कृषि और वानिकी के संबंध में कार्य करने हेतु एक संगठित स्वैच्छिक आदान-प्रदान कार्यक्रम शामिल है।

डा. वी. वेंकटेश (कोलार) : 'नन्दी हिल्स' मेरे जिले कोलार में हैं।

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : यदि थोड़ा समय और होता तो वे 'नन्दी हिल्स' पर अनेक और समस्याओं का समाधान कर सकते थे। (व्यवधान)

अब पूरे विश्व का ध्यान बंगलौर घोषणा के कार्यान्वियन पर केन्द्रित है। कार्यान्वियन मन्त्रियों तथा सम्बन्धित सचिवों के हाथ में है। पहले जब प्रधान मन्त्री ने सुबह प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित किया तो हम निराश हो गए तथा हमने समझा कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता विफल हो गई है। किन्तु सौभाग्य से प्रधान मन्त्री के मार्ग निर्देशों के अनुसार माननीय विदेश मन्त्री ने फिर से बातचीत शुरू की। श्री नटवर सिंह तथा अन्य व्यक्तियों ने दूसरे पक्ष के लोगों से बातचीत की। यह वास्तव में प्रसन्नता की बात है कि संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया अगले दौर में इस्लामाबाद से शुरू होगी। वहां विदेश सचिवों की बैठक होगी। यह अत्यन्त आवश्यक है। अनेक सदस्यों ने द्विपक्षीय सम्बन्धों में सुधार के बारे में उल्लेख किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि वर्ष में एक बार बैठक से द्विपक्षीय मामलों का समाधान नहीं हो समाधान नहीं हो सकता। अधिकारी परस्पर सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए माह में एक बार मिल सकते हैं। किन्तु ये ज्वलन्त समस्याएं, विशेषकर पाकिस्तान तथा भारत की समस्या अब अधिक देर तक लम्बित नहीं रखी जा सकती। इसके लिए अगले शिखर सम्मेलन तक इन्तजार नहीं की जा सकती। मुझे विश्वास है कि वे इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे। बंगलौर में रहते हुये, मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार विदेश सचिव तथा विदेश मन्त्री शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। इसी कारण समापन अधिवेशन में एक घंटे के भीतर ही वे निर्णय लेने में सफल हो गए थे। अधिकारियों ने दिन-रात काम किया।

प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण में कौटिल्य को उद्धृत किया है कि हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिएं। एक मनुष्य होने के नाते भी हम यही महसूस करते हैं कि पड़ोसी अच्छे होने चाहिएं। हम जब भी किसी घर में जाते हैं तो पूछते हैं कि हमारे सभी पड़ोसी कौन-कौन हैं। उनके साथ अच्छे संबंध रखना एक आवश्यकता है।

पूरे विश्व को एक बात मालूम होनी चाहिए। यद्यपि हमारा एक बड़ा देश है और हमारे अपने संसाधन हैं तो भी भारत ने किसी देश को कभी भी अपने बड़प्पन का रौब नहीं दिया। हमने गरिमा बनाए रखी है। यद्यपि 'सार्क' एक गैर-राजनीतिक संस्था है। और इसके राजनीतिक पहलू का कोई उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, दो नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों का शिखर सम्मेलन में अवश्य उल्लेख किया। पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने सीमा पर सेना की हलचल का उल्लेख किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने तत्काल प्रस्तुत भाषण में श्रीलंका की जातीय समस्या का उल्लेख किया। पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की क्योंकि यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी राजनीतिक मामले पर विचार नहीं किया जायेगा। यद्यपि 'सार्क' सम्मेलन में उन मुद्दों पर विचार नहीं किया गया किन्तु राजनीतिक मामलों का समाधान करना भी आवश्यक है। मैं एक बात और करना चाहता हूँ। एक अन्य बात जिस पर हमें निराशा हुई वह यह है कि सहयोग के क्षेत्र का विस्तार नहीं किया गया।

भारत बहुत उत्सुक था कि व्यापार तथा उद्योग को भी इसमें शामिल किया जाए। इससे अन्य देशों को भी लाभ होगा। किन्तु अन्य देशों को हम पर विश्वास नहीं हुआ और वे इस बात से सहमत नहीं हुए। 'सार्क' में यह परम्परा है कि कोई भी निर्णय तब तक नहीं लागू होगा जब तक वह सर्वसम्मत न हो। हम आशा करते हैं कि आगामी शिखर सम्मेलन में सहयोग के क्षेत्र का आगे विस्तार किया जाएगा। 'सार्क' की यह भावना तथा बंगलोर घोषणा विश्व में शांति तथा स्थिरता लाने के लिए काफी काम करेगी। इस क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ व्यक्ति रहते हैं। मैं, इन शब्दों के साथ न केवल हाल ही में समाप्त हुए सम्मेलन, अपितु 'सार्क' सचिवों तथा अधिकारियों की भी सफलता की कामना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री श्रीपति मिश्र (मछलीशहर) : आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सार्क का प्रथम शीर्ष सम्मेलन ढाका में हुआ और वहां इन सातों देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री ने भाग लिया। उसका दूसरा सम्मेलन बंगलौर में हुआ और यहां पाकिस्तान जो कि भारत के बाद सबसे बड़ा देश इस सार्क सम्मेलन में है, वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग नहीं लिया। वहां के प्रधानमन्त्री इस सार्क सम्मेलन में भाग लेने आये। निःसंदेह यह बात साधारण परिस्थिति में महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती, लेकिन आज जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में वातावरण और सम्बन्ध हैं, उसको देखते हुए जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री दीघे जी ने चाहा है कि हमारे माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें, मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी इस पर क्या प्रकाश डालेंगे। वैसे वह बहुत जानकार हैं, ऐसा कुछ प्रकाश डाल भी सकते हैं जिससे कि हम उसको कुछ समझ लें, लेकिन आम जनता के मन में यह भावना जरूर रहेगी कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने इसमें क्यों भाग नहीं लिया ?

बहुत कुछ बातें बंगलौर में तय हुईं—जैसे कि एक स्थायी सचिवालय का निर्माण, किस तरह से प्रक्रिया प्रारंभ होगी आदि। जिन बातों का यहां पर जिक्र कर दिया गया है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनको दोहराने से कोई, लाभ भी नहीं होगा। मैं अपने प्रधान मंत्री जी और उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि इसमें भाग लेने के लिये यहां आये। इन्होंने सद्भाव से बहुत सारी बातों का निर्णय लिया। वह बातें शायद किसी के लिए कष्टकारक या कठिन हो सकती हैं। लेकिन जब माननीय सदस्य श्री सैफुद्दीन चौधरी साहब बोल रहे थे तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे इन्होंने सही बात को छूआ ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हों और अच्छे सम्बन्धों को बनाने के लिए हम तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं कि यह होना चाहिए, कहीं एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, कहीं फारेस्ट्री की बात कर रहे हैं और इसके अलावा दूसरे और सम्बन्धों को लाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हमारे मन में कहीं यह भावना है कि अगर कहीं कोई जरा सी विवादास्पद बात छेड़ी तो हो सकता है कि हमारा सम्मेलन आगे न बढ़े। ठीक है, इस डर से न डरिए और इसको उस मौके पर छेड़िए जब इसको छेड़ना आप उचित समझते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सम्बन्धों में, राजनीतिक सम्बन्धों में और राष्ट्रों के सम्बन्धों में जब तक खुलकर बात नहीं होगी और जो

दुखती हुई रगे हैं, उनको नहीं छुआ जायेगा, उनका आपरेशन नहीं होगा, उनको खोलकर नहीं देखा जायेगा, तब तक जो बात आप कहते है वह केवल एक दिखावे की बात होगी। उसके द्वारा वास्तविक समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या-क्या दुखता है ?

श्री श्रीपति मिश्र : माननीय चौबे जी आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह जिस दल के हैं, उनको कभी-कभी हिन्दुस्तान की लड़ाई भी नहीं दुखती है—जैसे कि चीन के बारे में आपको याद होगा कि तब भी आपको नहीं दुखा था। मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या-क्या दुखता है ?

श्री नारायण चौबे चाहे गाली देकर बताओ, लेकिन बताओ तो सही।

श्री श्रीपति मिश्र : हमारे यहां रोज-प्रतिदिन बहस होती रही है। वैसे मैंने किसी बहस में भाग नहीं लिया है, लेकिन प्रत्येक बार यह सुनता रहा हूं कि इसमें किसी विदेशी का हाथ है। हमारे यहां कोई विदेशी टैरारिस्टों को ट्रेंड करके भेज रहा है। यह कौन विदेशी है, क्या है ? उसका हम कभी-कभी नाम भी लेते हैं और कभी-कभी यह भी कहते है कि हमारे पास उसके सबूत हैं। यह बात हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या भी बनी हुई है। उसके साथ बैठ कर जब बात करते हैं तो तरह तरह की और बात करने के साथ उसी बात को करने में हिचकिचाते क्यों हैं ? उसको करना चाहिए। उसको करने से ही पता चलेगा कि वास्तविक उनकी मंशा क्या है क्योंकि ऐसी सीधी बात पर भी वह बात नहीं करने को तैयार होते तो उससे उनकी मंशा साफ हो जायगी क्योंकि आपके इस निर्णय में, सार्क की स्थापना में निश्चित रूप से यह कहा गया है कि कोई देश एक दूसरे की सावरेन्टी में दखल नहीं देगा, कोई देश एक दूसरे के अधिकार में, दूसरे देश की अन्तरंग बातों में भाग नहीं लेगा, सारी वह बातें जो पंचशील में हैं वह सब बातें आपने इसमें रखी हैं, इसके बावजूद भी अगर इन बातों पर कोई कूदता है, इन बातों पर कोई चौंकता है, इन बातों के लिए कोई सही जवाब नहीं देता है तो इसका मतलब है कि उसके मन में खोट है और जब मन में खोट है तो एक साथ बैठकर क्या निर्णय हो सकता है ?

दूसरे, आसाम की जो समस्या है उसमें बंगलादेश से आने वाले लोगों के बारे में स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में भी यह निर्णय हुआ था कि वहां से जो अनधिकृत रूप से लोग आ जाते है उनके लिए कांटेदार तार या रुकावट बनेगी। यह कोई झगड़े वाली बात नहीं थी। हमारी आपकी सीमा पर मेड़ बनती है। हम एक दीवार कांटेदार तारों की बनाना चाहते हैं। आज तक मामला उलझा हुआ है। यह बात हो सकती है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको आप रोकते हैं ? नहीं बनने देना चाहते हैं ? यह कोई झगड़ालू बात नहीं है, यह कोई ऐसी बात नहीं है और अगर इस बात को दूसरा गलत मानता है, इस बात को दूसरा व्यावहारिक रूप से, तय करने के लिए तैयार नहीं होता है तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि वह सही माने में दिल खोलकर बैठा नहीं है आपके साथ मामला हल करने के लिए। ये दो बातें मैंने आपको बतायीं।

तीसरी प्राबलम सीधी आपकी श्रीलंका की एथनिक प्राबलम है। इसको हल करने के लिए हमारे प्रधानमन्त्री जी ने जो जो कदम उठाए, जितनी उन्होंने कोशिशें कीं वे काबिले तारीफ हैं। लेकिन हर कोशिश के बाद, कोशिश होती रहती है और बीच में पता चलता है कि फौजों ने उन जगहों पर हमला कर दिया है और न जाने कितने लोग मर गए, कितने तबाह हो गए। इन बातों के लिए भी उनसे कोई न कोई बात चलनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि निर्णय करें। आप निर्णय न होने दें, निर्णय न करें। अगर किसी रास्ते पर नहीं आते हैं तो निर्णय न हो। लेकिन इन बातों पर खुलकर बात हो और सार्क देश कम से कम इनको ऐसा माना गया है कि एक परिवार हैं। जैसे एक परिवार बैठता है, ये सार्क देश परिवार की तरह बैठें और एक परिवार अपने अपने पद, अपने अपने हक अपनी अपनी बात उस परिवार में कह दे। सब लोग उसको सुन लें। नहीं किसी की हिम्मत है साफ साफ कहने की किसी के ऊपर उंगली उठाने की तो मत उठाए। लेकिन ये सारी बातें उस परिवार में खुलकर सामने आ जायं और जब खुलकर सामने आ जायेंगी तो आपने एक सबसे मेजर कदम जो उठाया है—पीपल टु पीपल कान्टेक्ट का, वह कान्टेक्ट जब होगा तो वहां की जनता उनको इसके लिए उत्तेजित करेगी, इसके लिए कोशिश करेगी कि वह सही रास्ते पर आए।

संचार साधनों के लिए आपने कुछ निर्णय लिया है और कुछ अन्य बातों के लिए भी आपने निर्णय लिया है। मैं कहूंगा कि संचार साधन और जन-जन के सम्बन्ध में इसकी स्थापना के लिए आप अधिक जोर दीजए।

एकोनामिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर एक दूसरे को कितना आप लाभ हानि पहुँचा सकते हैं इसके आंकड़े कुछ भी दिए जायं मैं उससे बहुत उम्मीद नहीं करता कि इससे कुछ हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी होगा वह अच्छा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि संचार साधनों को आप बढ़ाइए। सही खबर एक देश से दूसरे देश को जाय और सही खबर एक देश से दूसरे देश को आए अन्यथा ये जो विदेशी ताकतें हैं, जो बाहर की सम्पन्न ताकतें हैं जिनकी संचार सुविधायें मजबूत हैं वे हमारी कुछ खबरों को दूसरी जगह फैलाते हैं और वहां की कुछ बातों को दूसरी जगह फैलाते हैं। यह हमारे सम्बन्धों में एक तोड़ मरोड़ और खराबी पैदा करती है। इसलिए असलियत एक दूसरे देश से एक दूसरे देश को पहुँचे, यह बात होनी चाहिए। आम आदमी का संबंध आपस में पैदा हो उसके लिए जैसे आपने इसमें विद्यार्थियों का रखा है, प्रोफेसर्स का रखा है, टेकनिशियस का रखा है उससे मैं समझता हूँ कि एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को देखकर वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा। तो वहां क्वालिटेटिव परिवर्तन उन देशों में भी होंगे। वे लोग भी अपने देश के लिए वे रास्ते तय करने की कोशिश करेंगे जिससे आपस में सद्-भावना और दोस्ती की बात हो।

अन्त में मैं निश्चित रूप में दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा हमारे विदेश मंत्री जी उस बात की तरफ देखें जिस बात की तरफ अभी जनरल साहब ने ध्यान दिलाया है। बर्मा और अफगानिस्तान कम से कम दो ऐसे देश हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महाद्वीप के आस-पास हर तरह से ये देश संबंधित रहे हैं और यहां के लोग जो हैं उनका वहां के

लोगों के साथ एक दूसरे से काफी सम्बन्ध रहा है। (व्यवधान) थाईलैंड भी इसमें आता है। तो कम से कम इस तरह के जो देश हैं उनको भी इस परिवार में शामिल करने और राय सलाह में शामिल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इससे इसका आधार-स्तम्भ और अधिक बड़ा होगा, इससे व्यापारिक फैलाव भी बड़ा हो सकता है और इससे आपको कुछ और ताकत भी मिलेगी। मैं शब्द "ताकत" का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि यह भौतिकवाद का युग है जिसमें भौतिकता और शक्ति—ये दोनों भाषायें अच्छी तरह से समझ में आती हैं, कोई दूसरी भाषा समझ में आती नहीं है। बर्मा, अफगानिस्तान या थाईलैंड कम से कम ऐसे जो देश हैं उनके बारे में अभी प्रधानमंत्री जी जब अपने आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे से लौटकर आये थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि ऐसे कई देशों में जहां भारतीय कल्चर और संस्कृति फैली हुई है, जहां पर इस देश की परम्पराओं को अभी भी मानते चले आ रहे हैं, उनको भी इससे संबंधित करके इसका एक बड़ा विशाल आयाम बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी शक्ति भी बढ़ेगी और आपकी आवाज भी ठोस होगी। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई ब्लाक बने, कोई फौजी ब्लाक बने-इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन अपनी आवाज उठाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि भारतवर्ष के महान नेता और पंचशील के जनक, पं. जवाहर लाल नेहरू के पंचशील के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए जोरदार आवाज देश में उठ सके और इस देश में उठी हुई आवाज इस ग्रुप में भी उठे और उन देशों तक पहुँचे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री पी. कुलनदई वेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : सभापति महोदय, जहां तक सार्क सम्मेलन का संबंध है, सबसे पहले सार्क का अध्यक्ष चुने जाने पर हम प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। उन्होंने बंगलौर में ही श्रीलंका की तमिल समस्या का समाधान ढूंढने का काफी प्रयास किया। सार्क सम्मेलन के लिए बंगलौर का चमन उचित ही था क्योंकि दक्षिण हमेशा ही शान्ति का क्षेत्र रहा है। श्रीमान, बंगलौर में शिखर-सम्मेलन होने के कारण यहां पर बहुत सुधार हुआ है क्योंकि इस उद्देश्य के लिए 3-4 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। मैं माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि ऐसे सम्मेलन मद्रास में भी करवाये जा सकते हैं ताकि 3-4 करोड़ खर्च करके मद्रास को भी सुन्दर बनाया जा सके।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्रीमान, कलकत्ता को क्यों नहीं ?

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : नहीं। वहां पर प्रदूषण है।

श्री नारायण चौबे : यहां उन्नति हो रही है अवनति नहीं।

श्री पी. कुलनदईवेलु : सार्क सम्मेलन सही दिशा में एक कदम है। निश्चित रूप से, गत वर्ष ढाका में हुए सम्मेलन के पश्चात् बंगलौर सार्क सम्मेलन में ठोस प्रगति हुई है। एक संयुक्त

कार्यक्रम के लिए 1985 में जिन 9 क्षेत्रों में पहचान की गयी थी उनमें रचनात्मक प्रयास करने के लिए घोषणा से काफी मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसे देखना चाहिए कि इस सम्मेलन में जो निर्णय लिये गये हैं उनका वास्तव में पालन हो।

हम कई सम्मेलन देख चुके हैं। उनके समाप्त होने के बाद, कई कदम उठाये जाते हैं, किन्तु उठाये गये अधिकतर कदम अनिर्णायक होते हैं अथवा उनसे लोगों को कोई लाभ नहीं होता है। किन्तु मैं आशा करता हूं कि इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को वास्तव में लागू किया जायेगा और हम उनका बच्चों तथा महिलाओं के कल्याण के लिए उपयोग करने के सक्षम होंगे।

वर्ष 1985 के ढाका सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया था कि इस सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जा सकते किन्तु दुर्भाग्यवश, इस प्रथा के विपरीत श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने ने श्रीलंका के तमिलों की समस्या को उठाया और उनकी नीति तथा कार्यक्रमों की आलोचना की। यह एक तथ्य है कि अब तक उनकी सरकार ने लगभग 10 हजार तमिलों को मार डाला है। और श्रीलंका से लगभग 4.50 लाख तमिलों को विस्थापित किया है और 4500 तमिलों को जेल में भी डाला गया है। तमिलों के कई गांवों को भी नष्ट कर दिया गया है। यह सब कुछ होते हुए भी, वह सार्क सम्मेलन में ऐसे बोले हैं जैसे कि वह बुद्ध या गांधी हैं। वह अहिंसा के बारे में भी बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह है ·····** ···· जैसा कि चर्च में ईसा के सामने बाईबल से उपदेश देना। वास्तव में, बंगलौर के लिए श्रीलंका से चलने से पहले श्री जयवर्धने ने लड़ाई की घोषणा कर दी। उन्होंने श्रीलंका में प्रेस को यह भी बताया कि तमिल उग्रवादियों को दिया जाने वाला यह अन्तिम अवसर है। अगर वे बातचीत के लिए आगे नहीं आते हैं तो, वह लड़ाई की घोषणा कर देंगे। इसका क्या अर्थ है ? वह तोप नौका और युद्धक विमान खरीद रहे हैं तथा पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और दूसरे देशों से हथियार खरीद रहे हैं। श्रीलंका में सम्पूर्ण तमिल जाति निस्संदेह, श्रीलंका सरकार के हाथों सर्वनाश और समाप्ति का सामना कर रही है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किये गये जोरदार प्रयास के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं तथा बधाई देता हूं। निस्संदेह सम्मेलन के समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीजयवर्धने के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, किन्तु अब तक हमें यह जानकारी नहीं है कि बातचीत का क्या परिणाम निकला। फिर भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री आगे आयेंगे। अगर हमारे माननीय प्रधान मंत्री के कार्यकाल में भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मेरे विचार में श्रीलंका में तमिलों के लिए कोई समाधान नहीं हो सकता। यह उचित समय है और हमारे माननीय प्राधानमंत्री सही कदम उठा रहे हैं और हम इसकी प्रशंसा करते हैं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

इसके साथ-साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कल एक वक्तव्य दिया था, किन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने श्रीलंका की समस्या के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए। कम से कम विदेश मंत्री को जो इस वाद-विवाद में उत्तर देने जा रहे हैं, इस समस्या के संबंध में तथा हमारे माननीय प्रधानमंत्री और श्री जयवर्धने के बीच बंगलौर में जो कुछ वास्तव में हुआ है, उस बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहिए। जहां तक मानव अधिकारों के उल्लंघन का सवाल है इसका वक्तव्य में कोई उल्लेख नहीं है। श्रीलंका में जो नरसंहार हो रहा है उसका भी उल्लेख नहीं है। वक्तव्य में इन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए था। बंगलौर सार्क सम्मेलन में जो नेता आये उन्होंने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने का वचन दिया। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए उन्होंने सम्मेलन में इसका उल्लेख किया है। इस सन्दर्भ में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार, अभिसमय के संबंध में जल्दी निर्णय लेने और उनके क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने 1990 तक विश्व-व्यापक प्रतिरक्षण, प्राथमिक शिक्षा, मातृ तथा शिशु पोषण आदि लक्ष्यों की प्राप्ति का समर्थन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। हमें देखना है कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा किया जाये ताकि उनका सही बौद्धिक और शारीरिक विकास हो सके। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इस संबंध में, मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले तो हमें उन्हें मुफ्त पोषक आहार देना चाहिए। पोषक आहार की इस योजना को तमिलनाडु में लागू किया जा रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस योजना को लागू करने के लिए आगे आये हैं। और मेरा सुझाव है कि इस पोषक आहार योजना को लगभग सभी राज्यों में तुरन्त लागू किया जाना चाहिए।

प्रो पी. जे. कुरियन (इडुक्की) : मेरे मित्रों द्वारा पहले से ही बतायी गयी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। महोदय, सार्क अब भी प्रारम्भिक अवस्था में है। किन्तु थोड़े से समय में यह सिद्ध हो चुका है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए यह उपयोगी मंच है। इस थोड़े से समय में सफलता निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री की राजनीति माता की वजह से है। सार्क और बंगलौर शिखर सम्मेलन की भी सफलता का अधिकतर श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है।

यह सफलता इस तथ्य के बावजूद है कि सार्क देशों के बीच आपसी द्वेष विद्यमान है। भारत और पाकिस्तान तथा भारत और श्रीलंका के बीच मतभेद हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हमारा असली मतभेद पाकिस्तान से इस तथ्य पर है कि वह देश आणविक शक्ति बनने का प्रयास कर रहा है या तो उसने पहले से ही अणु बम बना लिया है या वह बनाने वाला है। इसके बाद उस क्षेत्र में परिष्कृत हथियार प्रवेश कर रहे हैं जिनसे हमारे देश को खतरा पैदा होता है। हमारे देश को अस्थिर बनाने के लिए पाकिस्तान उग्रवाद को भी प्रोत्साहन दे रहा है और साम्राज्यवादी शक्तियों के हाथों में खेल रहा है। इसी तरह श्रीलंका के साथ भी हमारी कुछ समस्याएँ हैं। जैसा कि मेरे माननीय साथी श्री कुलनदेइवेलू ने ठीक ही कहा है कि तमिलों को कत्ल किया जा रहा है और उस देश में नरसंहार हो रहा है। किन्तु, जब नरसंहार हो रहा

है तो श्री जयवर्धने बंगलौर में आए और शान्ति का गीत गाया। यह सही है कि उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। किन्तु हमें देखना चाहिए कि इन मतभेदों के बावजूद भी दक्षिण एशिया के देश एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। क्या यह एक सफलता नहीं है ? क्या यह एक सफलता नहीं है कि श्री जयवर्धने को बंगलौर में अहिंसा का उपदेश देना पड़ा ? यही हमारी सफलता है।

श्री पी. कुलनदेईवेलू : वहां पर इतने अधिक लोगों के मारने के बाद ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : कृपया मुझे भाषण समाप्त करने दें। मैं इस बात को भी ले रहा हूँ। इस हद तक यह एक सफलता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि ये मतभेद विद्यमान हैं तो आप सार्क के साथ क्या करने जा रहे हैं ? महोदय, जब व्यक्ति या देश इकट्ठे होते है, अगर हम मित्रता के लिए सत्यनिष्ठ हैं, तो सबसे पहले हमने सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए हमें यह पता लगाना चाहिए कि किन क्षेत्रों में हम सहयोग कर सकते हैं और फिर उनमें सहयोग करना चाहिए। एकता और सहयोग के उन क्षेत्रों का एक आधार के रूप में और हमारे सामने विद्यमान समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार, दक्षिण एशिया के इन सात देशों का इकट्ठा होना और एकता के क्षेत्रों, और सहयोग करने योग्य क्षेत्रों का पता लगाना ही अपने आप में एक सफलता है और हमारे सामने जो समस्याएँ हैं उनके समाधान के लिए एक अग्रवर्ती कदम है अर्थात, जो हमारे देश और पाकिस्तान तथा हमारे देश और श्रीलंका के सामने तथा दूसरी समस्याएँ हैं। इस प्रकार, उस सन्दर्भ में यह एक सफलता है। हमें यह पता होना चाहिए कि उपलब्धियां हमें बहुत कम समय में मिली है। इतने थोड़े से समय में आप बड़े परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं ? अगर एक पेड़ लगाया गया है तो इसके फल प्राप्त करने में काफी समय लगेगा। इसको बढ़ना है। आप एक छोटे से पौधे से फूल प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार यह सिर्फ एक छोटा पौधा है। इसको बड़ा होना है। अगर इसका विकास होना है तो हमें इस इरादे से कि इसका विकास होना चाहिए हमें इसके पोषण के लिए तैयार होना चाहिए। और यह सब कुछ भारत कर रहा है। हालांकि क्षेत्रीय सहयोग के विचार की पहल बंगला देश ने की थी। किन्तु, इसका पोषण करने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रधानमन्त्री ने कहा है कि जब तक वह सार्क का अध्यक्ष है, वह सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने और यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र की किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सार्क एक वास्तविकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री के भाषण में यह कहा गया है कि मैं उद्धृत करता हूं।

"हमारे बुनियादी तौर पर हर स्तर पर लोगों के बीच संबन्धों के विकास पर बल देते है।" महोदय यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। अगर हम इतिहास में झांके तो हम पायेंगे कि इस क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक परम्परा एक समान है। ऐतिहासिक कारणों की वजह से हमारा इतिहास एक ही रहा है। इसलिए सरकार और सरकार के बीच सम्पर्क के अतिरिक्त जनता और जनता के बीच सम्पर्क पर बल दिया जाना चाहिए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सहयोग के जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया है उनसे जनता और जनता के बीच सम्पर्क बढ़ेगा। इससे एक सांस्कृतिक पहचान का उद्भव होगा, जो पहले से ही थी, किन्तु जो फिलहाल

निष्क्रिय हैं। 'सार्क' का प्रमुख सदस्य होने के नाते नेता या अध्यक्ष होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि 'सार्क' के देशों के बीच सामान्य सांस्कृतिक व्यक्तित्व उभरे। वह श्रेष्ठ व्यक्तित्व हमारे आगे आ रही समस्याओं में मध्यस्थ का कार्य करेगा। इसलिए सांस्कृतिक व्यक्तित्व की पहचान 'सार्क' के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इसको प्राप्त करना है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि 'सार्क' उस दिशा में जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी उस दिशा में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।

महोदय, दक्षिण एशिया की अपनी क्षेत्रीय पहचान है। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि हम इस ग्रुप में कुछ और देशों को शामिल कर सकते हैं। ठीक है थाईलैंड और वर्मा को इस ग्रुप में शामिल किया जा सकता है। उनके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध क्या है ? जब मैं थाईलैंड के दौरे पर गया, और मैंने जब कहा, कि मैं भारत से आया हूँ तो उन्होंने भारत को बुद्ध का महान देश बताया।

इन देशों के साथ पहले से ही सांस्कृतिक संबन्ध है, लेकिन हमने कभी भी उस संबन्ध को खोजने की कोशिश नहीं की। ये देश भी हमारे साथ मिल सकते हैं। इसलिए एक क्षेत्रीय दक्षिण एशिया की संस्कृति परम्परा और समान इतिहास की पहचान को विकसित किया जा सकता है। अगर वह विकसित हो जाये तो मुझे विश्वास है यह क्षेत्र एक राजनीतिक शक्ति होगी।

सच है, हमारी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है : सार्क एक राजनीतिक मंच नहीं है। चाहे यह एक ऐसा मंच न भी हो, तो भी सार्क की आवाज अन्य शक्तियों द्वारा सुनी जायेगी। अगर हमें यह बात प्राप्त करनी है तो सार्क को हर क्षेत्र में एक-एकता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

मुझे खुशी है कि हमने एक क्षेत्रीय अस्तित्व की खोज कर ली है। यह कोई नई चीज नहीं है। यह पहले से थी। लेकिन हम इसको खोज नहीं पाये थे। अब हमने इसे ढूंढ लिया है यह हमारा कर्तव्य है कि यह क्षेत्रीय अस्तित्व को बनाये रखे। दूसरे देशों को जो हमारी संस्कृति में रूचि रखते-हैं, को भी इस मंच पर लाना चाहिए।

यह सच है कि सार्क कुछ क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने में समर्थ नहीं है। आतंकवाद के विषय में सार्क उसकी परिभाषा के बारे में सहमत नहीं था। लेकिन यह मान लिया गया था कि आतंकवाद का मुकाबला करना है। इतना ही समझौता हुआ है।

मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमने प्राप्त किया, है, वह कुछ न कुछ श्रेयजनक है इस पदचिन्ह पर अगर हम आगे बढ़ें तो हम अवश्य अपनी अन्य समस्यायें भी सुलझा सकेंगें। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस दिशा में अग्रसर हैं। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं, देश की सारी जनता उनके साथ है और उनकी सफलता की कामना करती है। हम आशा करते हैं कि इस क्षेत्र के सभी द्विपक्षीय मामलों के समाधान में भी सार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : बंगलौर में हाल ही में हुई सार्क की मिटिंग में की गई घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन हमें यर्थाथवादी होना चाहिए। यहां इतनी उत्सुकता की बात नहीं होनी चाहिए और न ही इस बात से इतनी निराशा होनी चाहिए।

विश्व में यह सबसे छोटा समूह है। परन्तु विश्व में अन्य देश की तुलना में इन देशों की सबसे अधिक जनसंख्या है। दूसरी गुटबंदियों जैसे 'एशियन' "खाड़ी देश" और अन्य देशों की गुटबन्दियां भी हैं। लेकिन इन गुटबन्दियों को कुछ अन्य साम्राज्यवादी देशो जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और नाटो जैसे देशों से भी प्रेरणा मिली है यहां इन गुटबन्दियों और सार्क गुटबन्दियों, में अन्तर है, सार्क का निर्माण 'स्वयं एक बडी सफलता है। पहले बंगलादेश और श्रीलंका भी 'एशियन' में शामिल होना चाहते थे। पाकिस्तान पश्चिम एशिया गुट में भी मिलना चाहता था, लेकिन यथार्थवादी सर्वेक्षण के बाद यथार्थता का उनको पता चल गया। इस क्षेत्र में व्याप्त स्थिति की मांग है कि हम दक्षिण एशिया के लोग मिल जायें और किसी भी हालत में किसी भी तरह से एक रहें।

निस्सन्देह कभी-कभी हम में मतभेद हो जाते हैं लेकिन मतभेदों को एक तरफ छोड़कर क्षेत्रीय एकता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

सार्क की इस घोषणा के बड़े ठोस परिणाम निकले हैं। मैं कई मुद्दों पर बोलूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि दक्षिण एशियन प्रसारण को पहली बार शुरू किया जा रहा है। इसका दक्षिण एशियन राष्ट्रों में जिनमें आपसी मतभेद बहुत है।

हम पर्यटन का विकास करने जा रहे हैं व्यक्ति से व्यक्ति का सम्पर्क बढ़ाने जा रहे हैं। अगर बंगलादेश से लोग कलकत्ता आते हैं और कलकत्ता से लोग ढाका जाते हैं, इस्लामाबाद से लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली के लोग इस्लामाबाद जाते हैं तो निश्चयरूप से घृणा कम हो जायेगी। वे एक दूसरे से अधिक सीखेंगें, एक दूसरे को अधिक समझेंगे। अगर हम वास्तव में इन बातों को लागू कर सकें तो यह एक बहुत बड़ा कदम होगा।

इसी तरह युवाओं के लिए स्वैच्छिक कार्यक्रम है, अगर हमारे युवा व्यक्ति सिंचाई परियोजना के लिए बंगलादेश जाये अगर पाकिस्तानी युवा व्यक्ति सूखे की समस्या को सुलझाने दिल्ली आयें तो निश्चित रूप से हम एक सामान्य संस्कृति विकसित कर सकेगें वह बात बहुत अच्छी है।

जैसा कि कहा गया है, कुछ कल्याणकारी उपायों को अपनाया जा रहा है : सार्वजनिक बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990 तक सभी बच्चों को रोगों से बचाने के लिए संरक्षित किया जा रहा है। सन 2000 तक सभी के लिए पानी की सुरक्षा और प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। ये सब प्रशंसनीक बाते है। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनका समर्थन नहीं करेगा।

गुटबन्दी के सबन्ध में हमें वास्तविक और ठीक अनुमान लगाना है। इन देशों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने पर हम देखते हैं कि सबकी स्थिति एक सी नहीं है भारत प्रजातन्त्र देश है। पाकिस्तान नेपाल और भूटान धर्मतान्त्रिक राज्य हैं। कुछ कहते हैं कि उनका धर्म हिन्दू है; कुछ कहते हैं कि उनकी इस्लाम संस्कृति है। पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही है। बंगलादेश में सैनिक तानाशाही है। लेकिन वे अपने को लोकतन्त्र होने का दावा करते हैं। हमारी अपनी प्रजातन्त्र प्रणाली है। चाहे विभिन्न देश एक हो गये हैं और मिलकर बैठे हों और उन्होंने कुछ निर्णय लिये हैं, यद्यपि वे आवश्यकतानुसार पूरे नहीं हैं फिर भी यह एक अग्रसर कदम है।

बंगलौर घोषणा पत्र में यह बात कही गई है :

"नेताओं ने पुष्टि की है कि सार्क (दक्षेस) का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, उनके जीवन को अच्छा बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना, उनके सामाजिक कार्यक्रमों और संस्कृति को विकसित करना और सभी व्यक्तियों को सम्मान से रहने का अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपने जीवन का महत्व समझें।"

यह बहुत ही प्रशंसनीय घोषणा है। अभी तक यह ठीक है। हम इससे मतभेद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें वास्तविकता को भी देखना चाहिए। जैसी वे अब है हम विद्यमान स्थिति को कहां तक ठीक कर सकते हैं। नेपाल और भूटान को छोड़कर जहां आज भी 20वीं शताब्दी के अन्त में राजतन्त्र है जबकि बूर्जुआ प्रणाली, पूंजीवादी प्रणाली नीचे आ रही है और समाजवाद ऊपर आ रहा है। नेपाल और भुटान में हम राजाओं को पाते हैं, जिनके पास पूरे अधिकार हैं और बाकी इन देशों में जबकि गरीबी पुरक समस्या है, जैसा कि कहा गया है, फिर भी, हम सम्मान के साथ जीना चाहते है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ये हाल के उपनिवेश हैं। भारत, बंगलादेश पाकिस्तान और श्रीलंका पहले उपनिवेश रह चुके हैं और हम गरीब हैं हम विकासशील राष्ट्र हैं, इसी कारण हम विकसित राष्ट्र नहीं है इसलिए श्रीगोस्वामी ने कहा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति उन क्षेत्रों में रहते है। यह हमारी गलती नहीं है। यह इसलिए है कि इन साम्राज्य वादी देशों ने इन देशों को लूटा है और हमारा खून चूसा है। अब भी साम्राज्यवादी देशों के इन क्षेत्रों के लिए उनके अपने इरादे हैं। वे इस क्षेत्र में हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहते है हम भली भांति जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं इस घोषणा में अलग और स्पष्ट रूप से यह कहा गया है :

"राज्य या सरकार के अध्यक्षों को बहुत दुःख है कि विश्व अर्थव्यवस्था कठिनाई और वेदना में हो रही है विशेष रूप से यह विकसित हो रहे देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील देशों की आशा और उम्मीदों के प्रति बहुत कठोर रही है।"

बिल्कुल ठीक। आगे यह कहा गया है :

"इन नकारात्मक कारकों में शामिल है; वस्तुओं के कम किए गए मूल्य, बढ़ती हुई

सुरक्षा, भूतलीय गिरावट, आयात से कम आय, विकासशील देशों से आधिक संसाधनों का बाहर जाना और बढ़ते हुए ऋणों का संकट ।'

हम सब इन बातों के शिकार हैं चाहे यह पाकिस्तान हो, बंगलादेश हो, यह सिलोन हो और चाहे यह भारत हो । ये बातें अब भी चल रही हैं और इनके अतिरिक्त सब प्रकार की समाज विरोधी और जाति विरोधी बातों द्वारा अन्दर ही अन्दर से अस्थिरता पैदा करना है । हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है ? पाकिस्तान पजाब में क्या कर रहा है ? वे उनकी सहायता कैसे कर रहे हैं ? और बंगलादेश भी जो कि एक छोटा देश है वे टी. एन. वी. को प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे वे आयें और त्रिपुरा पर आक्रमण करें यह सब हो रहा है, हम घिर गए है सारा क्षेत्र गिर गया है । पाकिस्तान, श्रीलंका, और भूटान और नेपाल में भी सैनिक अड्डे हैं । नेपाल उत्तर की ओर देख रहा है, हमारी ओर नहीं । अत: क्या हो रहा है ?

भारत चाहता है कि व्यापार, वाणिज्य उद्योग विद्युत और अन्य बातों पर चर्चा की जाती और कोई निर्णय लिया जाता पर इस पर सहमति नहीं हुई । मुझे खेद है लेकिन वास्तव में इन बातों के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं । हम 'सार्क को आर्थिक विकास के लिए चाहते हैं और चाहते है कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग यहीं से आरम्भ हो । हम इस क्षेत्र के लोग आपस में मिले और एक दूसरे की सहायता करें मुझे आशा है कि ऐसा होगा । अभी तक यह नहीं किया गया मुझे दु ख नहीं है क्योंकि 'सार्क' की उत्पत्ति केवल एक वर्ष पहले यह बाल्यावस्था में थीं इसका केवल अभी जन्म हुआ है । अत: उस समय यह सब बातें नहीं की गई थीं जो कुछ भी यहाँ किया गया है उप समय नहीं किया गया था । ये सब बातें व्यापार वाणिज्य, उद्योग, कुछ देशों की आपत्ति के कारण नहीं की जा सकी बंगलौर में जो कुछ स्वीकार किया गया है, उस पर ढाका में कुछ देशों द्वारा आपत्ति की गई थी । अत: ढाका से बंगलौर तक यह प्रगति है । बंगलौर में जो हुआ है, उसे हमें मान्यता देनी चाहिए और हमें जानना चाहिए और हमारे देश और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में हमें आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अधिक सफलता प्राप्त होगी और 'सार्क' को धीरे-धीरे उसमें बदलेगें जो सार्क आज नहीं है और यह दक्षिण का दक्षिण से संबन्ध और नई अर्थव्यवस्था हेतु साधन जुटाने के लिए एक तत्र होना चाहिए जिसके बिना न केवल भारत का विकास ही रूकेगा बल्कि इन सभी देशों का विकास नहीं हो सकता । मुझे पूरी आशा है कि 'सार्क' के माध्यम से हम अधिक से अधिक प्रगति करेगे ।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : सभापति जी, हमारे पूर्व वक्ताओं ने अभी बड़ी विस्तृत चर्चा की कि कैसे सार्क का ढाका में जन्म हुआ कैसे 15-16 तारीख को बंगलौर में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी इसके चेयरमेन चुने गये और अब नेपाल में इसका स्थाई कार्यालय होगा जिसमें सारी चीजों को हम देख सकेंगे । यह सात देश जो अब तक इसके सदस्य हैं, सबकी समान समस्यायें हैं, यह निर्विवाद सत्य हैं, सभी विकासशील देश हैं, सब में अशिक्षा है, सबमें भरण-पोषण की समस्या है । आपको बताना नहीं होगा कि इसमें पाकिस्तान और बंगलादेश 1947 तक हम एक रहे हैं और जैसा हमारे दूसरे सदस्यों ने कहा कि बाकी सारे देश ब्रिटिश

कालोनीज के रूप में रह चुके हैं यह एक अच्छी शुरूआत है कि अन्धकार और अशिक्षा को दूर करने का, विकास करने का प्रयत्न हमने बंगलौर से शुरू किया है। राजीव जी ने इसको बाल रूप में लिया है। हमारे पर-राष्ट्र मंत्रीजी, जिसकी विधा, जिनकी शक्ति और जिनके विवेक पर किसी को सन्देह नहीं है। हम सारी चीजों को देख रहे हैं। मैं यहां आपके सामने दो-तीन बातें ही करना चाहता हूं। हम सभी इस विषय में एकमत हैं कि इसमें अफगानिस्तान, बर्मा और इन्डोनेशिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। छोटे-छोटे ब्लाक बना कर हम अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। जिन उद्देशों को लेकर हमने सार्क का गठन किया है, उसके लिए यह आवश्यक है कि इन देशों की शरीकत भी उनमें हो। इसमें जितने डैवलपमैंट के मामले बताये गये हैं, उसमें सभी के सहयोग की जरूरत है। इसके बिना न तो हम इस उपमहाद्वीप में शांति ला सकते हैं, न अपना विकास कर सकते हैं और न बेकार के युद्ध से बच सकते हैं।

अभी हमारे पूर्व वक्ता जो कुछ कह रहे थे, मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री, अपने व्यक्तित्व के जरिए, स्पष्ट रूप से, उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं यहां उन चीजों को नहीं छेड़ना चाहता जिससे हमारा नुकसान हो जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल यहां जो वक्तव्य दिया, उसमें कहा गया था कि यह द्विपक्षीय वार्ता का कोई प्लेटफार्म नहीं है। जहां तक मैं समझ सका हूँ, इसके पीछे उनका आशय यह रहा होगा कि हम किन्हीं दो देशों के मामले इसमें नहीं उठायेंगे, उन पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारा पाकिस्तान के साथ जो विवाद चल रहा है, उस पर हम यहां पाकिस्तान के साथ वार्ता नहीं करेंगे या श्रीलंका में हमारे तमिल भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, हम यहां उस समस्या पर वार्ता नहीं करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि यदि हम वास्तव में विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास की इस लम्बी सड़क को आगे ले जाना चाहते हैं तो पहले हमें आपसी गलतफहमी, आपसी खाई को पाटना होगा। जब तक हमारी गलतफहमी की खाई नहीं पटेगी, जब तक हम अपने विवादों पर आपस में खुल कर वार्ता नही करेंगे, तब तक किसी समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। हमें पाकिस्तान से पूछना होगा, यदि राष्ट्रपति जिया नहीं आये तो वे जानें, उनके प्रधानमंत्री तो आये, कि आज हिन्दुस्तान में जिस तरह से खालिस्तान का नारा लग रहा है, हमने उनका क्या बिगाड़ा है। क्या उनके मन में संदेह है कि बंगला देश में मुक्ति वाहिनी हमारी थी। हमें पहले आपस में अपने दिल साफ करने होंगे। हमें अपने आप को टटोलना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जहां हम अपनी सफाई उनको देंगे, वहां कुछ स्पष्टीकरण भी लेंगे। हम उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे यहां खालिस्तानियों को हथियार कहां से आ रहे हैं, हमारे देश में ट्रेंड मिलिटरी कैसे घुस रही है, बौर्डर पर दवाओं का अवैध व्यापार कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब तक होगा। यदि पाकिस्तान की तरफ से आज कुछ हो रहा है तो उसको छिपाये रखने से, उस पर पर्दा रखने से, उसको दबाये रखने से क्या आप समझते हैं कि हमारे विवाद हल हो जाएंगे। हमने जिस संगठन का निर्णय किया है, सार्क में बैठकर यदि हमें यह कहें कि हमें राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं करनी है तो क्या आप समझते हैं कि हम श्रीलंका के साथ अपने मतभेदों को दूर कर पायेंगे। जब हमारे तमिल भाईयों का वहां संहार हो रहा है वहा हम यह तो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश की सौवरैनिटी में दखल नहीं देंगे और अच्छी बात है, हमें किसी देश के आन्तरिक मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए, हमारी नीति भी ऐसी ही है, हम अपने मामलों में भी किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप

पसन्द नहीं करेंगे परन्तु जब वहां एथनिक समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है तो हमें द्विपक्षीय वार्ता अवश्य करनी चाहिए। जहां आज हम 7 या 10 देश एक साथ मिलकर बैठते हैं, कल वह संख्या 12 या 14 भी हो सकती है क्योंकि हमारा सब का कल्चर एक है, धर्म एक है, ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली एक दूसरे से मिले हुए लोग हैं। हममें से किसी की भी कोई समस्या हो सकती है। यदि हम ऐसे मंचों पर बैठकर आपस में अपने दिल साफ नहीं करेंगे, समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझेंगे, हमारे सभी मामले तय नहीं होंगे। हमारे दिलों की खाई जब तक मिटेगी नहीं, हमारे दिलों में जमी गर्त जब तक साफ नहीं होगी, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। जहां तक कल्चरल रिलेशन्स और धर्म की बात है, कहीं कुछ होता नहीं है। आपका बहुत लम्बा अनुभव है। हमारे देश के नेपाल के साथ, हिन्दू देश होने के नाते संबंध सुधर क्यों नहीं पा रहे हैं। इन सारे देशों में बुद्धिज्म तो फैला हुआ है। चीन, जापान, बैंकाक, इन्डोनेशिया सभी बुद्ध धर्म को मानते हैं लेकिन क्या कहीं बुद्धिज्म के नाम पर कोई पूछने वाला है। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। एक ने कहा कि ताकत नहीं बढ़ायेंगे, परन्तु जब सैंटो बन सकता है, सीटो बन सकता है, गल्फ कन्ट्रीज का संघ बन सकता है, नाटो बन सकता है तो मान्यवर अगर जरूरत होगी तो भी द्विपक्षीय वार्ता करनी होगी और उसके माध्यम से एक ऐसी शक्ति को जागृत करना होगा जिससे हमारी आपस की छोटी-मोटी समस्याएं सुलझ सकें। डायगो-गार्शिया किसी को भूला नहीं है, गिलगिट हमारे सीने पर पड़ा हुआ है। यदि इन सारी चीजों पर आप बात नहीं करेंगे तो इन विवादों का हल कैसे होगा।

इसलिए मैं इस पक्ष का हूं और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जहां पर ऐसे अनुभवी और योग्य आदमी पर राष्ट्र मंत्री हों और जो भारत सरकार को राय दे रहे हों वे इन बातों पर खुलकर बात करा कर साउथ एशिया के देशों की ऐसी ताकत पैदा करेंगे ताकि दुनिया के देश यह समझ सकें कि हमारा कल्चर एक है, हमारा इतिहास एक है, हम भौगोलिक दृष्टि से बंधे हुए लोग हैं, इसलिए हमारा सबका एक साथ विकास होगा। हमारा एक साथ ध्यान होता है और हमारी एक साथ संध्या होती है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. एम. सोमू (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, आरंभ में मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि भारत को सार्क के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत को देश से बाहर आदर मिल रहा है।

क्षेत्रीय सहयोग सार्क (एस. ए. ए. आर. सी.) का लक्ष्य है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यह वास्तव में एक अच्छा लक्ष्य है। सार्क के सदस्य देशों ने विदेशी ऋणों के रूप में बहुत पैसा उधार लिया है। भारत को 20,4640 लाख अमरीकी डालर का विदेशी ऋण देना है। पाकिस्तान को 106,000 लाख डालर का, बंगलादेश को 44700 लाख डालर का और

श्रीलंका को 28280 लाख डालर का विदेशी ऋण देना है। भारत विदेशी ऋण में भी आगे है। हमें पता नहीं कि हम इस आर्थिक गुलामी से कैसे निकल पायेंगे।

श्री लंका के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री ने कहा है कि उनका प्रस्ताव अच्छा है। इसका क्या अर्थ है ? समझौते की संभावना बहुत कम है। तमिलों को अब केवल उन मार्गनिर्देशों पर विचार करना है जो जयवर्धने ने दिए हैं।

बंगलादेश "सार्क" का पिछला अध्यक्ष है। बंगलादेश कब बना ? पहले यहां पाकिस्तान का शासन था। पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार हुआ था। भारत ने सैनिक कार्यवाही की और बगलादेश का जन्म हुआ। भारत की सैनिक कार्यवाही के कारण अब बंगलादेश के राष्ट्रपति पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के साथ बैठते हैं। किन्तु जहां तक तमिलों का संबध है, हमारी भारतीय सरकार श्रीलंका में केवल राजनीतिक समाधान का प्रचार कर रही है। हाल ही के महीनों में त्रिनकोमाली जिले में 52 ग्राम पूर्ण रूप से नष्ट कर दिए है। बातचीत चल रही है। हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी श्री जयवर्धने को तमिलों की हत्याओं को रोकने के लिए नही मना पाये हैं। अभी भी हत्याएं की जा रही हैं। "सार्क" सम्मेलन में आने से पूर्व श्री जयवर्धने ने यह घोषणा की कि वह तमिल उग्रवादियों को यह अन्तिम मौका दे रहे हैं। जब तक वह इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करेंगे युद्ध चलता रहेगा।

श्री जयवर्धने की सरकार ने खुले तौर पर युद्ध की घोषणा की है और अहिंसा का प्रचार कर रही है। मेरे मित्र कुलनदईवेलू ने कहा ** बाईबल का प्रचार करते हैं, किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि **दर्शन का प्रचार कर रहे हैं। अभी तक 10 हजार निर्दोष तमिल मारे गए हैं, साढ़े 4 लाख तमिल विस्थापित किए गए हैं, साढ़े 4 हजार तमिल अभी भी कारागार में है, 300 ग्राम नष्ट किए गए हैं, तमिलों की 100 कार्यशालाएं गिराई गई हैं। महोदय, मैं इस सम्मानित सभा को संबोधित कर रहा हूं। महोदय, मुझे यह नहीं मालूम कि आज कितने तमिल मारे गए, कितनी निर्दोष तमिल महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। किन्तु श्री जयवर्धने हमारी कीमत पर हमारे देश में अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं। श्री जयवर्धने का भव्य स्वागत किया गया जिनकी सरकार अभी भी श्रीलका में हमारे तमिलों की हत्या कर रही है। मैं सरकार को जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि वह श्री जयवर्धने के साथ राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार का समझौता करे, किन्तु मैं विदेश मंत्री के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे प्रधान मन्त्री राष्ट्रपति श्री जयवर्धने को कम से कम अब जोर देकर यह कहें कि हत्याएं रोक दी जाएं--कम से कम अब का अर्थ है जब बात-चीत जोरों पर चल रही है।

श्री विजय एन. पाटिल (इरन्दोल) : इस बात का इतिहास साक्षी है कि दक्षिण एशिया संस्कृति का उद्गम रहा है। किन्तु रियासतों के बीच परस्पर लड़ाई के कारण, ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच तथा अन्यों ने सदियों तक दक्षिण एशिया पर शासन किया। तत्पश्चात इस क्षेत्र के

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

देशों को स्वतन्त्रता मिली और उन्होंने विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियों से राष्ट्रपति शासन प्रणाली, लोकतन्त्र और भूटान की तरह शाही शासन पद्धति से, स्वत: उन्नति आरम्भ की।

मेरे एक मित्र ने कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति बंगलौर नहीं आए। वह "सार्क" में साझीदार बनने को तैयार हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है।

बंगलौर घोषणा में सहयोग के लिए जो मुद्दे लिए गए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर बच्चों की देखभाल तथा महिला उत्थान। साथ ही भौगोलिक निकटता के कारण बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहयोग किया जा सकता है। विशेषकर संचार के क्षेत्र में हमारा उपग्रह सभी सार्क देशों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हम देखते हैं कि जब विभिन्न देशों में संचार सुविधाओं के लिए सहयोग करते हैं तो उसमें बहुत सी गलतफहमियां तथा आशंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक उदाहरण मैंने देखा है— कुवैत और भारत के बीच समुद्र के नीचे एक तार बिछाना था। इस बात पर मतभेद था कि क्या यह करांची से होते हुए आए अथवा सीधे बम्बई आए। सहयोग के लिए बनाई गई सार्क जैसी संस्था के माध्यम से इस प्रकार के मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। ऐसे प्राकृतिक संसाधन भी हैं जो इकट्ठी लागत पर इन देशों के द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती हैं और साथ ही इस पर खर्च भी कम आएगा। उदाहरणत: तीस्ता जैसी नदियों में जल-विद्युत की भारी क्षमता है। यह बिजली बंगलादेश और नेपाल को दी जा सकती है और अपने देश में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

हम देख रहे हैं कि विभिन्न देशों में आतंकवाद और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में वृद्धि हो रही है और इसको रोकने के लिए यदि इस मंच के द्वारा उचित सहयोग प्राप्त हो तो हमारे उप-महाद्वीप को अधिक लाभ होगा और अन्तर्राष्ट्रीय कानून को आदर प्राप्त होगा।

हम "सार्क" में आर्थिक सहयोग की बात सोच रहे हैं। हम राजीव जी और बंगलादेश के राष्ट्रपति को यह विचार रखने तथा इसे लागू करने पर बधाई देते हैं। यह बहुत पहले किया जाना चाहिए था जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मामले में विकासशील देशों ने किया था। इन दिनों विकसित देश भी विश्वव्यापी मंदी से प्रभावित हैं। निर्यात से कम आय हो रही है विशेष कर इस क्षेत्र में ऋण का संकट बढ़ गया है। इन परिस्थितियों में जब सात देश आर्थिक सहयोग के संबंध में विचार करेंगे तो उन विकसित देशों और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों द्वारा दबाव डाला जाएगा जिन्होंने इन देशों को ऋण दिया है और ऐसे वातावरण में आर्थिक सहयोग प्राप्त करना और देशों के बीच इस प्रकार का विशेष सम्बन्ध रखना सार्क के लिए कठिन काम होगा।

5.00 म. प.

फिर भी हमें उम्मीद है कि अपने युवा प्रधान मन्त्री के प्रयासों एवं विभिन्न देशों के अध्यक्षों की शुभ कामनाओं से हम शीघ्र प्रगति कर पायेंगे।

महोदय, टैक्नोलोजी के क्षेत्र में भी हम इन देशों के बीच टैक्नोलोजियों के स्थानान्तरण और ऐसे स्थानान्तरण के माध्यम से विकास की बात सोच सकते हैं।

फिर सदस्यों की संख्या वृद्धि का भी उल्लेख किया गया था अफगानिस्तान तथा बर्मा भी सदस्य बन सकते हैं। परन्तु शुरू-शुरू में हम इन सात देशों से गठित 'सार्क' का प्रयोग देख सकते हैं कि वह कितना प्रभावित होता है। कुछ समय पूर्व अध्यक्ष महोदय के शिष्टमण्डल में मुझे इण्डोनेशिया जाने का अवसर मिला, वहां के संसद सदस्यों ने 'सार्क' में काफी रुचि व्यक्त की। उस समय 'सार्क' की घोषणा मात्र की गई थी, संस्था के रूप में उसका गठन नहीं हुआ था। परन्तु यदि हम ध्यान दें तो अफगिस्तान की तरह इन्दोनेशिया भी हमारा पड़ोसी है। हमारे अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह से सुमात्रा द्वीप समूह केवल 50 किलोमीटर दूर है। अतः हम उन्हें 'सार्क' में सम्मिलित करने की बात सोच सकते हैं तथा उन देशों को सदस्य बनने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। 'सार्क' के नेता के रूप में प्रधान मन्त्री के प्रगतिशील नेतृत्व में हम उम्मीद करते हैं कि 'सार्क' के माध्यम से उन देशों का सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान होगा। जैसा कि श्री दिनेश गोस्वामी ने बताया है हम 'सार्क' में बड़े भाई की भूमिका निभाना नहीं चाहते या दूसरों पर छाना नहीं चाहते बल्कि समान भागीदार बनना चाहते हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह मंच यूरोपीय साझा समुदाय की तरह अच्छी भूमिका निभा सकेगा तथा विश्व के इस भाग में राष्ट्रों के बीच जन-स्तर पर सहयोग तथा शान्ति और मित्रता स्थापित हो सकेगी।

[हिन्दी]

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं पूर्व कही बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। बहुत सी बातें पहले कही जा चुकी हैं। मैं दो-तीन बातों पर ही जोर देना चाहता हूं।

बंगलौर में जो द्वितीय सार्क सम्मेलन हुआ, वह अपने आप में एक अच्छा सम्मेलन था। मेरे विचार से यह 1986 की सबसे सुखद घटना है। इससे ज्यादा सफलता किसी कांफ्रेंस में मिल नहीं सकती थी। प्रधान मन्त्री जी ने जिस तरीके से सारे सम्मेलन का संचालन किया और कराया, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। सार्क के फोरम से यद्यपि यह कहा गया था कि बायलेटरल रिलेशन की बात नहीं होगी। फिर भी कुछ लोगों ने बायलेटरल रिलेशन की बात कही। हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने उसको बड़े धैर्य से सुना और उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। यह कम संतोष की और अपने आप में छोटी बात नहीं है।

जिन लोगों ने बंगलौर से आने वाले अखबारों को पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि पर्दे के पीछे हमारे नये विदेश मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने बहुत काम किया। वह एक रात तो सोये ही नहीं। उन्होंने सब लोगों से बात करके डिफरेंसिज को जहां तक हो सके, कम करने

की कोशिश की। मैं पूरे सदन की तरफ से तिवारी जी को बधाई देता हूं, कि उन्होंने द्वितीय सार्क सम्मेलन को सफल बनाने में बहुत-बहुत योगदान दिया।

महोदय, मैं एक मिनट का समय लूंगा। मैं सार्क के बैक-ग्राउण्ड में जाना चाहता हूं। इसी सदन में पण्डित जवाहरलाल नेहरू जी ने कई बार कहा था कि मुझे उस समय बड़ी तकलीफ होती है जब हिन्दुस्तान के आस-पास के लोग एशिया के लोग विदेशों में अजनबी की तरह से मिलते हैं, जैसे कि एक दूसरे को पहचानते ही नहीं हैं। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है जिससे एशिया के देश एक होकर, एक स्वर में अपनी बात उठायें। यहां कहने के पहले उन्होंने अपनी पहली पुस्तक—ग्लिम्पसेज आफ दि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी यह लिखा कि यहां के लोग विदेशों में जाते हैं, विदेशों में मिलते हैं तो विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं, लगता है एक दूसरे को जानते ही नहीं हों। उसके बाद उनके मन में एशिया के देशों में एकता की भावना भरने की इतनी आग थी कि मार्च 1947 में उन्होंने प्रसिद्ध एशियन कांफ्रेंस यहां पर करायी और इस बात पर जोर दिया कि एशिया के देश एक हों। उन्होंने कहा कि कालोनिअलिज्म ने हम सबको चूसा है। वक्त आ गया है कि हम सब एक हों। उनकी इसी भावना से पंचशील का जन्म हुआ, नान-एलाइसमेंट का जन्म हुआ और वे सारी उम्र एशिया के देशों की एकता के लिए काम करते रहे।

सार्क की संकल्पना के बारे में जैसा कि कहा भी गया है बंगला देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जियाउर्रहमान ने इन्दिरा गांधी से कहा था और इन्दिरा जी इस बात को मान गई थीं। फिर फारेन सेक्रेटरीज की कई कांफ्रेंस हुई, फारेन मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई। तब जाकर 1985 में ढाका में कांफ्रेंस हुई। जिन लोगों ने टी. वी. पर ढाका की कांफ्रेंस देखी होगी उनको याद होगा कि एक ऐसा एटमास्फेयर था, लगता था कि पूरा साउथ एशिया एक हो गया है। साउथ एशिया के देश पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं। जयवर्धने ने राजीव जी से कहा था कि आप लिख कर दे दीजिए, हम लोग आप के पीछे हैं। फिर जब बंगला देश में तूफान हुआ तो राजीव जी और जयवर्धने सब लोग बंगला देश गए और बंगला देश के राष्ट्रपति हिन्दुस्तान आए चाहे थोड़ी देर के लिए ही आए और एक ट्रेड ऐग्रीमेंट की बात होने लगी। यह विचार किया जाने लगा कि एक दूसरे के साथ व्यापार समझौता बढ़ेगा, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स पर अटैक नहीं होगा। लेकिन एक तरफ जब पाकिस्तान ये सारी बातें कर रहा था उसी समय वह अन्दर-अन्दर टेररिस्ट्स को मदद कर रहा था, अन्दर-अन्दर न्यूक्लियर बाम्ब बना रहा था। मैं यह कहूंगा कि सार्क में बहुत सी पोटेंशियलिटीज हैं। प्रधान मन्त्री ने वहां भी जोर दिया और बाद की अपनी प्रेस कांफ्रेंस में भी कहा कि हम चाहते हैं कि सार्क देशों में आपस में एकोनामिक रिलेशंस हो। कितनी बड़ी पोटेंशियलिटी है, सातों देशों के लोगों की एक अरब पापुलेशन है, दुनिया की बेस्ट फिफ्थ पापुलेशन है। ये अगर मिलकर चलें तो क्या कुछ नहीं हो सकता है? नेपाल के अन्दर सारी नदियां हैं। यदि नेपाल और भारत का कोआपरेशन हो तो इतनी बिजली जेनरेट होगी कि जिससे नेपाल और पूरा भारत इण्डस्ट्रियलाइज हो सकता है। यदि बंगला देश से हमारा कोआपरेशन हो तो जूट के मामलों में विदेशों की मंडियों में हम मार नहीं खायेंगे। ये दो ही जूट कम्पीटीटर्स हैं और दोनों के ही जूट ग्रोअर्स मर रहे हैं।

यदि हम श्रीलंका के साथ कोआपरेट करें और श्रीलंका हमारे साथ कोआपरेट करे तो चाय के मामले में हम मार नहीं खा सकते है। कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ी पोटेंशियलिटी है एकोनामिक कोआपरेशन की।

बहुत से लोगों ने कहा कि जयवर्धने की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। जयवर्धने की स्पीच यदि आप ने टेलीविजन पर सुनी होगी—ठीक है, मैं जयवर्धने के जेनासाइड से ऐग्री नहीं करता हूँ, उसका विरोध करना चाहिए लेकिन जयवर्धने ने कहा कि स्वतन्त्रता संग्राम में मैं नेहरू जी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलता था। मैं आता था तो आनन्द भवन में ठहरता था। जब अगस्त के महीने में करो या मरो का नारा लगाया तो मैं ठीक नेहरू जी के पीछे बैठा हुआ था। जयवर्धने गलत हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा मौका तो दीजिए लोगों को सोचने समझने का, आपस में एक होने का। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहते। कल्चरल रिलेशंस अगर बढ़ाए जायें, टी. वी. रेडियो के कार्यक्रम बढ़ाये जायें तो इस क्षेत्र के लोग देखेंगे और समझेंगे कि हम सचमुच में एक हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन ने रेगन को फोर्स कर दिया साउथ अफ्रीका पर सैंक्शन लगाने के लिए। तो यदि कल्चरल रिलेशंस इस क्षेत्र में बढ़ जायें, टी वी और रेडियो के कार्यक्रम बढ जायें तो नयी जेनरेशन जो पाकिस्तान में है वह नई जेनरेशन वहां के लोगों को फोर्स कर सकती है कि तुम हिन्दुस्तान के साथ मिलकर चलो। अन्त में मैं यही कहूंगा कि हम सारे देश की तरफ से राजीव जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने द्वितीय सार्क सम्मेलन में लीडरशिप लोगों को दी और सफलता वहां दिखायी।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : सभापति महोदय, अभी हमने महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक वाद-विवाद को सुना जिसका महत्व न केवल इस सदन के इतिहास में अपितु 'सार्क' तथा उसकी विविध संस्थाओं के अभिलेखागारों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

यह महत्वपूर्ण चर्चा में भले ही अल्पकाल के लिए थी लेकिन इसमें दलीय संबन्धों से ऊपर उठकर मतैक्यव्यता किया गया जिससे भारतीय जनता की आवाज तथा इच्छा का सही-सही पता चलता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में फिर से जागरूकता आए।

मैं प्रसिद्ध सांसद श्री दिनेश गोस्वामी को 'सार्क' की भावना को सही रूप में व्यक्त करने के लिए बधाई देता हूँ। मैं समझता हूं कि उनके द्वारा दिए गये तर्कों का स्थाई महत्व है। जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 'सार्क' की भावना के अभ्युरम को समर्थन मिलता है। उनके भाषण से मुझे ऐसा लगा जैसे 'सार्क' का प्रवक्ता अथवा विदेश मंत्री बोल रहा हो।

मैं श्री जी. जी. स्वैल को भी 'सार्क' के बारे में अपने उच्च विचार व्यक्त करने के लिए बधाई देता हूं। मैं श्री जी. जी. स्वैल के निम्न कथन को उद्धृत करता हूं।

'विद्यमान वातावरण के बावजूद, इस क्षेत्र के लिए सार्क सर्व-श्रेष्ठ संस्था है।' हम सभी उनमें असहमत नहीं हो सकते।

तेलुगु देशम् के आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि श्री बी. बी. रमैया ने मैं समझता हूं—बिल्कुल सही कहा था :—

"हमें क्रमशः निर्माण करना चाहिए। हमें इसमें विनीत रुख अपनाना चाहिए। हमें तानाशाह न बन कर बड़ा भाई बनना चाहिए।" मैं समझता हूं उनकी सलाह बहुत युक्ति संगत है। भारत का तथा भारतीय संसद का यही रवैया होना चाहिए। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमें वैसे ही तूफानों बाढ़ों तथा सूखे की स्थिति का तथा भूकम्पों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक, भौगोलिक तथा भू-राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि दक्षिण एशियाई देशों को यथा संभव परस्पर सहयोग के साथ चलना चाहिए।

हमारे सुविदित अनुभवी सदस्य श्री आर. एस. स्पैरो ने विचार व्यक्त किए कि 'सार्क' के क्षेत्राधिकार में इन्डोनेशिया, थाईलैंड को लाया जाना चाहिए तथा उन्होंने इन्डोनेशिया के चिन्ह "गरुड़" की ओर भी ध्यान दिलाया। 'सार्क' की भावना को व्यापक बनाने के लिए जनता से जनता के सम्पर्क की भावना को महत्व मिलना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी ने इस विषय पर कोई मत भिन्नता व्यक्त नहीं की। उन्होंने मामलों को विवादग्रस्त न बनाने की बात की। मैं समझता हूं कि यह एक युक्तिसंगत कथन है जिसे इस सदन में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। सार्क के समक्ष विवादास्पद मामले हैं परन्तु उन्हें निर्विवाद बनाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि न केवल सार्क से संबंधित अपितु अल्प कई मामलों को हम विवादमुक्त बना सकते हैं।

श्री शरद दिघे ने 'सार्क' को एक गतिशील संकल्पना बताया। हमें अपने उद्देश्य ऊँचे रखने चाहिये। हमारे लक्ष्य लघु नहीं होने चाहिए। श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर समझते हैं कि यह एक ऐतिहासिक घटना है तथा कर्नाटक की राज्य सरकार तथा कर्नाटक तथा बंगलौर के लोगों ने इस शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक पूरा होने में जो सहयोग दिया उसका उन्होंने उल्लेख किया। मैं उनके इस विचार से सहमत हूँ तथा मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक सरकार बंगलौर नगर निगम तथा कर्नाटक की विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों वाली पूरी जनता ने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सर्वरूपेण प्रयास किया। मैं सभा के रिकार्ड में रखना चाहता हूं कि संपूर्ण बंगलौर का वातावरण उत्साहवर्धक था। गरीब से गरीब लोगों के चेहरों पर खुशी की झलक थी। वे सभी उम्मीद करते थे कि इस सम्मेलन के कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे। मैं समझता हूँ कि बंगलौर की 'सार्क' घोषणा में बंगलौर की भावना व्यक्त होगी।

मैं समझता हूं कि श्री सोमू ने भी जिन्होंने श्रीलंका में तमिलों की दयनीय दशा का खुल कर उल्लेख किया, अप्रत्यक्ष रूप से सार्क की भावना का समर्थन किया है। श्री वी. एन. पटेल

ने टैक्नोलोजी का सार्क देशों में पारस्परिक स्थानान्तरण करने के पक्ष में तर्क दिए। डा. राजहंस ने 'सार्क' को 1986 की सबसे सुखद घटना बताया है।

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री कुलनदई वेलू के नाम का उल्लेख नहीं किया...

श्री नारायणदत्त तिवारी : मैं श्री कुलनदई वेलू के कथन को लेता हूं। मैं उनकी बात को लेता हूं। उन्होंने बताया कि सार्क शिखर बैठक में दक्षिण की शान्ति की भावना सम्मिलित है। दक्षिण भारत की यह भावना दक्षिण एशिया में भी पनपनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 'सार्क' की अगली शिखर बैठक मद्रास में हो। मुझे आशा है कि बंगलौर में आतिथ्य का जो वातावरण था वह उसे बनाये रखेंगे ताकि आगामी शिखर बैठक मद्रास में हो। मैं निश्चय ही 'सार्क' के सचिवालय तथा 'सार्क' के अध्यक्षों से इसकी सिफारिश करूंगा। इतना सब कहते हुए मुझे यह भी बताना है कि अभी हमें बहुत सा कार्य करना है। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कि इस बारे में ठीक शुरूआत हो चुकी है तथा हमें सतर्कता पूर्वक धीरे-धीरे चलना है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस कार्य में कोई बाधाएं नहीं होंगी। श्री गोस्वामी ने आठ बाधाएं बताईं जिनमें से छह बाधाए उन्होंने विस्तार से बताई हैं। मैं कह सकता हूं कि सार्क समान राजनीतिक धारणा पर आधारित नहीं है और सैनिक व्यवस्था सम्बन्धी एक जैसी विचारों पर आधारित नहीं है। हमने 'एसियान' के बारे में भी चर्चा की है। 'एसियान' कुछ मामलों के बारे में पृथक राजनीतिक अस्तित्व बन गया है। यूरोपीय साझा बाजार एक आर्थिक अस्तित्व बन गया है। बेशक इसकी यूरोपीय संसद है, लेकिन इसका अभी राजनीतिक अस्तित्व नहीं बन पाया है।

मुझे प्रसिद्ध डोमोस विचार गोष्ठी की याद आती है। जिसमें प्रधानमन्त्री पापेन्ड्रीयु ने कहा था कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय तक की केवल डाक सम्भी कृषि नीति है। उन्हें अभी एक समान व्यापारिक और औद्योगिक नीति का विकास करना है वरना कोटे के सम्बन्ध में भी वे सहमत नहीं हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में भी केवल दो या तीन देश ऐसे हैं जो वस्त्र कोटे को मान्यता नहीं देते। बहुत सी समस्यायें हैं। अफ्रिका में क्षेत्रीय समूह बने हुए हैं। "कमकोन" देश भी है जिनकी उत्पादन में सहयोग की प्रणाली एक आदर्श प्रणाली है। उनकी योजना प्रणाली में सामञ्जस्य है उत्पादन-सहयोग के क्षेत्र में उनकी पंचवर्षीय योजनायें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार "कमकौन" एक और क्षेत्रीय गुट है यह एक सफल गुट है जिसे हम आदर्श मानकर विचार कर सकते हैं।

बहुत से क्षेत्रीय गुट हैं। आओ हम एक शुरूआत करें। मंत्री परिषद के समक्ष अपने प्रस्तुतीकरण में, आर्थिक विकास और व्यापार के क्षेत्र में हमारी नीतियों में न अधिक एकीकरण के लिए मैंने स्वयं निवेदन किया था। मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि भूटान, बंगलादेश और श्रीलंका जैसे बहुत से देश दृढ़ता से उस स्थिति के पक्ष में पहुंचे हैं कि भविष्य में विचार विमर्श के लिए व्यापार और उद्योग को शामिल किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में किए गए प्रबन्धों को हमें संस्था का रूप देना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत आशा है कि भविष्य में निश्चित भावी कार्यक्रमों का विकास होगा जो हमें व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी अधिक

संयुक्त संयोजन की ओर ले जायेंगे। जैसा कि बंगलौर घोषणा में उल्लेख किया गया था और जैसा कि प्रधानमन्त्री महोदय ने स्वयं उल्लेख किया है अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के क्षेत्र में सामान्य नीतियों के विकास के लिए एक अच्छी शुरुआत की गई है। इस्लामाबाद में इस वर्ष अप्रैल के आरम्भ में 'सार्क' देशों की एक मंत्रालय स्तर पर सभा हुई थी उसमें अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों के संबन्ध में हमारे समान दृष्टिकोण को दर्शाते हुए एक घोषणा की गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि संसार के आर्थिक मामलों पर, अंकटाड में होने वाली सभा के लिए और नई व्यापार वार्ता जो उन सेवाओं तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिन पर पुंटाडेल एस्टा में चर्चा की गई थी और निर्णय लिया गया था, के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए, 1987 में मन्त्रालय स्तर पर हमें एक और सम्मेलन किया जायेगा। दक्षिण ऐशियाई देशों का, आर्थिक मसलों पर एक समान नीति के विकास के लिए एक जुट होना एक प्रमुख प्रगतिशील कदम है और हम समझते हैं कि धीरे-2 हम उस स्थिति तक पहुंच जायेंगे जिसमें हम उद्योग, औद्योगिक प्रगति से संबन्धित मामलों, संयुक्त उद्यम और अन्य संबन्धित मसलों के बारे में एक सांझा मन्च तैयार करने में सक्षम होंगे।

ढाका सम्मेलन में प्रधानमन्त्री के वक्तव्य में, सार्क की हमारी अवधारणा को जाहिर किया गया था। उन्होंने कहा था जिस स्वरुप का हमने विकास किया है, वे हमारी बुद्धिमता, क्षमता और वास्तविकताओं के अनुरूप हैं। हमने यह नहीं चाहा है कि हमारे द्विपक्षीय सम्बन्ध एक समान क्षेत्रीय पहचान में ही घुल जाए अपितु हमने यह चाहा है कि हमारे द्विपक्षीय संबन्ध, अतिरिक्त आयाम के रूप में हमारी सम्बन्धित विदेश नीतियों में दक्षिण ऐशियाई सहयोग के अनुरूप हो। हमने उन तरीकों को विकसित किया है, जिनमें द्विपक्षीय तनाओं का क्षेत्रीय सहयोग से टकराव नहीं होता है। हमारे बीच द्विपक्षीय मतभेद हैं, गंभीर द्विपक्षीय मामले हैं जिनके लिए संसाधनों की आवश्यकता है, जो कभी-2 समाधानों को चुनौती देते दिखाई देते हैं। परन्तु हम उन पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। श्रीलंका में क्या हो रहा है इस बारे में श्रीलंका के मसले पर श्रीलंका के साथ और पाकिस्तान व अन्य देशों के साथ सार्क सम्मेलन के समय भी हमने द्विपक्षीय चर्चा की थी। प्रधानमन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उन चर्चाओं का उल्लेख किया था और मैं प्रस्ताव करता हूं कि वह एक अन्य विवरण दें। श्रीलंका के सम्बन्ध में कहूं तो पिछली रात तक श्रीलंका के प्रसिद्ध विदेश मन्त्री यहां थे, उन्होंने कल रात देर से प्रस्थान किया है और मेरे सहयोगी श्री नटवर सिंह ने उनसे पिछले तीन दिन तक लगातार विचार विमर्श किया है। इस प्रकार लोकतान्त्रिक तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और हम जानते है कि समाधान पर पहुंचने से पहले कठिन समस्याओं पर काबू पाना है और इसके लिए सद्भाव की आवश्यकता है···

श्री पी. कुलनदइवेलु : क्या चर्चा में कोई प्रगति हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : निश्चित रूप से प्रगति हुई है। जैसा कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री ने स्वयं उल्लेख किया है, जोकि प्रधानमन्त्री के निमन्त्रण पर स्वयं मामले पर बातचीत करने के लिए बंगलौर आए, निश्चित रूप से प्रगति हुई है परन्तु उस प्रगति को बनाए रखना है, उसके द्वारा शान्ति की स्थापना की जानी है।

श्री एन. वी. एन. सोमू : कम से कम अब आप श्री जयवर्धन को तमिलों की हत्याओं को रोकने के लिए राजी क्यों नहीं कर लेते ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्री जयवर्धन को राजी करना हमारा प्रयास रहा है। इन सभी महीनों और वर्षों में हमारा प्रयास यही रहा है। हमारे प्रधानमन्त्री महोदय भी यह कार्य कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हमारे प्रधानमन्त्री इस संबन्ध में जो कुछ कर रहे हैं उस के लिए श्री सोमू कुछ सराहनापूर्ण शब्द कहेंगे। मुझे आशा है कि आप सराहना करते हैं। धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह जारी रहेगी।

श्री एन वी. एन. सोमू : शायद आज भी कुछ लोगों की हत्या की गई होगी किसी औरत के साथ बलात्कार किया गया होगा। इन सब बातों को रोकने के लिए सरकार जयवर्धन महोदय की सरकार पर दबाव क्यों नहीं डालती ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं सहमत हू कि अनेक बुरी चीजें हो रही हैं जिन्हें रोका जाना चाहिए।

हमें यह समझना चाहिए कि सभी क्षेत्रीय अधिक समूह में लाभों को तर्कसंगत बनाने के उपाय हैं ताकि सबसे कम उन्नत सहयोगी देशों को भी उतना ही लाभ मिल सके जितना कि अधिक उन्नत देशों को मिलता है। यहां भी मालदीप और भूटान जैसे देश हैं। संसार के सबसे कम विकसित देशों की अपनी अलग समस्याएं हैं। हम उन्हें उतनी ही राशि का योगदान देने के लिए नहीं कह सकते जितना भारत और पाकिस्तान देते हैं। योगदान के निर्धारण के बारे में भी समस्याएं हैं।

इसी प्रकार लागतों के बारे में भी बात है जिन्हें विभिन्न देशों में उचित अनुपात में बांटा जाना है; व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। देशों के राज्याध्यक्षों व सरकार ने हमें विदेश मंत्रियों को, इन बातों की दोबारा जांच करने के लिए कहा है। नदी पहाड़ियों पर मुझे सम्मेलन के नेताओं की बात व उनके विचार विमर्श सुनने का सुअवसर मिला था। मैं सदन को विश्वास में ले सकता हूं और सदन को यह सूचित कर सकता हूँ कि नदी पहाड़ियों पर जो चार घन्टे की चर्चा हुई थी वह एक उच्चस्तरीय व्यक्तिगत चर्चा थी। बहुत से समान हितों के मामलों पर यह व्यक्तिगत बातचीत और विचार विमर्श किया गया था।

बाद में, निश्चित रूप से बंगलौर में बहुत से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि जो चर्चा नन्दी पहाड़ियों पर की गई वह सार्क के इतिहास में उन सबसे अधिक लाभप्रद व रचनात्मक चर्चाओं में से एक रहेगी जो भविष्य में सार्क सभा को सूचित करेगी। हमारे नेताओं ने नन्दी पहाड़ियों पर क्या चर्चा की थी।

एक माननीय सदस्य : जहां महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू ने विचार विमर्श किया था।

श्री नारायण चौबे : परन्तु वहां उन्होंने बन्दरों को नहीं मारा था।

श्री नारायण दत्त तिवारी : वे वहां नहीं थे। बन्दरों को मारने वाले के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। (**व्यवधान**) कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री रामकृष्ण हेगडे ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया है और समाचार का खंडन किया है। हमें श्री हेगड़े के कथन को स्वीकार करना चाहिये।

आज हमारे यहां सार्क के मामलों के संबंध में 11 समितियां कार्य कर रही हैं। एक समिति कृषि पर, एक तकनीकि समिति ग्रामीण विकास पर, स्वास्थ्य और जनसख्या डाक सेवाओं, मौसम विज्ञान, दूर संचार, परिवहन, वैज्ञानिक और तकनीकि सहयोग, खेल कूद, कला व संस्कृति महिला विकास सम्बन्धी कार्य कर रही है और एक तवीनतम समिति जिसे बंगलौर में स्थापित किया गया है, वह दवाइयों के अवैध व्यापार और दुरुपयोग से सम्बंधित है। जैसा श्री गोस्वामी और श्री स्वैल ने उल्लेख किया है, हम भारत में पहले ही सार्क मौसम विज्ञान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना कर रहे हैं और सार्क कृषि अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना बंगला देश में कर रहे हैं। मौसम विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र के सम्बन्ध में आवर्ती लागतों के बंटवारे सम्बन्धी सूत्र (फार्मूले) के बारे में अब विचार विमर्श किया जा रहा है और तकनीकि समिति एस. एम. आर. सी. के. वेतन ढांचे के सम्बन्ध में अपनी विस्तृत सिफारिशें प्रस्तुत करने जा रही है। फरवरी, 1987 तक इस कार्य को कर दिया जायेगा।

बंगलादेश में सार्क कृषि केन्द्र के सम्बन्ध में बंगलादेश सरकार ने इस केन्द्र के लिए कितने बजट की आवश्यकता होगी इसका विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

दूरसचार के लिए सॉफ्टवेअर केन्द्र की स्थापना के लिए भी एक प्रस्ताव है। सोफ्टवेअर के रखरखाव के लिए आयोजित एक गोष्ठी एवं सम्मेलन में इस केन्द्र के कार्यक्षेत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

नेपाल ने यह प्रस्ताव रखा कि नेपाल में एक तपेदिक केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए। नेपाल द्वारा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं ताकि अगली विशेषज्ञ समिति इस केन्द्र की स्थापना के विकास की बात पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर सके।

परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान के लिए भारत प्रारम्भिक कागजातों को तैयार करने और सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन का कार्य करने जा रहा है। डाक अनुसन्धान और विकास के लिए क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए भारत फिर एक परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार करेगा।

यह बात नहीं है कि हमें इस कार्य के लिए पूर्णत: नए केन्द्रों अथवा भवनों को स्थापित करना है। लागतों को कम करने के लिए हम वर्तमान संस्थाओं अथवा प्रयोगशालाओं को भी अपना सकते हैं। सार्क नौभार प्रेषकों के सम्मेलन में पाकिस्तान ने सामन्जस्य स्थापित करने की बात कही है। समस्याओं के निराकरण के लिए एक केन्द्र और उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए भारत दो अन्य पत्रों को तैयार करेगा। इस क्षेत्रीय संस्थान की कार्यशाला फरवरी, 1987 में आयोजित की जायेगी।

इस बात को संचालित करने के लिए मैंने इन सभी संस्थानों की सूचि दी है कि शासनाध्यक्षों ने हमें आदेश दिया है कि मई, 1987 से पहले इन सभी समितियों को सभा आयोजित करनी चाहिए और इन केन्द्रों के बारे में अपने विवरण को अन्तिम रूप दे देना चाहिए। उन्होंने निदेश दिया कि विदेश मंत्रियों को मई, 1987 तक मंत्री परिषद से भेंट करनी चाहिए ताकि हम काठमांडू सम्मेलन में शासनाध्यक्षों को विवरण दे सकें। इसलिए इस नई गतिशील व्यवस्था के लिए आदेश दिया गया है ताकि ये क्षेत्रीय संस्थान तेजी से शीघ्र ही सामने आ सकें।

अब आतंकवाद के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि किसी भी बात पर सम्मेलन में सहमति नहीं हो सकी। स्थिति इस प्रकार की नहीं है। सभा को शायद यह याद होगा कि ढाका में एक अध्ययन दल आतंकवाद की समस्या की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था क्योंकि आतंकवाद का इस क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, और उस दल से इस बारे में सिफारिशें देने के लिए कहा गया था कि इस समस्या को सुलझाने के लिए सदस्य देश किस तरह सर्वोत्तम ढंग से परस्पर सहयोग कर सकते हैं। ढाका सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था। इस अध्ययन दल की बैठक ढाका में 12 से 14 जून 1986 को हुई थी और उसने आतंकवाद की निन्दा के संबन्ध में दस सिफारशें की थीं। यह सिफारिश की गई थी कि सदस्य देश इस विषय पर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के सदस्य बनेंगे; प्रत्येक सदस्य देश दूसरे देश में नागरिक संघर्ष या आतंकवादी गतिविधियों को संगठित करने, उनमें सहायता करने या उनमें भाग लेने से अथवा मौन स्वीकृति देने से अलग रहेगा, और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करेगा; सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 1979 के सत्र में स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद सम्बन्धी तदर्थ समिति की सिफारिशों का समर्थन करेंगे; सदस्य देश उन अपराधों का पता लगाने के लिए जो आतंकवादी समझे जाते हैं और जिन्हें प्रत्यपर्ण के उद्देश्यों के लिए राजनैतिक नहीं समझा जाता, एक उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था करेंगे; सदस्य देश अपनी सुरक्षा एजेंसियों में परस्पर सहयोग स्थापित करेंगे, जिसमें आसूचना का आदान-प्रदान सम्मिलित है, सदस्य देशों के बीच निकट सहयोग और समन्वय रखने के लिए तंत्र की स्थापना करने में सहयोग किया जायेगा; प्रशिक्षण इत्यादि के क्षेत्र में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करके सहयोग किया जायेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जायेंगे कि आतंकवादी गतिविधियों सम्बन्धी समाचार देते समय संचार माध्यम स्वयं अपने पर अंकुश रखेंगे।

अध्ययन दल ने ये सिफारशें दी थीं। अध्ययन दल की सिफारशों को लागू करने के लिए विशेष उपाय सुझाने के लिये ढाका में 20-21 सितम्बर, 1986 को एक विशेषज्ञ दल की बैठक हुयी थी। इसने सिफारिश की थी कि आतंकवाद के सभी कार्यों की निन्दा करते हुए एक घोषणा खुले शब्दों में उचित स्तर पर की जाये। बंगलौर घोषणा में ऐसा ही किया गया है। बंगलौर घोषणा का ग्यारहवां पैरा इन सभी औपचारिकताओं और आवश्यक घोषणात्मक वक्तव्य के बारे में बताता है। दो, चार, सात, आठ, नौ और दस नम्बर सिफारशों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करके अच्छी तरह लागू किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि सभी देशों की सरकारों ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर इन सिफारिशों को लागू करना चाहिए।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : क्या उन्होंने आतंकवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : उसके बारे में, मैं बताने जा रहा हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : वे इसको परिभाषित नहीं कर सके। यही तो समस्या है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : बंगलौर सम्मेलन में की गई घोषणा में एक पैरा शामिल करके यह स्पष्ट किया गया है कि राज्याध्यक्षों या शासनाध्यक्षों में इस बात पर सहमति है कि आतंकवाद को इस क्षेत्र से मिटाने के लिए सभी सार्क देशों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने आतंकवाद के सभी प्रकार के कार्यों को अपराधपूर्ण ठहराया है और जीवन तथा सम्पत्ति पर उसके प्रभाव की निन्दा की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव नम्बर 2625 में अपनाये गये सिद्धान्त के महत्व को माना जो प्रत्येक सदस्य देश से यह अपेक्षा करता है कि वह दूसरे राज्य में नागरिक संघर्ष अथवा आतंकवादी गतिविधियों के संगठन में, भड़काने में सहायता करने में या भाग लेने की कार्यवाही से अलग रहेगा अथवा उसके क्षेत्र में ऐसे कार्यों में सहायक होने वाली संगठित गतिविधियों की मौन स्वीकृति से अलग रहेगा। इसे बंगलौर घोषणा में सम्मिलित किया गया है।

ढाका में मंत्री परिषद की बैठक में कुछ दूसरे सदस्य देशों के समर्थन के साथ श्रीलंका ने, अध्ययन दल की सिफारिशों, विशेषकर सिफारिश नम्बर छः को धीमी गति से लागू करने पर निराशा व्यक्त की। सिफारिश नम्बर छः इस प्रकार है :

> "सदस्य देशों ने उन अपराधों का पता लगाने के लिए जो आतंकवादी समझे जा सकते हैं और जिन्हें प्रत्यर्पण के उद्देश्यों के लिए राजनैतिक नहीं समझ जाना है, एक उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करने के लिए विचार करना चाहिए।"

इसके परिणाम स्वरूप, मन्त्री परिषद विशेषज्ञों का एक दल स्थापित करने के लिए सहमत हो गयी। बंगलौर में उन्होंने इसके अलावा यह कदम और उठाये कि विशेषज्ञों के दल की बैठक बुलाना और उन्हें मंत्री परिषद की अगली बैठक होने से पूर्व उसका कार्य पूरा करने के लिए कहना तथा (ख) राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों द्वारा जारी की गयी घोषणा में आतंकवाद पर एक पृथक पैरा शामिल करना।

इसका तात्पर्य यह है कि सार्क सचिवालय द्वारा विशेषज्ञों के ग्रुप की बैठक बुलाई जायेगी और मई, 1987 में दिल्ली में मन्त्री परिषद की अगली बैठक होने से पहले कार्य को पूरा करना होगा। हमने दिल्ली को इसके स्थान के रूप में चुनने का निर्णय कर लिया है। मेरे विचार में, सहमति का यह उपाय कार्य कर सकेगा और हम भरसक प्रयास करेंगे कि इस संबन्ध में पूर्ण सहमति हो जाये।

काठमांडू में सार्क सचिवालय खोलने की एक निश्चित तिथि भी निर्धारित कर दी है। यह अपना काम 16 जनवरी 1987 से आरम्भ कर देगा। नेपाल ने सभी सदस्य देशों के विदेश मन्त्रियों को निमन्त्रण दिया है और वहां पर मन्त्री परिषद की एक औपचारिक बैठक भी हो सकती है। 16 जनवरी 1987 से सार्क सचिवालय अपना कार्य आरम्भ कर देगा। आरम्भ में, बंगलादेश से महासचिव के अतिरिक्त इसमें चार निदेशक होंगे। बंगलादेश ने एक वरिष्ठ कूट-नीतिज्ञ श्री अब्दुल अहसान को सार्क का प्रथम महासचिव नामजद किया है। वह एक अनुभवी और जाने माने कूटनीतिज्ञ हैं बंगलादेश सिर्फ एक प्रवर्तक के रूप में ही महासचिव प्रदान नहीं कर रहा है किन्तु वर्णक्रमानुसार भी बंगलादेश पहले स्थान पर आता है। इस प्रकार बंगलादेश प्रथम महासचिव प्रदान करेगा और भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से चार निदेशक होंगे। कुल मिलाकर इसमें पांच व्यक्ति होंगे। हमें आशा है कि जब इसका मुख्यालय स्थापित हो जाता है तो इस प्रकार सार्क सचिवालय अपना कार्य आरम्भ कर देगा और इससे सार्क संस्थागत होने के साथ और मजबूत होगा।

दूसरा मुद्दा जनरल जिया-उल-हक की सम्मेलन से अनुपस्थिति के संबन्ध में उठाया गया था। यह बैठक सार्क देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों की थी। इसका निर्णय तो प्रत्येक सदस्य देश तक है कि वह राज्याध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को भेजे। पाकिस्तान ने प्रधानमन्त्री श्री जुनेजो को भेजने का फैसला किया और हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि श्री जुनेजो ने प्रभाव-शाली ढंग से पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और सत्यनिष्ठ दिखाई देने के साथ-साथ विश्वास के साथ भाषण दिया। मुझे आशा है कि पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने जो भी आश्वासन दिये हैं उनका सम्मान किया जायेगा।

श्री नारायण चौबे: व्यापार मेले में उनके मण्डप में नक्शे को सार्क सम्मेलन के बाद उन्होंने ही जारी किया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी : वह मामला समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने उन नक्शे को वापस ले लिया है।

जैसा कि मैंने कहा कि श्री जुनेजो ने अपना भाषण विश्वास के साथ दिया जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वह पाकिस्तान के निर्वाचित प्रधानमन्त्री हैं।

(व्यवधान)

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : बर्मा और थाइलैंड को बुलाने का क्या कोई प्रयास किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं वरिष्ठ सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम उसके सुझाव पर उचित ध्यान देंगे। निश्चित तौर पर यह बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको बर्मा की वर्तमान नीति जाननी पड़ेगी। और मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। इसको सार्क में लाने के लिए हम सबको इस पर विचार करना होगा। इसमें कुछ समय लगेगा और मेरे विचार में इससे पहले बर्मा, थाइलैंड और इंडोनेशिया के लिए इस पर विचार करना संभव होगा। एशियान के

साथ आपसी हित के प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हम सब मिल कर विचार विमर्श कर सकते हैं क्योंकि उनका एक मजबूत संगठन है। हमें अनावश्यक गलतफहमी को दूर करना है। किन्तु हमें आशा है कि हमारी लोक सभा में परावर्तीत भारतीय लोगों की कामना उन तक पहुंचेगी और निश्चित तौर पर वे इस पर गौर करेंगे। इण्डोनेशिया, थाईलैंड और दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी हमारे लोगों की प्रबल इच्छा पर विचार कर सकते हैं मुझे आशा है कि वे इस पर गौर करना आरम्भ करेंगे। अगर दक्षिण एशिया में हम एक बार संगठित होने और आम सहमति के लिए एक बड़ा कदम उठा लेते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि वे भी जल्दी ही इस पर गौर करेंगे। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण वाद-विवाद रहा और मुझे पक्का विश्वास है कि लोक सभा में प्रकट की गई भारतीय लोगों की शांति और प्रगति के लिए जीने की आवाज भारतीय लोगों की कामना को मजबूत करते हुए सिर्फ समस्त भारत में ही सुनाई नहीं देगी किंतु यह आवाज भारत की सीमाओं को पार करते हुए पूरे दक्षिण एशिया में प्रत्येक नागरिक तक जायेगी ताकि हम शान्ति सौहर्द्र के वातावरण में अच्छे पड़ौसी बन कर रह सकें तथा मिलकर स्वत्रतंता, समृद्धि और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें। इसलिए आशा करें कि एक अरब लोगों का उस लक्ष्य तक पहुंचने का स्वप्न पूरा हो।

5.43 म. प.

अनुपूरक अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1986-87-जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मद संख्या 9, अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) लिया जाये। डा. राजहंस इस पर बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

[हिन्दी]

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं···

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमारी पार्टी को गाली मत देना।

डा. गौरी शंकर राजहंस : मैं आपके साथ हूं, मुझे भी चीन ले चलो। मैं जो बात कह रहा था वह अधूरी रह गई। मैं पब्लिक सेक्टर के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके साथ हूं। आपने जिस पब्लिक सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा है वह है गैस अथारिटी आफ इण्डिया में इन्वेस्टमेंट और लोन, विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम में इन्वेस्टमेंट 66 लाख रुपये आपने दूसरी चीजों के लिए रखे हैं। मैं गैस अथारिटी या स्टील प्लांट के बारे में नहीं कहना चाहता हूं मैं पब्लिक सेक्टर के बारे में बात कहना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश, हम यह मानकर चलते हैं कि पब्लिक सेक्टर इस देश में रहेगा और रहना भी चाहिए। हम उसके समर्थक हैं, लेकिन लोगों का विश्वास पब्लिक सेक्टर से हिल रहा है, यह एक बड़ी ही नाजुक बात है जिस पर बड़े गौर से विचार करना चाहिए। यह ठीक है कि इसमें घाटा काफी है और इस घाटे को

कौन पूरा करता है, कौन देता है। वह रुपया कहां से आता है, किस रिसोर्सेज से आता है। वह रुपया हम देते हैं, वह रुपया आप देते हैं। पब्लिक सेक्टर के बारे में आज मैं डिसआर्मिंग फ्रेंकनेस लोकेशनल डिफीकल्टीज की कुछ बातें कहना चाहता हूं उसमें कहा जाता है कि इसमें लोकेशनल डिस-एडवांटेज है शुरू में ही एक गलती हो गयी, जब हमने पब्लिक सेक्टर को सेट-अप किया था। अब क्या किया जा सकता है। ऐसी बातें खास तौर पर दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में कही जाती हैं। तो क्या इस देश की जनता को यह पूछने का हक नहीं है कि जिस समय उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी, उस समय क्या लोकेशनल डिफीकल्टी की बात नहीं उठी, क्या उस समय यह नहीं सोचा गया कि इस पब्लिक सैक्टर में आगे चल कर बहुत बड़ा-घाटा होगा। अब मैं इससे भी गम्भीर बात कहना चाहता हूं, आप जरा गौर से सुनियेगा।

इस देश में जितन मीडियम लेवल के पब्लिक सैक्टर यूनिटस हैं, उनमें घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। उसमें सीनियर ऑफिसर्स, जिनमें मैनेजिंग डायरैक्टर और चेयरमैन भी शामिल हैं, जनता के पैसों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। सीमेंट कापोरेशन आफ इण्डिया के मैनेजिंग डायरैक्टर के यहां जब रेड हुआ तो लाखों की सम्पति निकली। यही नहीं, पब्लिक सैक्टर के जितने दूसरे सीनियर एक्जीक्यूटिव्ज के यहां रेड्स की गईं, सभी के यहां बहुत बड़ी रकमें निकलीं। यदि आप दूसरे सभी सीनियर एक्जीक्यूटिव्ज के यहां रेड्स करवायें तो आपकी आंखे खुली रह जाएंगी उनके पास इतनी दौलत है, उन्होंने इतनी कमाई कर ली है कि उनके सामने अच्छे-अच्छे पैसे वाले कुछ नहीं हैं। मैंने एक पब्लिक सैक्टर के सीनियर एक्जीक्यूटिव से बात की। वे कहने लगे कि सरकार ज्यादा-से-ज्यादा कर क्या सकती है, हमें हटा देगी, डिसमिस कर देगी। उन्होंने तो करोड़ों रुपया बना लिया। वे कहते हैं कि आप पोलिटीशिन्य यहां बैठकर आपस में पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर पर डिबेट करते रहो, बड़ी मजे की बात है, पैसा हम बना रहे हैं, पैसा बनाना हमारा पैरोगेटिव है। इसीलिए मैंने कहा कि यह बहुत गम्भीर मामला है। इस देश में यदि पब्लिक सैक्टर को कोई फेल कर रहा है तो वहां के सीनियर एक्जीक्यूटिव्ज ही फेल कर रहे हैं। उनका कोई कमिटमैंट नहीं है पब्लिक सैक्टर के साथ। उनका तो बस एक ही प्रोग्राम है कि अपनी भलाई देखो, अपना फायदा देखते जाओ। यह बहुत ही गम्भीर बात है। यदि इसका निदान नहीं किया गया तो इस देश में पब्लिक सैक्टर कभी भी सफल नहीं हो सकता, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मेरे पास अनेकों उदाहरण हैं मन्त्री जी को अकेले में बताऊंगा। परन्तु यह बात सत्य है कि पब्लिक सैक्टर में घोर करप्शन है। कोई कमिटमैंट नहीं है।

आपने कुछ एमाउन्ट एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. कार्यक्रमों के लिए एलोकेट किया है परन्तु मैं आपको बहुत दुखी होकर बताता हूं कि आप यहां से पैसा तो भेज देते हैं, कम से कम हिन्दी स्पीकिंग स्टेटस की बात मैं कह सकता हूं कि वहां इन प्रोग्राम्स का ठीक तरह से इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हम एम. पीज. को कोई से नहीं है हमसे इन प्रोग्राम्स की मौनिटरिंग में कोई सहयोग नहीं लिया जाता, हमारी बात नहीं सुनी जाती। आपने राज्यों को पैसा देकर अपना दिल बहला लिया कि केन्द्र ने राज्य सरकारों को बीस प्वाइन्ट प्रोग्राम के तहत, एन. आर. ई. पी. या आर. एल. ई. जी. पी. के तहत

करोड़ रुपये दे दिए और वहां खुशहाली होती होगी, मुझे किसी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक लड़की के बाप को बहुत खुशी होती है जब वह देखता है कि मैंने 5 लाख रुपये खर्च करके उसकी शादी कर दी, दूसरे घर में भेज दिया, परन्तु दूसरे घर में जाने पर उस बेचारी पर क्या बीती, उसे क्या तकलीफ हुई उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी, यह जानने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया कि आज वह किस स्थिति में है। इसी तरह केन्द्र में कोई यह देखने वाला नहीं है कि आप यहां से जो पैसा देते है उसको वहां कैसे प्रयोग में लाया जाता है, उससे लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हिन्दी स्पीकिंग स्टेट्स में सबसे ज्यादा जोर फौरेस्ट्री पर दिया गया है। बिहार में फौरेस्ट्री पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं परन्तु उसका कहीं कोई औडिट नहीं होता आप इस बात को गौर से सुनिये।

लोग पैसा बना रहे हैं, लूट है, आप कह रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम जंगल लगा रहे हैं। वह जंगल लग नहीं रहा है। कहां है वह जंगल ? वे जंगल आफिसरों की जेब में लग रहे हैं।

श्रीमन् मुझे कहने का मौका दीजिए मेरे पास बहुत ही प्रेक्टीकल बातें हैं। मैं दो-तीन मिनट और चाहता हूं।

मान्यवर, जंगल लगाने के बारे में जो भी धन आप दे रहे हैं, उसकी मानिटरिंग कराइए।

आपने 600 करोड़ रुपये का फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया को लोन दिया है। फूड कार्पोरेशन के बारे में इसी सदन में कितनी ही बार चर्चा हुई है। यदि कहीं कोई गड़बड़ी है, तो वह फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया के अन्दर है। फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया ट्रांसपोर्ट और शार्टेज के नाम पर करोड़ों रुपया खा जाता है और यह सबको पता है। इसके लिए श्री पी. शिवशंकर जी, जो इस विभाग के पहले मन्त्री थे उन्होंने कहा था कि हमें इस बात का दुख है कि शार्टेज और ट्रांसपोर्ट के नाम पर इतनी धांधली होती है और उसे हम देखेंगे। ठीक है, आप दीजिए, मैं इसके लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन यह जनता का पैसा है इसलिए मैं कहूँगा कि हमें इसमें सावधानी बरतनी चाहिए।

नेशनल कल्चरल फेस्टीवल में आप करीब तीन करोड़ रुपया दे रहे है। इसका तो आपको पहले ही पता था कि यहां पर नेशनल कल्चरल फेस्टीवल होगा। इसलिए आपको इसके लिए तो मूल बजट में ही प्रावधान करना चाहिए था।

मान्यवर, अन्त में कहूंगा कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं कि पे-कमीशन मे आपने छः सौ करोड़ रुपया दिया है। इस देश में एम्पलाइज को आपने बारह महीने के काम के बदले में तेरह महीने की पे देने का नियम बना दिया है, तो क्यों नहीं आप एम. पीज. को भी तेरह महीने की पे देते हैं ? आज एक ईमानदार एम. पी. कितनी मुश्किल से दिन गुजारता है, यह वही जानता है। अनप्रोडक्टिव चैनल में आप पैसा पम्प करते जाईए, यह सोच कर कि ये लोग आपका गुणगान करेंगे, लेकिन होने वाला नहीं है।

मान्यवर, पे-कमीशन में आपने जो सीनियर एक्जीक्यूटिव्स को पैसा दिया है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उसका एक सीमा तक देना ठीक है, लेकिन आपने उनको बेइन्तिहा पैसा दे दिया है। अब आप उसको रीट्रेस नहीं कर सकते हैं। जब आपने उनको इतना अधिक पैसा दिया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनको ईमानदारी से काम करने के लिए कहिए। कोई भी एक्जीक्यूटिव बेईमानी में पड़ता जाए, तो उसको उसी वक्त सजा दी जाए। उसको लौंग जुडीशियरी इन्क्वायरी के जरिए नहीं खींचा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं, इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं लेकिन मैं कहता हूं कि सारे भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, वेस्टफुल एक्सपेंडीचर को रोकना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि इस सदन में सारी बातों की खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

(अनुवाद)

*श्री पी. अप्पालानरसिंहम (अनकापल्ली) : माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक बजट पर मैं कुछ ही महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करूंगा। घाटे की वित्त व्यवस्था पिछले 37 वर्षों में स्वतन्त्रता के पश्चात हमारे बजट की नियमित विशेषता सी बन गई है। इस वर्ष 1635 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया तथा पिछले वर्ष यह घाटा 4000 करोड़ रुपए था। इसका एक मुख्य कारण यह है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें काफी मात्रा में पूंजी निवेश किया गया है अभी भी घाटे में है। इस क्षेत्र ने अभी तक भी कोई भी मुनाफा नहीं दिखाया है। कई माननीय सदस्यगण इस क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के बारे में बोल चुके हैं। मुझसे पहले वाले सदस्य ने विशाखापतनम इस्पात संयंत्र के बारे में कहा। महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि केन्द्र सरकार इस संयंत्र के निर्णय का कार्य ठीक से नहीं कर रही है। इसका प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा है इसकी प्रगति समयानुसार नहीं हो रही है। यहां तक कि यहां से हटाये गये व्यक्तियों में भी ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। पंचायत अधिनियम के अनुसार जो कर स्थानीय पंचायत समितियों को दिया जाना था वह भी नगरपालिकाओं के खाते में जमा किया जा रहा है। विशाखापतनम में उनका काम करने का तरीका इस प्रकार का है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था। परन्तु इस असंगति को सही करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यहां तक कि माननीय मंत्री जी के उत्तर में यही कहा गया है कि करों का भुगतान सिर्फ नगरपालिकाओं को ही किया जाना चाहिए।

महोदय, स्विटजरलैंड के बैंकों में 30,000 करोड़ रुपए के बेनामी खाते खुले हुए हैं। सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है परन्तु अभी तक भी अपराधियों को पकड़ने एवं उस पैसे को उजागर करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। महोदय, हमने दूसरे देशों से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है। हम हमेशा से कर्ज लेते रहे हैं। हम निरन्तर कर्ज से दबे हुए हैं। यदि हम स्विटजरलैंड बैंकों में जमा बेनामी खातों की राशि का पता लगा लें तो हम विदेशों को अपना कर्ज चुकाने में समर्थ हो सकेंगे। अब हम विदेशी कर्ज के भार से मुक्त होंगे तो हम सही मायनों में प्रगति कर सकेंगे। परन्तु सरकार ने अभी तक इस

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

विषय पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। महोदय मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए दूसरे देशों के पास गिरवी होता जा रहा है।

महोदय, देश में कई राज्य सूखे एवं बाढ़ की प्राकृतिक विपदाओं से ग्रस्त हैं। यह मूल रूप से केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कठिनाई के वक्त राज्यों की मदद करने के लिए वह आगे आये। परन्तु यह अत्यन्त खेद की बात है कि केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रही है। केन्द्र सरकार को संकट के समय राज्य सरकारों की मदद करनी चाहिये। यह उनका परम उत्तरदायित्व है। हवाई सर्वेक्षण करना ही काफी नहीं है। इनको मदद धन एवं सामग्री देकर की जानी चाहिये। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिये किए गये वायदों से काम नहीं चलेगा।

महोदय, मैं एक उदाहरण पेश करूंगा कि किस तरह से केन्द्र सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकती है। हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में अभूतपूर्व बाढ़ आई। इससे लगभग 2000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने 800 करोड़ रुपए की सहायता मांगी जो कि इस क्षेत्र में राहत कार्यों एवं बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए अत्यतम है। यह आश्चर्य की बात है कि केन्द्र सरकार ने सिर्फ 132 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किये हैं और भी इस शर्त पर कि यह राशि अगली मार्च से पहले खर्च कर दी जानी चाहिये। महोदय, इस बाढ़ से वहां पर बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। सिंचाई परियोजनायें, बांध, केनाल आदि इस बाढ़ में पूरी तरह से बह गए हैं और कम समय में इनकी मरम्मत करना मुमकिन नहीं है। इनकी मरम्मत करने में महीनों का समय लगेगा। अतः 132 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ लगी यह शर्त अर्थहीन है। मैं सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई 800 करोड़ रुपये की राशि बिना किसी शर्त के उसे दी जाये। इस तरह से केन्द्र को राज्य सरकारों की मदद करनी चाहिये।

महोदय, एशियाड के दौरान दिल्ली और इसके आस पास बहुत सी इमारतें बनायी गई थीं। अनुपूरक बजट में उन इमारतों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को 58 करोड़ रुपये का धन आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है। इससे पता चलता है कि किस तरह से कीमती धन सरकार बरबाद कर रही है।

जैसा कि मैंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र निरन्तर घाटे में चल रहे हैं। इस क्षेत्र का प्रबन्ध दक्षता एवं प्रभावी ढग से करने की आवश्यकता है। घाटे को रोकने, के लिये तथा उन्हें मुनाफे में चलाने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें। हम इस पर और अधिक खर्च नहीं करते रहना चाहते। इसी प्रकार से स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा बेनामी खातों का पैसा निकलवाने के बारे में प्रयत्न किये जाने चाहियें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठायेंगे।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं सप्लीमैंटरी डिमांडज का समर्थन करता हूं और अभी जैसा मेरे पूर्व वक्ता श्री राजहंस जी बोल रहे थे, मैं भी उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, पब्लिक सैक्टर के बारे में।

माननीय वित्त मन्त्री जी विराजे हुए हैं। यह पब्लिक सैक्टर नुक्सान कैसे पाता है, यह आपके ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, इनकी घांघली की वजह से पब्लिक सैक्टर को नुक्सान पहुंच रहा है। अपनी कांस्टीटुएन्सी की बात मैं कहना चाहता हूं। जिंक का बहुत बड़ा भंडार हमारे अगूचा रामपुरा में है, उसके बावजूद वहां का जो सबसे बड़ा जिंक मैल्टिंग प्लाट है वह दूर स्थापित किया जा रहा है। यह आपके ब्यूरोक्रेट्स के विन्यास हैं, आप उनको समझाइये कि किस तरह से वहां जो रा-मैटीरियल निकलेगा उसको 100 मील दूर ले जाकर जिंक मैल्टिंग प्लान्ट से वाईफकेट किया जायेगा, उसमें जिंक, जस्ता, सीसा अलग-अलग किया जायेगा। वहां से रा-मैटीरियल को लोड करके ले जायेंगे तो उस पर कितना खर्चा लगेगा ? यह 300 करोड़ रुपये का प्लांट लगेगा और उसके लिये इस रा-मैटीरियल को वहां पहुंचाने में कितना टाइम और खर्चा लगेगा, क्या इस इकनामी को कभी स्टडी किया गया है ? इसको न तो आपके डिपार्टमैंट ने और न माईनिंग डिपार्टमैंट ने स्टडी किया है। सैकड़ों करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा, जिसके कारण सारा प्लान प्रोजेक्ट नुक्सान में जायेगा और उसके जिम्मेदार आपके ब्यूरोक्रेट्स होंगे जिन्होंने यह डिसीजन किया है कि प्लांट वहां पर लगाया जायेगा।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी. के. गढ़वी) : जगह का नाम बताइये !

श्री गिरधारी लाल व्यास : रामपुर अगूचा। वहां पर यह सबसे बड़ा प्लान्ट स्थापित होना चाहिये ताकि वहां पर इकनामी ठीक रहे। ताकि इकानमी अच्छी रहे। आप इस देश के धन

6.00 म.प.

को जिस प्रकार से बरबाद कर रहे हैं, उसको आप बचायें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी समय है, काम शुरू होने वाला है, इसलिए अभी आप सचेत हो जाइए। मैं कई बार यहां पर चिल्लाया हूँ कि आप इसको स्टड़ी कीजिए, मगर आप लकीर के फकीर होकर चल रहे हैं। आज देश की जनता का पैसा बरबाद किया जा रहा है इसलिए इसका आप गहन तरीके से अध्ययन कर लीजिए। मेरी आपसे विनती है कि आप इस सम्बन्ध में अच्छे तरीके से जांच करिए। खान को खोदने के लिए भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपया मंजूर किया और यह तय किया कि वहां पर एक बांध बनेगा। लेकिन इस सबके बाद चंदेरी में यह स्थापित किया जा रहा है। वहीं पर बिजली का 65 मेगावाट का अलग प्रोजेपट बनाने के बारे में आपने कहा है। मेरा ऐसा विचार है कि यह सारी चीजें रामपुरा अगुचा में ही स्थापित हो सकती हैं। ऐसा करने से आपका ढुलाई का पैसा भी बचेगा और आपका यह प्रोजेक्ट नुक्सान में नहीं जा सकेगा। इससे सरकार को, देश को और जनता के धन को बरबाद होने से बचाया जा सकता है। मगर आप इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। आपको इस बात का खास तौर से ख्याल होना चाहिए कि उस पर वहां के लोगों

का अधिकार है। आपकी गलत नीतियों के कारण ही यह सारी व्यवस्था होती है, इसलिये आप इस व्यवस्था को सुधारने के लिए निश्चित तरीके से कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करिए।

इसके साथ ही आपने वहां पर खान खोदने के लिए वहां के लोगों की जमीन ली। उसके बदले में उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अब आप उसमें कई दूसरे तरीके की इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। इसलिये आपको यह देखना होगा कि वहां के लोगों को न्याय मिले। ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए।

इस बार राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा है। इस प्रकार का अकाल आज तक हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं पड़ा है। राजस्थान का पूरा इलाका अकाल से ग्रस्त है। वहां की सरकार ने आपके पास मेमोरंडम भी भेजा है लेकिन आपने एक पैसा भी नहीं दिया। 30 परसेंट लोग वहां से चले भी गये हैं। अभी कुछ समय पहले जो अकाल राहत कार्य चले रहे थे वह भी बीच में बंद कर दिये गये हैं। हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे थे कि वहां सितम्बर में बारिश हो गई है, लेकिन राजस्थान के अन्दर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि बिल्कुल बारिश नहीं हुई और 15 अगस्त के बाद बिल्कुल भी बारिश का नाम-निशान नहीं है। इस कारण तमाम फसलें चौपट हो गई हैं, पीने के पानी का भयंकर अभाव है, चारे का अभाव है, खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है और लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार लोगों को बहुत भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह राजस्थान की सरकार को पैसा दें ताकि वहां पर कामकाज शुरू हो सके और लोगों को राहत मिले।

हमारी सरकार ने बराबर यह कहा है कि हम किसी भी आदमी को भूख से और प्यास से नहीं मरने देंगे। लेकिन अब वह समय आ गया है जबकि लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। अगर आपने इन सब चीजों की व्यवस्था नहीं की तो बहुत सी पापुलेशन मौत का शिकार हो जायेगी। इसलिये आपका ध्यान इस तरफ अवश्य जाना चाहिए। ताकि राजस्थान सरकार की भी मदद करें और उसके आधार पर बड़े पैमाने पर राहत कार्य खोलें जिससे लाखों लोगों को मजदूरी मिल सके और वे अपने स्थान पर रह कर अपने बाल बच्चों की गुजर बसर कर सकें। यह व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए···(**व्यवधान**)···मुझे दो तीन बातें कहनी हैं, यदि आज समय न हो तो कल दे दीजिए।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण पूरा कीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसके सम्बन्ध में पूरी मदद दीजिए।

एक बात फोर्थ पे कमीशन के बारे में इन्होने अभी कही, मैं भी कहना चाहता हूं। फोर्थ पे कमीशन के जरिए आपने जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के पैसे बढ़ाए-अच्छा किया आपने बढ़ाए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों के पैसे बहुत बढ़ा दिए। जिस तरीके से आपके इन ब्यूरोक्रेट्स ने देश को देखा है और संभाला है इसको आप भी देखिए। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और सारे देश की जनता जानती है कि किस तरीके वे नाजायज पैसा कमा रहे हैं। इसको आप देखिए।

हमारे राजस्थान की शिकायत क्या है ? उसकी शिकायत यह है कि चार साल से बराबर अकाल पड़ रहा है। आपने भारत सरकार के कर्मचारियों के पैसे बढ़ाए हैं तो अब राजस्थान के कर्मचारी भी यह कह रहे हैं कि समान काम करने पर समान वेतन मिलना चाहिए। आज उनकी मांग 250 करोड़ रुपये की है। राजस्थान सरकार की यह हालत नहीं है कि वह 250 करोड़ रुपया दे सके। उन्होंने मंजूर किया 70 करोड़ रुपया और उन्होंने बेनिफिट दिया, 15 दिन का बोनस देने को कहा और कहा कि 30 से 70 रुपये तक इन कर्मचारियों के पैसे बढ़ाएंगे, इन्टेरिम रिलीफ देंगे। मगर इससे वे संतुष्ट नहीं हैं। आज वहां पर बहुत बड़ी हड़ताल राज्य कर्मचारियों की चल रही है। इस तरीके से आप भारत सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा देते हैं और उसका असर राज्य सरकारों के ऊपर होता है जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन आप जानते हैं कि किस तरीके की है। वे अपने प्लान को ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट नहीं कर सकते हैं पैसे के अभाव में। हर दूसरे तीसरे साल तनख्वाह बढ़ाकर आप राज्य सरकार को मुसीबत में डाल देते हैं। इसलिए आपने अपने यहां बढ़ाए तो आपका यह भी फर्ज है कि राज्य सरकार की मदद करें ताकि वे उन कर्मचारियों की मांग को पूरा कर सकें। आखिर उनकी मांग को पूरा करना पड़ेगा। आज 42 परसेंट उन पर खर्च हो रहा है और अगर यह 250 करोड़ रुपया इनको और दे दिया गया तो 62 परसेंट तक वह पहुँच जायगा। जितनी इनकम है राज्य सरकार की उससे वह उन कर्मचारियों की यह तनख्वाह बढ़ाएंगे तो उसके बाद किस तरीके से वहां का डेवलपमेंट होगा ? इसलिए आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जब भी भारत सरकार पे कमीशन बैठाए या सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाए तो राज्य सरकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनकी क्या हालत है और किस तरीके से वहां के कर्मचारी संतुष्ट रखे जा सकेंगे ? इसलिए यह मदद निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता है।

एक बात बैंकों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो आपके व्यापारी लोग हैं जिनके संबंध में अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि 1300 करोड़ रुपया उनका स्विस बैंकों में जमा है और अन्य बैंकों के अन्दर पता नहीं कितने करोड़ रुपये जमा होंगे। तो आपकी सरकार और आपके कस्टम्स और एक्साइज के लोग क्या करते हैं ? ये बड़े बड़े लोग पैसे वाले लोगों से, व्यापारियों से मिले होते हैं। ये सरकारी लोग यहां से सामान भेजने वाले इन्वायस को कम करते हैं और बाहर से मंगाने वाले सामान की इन्वायस कम करते हैं जिससे वह पैसा ऊपर का ऊपर उन कन्ट्रीज में जमा हो जाता है। आपके बड़े बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत की वजह से ये लोग देख नहीं पाते और इस तरह से हजारों करोड़ रुपये से इस भारत देश को वंचित होना पड़ता है। ये लोग वहां की बैंकों में यह पैसा जमा कराकर इस देश को दिवालिया बना रहे हैं। इस तरीके की हालत आज इन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बनायी है। आपने थोड़ा बहुत काम तो किया है, थोड़े बहुत लोगों को पकड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे तमाम लोग जो शार्ट इनवायस से सामान भेजते और मंगाते हैं और पैसा बचा बचा कर बाहर रख लेते हैं उनके खिलाफ कोई न कोई कदम आपको अवश्य उठाना चाहिए ताकि भारत सरकार को जो फारेन एक्सचेंज यहां पर मिलना चाहिए जो धन मिलना चाहिए उन को बाहर का बाहर ही ये लोग मनमानी ढंग से न रख सकें। उनके खिलाफ जब तक आप सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक पूंजीपति आप पर हावी

रहेंगे और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए उनके खिलाफ निश्चित तरीके से आपको सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। आज बैंकों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें गरीबों का कोई उत्थान नहीं होता। आपने बैंकों को नेशनलाइज तो कर दिया लेकिन आज भी गरीब लोगों को पैसा देना बैंकों के मैनेजरों की मर्जी पर निर्भर करता है। आप आई. आर. डी. पी. या अन्य प्रोग्रामों के जरिए गरीबी मिटाना चाहते हैं तो आप वहां पर ऐसे आदमियों को बिठाएं जो कि आपके प्रोग्राम्स को कामयाब बना सकें। लेकिन वहां पर ऐसे आदमी बिठा दिए गए हैं जो कि अपनी मर्जी से पैसा देते हैं। लेकिन जो आपकी सरकार की नीति है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं इस सम्बन्ध में भी आपको सोचना चाहिए। आपने मेले लगा दिए, सब कुछ कर दिया लेकिन क्या आपकी स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शेडयूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और दूसरे गरीब लोगों को या मध्यम श्रेणी के लोगों को कभी पैसा मिलता है ? सारा पैसा पूंजीपतियों के पास चला जाता है जो कि अपना पैसा ब्याज पर चलाते हैं। वे कोई नयी इण्डस्ट्री भी नहीं लगाते हैं। पूंजपतियों ने आपके पैसे को अपना पैसा बढ़ाने में ही लगाया है, देश की दौलत बढ़ाने में उसका कोई उपयोग नहीं किया है। इसलिए आपको इन बैंकों के अधिकारियों पर सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि ये लोग गरीबों लूटते हैं और पैसे वालों की मदद करते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस नीति को बदलना चाहिए। यदि आप बीस सूत्री कार्यक्रम और गरीबी मिटाने के कार्यक्रमों को कामयाब बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी।

आखिर में मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। राजस्थान के लिए कुछ नयी रेलवे लाइनों की मांग हुई है उसका काम आप चालू करा दीजिए ताकि जनता को अकाल की स्थिति से कुछ राहत मिल सके। कोटा से देवगढ़ और टोडा रायसिंह से नाथद्वारा—इन रेलवे लाइनों के लिए आप कम से कम मिट्टी डलवाने का कार्य शुरू करवा दीजिए, इससे वहां पर करोड़ों का काम भी हो जाएगा और लोगों को इस अकाल की स्थिति में मजदूरी भी मिल सकेगी, जिससे उनको बड़ी राहत मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूँ।

6.12 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी. के. गढ़वी) : महोदय, मैं सभा-पटल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना सख्या 453/86-के. उ. शु., जो 20 नवम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और

जिसके द्वारा 3 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 223/86-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं। ताकि पोलिमर्स या एथेलीन या प्रोपिशीन या उनमें से किसी समुच्चय के बुने हुए बोरों पर उपलब्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट को फ्लैट बुनाई करघे (फ्लैट निटिंग लूम) पर निर्मित बोरों तक सीमित किया जा सके की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3282/86]

सभापति महोदय : सभा कल सुबह 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6. 13. म प.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार. 21 नवम्बर, 1986/30 कार्तिक, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एस्प्लेनेड रोड़ दिल्ली-110006